खण्ड–484, अंक–5
सोमवार, 20 फाल्गुन, शक संवत् 1934
(11 मार्च, 2013 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, वर्ष 2013 का प्रथम सत्र)

(खण्ड 484 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2013

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-7
विधायकों की अकारण गिरफ्तारी से सम्बन्धित नियम-56 की सूचना को पहले लिये जाने की मांग	9
प्रश्नोत्तर	9-56
दिनांक 5 मार्च, 2013 के तारांकित प्रश्न संख्या-4 को पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में सुरक्षित निर्णय की जानकारी विषयक व्यवस्था का प्रश्न	56
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	56-58
गोरखपुर महानगर में निर्माणाधीन शहीद अशफाकुल्लाह प्राणि उद्यान के कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	59
विधान सभा क्षेत्र निघासन को जनपद मुख्यालय लखीमपुर से जोड़ने हेतु पचपेड़ी घाट पर (बेलरायां पनवारी राजमार्ग) पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	59-60
पूर्वांचल के 13 अन्य जनपदों की भांति जनपद बस्ती में भी गोड़ जाति की उप जनजातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	60
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में बाबू गेंदा सिंह गन्ना अनुसंधान एवं शोध संस्थान की ठप्प पड़ी गतिविधियों को पुनः आरम्भ किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	60-61
पूर्व परियोजना अभियन्ता, नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा मेसर्स सांई फायर एपलाइसेन्स प्रा0लि0 से टेण्डर दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी किये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	61-62
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा ग्रामीण स्थित ग्राम रामनगर परिमानी के पास खारी नदी पर बने चेकडैम के निर्माण में की गई अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	62
जनपद मऊ में कांशीराम शहरी योजना के अन्तर्गत बनी आवासीय कालोनियों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	62-63
जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर की विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	63

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा में मोहम्मदी रोड के किनारे बसे 15 गांवों में जल निकासी हेतु नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	63-64
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा में ग्राम सभा नरनी के बीच 11 हजार वोल्ट लाइन के जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	64
जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के महीउद्दीनपुर से खरखोदा मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	64
जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में पेयजल संकट के निवारण हेतु क्षेत्र के तालाबों को राजघाट नहर परियोजना से भरे जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	64-65
जनपद शामली में स्थित शुगर मिल द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	65
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	65
विधान सभा की कार्यवाही का सजीव प्रसारण टी0वी0 चैनलों के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	65
जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के सरकारी आवासों में वाहन हेतु बने गैराजों में किरायेदारों के रूप में रहने वाले धोबियों एवं दर्जियों द्वारा बिजली एवं पानी का अनुचित उपयोग करने सम्बन्धी औचित्य का प्रश्न (जारी) ...	66
नियम-301 की सूचना को लिए जाने का अनुरोध	66
जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के सरकारी आवासों में वाहन हेतु बने गैराजों में किरायेदारों के रूप में रहने वाले धोबियों एवं दर्जियों द्वारा बिजली एवं पानी का अनुचित उपयोग करने सम्बन्धी औचित्य का प्रश्न	66-67
मा0 अध्यक्ष द्वारा सदन में सुरक्षा सम्बन्धी आश्वासन दिये जाने के बावजूद मा0 सदस्य श्री बृजेश कुमार को अतिरिक्त गनर उपलब्ध न कराये जाने सम्बन्धी औचित्य का प्रश्न	67
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	67-73
उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं के प्रवेश-पत्र परीक्षार्थियों को तत्काल दिलवाने की मांग	73-74
कार्य-सूची की मद संख्या-8, 9, 10 एवं 11 को बजट से पूर्व लिये जाने की सहमति	74

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2013 (पारित) ...	74-75
छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2012 के पुनः पारण का प्रस्ताव (पारित)	76
उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) विधेयक, 2012 के पुनः पारण का प्रस्ताव (पारित)	76
दोनों सदनों द्वारा पारित श्री राज्यपाल के हस्ताक्षरार्थ विगत कई वर्षों से लम्बित पड़े विधेयकों पर त्वरित कार्यवाही का अनुरोध	77
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग (स्वीकृत) ...	77-98
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) अनुदान संख्या-75, शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) (स्वीकृत)	99-142
समय की कमी के दृष्टिगत बजट को जल्द पास कराने का अनुरोध ...	143
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-69 व्यावसायिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या-47 प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या-70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (स्वीकृत)	144-159
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-72 शिक्षा विभाग, (माध्यमिक शिक्षा) (स्वीकृत) ...	159-178
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-46 प्रशासनिक सुधार विभाग (स्वीकृत) ...	178-179
अनुदान संख्या-39 भाषा विभाग (स्वीकृत)	179
अनुदान संख्या-53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (स्वीकृत)	179
अनुदान संख्या-28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)..	179-180
अनुदान संख्या-38 नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत)	180
अनुदान संख्या-92 संस्कृति विभाग (स्वीकृत)	180
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	180-82
बस्ती शुगर मिल्स कम्पनी लि0, बस्ती द्वारा श्रमिकों को सम्पूर्ण बोनस न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री संजय प्रताप जायसवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत) ...	182

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बलिया में धान क्रय केन्द्रों पर प्रभारियों द्वारा मनमाने तरीके से धान की खरीद एवं घटतौली करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश अंचल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	182
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित मधुबन बापू धाम आवासीय योजना के अन्तर्गत विधायकों को आवंटित आवासीय भूमि पर कब्जा न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री सलिल विश्नोई द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	182
जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र कादीपुर में आंधी तूफान से टूटे बिजली के तार और खम्भों को ठीक कराने तथा जले हुए ट्रांसफार्मर के स्थान पर नये ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत) ...	182
जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के 21 ग्रामों/मजरों तथा 15 ग्रामों एवं मजरों में विद्युतीकरण न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजबली जैसल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	183-184
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में वर्ष 2011-12-13 ग्राम खण्डा खस व अण्डखेड़ा में उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 में गेहूं/धान के क्रय केन्द्रों पर किये गये अनियमितताओं की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन	184
जनपद आगरा के कैन्ट क्षेत्रान्तर्गत प्राइवेट कम्पनी टोरेन्ट पावर द्वारा उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गुटियारी लाल दुबेश द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	184-185
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत से हो रहे पेपर आडर की जांच कराये जाने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत) ...	185
महाराजगंज के ग्राम सभा दुर्गापुर में ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बजरंग बहादुर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन	185

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

सोमवार, दिनांक 11 मार्च, 2013

[विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।]

उपस्थित सदस्य-285

1. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
4. अजय मिश्र 'टेनी', श्री — लखीमपुर खीरी
5. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
6. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
7. अजीमुलहक पहलवान, अंसारी, हाजी — अम्बेडकर नगर
8. अताउर्रहमान, श्री — बरेली
9. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
10. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
11. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
12. अनुप्रिया पटेल, सुश्री — वाराणसी
13. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
14. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
15. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
16. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
17. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
18. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
19. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
20. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
21. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
22. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
23. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
24. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
25. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
26. अली यूसुफ अली, श्री — रामपुर
27. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
28. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
29. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
30. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
31. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
32. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
33. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
34. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
35. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
36. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
37. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया

38. इकबाल, श्री बिजनौर
39. इकबाल महमूद, श्री भीमनगर
40. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
41. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
42. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
43. इन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
44. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
45. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
46. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
47. उदयराज, श्री उन्नाव
48. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
49. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
50. उमाशंकर, श्री बलिया
51. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
52. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
53. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
54. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
55. काली चरन सुमन, श्री आगरा
56. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
57. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
58. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
59. केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य, श्री कौशाम्बी
60. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
61. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
62. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
63. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
64. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
65. गयाचरन दिनकर, श्री बांदा
66. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
67. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
68. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
69. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
70. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
71. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
72. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
73. गोमती यादव, श्री लखनऊ
74. गोरख पासवान, श्री बलिया
75. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
76. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
77. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
78. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
79. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
80. जगपाल, श्री सहारनपुर
81. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
82. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
83. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
84. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
85. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
86. जाहीद बेग, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)

87. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री — बस्ती
88. तसलीम, श्री — बिजनौर
89. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री — फैजाबाद
90. दयाशंकर वर्मा, श्री — जालौन
91. दलजीत सिंह, श्री — बांदा
92. दलवीर सिंह, श्री — अलीगढ़
93. दिल नवाज खान, श्री — बुलन्दशहर
94. दीपक कुमार, श्री — उन्नाव
95. दीपक पटेल, श्री — इलाहाबाद
96. दीप नारायण सिंह (दीपक यादव), श्री — झांसी
97. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
98. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — रायबरेली
99. धर्मपाल सिंह, श्री — बरेली
100. धर्मपाल सिंह, डा0 — आगरा
101. धर्मराज, श्री — बाराबंकी
102. धर्मेश सिंह तोमर, श्री — पंचशील नगर
103. नजीवा खान जीनत, श्रीमती — कांशीराम नगर
104. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती — गोण्डा
105. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
106. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री — सीतापुर
107. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री — प्रतापगढ़
108. नारद राय, श्री — बलिया
109. नितिन अग्रवाल, श्री — हरदोई
110. निरंजन ज्योति, साध्वी — हमीरपुर
111. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री — शाहजहांपुर
112. पंकज कुमार मलिक, श्री — प्रबुद्धनगर
113. परवेज अहमद (टंकी), हाजी — इलाहाबाद
114. पारस नाथ यादव, श्री — जौनपुर
115. पीटर फैन्थम, श्री — नाम-निर्देशित
116. पीतमराम, श्री — पीलीभीत
117. पूजा पाल, श्रीमती — इलाहाबाद
118. पूनम सोनकर, श्रीमती — चन्दौली
119. पूर्णमासी देहाती, श्री — कुशीनगर
120. प्रदीप चौधरी, श्री — सहारनपुर
121. प्रदीप कुमार यादव, श्री — औरैया
122. प्रभुदयाल वाल्मीकि, श्री — मेरठ
123. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री — औरैया
124. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री — देवरिया
125. फतेह बहादुर, श्री — गोरखपुर
126. फरीद महफूज किदवई, श्री — बाराबंकी
127. ''फसीहा मंजर'' ''गजाला लारी'', सुश्री — देवरिया
128. फेरन लाल, श्री — ललितपुर
129. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री — बुलन्दशहर
130. बदलू खां, श्री — उन्नाव
131. बाबू खां, श्री — हरदोई
132. बाबूलाल, श्री — गोण्डा
133. बावन सिंह, श्री — गोण्डा
134. बृज लाल सोनकर, श्री — आजमगढ़

135. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
136. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
137. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
138. बैजनाथ, श्री मऊ
139. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
140. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
141. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
142. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
143. मनबोध, श्री देवरिया
144. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
145. मनीष रावत, श्री सीतापुर
146. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
147. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
148. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
149. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
150. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
151. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
152. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
153. महेश शर्मा, डा0 गौतमबुद्धनगर
154. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
155. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
156. मानपाल सिंह, श्री काशीराम नगर
157. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
158. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
159. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
160. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
161. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
162. मो0 आसिफ जाफरी, श्री कौशाम्बी
163. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
164. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराजनगर
165. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
166. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
167. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
168. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
169. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
170. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
171. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
172. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
173. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
174. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
175. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
176. रणजीत सुमन, श्री एटा
177. रमेश चन्द, श्री मिर्जापुर
178. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
179. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
180. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
181. राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर

182. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
183. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
184. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
185. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
186. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
187. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
188. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
189. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
190. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
191. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
192. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
193. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
194. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
195. राधेश्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
196. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
197. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
198. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
199. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
200. राम गोविन्द, श्री बलिया
201. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
202. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
203. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
204. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
205. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
206. राम मगन, श्री बाराबंकी
207. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
208. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
209. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
210. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
211. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
212. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
213. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
214. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
215. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
216. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
217. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
218. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
219. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
220. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
221. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
222. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
223. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
224. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
225. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
226. विजय सिंह, श्री रामपुर
227. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
228. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
229. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा

230. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
231. वीरपाल राठी, श्री बागपत
232. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
233. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
234. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
235. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
236. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
237. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
238. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
239. शाकिर अली, श्री देवरिया
240. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
241. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
242. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
243. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
244. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
245. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
246. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
247. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
248. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
249. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
250. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
251. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
252. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
253. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
254. संजय कपूर, श्री रामपुर
255. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
256. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
257. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
258. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
259. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
260. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
261. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
262. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
263. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
264. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
265. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
266. सियाराम सागर, डा0 बरेली
267. सीमा, श्रीमती जौनपुर
268. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
269. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
270. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
271. सुधाकर, श्री मऊ
272. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
273. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
274. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
275. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
276. सुरेश राणा, श्री प्रबुद्धनगर

277.	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
278.	सुरेश बंसल, श्री	गाजियाबाद
279.	सुल्तान बेग, श्री	बरेली
280.	सैय्यद कासिम हसन, श्री	फतेहपुर
281.	सोबरन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
282.	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर
283.	हुकुम सिंह, श्री	प्रबुद्धनगर
284.	हेमराज वर्मा, श्री	पीलीभीत
285.	हेमलता चौधरी, श्रीमती	बागपत

विधायकों की अकारण गिरफ्तारी से सम्बन्धित सूचना को पहले लिये जाने की मांग

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, ऐसा लगता है कि आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी गई है, देश में तो 1976 में हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में शायद अब हुई है। विधायकों को जाने का अधिकार नहीं, जाना चाहेंगे तो उनको बीच में रोका जाएगा। गिरफ्तार किया जाएगा, इमाम चले जाएंगे, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चले जायेंगे लेकिन मान्यवर, विधायक नहीं जाएंगे।

श्री अध्यक्ष-

आपने नियम-56 में दिया है।

[11.01 बजे] प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*01-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*02-श्री मनीष असीजा-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

उत्तर प्रदेश में नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथारिटी के अन्तर्गत प्रस्तावित तथा स्वीकृत कार्य योजना की जानकारी

*03-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथारिटी के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में क्या कार्य योजना प्रस्तावित है तथा कितने जनपदों के अन्तर्गत कार्य योजना बनाकर भारत सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जी हां।

नेशनल गंगा रिवर बेसिन एथारिटी के अन्तर्गत जनपद इलाहाबाद की 02, वाराणसी की 02, मुरादाबाद की 01, कन्नौज की 01 एवं जनपद हापुड़ के अन्तर्गत गढ़मुक्तेश्वर की 01, इस प्रकार कुल 07 परियोजनायें भारत सरकार से स्वीकृत हैं तथा इलाहाबाद की 02 एवं कानपुर की 01, इस प्रकार 03 परियोजनायें स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर,जिस प्रकार से जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत शहरों के विकास की बात थी उसी तरह से मान्यवर नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथारिटी के द्वारा गंगा के किनारे जितने भी नगर या महानगर बसे हुए हैं उनके लिए मान्यवर, एक विशेष योजना भारत सरकार के द्वारा दी गई

है। जिसको नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का नाम दिया गया है। मान्यवर, यह भारत सरकार की योजना है। प्रदेश सरकार उसमें सहयोग कर रही है। मान्यवर, जो योजनायें जिन-जिन जिलों को भेजी गई हैं उसका उत्तर मा0 मंत्री जी ने दिया। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव भेजे गए हैं वह किन कामों के लिए, उसमें कौन-कौन से वर्क्स सम्मिलित हैं। उसमें होगा कि इन-इन कामों के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं तो वह मंत्री जी बता दें। दूसरा प्रश्न जो कानपुर महानगर के लिए परियोजना भेजी गई है, क्योंकि मेरे पास एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर मुझे मिला था वह इससे इतर मिला है, उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। अगर आपकी अनुमति होगी तो, अभी मेरे दो प्रश्न है एक तो कौन से कामों के लिए भेजी गई है और कानपुर के कामों के लिए जो योजना है वह किस काम के लिए है और उसकी क्या स्थिति है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जैसा मैंने बताया कि सात योजनायें हैं जो स्वीकृत हैं और तीन योजनायें भेजी गई हैं। जिनमें कानपुर की है गंगा कानपुर सीवरेज स्कीम डिस्ट्रिक्ट-1, 444.33 करोड़ इसकी अनुमानित लागत है।

श्री सतीश महाना-

इसमें कौन-कौन से कार्य सम्मिलित हैं। यह योजना सड़क के लिए सीवर के लिए है या पानी के लिए है कौन-कौन से काम इसमें सम्मिलित हैं ? सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के लिए है, किसके लिए है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अब देखिए, इसमें शामिल तो सभी है यह योजना गई है अब स्वीकृति के बात कितना रखते हैं कितना कटौती करते हैं उसकी डिटेल तो उसी वक्त आएगी।

श्री सतीश महाना-

यह स्वीकृत होकर आ गई हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

नहीं, स्वीकृति के लिए योजनायें गई हैं तीन योजनायें हैं, जिसमें इलाहाबाद सीवरेज स्कीम डिस्ट्रिक्ट-सी, सलोरी एस0टी0पी0-14 एम0एल0डी0 इलाहाबाद, तीसरी कानपुर सीवरेज स्कीम डिस्ट्रिक्ट-1 ।

श्री सतीश महाना-

डिस्ट्रिक्ट-1 में कौन सा एरिया हैं अगर आपको जानकारी हो तो बता दें। न हो तो बाद में बता दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

जानकारी है भी नहीं और वैसे भी बहुत सी स्कीम गई हैं आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि बहुत सी चीजें कटकर आती हैं कुछ चीजें बढ़कर आती हैं तो हम उसमें कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं।

श्री सतीश महाना-

विद रेस्पेक्ट, आप बता दें कि उसमें प्रस्ताव क्या किया हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मेरे पास इस समय डिटेल नहीं है। मैं आपको इसकी डिटेल उपलब्ध करा दूंगा। मान्यवर, मैं आपसे यहीं कह दूं कि जो ब्रीफिंग में, मैंने नोट्स तैयार किए थे, क्या करें, वह हमारे ही कार्यालय ने ही वह नोट्स हमारी फाइल में नहीं रखे हैं। क्या करें, क्या जवाब दें कहां तक तजुर्बे से काम चलाएं।

जनपद लखनऊ, वाराणसी तथा अन्य महानगरों में शुद्ध पेयजलापूर्ति कराये जाने की जानकारी

*04-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी, लखनऊ तथा अन्य महानगरों में आपूर्ति किया जाने वाला पेयजल जांच में जनस्वास्थ्य के लिए असुरक्षित पाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार वाराणसी सहित प्रदेश के सभी महानगरों को पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजलापूर्ति कराये जाने हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना लागू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

वाराणसी, लखनऊ तथा अन्य महानगरों में आपूर्ति किये जाने वाला पेयजल स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत दुःख का विषय है कि मैं जब से इस मा0 सदन में निर्वाचित होकर आ रहा हूं, वाराणसी में विशेषकर पक्के मोहल्लों में सीवर की समस्या और गन्दे पेयजल की आपूर्ति की समस्या, मैं उठाता रहा हूं हर सेशन में, और माननीय नगर विकास मंत्री जी को जानकारी है। लेकिन आज यह एक संवेदनशील योग्य मंत्री के द्वारा जो उत्तर मिला है उससे मैं बहुत दुखी हूं। आपका कहना है कि वाराणसी, लखनऊ तथा अन्य नगरों में, आपूर्ति किए जाने वाला पेयजल, स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित है। इसमें यह कहीं नहीं आया कि गन्दे पानी की आपूर्ति नहीं होती इसका आशय यह है कि होती होगी, लेकिन वह स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है। तो मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गन्दे पानी की आपूर्ति हो रही है उसके बाद भी लोगों की सहनशक्ति इतनी है कि वह स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है तो इसका मानक क्या है कि जब आप मानेंगे कि यह पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और यह नहीं है ? क्योंकि आप ही पेपर में निकला है आप कहेंगे कि पेपर का संज्ञान नहीं लिया जाता लेकिन जनता की आवाज तो पेपर`मं प्रकाशित होती रहती है कि लखनऊ में गन्दे पेयजल की आपूर्ति की शिकायत है और कानपुर, वाराणसी में भी है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न करें।

श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'-

प्रश्न तो मैंने कर दिया ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

तो मान्यवर, मैंने उत्तर भी दे दिया।

श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'-

मेरी आपसे अपेक्षा यह है कि मेरे मन में जो धारणा है उसको आपने कई बार पुष्ट किया है कि यह पहले का उत्तर है और अब जब यह सरकार आई है मा0 अध्यक्ष महोदय आपका कहना यह है।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर तो आ जाने दीजिए।

श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'-

उत्तर तो आते रहे हैं। वह दूसरी तरह से तैयार किए जाते रहे हैं, जब मैं आया हूं तो वही मिलेगा जो वास्तविकता होगी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

बिल्कुल उत्तर आपको संतुष्ट करने वाला मिलेगा, आप कहें तो इतनी मोटी सी रिपोर्ट है, कहें तो 12.20 तक पढ़कर सुना दूं। यह सारे पेजेज हैं। मान्यवर, समय-समय पर टेस्ट होता रहता है। पानी इसलिए अच्छा होता है कि हम उसमें दवा डालते रहते हैं, उस टेस्ट की रिपोर्ट हमारे पास है। आप कहें तो सुनाना शुरू करें। लम्बी है, जरा, दो-ढाई घण्टे लग जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

नहीं। रहने दीजिए। असीजा जी, आप पूछिए। यह भी नगर पालिका से सम्बन्धित हैं।

श्री मनीष असीजा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न भी पूछना चाहता हूं और ध्यान भी आकृष्ट करना चाहता हूं। जो इन शहरों का उल्लेख हुआ है, वाराणसी, लखनऊ और अन्य महानगरों का, उसके अलावा भी मान्यवर, देश में लगभग 194 नगर पालिकाओं और 453 पंचायतें हैं।

श्री अध्यक्ष-

वह प्रश्न नहीं है। यह जो प्रश्न पूछा गया है, उसी से सम्बन्धित पूछिए। वाराणसी, लखनऊ तथा अन्य महानगर, इसमें टाउन एरिया आदि पर मत पूछिए।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, गन्दे पानी और दूषित पेयजल की आपूर्ति की बड़ी कामन शिकायत है। ओ0टी0 टेस्ट होते हैं, कई बार यह फेल भी होते हैं, कई बार यह पास भी होते हैं तो मेरा एक सुझाव है, उसी के बाद मैं प्रश्न करने का साहस जुटाऊंगा कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 और यू0आई0डी0एस0एन0 की जो स्कीम है, उसमें बड़ी मात्रा में पैसा है तो क्या इसका सदुपयोग पेयजल में क्लोरीनीकरण के लिए डोजर्स के माध्यम से कराने का प्रावधान क्या आप कराने का विचार करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, पानी के गन्दा होने के कई कारण होते हैं। पाइप लाइन का डैमेज भी उसमें एक बड़ी चीज है और आम तौर से जो पाइप लाइन गन्दे नाली-नालों से गुजरते हैं, पानी उसे सक कर लेता है और क्लोरीन भी उसमें काम नहीं कर पाती है, कहीं-कहीं ऐसे हैवी बैक्टीरियाज होते हैं। तो मैं उसकी कमियों से इन्कार नहीं कर रहा हूं लेकिन समय-समय पर इसकी जांचें होती रहती हैं और वह जांच रिपोर्टें हमारे पास हैं भी। जाहिर है कि इनकी ऐसी जगह जांच होती है, जो सरकारी महकमे हैं, उनसे आने वाली रिपोर्ट पर हम रिलाई करते हैं, उसी को आप तक पहुंचाते हैं। कोशिश करते हैं कि यह ज्यादा से ज्यादा बेहतर मिलें। आपके सुझाव पर विचार किया जा सकता है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, चूंकि यह प्रश्न प्रदेश के अन्य महानगरों के बारे में भी है। इसलिए जो गोरखपुर महानगर की जलापूर्ति है, उस सन्दर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से पूछ रहा हूं। गोरखपुर महानगर में दो तरह की सप्लाई है। एक तो यह जो पाइप पेयजल है और दूसरा गोरखपुर महानगर का 20-25 परसेण्ट हिस्सा ऐसा है, जहां अभी भी हैण्डपम्प की सप्लाई है। जो पाइप पेयजल है, अध्यक्ष जी, वहां के डोजर्स खराब होने के बारे में, जहां डोजर्स ठीक हैं, वहां ब्लीचिंग पाउडर दिए जाने के बावजूद उसका उपयोग न किए जाने के बारे में यह आम शिकायतें हैं। एक बार इंजीनियरिंग कालेज ने वहां के बारे में जांच भी की थी। जिसको बाद में नगर निगम ने उसको कन्ट्राडिक्ट किया है। जांच में यह रिपोर्ट आई थी कि पानी अक्सर वहां का खराब रहता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि गोरखपुर की जलापूर्ति के सन्दर्भ में जो पेयजल उपलब्ध है क्योंकि यह प्रश्न मूलतः बनारस और लखनऊ का था, गोरखपुर की जलापूर्ति व्यवस्था की जांच कराने की कृपा करेंगे और साथ में जिन हिस्सों में अभी भी हैण्ड पाइप से पानी दिया जा रहा है क्योंकि वहां अभी तक पाइप द्वारा पेयजल पहुंचाया नहीं जा सका है क्या उन क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, नगर निगम गोरखपुर की रिपोर्ट इस तरह है कि गोरखपुर महानगर में नलकूपों के माध्यम से ही पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। यहां सर्फेस वाटर से जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं है। नलकूपों पर पेयजल के शुद्धीकरण हेतु डोजर्स, क्रिएनेट्स लगाये गये हैं तथा कई स्थानों पर ओवरहेड टेंकों से सीधे ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है। अतः यहां आपूर्ति किया जाने वाला पेयजल जनस्वास्थ्य के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। यह तो जाहिर वह रिपोर्ट है जो आयी है लेकिन सबसे खास बात है कि यहां नलकूपों के माध्यम से ही पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। इसमें आपका क्या बेहतर सुझाव है वह आप बता दें उस पर विचार हो जाएगा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, एक योजना बनाकर जल निगम से भेजी गयी थी। महानगर को कई जोन्स में बांटा गया है। तो जो तीन बाहरी जोन हैं जहां नलकूप नाम की चीज ही नहीं है। तो सप्लाई हो ही नहीं सकती। यह तीन बाहरी जोन हैं नतमनपुर है शिवपुर शहबाजगंज है और एक क्षेत्र और है। तीनों

आसपास के क्षेत्र हैं। इनकी योजना बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से दिल्ली भेजी गयी थी कि पैसा अवमुक्त होगा तो वहां निर्माण कराया जाएगा। जब निर्माण ही नहीं हुआ है तो नलकूप से होने का मतलब ही नहीं हैं। मूलतः जो जवाब आया है वह अधूरा और गलत है। जब स्वीकृति होगी तो निर्माण होगा। क्या उसको प्राथमिकता पर लेने का प्रयास करेंगे दूसरी चीज जो आपको रिपोर्ट डोजर्स और ब्लीचिंग पाउडर के बारे में दी गयी है। मैं यहां सदन में हूं। डोजर्स या तो खराब हो गये हैं या खराब कर दिये जाते हैं और ब्लीचिंग पाउडर जिस काम के लिए दिया जाता है उसका उस काम के लिए उपयोग नहीं होता है। क्या आप उस व्यवस्था की जांच कराने का कोई निर्णय लेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, भारत सरकार में जो स्कीम गयी है उसके लिए और तत्परता से जल्दी एप्रूव कराने की कोशिश करते हैं। गोरखपुर के लिए चाहे पानी या बीमारी का मामला हो सबके लिए कम से कम समाजवादी सरकार का विचार और सहयोग भी रहता है। और आप इससे परिचित भी हैं। ब्लीचिंग पाउडर के इस्तेमाल के बारे में कोशिश तो यही करते हैं कि होता रहे। इसी जगह इस्तेमाल हो कहीं और न चला जाये। लेकिन अगर कहीं गलती है और आपकी जानकारी में है तो आप उसकी सूचना दें उस पर सख्त कार्रवाई होगी।

श्री वीरपाल राठी-

मान्यवर, नगरीय क्षेत्रों में जो आपकी टंकी के द्वारा व्यवस्था है और जिन क्षेत्रों में डाक्र एरिया है। वहां पर पाइप 90 प्रतिशत टूटे-फूटे पड़े हैं। लोगों को पानी की टंकी के द्वारा गंदा पानी मिल रहा है। तो जहां डार्क एरिया है वहां पर जो हैण्डपम्प लगाये जाते थे तो उनको भी बंद कर दिया तो क्या डार्क एरिया में पानी की व्यवस्था, टंकी अगर खराब है तो हैण्डपम्प से दिलाने की कृपा करेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप विधायक निधि से पैसा दे दीजिए, करा देंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, प्रश्न में और उत्तर में बहुत ही ज्यादा अंतर आ गया। क्योंकि प्रश्नकर्ता महानगर से आते हैं और मा0 मंत्री जी एक छोटे से नगर से आते हैं। उनकी चिंता यह है कि वहां मिलना चाहिए और आपने कहा कि शुद्ध पानी मिल रहा है। असलियत यह है कि शुद्ध पानी मिलने का तो प्रश्न नहीं उठता। क्योंकि पानी का रिचार्ज नदी से या बारिश के पानी से होता है। नदी सारी प्रदूषित हैं यह आप भी मान चुके हैं। जब तक हम ऊपर लाकर उस पानी को शुद्ध नहीं करेंगे तब तक वह पानी शुद्ध नहीं होगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्लांट लगे हैं।

श्री हुकुम सिंह-

प्लांट लगे हैं लेकिन फंक्शनल नहीं हैं। मैं महानगरों की बात कर रहा हूं। लखनऊ की बात कर रहा हूं। मान्यवर, मेरा आग्रह यह है कि कहीं और ज्यादा न जांय, यह चौक एरिया में चले जांय और वहां दो-तीन टेप खुलवाकर पानी पीकर देखें और दूसरे दिन अगर यह ठीक आ जांय, तो मुझे बताइयेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

ऐसा नहीं है।

श्री अमर पाल शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना भी चाहता हूं और उनका ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि महानगरों की बात है, गाजियाबाद में एक महानगर है, खासकर के जो ट्रांसहिण्डन एरिया है, जो नया बसा है बीस साल से ज्यादा हुए डेवलप हुआ है, इसमें जो शिकायत है सबसे ज्यादा कि जब आदमी अपनी मोटर चलाता है, तो उसमें टोटल पानी सीवर का आता है और उसका मैं सुझाव आपको देंना चाहता हूं, शायद अधिकारी आपको क्या रिपोर्ट देंगे कि सीवर की और पानी की लाइन एक साथ हैं और जहां सीवर की लीकेज है, उसकी वजह से वहां की पानी की लाईन गल गई है, वह भी आपस में कहीं न कहीं से लीकेज हैं क्योंकि मैंने कई जगह से जो लाइनें हैं, खुद मैंनें खुदवा कर चेक किया कि यह पानी गंदा आता कहां से है, ट्यूबवेल से तो पानी साफ जा रहा है, पम्प से तो पानी साफ जा रहा है, लेकिन घर में पानी गंदा आता कैसे है, तो इस पर मैंनें अधिकारियों से भी जवाब मांगा, अधिकारियों का कहना है कि नहीं जी सब ऐसे ही होता है, यह कहते हैं, पानी जम जाता है। तो अध्यक्ष महोदय मैं बताना चाहता हूं कि आधा किमी0 की लाइनें मैंने खुद खुदवाई, तो उसमें तीन जगह से सीवर लाइन टूटी मिली, क्योंकि साथ-साथ लाइन चल रही हैं। तो मैं मा0 मंत्री जी को अवगत भी कराना चाहता हूं कि क्या ट्रान्सहिण्डन एरिया की सभी लाइनों को अलग करा कर, क्योकि जब अलग लाइनें बिछेंगीं तो निश्चितरूप से इस समस्या का समाधन हो जायेगा और इसी के साथ-साथ जो ट्रान्सहिण्डन के लिए अभी मैंने कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा कि 900 करोड़ रूपये एन0सी0आर0 प्लानिंग बोर्ड से स्वीकृत हुआ है, क्या उस पैसे के अन्दर इस ट्रान्सहिण्डन एरिया की इन लाइनों को अलग-अलग कराने का काम करेंगें और वहां की जनता को जो आधे क्षेत्र में गंगा वाटर है और आधे में नहीं है, उनको स्वस्च्छ पानी दिलाने का काम करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, इतना तो आप मान ही लेंगे, लेकिन यह कामन प्रॉब्लम है, इसमें छोटे-बड़े शहरों का कोई विरोध या विवाद नहीं है कि जहां भी नाले, नाली से पाइप गुजर रहे हैं, वह गल गये हैं और गन्दगी मैंनें तभी पहले आप से कहा था, सक कर लेते हैं। एक तो मोटर एलाउड नहीं है, तो गैर कानूनी काम तो यहीं से शुरू हो गया है। सब लोग अपनी-अपनी मोटर लगाते हैं, जो कि लीगली एलाउड नहीं है। अब उसमें जाहिर है कि बहुत प्रेशर से वह खींचते हैं, पानी की सप्लाई हुई, रुक गई, टैंक खाली हो गया और इस पाइप में उस नाली-नाले की गन्दगी आ गई। जब आपने मोटर को चलाया तो पहले उस गन्दगी को सक किया, उसके बाद क्योंकि प्रेशर था तो पानी तो रन करने लगा, उस सुराग में गंदगी नहीं पास हो सकी और अगर हुई तो उसकी मात्रा बहुत कम थी । अब यह लम्बा खर्चा है, कर रहे हैं, इस काम को। अब चौधरी साहब तो आजकल नाराज हैं कुछ सरकार से भी नाराज हैं और हम से भी नाराज हैं। तो अब कहना कोई और न माने सजा आप हमें देते हैं। बनारस में आपकी जानकारी में है, पिछली सरकार में ही हमने आपकी लाईन्स

बदलने के लिए बड़ी रकम दी थी और काफी बनारस में बदली भी जा चुकी हैं। बदलने का और काम चल भी रहा होगा तो इस तरह कोशिश कर रहे हैं कि जहां-जहां लाईन्स बहुत खराब हो गई हैं, उनको बदलने का काम भी कर रहे हैं। अगर किसी, जैसा आपने अभी बताया मैं समझता हूं कि इसको नोट किया जा रहा होगा, ट्रान्सहिण्डन वाले एरिया को भी दिखवा लेंगे, जहां भी कमी होगी, उसको कोशिश करेंगे जल्द ठीक करें।

श्री अमर पाल शर्मा-

मान्यवर, हाई मंजिल बिल्डिंग हैं, अब पानी का प्रेशर इतना होता नहीं है कि हर फ्लैट के अन्दर तक पानी पहुंच सके, तो वहां मजबूरी में मोटर तो चलाना ही पड़ेगा, तभी वहां तक पानी पहुंच सकेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब शर्मा जी आप बैठिये, आपका उत्तर आ गया है। जब आपको एलाऊ नहीं है, तो आपको प्रश्न नहीं पूछना चाहिए।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं और उस पूछने से कहीं न कहीं फायदा भी होगा, मंत्री जी का भी और जनता का भी । मान्यवर, कानपुर महानगर में, क्योंकि यह सभी महानगरों से सम्बन्धित प्रश्न है। कानपुर महानगर में जो गंगा बैराज है, उस पर 200 एम0एल0डी0 वाटर ट्रीमेण्ट प्लाण्ट का उद्घाटन आपने किया था। विगत कार्यकाल में और इधर जे0एन0एन0आर0यू0एम0 के अन्तर्गत कुछ पैसा वाटर सप्लाई के लिए भी आया और कुछ सीवरेज सिस्टम के लिए भी आया है, तो हमारे पास सर्वश्रेष्ठ वाटर के जो स्रोत हैं कानपुर में एक बैना झावर 200 एम0एल0डी0 वाटर ट्रीटमेंट प्लाण्ट और एक गंगा बैराज के ऊपर जो बना है, वह वाटर ट्रीटमेंट प्लाण्ट वह भी 200 एम0एल0डी0 का है, तीसरा 200 एम0एल0डी0 का वहां पर बन रहा है, लेकिन जो वर्तमान में 200 एम0एल0डी0 का वाटर ट्रीटमेंट प्लाण्ट जो गंगा बैराज के ऊपर है, उसकी पूरी क्षमता से उसको पानी नहीं हो रहा है, लगभग 70 से 80 एम0एल0डी0 वाटर वहां से सप्लाई किया जा रहा है, तो एक सुझाव के रूप में या एक प्रश्न के रूप में इसे नोट कर लेंगे तो, अगर आप उन अधिकारियों को जरा ठीक तरीके से अपने स्वभाव के अनुरूप कह देंगे तो हो जायेगा। उसमें मेरा मान्यवर, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह प्रश्न है कि जो गंगा बैराज के ऊपर 200 एम0एल0डी0 वाटर ट्रीटमेंट प्लाण्ट बना हुआ है और जिसमें से 70 या 80 एम0एल0डी0 उसकी क्षमता का उपयोग कर रहे हैं, पूरा 200 एम0एल0डी0 वाटर सप्लाई है और जो ओवर हेड टैंक बने हुए हैं मान्यवर, कानपुर महानगर जे0एन0एन0आर0यू0एम0 में, इसको समयबद्ध सीमा के अन्तर्गत अगर वहां से वाटर सप्लाई मिल जायेगी तो वहां वाटर भी उपलब्ध हैं, ओवर हेड टैंकस् भी उपलब्ध हैं, सिर्फ थोड़ी-सी चूड़ी कसने की जरूरत है, जहां से पानी लीक हो रहा है। क्या मा0 मंत्री जी, उस चूड़ी को कसकर उसको पानी उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं आज ही इसे दिखवाऊंगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी को यह स्पष्ट कर दूं कि मा0 मंत्री जी से या सरकार से नाराज होने का कोई सवाल नहीं है, जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उनके अंदर पीड़ा होनी चाहिए और वह पीड़ा मुझमें है, और वह मा0 मंत्री जी भी जानते हैं। मैं आपके माध्यम से उनको यह अवगत कराना चाहता हूं कि अब गर्मी सिर पर है और यह प्रत्येक वर्ष की समस्या है कि जब यह गर्मी आती है तो यह पेयजल गंदा आपूर्ति होता है, उसके कारण हैजा वगैरह फैलते हैं और फिर वह ओ0टी0 टेस्ट होता है, फलाना टेस्ट, ढेकाना टेस्ट और ज्वाइंट टेस्ट भी होता है, स्वास्थ्य विभाग भी और जल संस्थान भी, जल संस्थान कहता है हमारा सब ओ0के0 है और स्वास्थ्य विभाग कहता है कि ओ0के0 नहीं है, आपकी दूषित जलापूर्ति के कारण यह रोग फैला है, हैजा फैला है और मरते भी हैं लोग, तो मैं आपके माध्यम से, मा0 संवेदनशील मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूं, अभी मा0 महाना जी ने कहा कि अपने स्वभाव के अनुसार, तो यह मेरे समझ में नहीं आया कि अपने स्वभाव को, आपने बहुत अच्छी तरह पहचाना है, मुझे भी जरा बता दें ताकि हमारी समस्या का निदान भी मा0 मंत्री जी, अपने उस स्वभाव के अनुसार कर दें ताकि आने वाली गर्मी में, लोग बीमार न पड़े, हैजा न फैले और मरने वाली जैसी नौबत न आवे तो मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं और यह सवाल भी है कि क्या वह अब ऐसी कोशिश करेंगे, अपने स्वभाव के अनुसार ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अध्यक्ष जी, अगर चौधरी साहब का यह डर बनारस में फैल गया तो पलायन शुरू हो जायेगा। इतना न डराइये, सरकार बिल्कुल संवेदनशील है, काम जो भी जरूरी है, वह करती है, कोई भी ऐसी बात नहीं होगी, कोई हैजा वगैरह नहीं फैलेगा, पानी बिल्कुल साफ-सुथरा मिलेगा आपको आश्वस्त किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष-

हां, मा0 लल्लू जी क्या सवाल है, महानगर से सम्बन्धित पूछिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

नगर पंचायत से सम्बन्धित है, अध्यक्ष जी। अगर आपकी अनुमति हो तो, क्योंकि मा0 मंत्री जी 2006 में जा चुके हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह नगर पंचायत से सम्बन्धित सवाल नहीं है, आपको मैं अनुमति नहीं देता, यह गलत है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

ये आपके स्वभाव में हो गया है, जब यह प्रश्न महानगर का है, तब नगर पंचायत में आप कैसे पूछेंगे ? आप बैठिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, कुछ नहीं, न लिखा जायेगा और न उसका उत्तर मिलेगा, आप जरा संजीदगी से काम सीखिए, बैठिए।

श्री रवीन्द्र भड़ाना-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं, मा0 नगर विकास मंत्री जी से एक आग्रह करना चाहता हूं, मेरठ में पेयजल आपूर्ति के सम्बन्ध में जे0एन0एन0आर0यू0एम0 द्वारा लगाई गयी, शास्त्रीनगर के एल ब्लॉक में एक ट्यूबवेल, जो विगत कई वर्षों से है लेकिन उसके बाद उसका खाज्य न होने के कारण सप्लाई नहीं हो रही है पानी की, मान्यवर, से मैं पहले भी आग्रह कर चुका हूं, मान्यवर, उस ट्यूबवेल के स्थान पर पेयजल के लिए दूसरी ट्यूबवेल लगाने का क्या सरकार कार्यक्रम करेगी, क्योंकि उसका जल खराब है, कहीं-न-कहीं उसका लिंक वहां आस पास में तबेले जमे हैं, उनसे जुड़ गया है, मान्यवर, उसका कारण कुछ भी हो सकता है, या तो उसका बोर कम रह गया है। मान्यवर, कम गहराई है। या जो कुछ रिपोर्ट आती है वहां सरकारी अधिकारी तकनीकी रूप से यह कहते हैं कि नीचे का जल दूषित है। मैंने आवास-विकास परिषद् के मुख्य अभियन्ता और कई सारे अधिकारियों को बुलाया और उनसे कहा कि आप प्रैक्टिकल रूप से आप देखें कि स्नान करने के वक्त जो साबुन लगता है शरीर में वह 15 मिनट तक नहीं छूटता। जब टयूबवेल चलाया जाता है तो पन्द्रह दिन तक हाहाकार मच जाता है। तो मेरा निवेदन है कि पेय जल के संबंध में कोई अन्य व्यवस्था हो जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मेरठ की समस्या के बारे में मैं सदन को पहले भी अवगत करा चुका हूँ कि वहां पर कमेले थे, एक बड़े कमेले को हटाया गया है। मान्यवर मेरठ के सभी विधायकगणों को या आम लोगों को यह सब मालूम है कि गंदा पानी जमीन में जाता हैं खून जाता है। मुख्तलिफ किस्म का गन्दा पानी जमीन में जाता है। मान्यवर यह शिकायतें मिली हैं कि कुछ कमेले बाहर चले गये हैं आबादी के जहां हमारा कन्ट्रोल नहीं है। आपने वहां पर देखा कि एक बड़े ताकतवर शख्स का कमेला हटा दिया गया है। आप नहीं हटा सके थे। अब बाहर हो गये आबादी से उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं सत्र के बाद आपके साथ चला चलूंगा और वहां सब अधिकारियों को बुला लेंगें। यह आम सहूलत की चीज है इसमें कोई पार्टी का विवाद नहीं उठता है।

प्रदेश में बाल यौन शोषण/दुराचार को रोकने हेतु कार्य योजना

*05-श्री सुनील कुमार सिंह यादव (अनुपस्थित)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माह अप्रैल, 2012 से 31-01-2013 तक बाल यौन शोषण/दुराचार की कितनी घटनायें पंजीकृत हुई हैं ? क्या सरकार इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई नया कारगर कानून बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराना है कि प्रदेश के जनपदों में माह अप्रैल, 2012 से 31-01-2013 तक बाल यौन शोषण/दुराचार की 632 घटनायें पंजीकृत हुयी हैं। उक्त अपराधों की रोकथाम हेतु प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में अपराध अनुसंधान विभाग मुख्यालय में महिला सहायता प्रकोष्ठ स्थापित किया गया। प्रदेश के जनपदों को 05 जोन में विभक्त कर इनका पर्यवेक्षण पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। जनपदीय पुलिस अधीक्षक के अधीनस्थ प्रदेश के सभी जनपदों में महिला थाना की स्थापना की गयी। प्रदेश के थानों पर गठित स्पेशल पुलिस यूनिट के नामित जुवेनाइल आफिसर जो उपनिरीक्षक स्तर के हैं, की नियुक्ति की गयी, जिनके द्वारा बाल यौन हिंसा की घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। फिर भी इन अपराधों में पूर्णतः नियंत्रण के उद्देश्य से गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश सरकार के माध्यम से प्रदेश के 24 जनपदों में एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन किया गया है, जो वर्तमान में क्रियाशील है। इसी क्रम में हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा हेल्पलाइन नम्बर 1090 की शुरूआत की गयी है जिस पर तत्काल मदद उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। इसी क्रम में प्रदेश के सभी जनपदों में कन्ट्रोल रूम पर अवस्थित फोन नम्बर भी महिला हेल्प लाइन के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में दिनांक 14 नवम्बर, 2012 को उक्त अपराधों की रोकथाम हेतु ''लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012'' पूरे देश में लागू किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

(श्री अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या-5 पुकारे जाने एवं श्री सुनील कुमार सिंह यादव के अनुपस्थित होने पर)

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, हमारी इस पर रुचि है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इस ज्वलन्त विषय पर आज इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा हो रही है दिल्ली में घटना के बाद सभी तरह के नियम-कायदे-कानूनों पर और समाज में चिंता व्यक्त की गयी है। मान्यवर, इसी विधान सभा में 08 मार्च को एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव इस आश्य का पारित किया गया है कि महिलाओं की सुरक्षा उनके सम्मान एवं उनके आदर के लिए समुचित कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, सरकार भी चिन्तित है। मान्यवर, इतनी बड़ी घटनाओं के बाद भी इतना सक्त कानून अभी भी विचार-विमर्श की स्थित में है। मान्यवर, भारत सरकार द्वारा कड़े प्रयास किये गये हैं लेकिन उसके बावजूद भी यह घटनायें दिन-प्रतिदिन होती जा रही है, और रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। समाज की जो मानसिकता है, प्रदूषित मानसिकता जो दिमांग के अन्तर्गत ऐसे पापियों में घुसी हुई है उनको जितनी भी सजा दी जाय, सख्त से सख्त सजा दी जाय, उनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता वह भी कम होगी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिसकी चिन्ता आपके समय

में हम सब लोगों को है उसके बाद भी यह घटनाएं हो रही हैं, कुछ न कुछ उदाहरण के तौर पर है क्योंकि कानून मान्यवर, हर आदमी के पीछे नहीं होता लेकिन एक व्यक्ति को दी गयी सजा सब लोगों को संदेश भेज देती हैं कि अगर हमने यह अपराध किया, पाप किया तो हमारे को भी ऐसी सजा मिलेगी जिसके कारण अपराध रुकता है। मान्यवर, इधर जो घटनाएं हुई हैं क्योकि 632 घटनाएं मान्यवर, कम नहीं हैं और दस और 1090 के ऊपर जिनकी सूचना प्राप्त हो रही हैं वह हजारों में हैं इसका उत्तर पूर्व में यहां पर आया है। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी करना चाहता हूं कुछ ऐसे केसेज जिसमें बहुत सख्त कार्यवाही हुई हो और उनको जेल भेजा गया हो जिसका संदेश हम उत्तर प्रदेश की जनता को दे सकें कि आपके लिए यह हो रहा है और उन अपराधियों को भी यह संदेश दे सके कि इस प्रकार की हरकत नहीं करोगे कुछ इस प्रकार की कार्य योजना तत्काल माननीय मंत्री जी के दिमांग में हैं या विचाराधीन है इस पर बता दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, एक तो आपने अपने प्रश्न के साथ ही यह खुद ही कहा है कि इस प्रकार का अपराध करने वालों की कैसी मानसिकता है उसके बारे में तो सदन में विचार करें सदन के बाहर विचार करे, वह बहुत जरूरी हैं और यह बात पहले भी सदन में आई है और सबने इस बात पर सहमति भी व्यक्त की है। एक सुझाव यह चल रहा है कि 18 साल से चूंकि इस अपराध के सिलसिले में उम्र घटाकर 16 साल कर दी जाय ताकि दो साल के अन्तराल में जो अपराध हों 16 साल के बच्चों के साथ उसको उसमें शामिल रखा जाय, भारत सरकार में है, विचाराधीन है, उससे भी हो सकता है कि कुछ कंट्रोल हो । एक चीज जो बार-बार मेरी ही जुबां से यहां आती है वह यही कि जब तक इंसाफ सही वक्त पर न मिले जो प्रोसीजर है हमारा और उसे बदलने का अधिकार विधान सभा को नहीं है, इंडियन पीनल कोड में ही उसका प्राविधान है तो या तो स्पेशल कोर्ट हों या जो मुकदमें दर्ज होते हैं उनकी कोई अवधि हो कि इतने महीने, इतने वर्षों में इसका डिसपोजल हो जायेगा। होता यह है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं महिलाएं शादीशुदा हो जाती हैं, उनके बच्चे जवान हो जाते हैं और वह जब कोर्ट में जाती हैं और जिस तरह के सवालात किये जाते हैं उन्हें कोई कोर्ट में शरीफ आदमी खड़ा होकर के उन सवालात को सुन भी नहीं सकता। महिला के जवाब देने का तो सवाल ही नहीं उठता फिर ज्यादातर इवीडेंस के लेकनेस में इवीडेंस खत्म हो जाती है और इवीडेंस तो बहुत दूर की बात रही, पीड़ित महिला ही अपने जवान बच्चों के सामने उन वाक्यात को दोहराना नहीं चाहती। तो इस वजह से भी यह अपराध और बढ़ते चले जा रहे हैं और इस तरह के जुर्म करने वालों की हिम्मत बढ़ रही है। अगर जुर्म करने के बहुत कम मुद्दत के अन्दर फैसला हो जाय जैसा कि सुन रहे हैं कि ऐसा कुछ भारत सरकार करने जा रही है अगर गुनाह की सजा कम वक्त के अन्दर मिल जायेगी तो मेरे ख्याल से कंट्रोल हो सकता है और सजा का एहसास, यह जो आपने कहा कि किसी को कड़ी सजा मिली हो, जाहिर है जब कड़ी सजा मिलेगी और लोगों को उसकी इत्तिला होगी तो जुर्म करने से पहले सोचेगा जरूर कि यह सजा मुझे भी मिल सकती है। मगर इतना लम्बा अर्सा गुजर जाता है कि ज्यादातर वाक्यात अपनी मौत खुद मर जाते हैं। बिलकुल आपकी हर बात से सहमत हैं और कोशिश तो की जा रही है बेहतरी भी हुई है, फोन अटेन्ड भी होते हैं ऐसा नहीं है कि फोन अटेण्ड न होते हों पहले से ज्यादा कंट्रोल है और कोशिश करना चाहते हैं, कोशिश करेंगे।

श्री अजय मिश्रा ''टेनी''-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं निघासन विधान सभा के उस क्षेत्र से आता हूं जहां हमारे यहां आज से लगभग ढ़ाई वर्ष पहले जब बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में थी निघासन थाने के अन्दर एक 11 साल की बालिका के साथ बलात्कार हुआ था जिसमें दो पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया था और एक फालोवर को गिरफ्तार किया गया था। उस समय जो तत्कालीन सीओ थे उनके ऊपर शक की सुई थी लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया और चाहे उनको बचाने के लिए या और अधिक जांच हो उस मामले को सी0बी0आई0 को दे दिया और सी0बी0आई0 आज तक जांच कर रही है। अभी ढ़ाई साल में जांच पूरी नहीं हुई जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि ऐसे जो संवेदनशील मसले हैं उसमें समय पर न्याय मिलना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

जब वह सी0बी0आई0 को चली गयी तो माननीय मंत्री जी क्या जवाब देंगे।

श्री अजय मिश्रा ''टेनी''-

मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि क्या सी0बी0आई0 को हम लोग पत्र लिख सकते हैं सरकार की तरफ से कि ढ़ाई साल हो गया है दिल्ली की एक घटना को जब एक सप्ताह में पूरा कर लिया गया तो जिनकी आवाज उठाने वाले लोग नहीं है उस गरीब महिला को जो मजदूरी करके अपनी बच्ची का पेट पालती थी आज न्याय देने के लिए ढ़ाई साल लगातार जांच क्या अपराधियों को बचाने के लिए नहीं की जा रही है, क्या प्रदेश सरकार सी0बी0आई0 के ऊपर यह दबाव बनायेगी ?

श्री अध्यक्ष-

कैसे दबाव बनाये, स्वतंत्र एजेंसी है। ऐसा सवाल पूछें, आप पढ़े लिखें हैं, आप विधायक हैं, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर सकती है ?

श्री अजय मिश्रा ''टेनी''-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसमें यह चाहता हूं कि एक औपचारिक पत्र इसमें जरूर भेजा जाय। उसमें माननीय अध्यक्ष जी, अपराधियों को बचाने का प्रयास हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये, यह सवाल नहीं बनता है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, निघासन वाले मामले में हम खुद भी वहां गये थे और उस वक्त चुनाव का यह बड़ा गंभीर मुद्दा था। आपने भी अपने भाषणों में कहा था, हमने भी कहा था और उस वक्त पार्टी ने आश्वस्त किया था कि जांच सी0बी0आई0 को जायेगी और निष्पक्ष जांच होगी। ऐसा हुआ भी, लेकिन आप रोज देखते हैं, सी0बी0आई0 जांच के मामले में, रोज जिस तरह की बाते आती हैं, एक तरफ तो हम भरोसा नहीं करते और दूसरी तरफ हम उसी की मांग भी करते हैं। तो बड़ी परेशानी होती है

सरकारों के लिये, करे तो क्या करें। इसमें किसी को बचाने की किसी कोशिश का सवाल ही नहीं उठता और इसमें जाहिर है कि जिस तरह की अमानवीयता हुयी थी, उससे प्रदेश का कौन व्यक्ति परिचित नहीं है। इसमें किसी तरह का संरक्षण न सरकार की तरफ से प्राप्त है, न हो सकता है। जहां तक पत्र लिखने की बात है तो मैं इस संबंध में मुख्य मंत्री जी से बात कर लूंगा, अगर ऐसा प्रोसीजर में होगा तो इस पर भी विचार कर लेंगे।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि जो इस तरह के क्राइम की बातें बताई गयी हैं, कुछ प्रदेशों में इस तरह का क्राइम करने वालों का डेटा बैंक बनाने की बात संज्ञान में आई है कि अगर वह इस तरह बार-बार करते हैं या उनका पुराना कोई रिकार्ड है तो प्रशासन उन पर नजर रख सके, इस तरह की हरकतें करने वालों पर। अगर वह एक या दो बार उसको रिपीट करते हैं तो उसके अनुपात में, जो नया कानून आ रहा है, उसके हिसाब से उनकी सजा बढ़ जाती है तो सरकार के पास ऐसा कोई विचार है या सरकार ने ऐसा लागू कर दिया है। कुछ ऐसा आइडिया हो तो बता दें ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

देखिये, नियम-कानूनों से ही होगा तय। दूसरे यह इस तरह का प्रशासनिक आदेश जा सकता है लेकिन ऐसा किसी प्रदेश में गालिबन उदाहरण नहीं है, मेरी जानकारी में कहीं नहीं है। अगर आप देंगे तो इस पर विचार हो जायेगा। अगर कहीं किसी प्रदेश में ऐसा है । इस सिलसिले में यह जरूरी नहीं है कि प्रश्न सदन में आये तभी हम बात करें। कौन चाहता है कि उसकी सरकार चली जाये, हम भी नहीं चाहते, जो माहौल इधर बना। हम नहीं चाहते कि यह माहौल बने। हम नहीं चाहते होंगे कि साम्प्रदायिक दंगे हों, किसी की बेवजह जान जाये। कोई टिप्पणी हो सरकार पर, हम यह हरगिज नहीं चाहते होंगे। तो कई बातें सोची हैं बैठकर, किस तरह के लोग पुलिस सर्विस में रहें, प्रशासनिक सर्विस में रहें, कितनी बार उनके खिलाफ रिपोर्ट हो, तब उनके बारे में विचार किया जायेगा कि उन्हें संवेदनशील जगहों पर रखा जाये या न रखा जाये, इस बारे में भी विचार हो रहा है।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक अनुपूरक प्रश्न करना चाह रहा हूं । जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी बताया भी और दिल्ली की घटना के बाद सरकार और समाज भी ऐसे मामलों में गंभीर हुआ है और बहुत सी घटनायें जो सुदूर क्षेत्रों में होती हैं, वह मीडिया के माध्यम से भी सरकार तक नहीं आ पाती हैं, लेकिन उनके मामले भी पंजीकृत होते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि बाल यौन शोषण और दुराचार के कारण जो आपने बताया कि इतने मामले दर्ज हुये हैं, उसमें कितने लोगों की मृत्यु हुयी है और जिस परिवार में मृत्यु हुयी है, क्या ऐसे परिवारों को आर्थिक मदद देने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मेरे पास उसकी सूचना तो नहीं है लेकिन आपका सवाल अच्छा है इस पर विचार करेंगे जो मदद के काबिल हैं। वैसे भी हम आम तौर पर कोशिश करते हैं अभी एक स्कूल की दीवार

गिर गई उस पर कोई खास रिपोर्ट नहीं आई थी उसके बावजूद हमने हर मरने वाले के परिवार, हर बीमार बच्चे व हर चोट वाले बच्चे को पैसा दिया। आप हैरत करेंगे कि अजीब अजीब चीजें सामने आती हैं 11-12 साल की नवीं क्लास की बच्ची घर से निकली स्कूल जाने के लिए तकरीबन 150 कुत्तों ने उसे घेर लिया और उसे खा लिया लोग बचाने आए तो वह उन पर हमलावर हुए जिससे वह लोग भी भाग खड़े हुए बच्ची मर गई हालांकि जान का कोई बदला नहीं है लेकिन ऐसे लोगों की भी मदद की गई है की जा रही है। क्या हो गया है यह 150 कुत्ते नगलिया नाम का एक गांव है यह वहां जमा होते हैं वहां कुत्तों की मीटिंग होती है। यह एक बहुत ही संजीदा इशू है जिसमें बीमार कुत्ते भी हैं जो हमला करने के आदी हो गए हैं वह हैं तकरीबन 150 कुत्तों की रोज मीटिंग होती है वहां से अपने-अपने कामों के लिए डिस्पर्स होते हैं इन कुत्तों को पकड़वा रहे हैं ज्यादा कुछ कुत्तों को कहेंगे तो मेनका जी नाराज होंगी। यह भी परेशानी है। उन्हें भी सोचना चाहिए ऐसे कुत्तों के बारे में हम भी उस पर विचार कर रहे हैं।

श्री धर्मपाल सिंह-

माननीय मंत्री जी ने मेनका गांधी का नाम लिया है। इसलिए मेरा एक सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

धर्मपाल सिंह जी बहुत सवाल हो गए हैं।

श्रीमती रूबी प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहती हूं कि बलात्कार जैसे संगीन मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाता है कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले क्या इस पर सरकार विचार करेगी ? कि इस तरह के मुकदमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाएं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

हम तो इसी पक्ष में हैं हम तो चाहते हैं कि एक सप्ताह में फैसला हो जाना चाहिए। ताकि गवाही मिट ही न सके। हम तो इसी पक्ष में हैं लेकिन इसके लिए भारत सरकार तक जाना होगा। आप उस पार्टी के बहुत करीब हैं ।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में जनपद एवं तहसीलों में जिला शासकीय अधिवक्ता एवं उप जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल रेवन्यू एवं क्रिमिनल की नियुक्ति किये जाने की जानकारी

01-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनपद एवं तहसीलों में जिला शासकीय अधिवक्ता एवं उप जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल रेवन्यू एवं क्रिमिनल की नियुक्ति शासन एवं जनपद स्तर पर होती है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उपरोक्त को समान कार्य के लिए क्या समान भुगतान नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार समान कार्य के लिए समान भुगतान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-5 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

इन सभी की नियुक्ति शासन स्तर से होती है।

समान कार्य के लिये समान भुगतान किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर नगर में आंख के अस्पताल कैंपस के अन्दर के मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

02-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर में जलीकोठी के सामने आंख के अस्पताल को जाने वाला एप्रोच मार्ग अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण एवं क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

शाहजहांपुर नगर में आंख के अस्पताल कैम्पस के अन्दर का मार्ग जीर्ण-शीर्ण हालत में है। अस्पताल भवन के बाहर मुख्य मार्ग सही हालत में है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त अस्पताल नगर पालिका परिषद् की सम्पत्ति नहीं है।

प्रदेश में सड़क हादसे और जनहानि में लगातार बढ़ोत्तरी पर अंकुश लगाये जाने की कार्यवाही

03-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सड़क हादसे और जनहानि की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी को देखते हुए इन पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु सरकार कोई कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में सड़क हादसे और जनहानि की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी को देखते हुए इन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु निम्न प्रभावी कार्यवाही की जा रही है :-

(1) प्रदेश के कई बड़े शहरों में यातायात नियंत्रण हेतु चौराहों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

(2) पुलिस द्वारा यातायात नियमों के अनुपालन हेतु विशेष ध्यान देकर प्रवर्तन कार्य किया जा रहा है।

(3) नागरिकों, स्कूली बच्चों को यातायात नियमों के अनुपालन करने के लिये प्रशिक्षित, प्रेरित और जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न संस्थाओं का सहयोग भी लिया जा रहा है।

(4) ''आधुनिकीकरण योजना'' व ''उ0 प्र0 यातायात प्रबन्धन निधि'' से आवश्यक विभिन्न यातायात उपकरणों को क्रय कर प्रदेश पुलिस को उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि प्रवर्तन कार्य और प्रभावी हो सके।

(5) दुर्घटना में घायल व बीमार व्यक्तियों को शीघ्र अस्पताल भेजे जाने हेतु शासन द्वारा प्रदेश में समाजवादी एम्बुलेन्स व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू की गयी है।

(6) दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से शीघ्र हटाने हेतु उपलब्ध क्रेन सुविधा को और व्यवस्थित किया जा रहा है।

(7) प्रदेश के जनपदों के कई स्थलों पर सेतु निर्माण, मार्ग चौड़ीकरण, एकल दिशा मार्ग जैसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

(8) पार्किंग स्थलों को चिन्हीकरण कर और सुव्यवस्थित करने की कार्यवाही की जा रही है।

(9) प्रदेश के जनपदों में दुर्घटना बाहुल्य स्थलों को चिन्हित कराकर सड़कों की कमियों को ठीक कराने के साथ ऐसे स्थानों पर आवश्यक संकेतक बोर्ड/चिन्ह लगवाये जाने की कार्यवाही की जाती है।

(10) पुलिस, परिवहन, स्वास्थ्य, नगर निगम एवं लोक निर्माण विभाग के बीच परस्पर सांमजस्य को बढ़ाते हुए इस दिशा में सार्थक प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में लावारिस लाशों का निस्तारण किये जाने की जानकारी

04-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लावारिस लाशों के निस्तारण हेतु सरकार की क्या नीति है ? क्या यह सही है कि लावारिस लाशों को पुलिस विभाग सीधे नदी में बहा देती है, जिससे प्रदूषण फैलता है और विधि विरुद्ध भी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके विधि सम्मत निस्तारण की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में लावारिस लाशों को नदी में प्रवाहित नहीं किया जाता है बल्कि लावारिस लाशों के मर्यादित रूप से निस्तारण हेतु शासकीय व्यवस्थानुसार अन्तिम संस्कार किया जाता है। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1178/6-पु-2-2012-1500 (11)/98, टी0सी0-11, दिनांक 01-11-2012 द्वारा लावारिस लाशों के मर्यादित रूप से अन्तिम संस्कार हेतु रु0 2700/-की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नगर निकायों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट) द्वारा कूड़ा निस्तारण की योजना की जानकारी

05-श्री जाकिर अली-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगर निकायों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप माडल पर कूड़ा निस्तारण (सालिड वेस्ट मैनेजमेंट) की कोई कार्य योजना सरकार द्वारा बनायी जा रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 एवं यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यान्शों के अन्तर्गत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर प्रदेश के 26 नगरों में सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट की परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यू0आई0जी0 कार्यान्श में प्रदेश के 07 शहरों-लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ तथा मथुरा तथा यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यान्श के अन्तर्गत प्रदेश के 19 शहरों-अलीगढ़, गोरखपुर, झांसी, मुरादाबाद, बदायूं, बलिया, बस्ती, इटावा, फिरोजाबाद, कन्नौज, मुजफ्फरनगर, मैनपुरी, रायबरेली, सम्भल, बाराबंकी, फतेहपुर, जौनपुर तथा मिर्जापुर की सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट की परियोजनायें भी क्रियान्वित की जा रही हैं।

उक्त के अतिरिक्त शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पक्षियों से वायुयानों को होने वाली दुर्घटनाओं के दृष्टिगत देश के 10 एयरफील्ड टाउन्स में शत-प्रतिशत सहायता से सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट एण्ड ड्रेनेज की योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें प्रदेश के 02 एयरफील्ड टाउन गाजियाबाद एवं बरेली सम्मिलित हैं।

सन्दर्भित परियोजनाओं के अतिरिक्त वर्तमान सरकार की प्राथमिकता के अन्तर्गत आगामी पांच वर्षों में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत 176 नगरीय निकायों (01 नगर निगम तथा 175 पालिका परिषद्) में पी0पी0पी0 मोड़ पर नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की योजना क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण (वर्ष 2012-13) में पी0पी0पी0 मोड़ पर सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 17 निकायों का चयन कर लिया गया है। प्रथम चरण में चयनित 17 निकायों 01 नगर निगम (सहारनपुर) तथा 16 नगर पालिका परिषदों में पी0पी0पी0 मोड़ पर सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में रु0 75.00 करोड़ की बजट व्यवस्था उपलब्ध है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विस्फोटक पदार्थों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोके जाने की कार्य योजना

06-श्री जाकिर अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विस्फोटक पदार्थों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इनके निर्माण, खरीद फरोख्त व ले जाने, ले आने, भण्डारण को आबादी के बीच से हटाये जाने तथा उस पर नियंत्रण रखे जाने हेतु क्या सरकार कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

विस्फोटक पदार्थ (आतिशबाजी सहित) के निर्माण, उसके क्रय-विक्रय एवं अन्तरण आदि पर प्रभावी नियंत्रण एवं दुर्घटनाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में निर्गत अद्यतन शासनादेश संख्या-प्र0स0-4 आर/छः-पु0-5-12-519/1998 टी0सी0, दिनांक 01-05-2012 एवं शासनादेश संख्या-1477 आर/छः-पु0-5-12-519/1998 टी0सी0, दिनांक 13 सितम्बर, 2012 में समस्त जिला मजिस्ट्रेटों को

प्रत्येक जनपद में स्थित विस्फोटकों की दुकानों/विस्फोटक पदार्थों के निर्माण/भण्डारण/विक्रय करने वाले समस्त प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर इस तथ्य से आश्वस्त होने के निर्देश दिये गये हैं कि विस्फोटकों के व्यवसायियों/लाइसेन्सधारकों द्वारा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं नियमावली के अनुरूप ही व्यवसाय का संचालन सुरक्षित रूप से वास्तविक लाइसेन्सी/पार्टनर द्वारा ही किया जा रहा है। इन निर्देशों में विस्फोटक पदार्थों का भण्डारण आबादी के मध्य होने की दशा में उसे वहां से अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने के निदेश भी दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा की रोडवेज कालोनी जगदीशपुर की सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

07-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा की रोडवेज कालोनी जगदीशपुर की सड़क विगत 5 वर्षों से क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं। रोडवेज कालोनी, जगदीशपुर की आन्तरिक सड़क ठीक अवस्था में है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा के ईश्वर नगर कालोनी की नालियों व सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

08-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ईश्वर नगर कालोनी की लगभग 50 मीटर लम्बी जर्जर एवं टूटी हुई नालियों के कारण जलभराव की समस्या के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो इनकी मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

ईश्वर नगर कालोनी, आगरा नगर निगम को हस्तगत नहीं है। अतः उक्त कालोनी में नगर निगम द्वारा विकास कार्य कराया जाना संभव नहीं है।

जनपद आगरा में आलमगंज पानी की टंकी के सामने से अतिक्रमण हटाये जाने की मांग

09-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में आलमगंज पानी की टंकी के सामने 40 फुट चौड़े मार्ग पर ढाबों एवं मटकों वालों द्वारा अतिक्रमण कर लेने से वह मात्र 10 फुट ही चौड़ा रह गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर अतिक्रमण हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

आगरा में आलमगंज पानी की टंकी के सामने मार्ग पर अस्थायी रूप से ढाबों एवं मटकों वालों के द्वारा समानों की बिक्री की जाती है। नगर के विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त रूप से अभियान चलाकर स्थायी/अस्थायी अतिक्रमण हटाये गये थे, जिसमें आलमगंज पानी की टंकी के सामने मार्ग पर ढाबों एवं मटकों वालों द्वारा किये गये अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया था। उपरोक्त स्थान पर अस्थायी रूप से मटके रखकर बेचे जाते हैं जिसे हटाये जाने की समय-समय पर कार्यवाही की जाती है।

10-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[4थे बुधवार के अता0प्र0सं0-189 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के शमशान घाटों की बाउन्ड्रीवाल व सौन्दर्यीकरण कराये जाने की मांग

11-श्री सुरेश राणा, श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य एवं डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कब्रिस्तानों की पक्की बाउन्ड्री बनाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार कब्रिस्तानों की भांति शमशान घाटों पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने हेतु शमसान घाटों का भी पक्की बाउन्ड्रीवाल व सौन्दर्यीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां। राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के सार्वजनिक कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नागरिकों की मांग पर स्वयं की रक्षा हेतु शस्त्र लाइसेन्स दिये जाने की नीति

12-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नागरिकों की मांग पर स्वयं की रक्षा हेतु शस्त्र लाइसेन्स दिये जाने की कोई नीति है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? क्या यह सत्य है कि जिलाधिकारियों द्वारा पात्र व्यक्तियों की पत्रावलियों की सम्पूर्ण औपचारिकताओं के पूर्ण होने के उपरान्त भी लाइसेन्स निर्गत नहीं किये जाते हैं ? क्या सरकार शस्त्र लाइसेन्स दिये जाने हेतु कोई पारदर्शी नीति बनायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

स्वयं की रक्षा हेतु शस्त्र लाइसेन्स दिये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार, गृह मंत्रालय के शासनादेश संख्या-V-11016/16/2009-आर्म्स, दिनांक 31-3-2010 में आवश्यक प्राविधान किये गये हैं।

व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेन्स प्रदान करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपदों के जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा आयुध अधिनियम, 1959 एवं आयुध नियमावली, 1962 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया से निर्णय लिये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी में मोहम्मदी के कब्रिस्तान की बाउन्ड्रीवाल बनवाये जाने की जानकारी

13-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत आने वाले कब्रिस्तान बाउन्ड्री विहीन हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के कब्रिस्तानों की बाउन्ड्रीवाल बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत आने वाले 403 (शासनादेश संख्या-1147/52-2-2012-2 (69)/07 टी0सी0-3, दिनांक 18-9-2012 के द्वारा निर्धारित प्रारूप सूची-''अ'' के अनुसार 396 विवाद रहित तथा प्रारूप सूची-''ब'' के अनुसार 07 विवादित) कब्रिस्तान बाउन्ड्री विहीन है।

जी हां।

अल्पसंख्यक समुदायों के कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की भूमि की सुरक्षा योजना के अन्तर्गत कब्रिस्तान/अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में जनपद लखीमपुर खीरी को रु0 449.77 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है। चहारदीवारी का निर्माण कार्य चरणबद्ध रूप से कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला में अन्त्येष्टि स्थल पर विद्युत शवदाह गृह/गैरीफायर शवदाह गृह का निर्माण कराये जाने की मांग

14-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील-गोला अन्तर्गत नगर पंचायत बड़हलगंज की सीमा में निर्मित 'मुक्ति पथ' (अन्त्येष्टि स्थल) पर बढ़ती शवदाह की संख्या एवं सरयू नदी के बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए क्या सरकार उक्त स्थान पर विद्युत शवदाह गृह/गैरीफायर शवदाह गृह का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

उक्त स्थल नगर पंचायत, बड़हलगंज सीमा में स्थित नहीं है, बल्कि ग्राम सभा बुढ़नपुरा, तहसील गोला में स्थित है।

जनपद वाराणसी नगर में पेयजलापूर्ति हेतु डाली जा रही पाइप लाइनों की गुणवत्ता तथा अनियमितता की जांच के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

15-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर पेयजलापूर्ति को सुदृढ़ करने हेतु जे0 एन0 एन0 यू0 आर0 एम0 परियोजनान्तर्गत पी0वी0सी0 पाइप लाइनें धीमी गति से डाली जा रही हैं एवं उनका संयोजन नहीं किया जा रहा है साथ ही खोदी गयी गलियों, सड़कों के रि-इनस्टेडिंग का कार्य भी नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 11-05-2012 के क्रम में आदेश सं0-569570/ वी0आई0पी0/ न0वि0/2012, दिनांक 14-05-2012 के क्रम में उक्त कार्यों की गुणवत्ता तथा अनियमितता की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत वाराणसी जल सम्पूर्ति परियोजना प्रायरिटी-I फेज-2 (सिस वरुणा क्षेत्र) एवं वाराणसी जलापूर्ति परियोजना प्रायरिटी-II (ट्रान्स वरुणा क्षेत्र) में पाइप लाइन डालने का कार्य प्रगति पर है। वाराणसी शहर सकरी गलियों का शहर है, मशीनी उपकरण लगाकर गलियों में पाइप लाइन डालने का कार्य कराया जाना संभव नहीं है। केवल मजदूरों के माध्यम से पाइप लाइन डालने का कार्य कराया जा रहा है। सिस वरुणा क्षेत्र में प्रस्तावित पाइप लाइन 466.27 कि0मी0 के सापेक्ष जनवरी, 2013 तक 341.14 किमी पाइप लाइन डाली जा चुकी है एवं 23 कि0मी0 को आन्तरिक संयोजन कर जनता के उपयोग हेतु चालू किया जा चुका है। ट्रान्स वरुणा क्षेत्र में प्रस्तावित 228 कि0मी0 के सापेक्ष 33.15 कि0मी0 पाइप लाइन डाली जा चुकी है। वितरण प्रणाली डालने हेतु गलियों/सड़कों की पूरी चौड़ाई में खुदायी न करते हुए मात्र 60 सेमी+पाइप की डाया की चौड़ाई में ही खुदायी जाती है एवं जितनी लम्बाई में एक दिन में खुदाई की जाती है उतनी लम्बाई में पाइप लाइन बिछा दी जाती है। जिन गलियों में चौके पूर्व से लगे हुए हैं उनमें भूमिगत लाइन डालने हेतु चौके उखाड़ने पड़ते हैं। कार्य प्रारम्भ करने से लेकर चौकों की स्थायी रि-सेटिंग करने तक में लगभग 10-15 दिन का समय लग जाता है। पाइप लाइन डालने के उपरान्त खोदी गयी ट्रेन्च की अस्थायी रि-सेटिंग की जाती है एवं कैम्पक्सन हेतु एक सप्ताह के लिए अवसर दिया जाता है तथा स्थायी रि-सेटिंग 15 दिनों के अन्दर करा दी जाती है। चौकों की रि-सेटिंग का कार्य गुणवत्ता के साथ किया जाता है और कार्य की गुणवत्ता मानक के अनुरूप न पाये जाने पर सम्बन्धित ठेकेदार के व्यय पर ही चौके उखड़वाकर पुनः गुणवत्तायुक्त रि-सेटिंग का कार्य कराया जाता है। सन्दर्भित पत्र दिनांक 11-5-2012 के क्रम में आवश्यक निर्देश सम्बन्धित को दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कोलकाता एक्सप्रेस में सासाराम-मुगलसराय रेलवे स्टेशन के बीच स्लीपर के कोचों में लुटेरों द्वारा लूटपाट किये जाने का कथित प्रकरण

16-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 15 सितम्बर, 2012 को हावड़ा से नई दिल्ली जा रही कोलकाता एक्सप्रेस के पांच स्लीपर के कोचों में चढ़े हथियारबंद लुटेरों ने सासाराम-मुगलसराय रेलवे स्टेशन के बीच जमकर लाखों रुपये की लूट-पाट की ? यदि हां, तो ट्रेन में कोई भी पुलिस स्कॉर्ट दल की तैनाती नहीं थी और पीड़ित यात्रियों द्वारा मुगलसराय स्टेशन पर दर्ज घटना की रिपोर्ट के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि यात्रियों की सुरक्षा हेतु गाड़ी में कितनी संख्या में स्कॉर्ट तैनात करने की व्यवस्था है ? क्या सरकार घटना की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

दिनांक 15-9-2012 को श्री भूपेन्द्रपति मिश्र पुत्र श्री कलाकान्त मिश्र, निवासी मकान नम्बर 710 सेक्टर नम्बर-13 बसुन्धरा, जिला गाजियाबाद द्वारा लिखित सूचना दी गयी कि ट्रेन संख्या-12323 हावड़ा-नई दिल्ली एक्सप्रेस के गया रेलवे स्टेशन से चलने के 15-20 मिनट बाद ही गया क्षेत्र बिहार में 10-12 अज्ञात बदमाशों द्वारा उक्त ट्रेन के कोच संख्या-एस-6, 7, 9 व 11 में यात्रियों के साथ मारपीट कर जेवरात, नकदी, मोबाइल व अन्य सामान की लूटपाट की गयी। इस सम्बन्ध में थाना जी0आर0पी0 मुगलसराय पर मु0अ0सं0-निल/12 धारा-395/397 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

उत्तर प्रदेश की सीमा का जी0आर0पी0 उत्तर प्रदेश अन्तर्गत प्रथम स्टेशन मुगलसराय है और घटना उ0 प्र0 की सीमा के पहले ही घटित हुई है। अतः जी0आर0पी0 उत्तर प्रदेश द्वारा ट्रेन में स्कार्ट व्यवस्था नहीं थी। इस सम्बन्ध में जी0आर0पी0 मुगलसराय पर मु0अ0सं0-निल/12 धारा-395/397 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग का घटना स्थल थाना जी0आर0पी0 गया बिहार से सम्बन्धित होने के कारण अभियोग से सम्बन्धित समस्त प्रपत्र दिनांक 20-9-2012 को अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, बिहार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिये गये हैं। सम्बन्धित ट्रेन संख्या-12323 हावड़ा-नई दिल्ली एक्सप्रेस एक साप्ताहिक ट्रेन है जिसमें जी0आर0पी0 बिहार अथवा आर0पी0एफ0 द्वारा स्कोर्ट की व्यवस्था नहीं की गई थी। उक्त ट्रेन उत्तर प्रदेश के प्रथम स्टेशन मुगलसराय पर प्रातः 05:05 पर आती है तथा नई दिल्ली सायं 17.00 बजे पहुंचती है। इस प्रकार उक्त ट्रेन उत्तर प्रदेश की सीमा में दिन के समय ही रहती है। अतः इसमें जी0आर0पी0 उत्तर प्रदेश से स्कोर्ट लगाये जाने की व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश की सीमा में आने पर ट्रेनों में जी0आर0पी0 उत्तर प्रदेश द्वारा यात्रियों की सुरक्षा हेतु पुलिस बल की उपलब्धता के आधार पर रात्रिकालीन अधिकांश ट्रेनों में 02 सशस्त्र आरक्षियों को तैनात करने की व्यवस्था की गई है। अपराध की दृष्टि से संवेदनशील ट्रेनों में एक उप निरीक्षक व एक मुख्य आरक्षी के साथ 02 सशस्त्र आरक्षियों को तैनात करने की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश की सीमा में आने पर ट्रेनों में जी0आर0पी0, उत्तर प्रदेश द्वारा स्कोर्ट की व्यवस्था की जाती है।

घटना का सम्बन्ध बिहार राज्य से है। अतः प्रश्न नहीं उठता।

17-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

[4थे बुधवार के अता0प्र0सं0-185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद वाराणसी नगर निगम में विकास सम्बन्धी कार्यों में धन की हेरा-फेरी करने विषयक पत्र पर कार्यवाही

18-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर निगम में विकास सम्बन्धी कार्यों में धन की हेरा-फेरी करने विषयक प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र दिनांक 09-05-2012 पर आपका आदेश संख्या-554/वी0आई0पी0/न0वि0/2012, दिनांक 11-05-2012 नगर आयुक्त, वाराणसी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपर्युक्त के संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

कार्य की जांच कर ली गयी है। कार्य मानक के अनुरूप कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा की यमुनोत्री कालोनी कर्मयोगी एन्क्लेव पार्क का विकास कराये जाने की मांग

19-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के वार्ड नं0-82 में स्थित यमुनोत्री कालोनी कर्मयोगी एन्क्लेव के पार्क सं0-2 का समुचित विकास कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

वार्ड नं0-82 में स्थित यमुनोत्री कालोनी कर्मयोगी एन्क्लेव के पार्क सं0-2 के समुचित विकास हेतु आगणन तैयार किया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर ही उक्त कार्य कराया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा की आवास विकास कालोनी के सेक्टर-17 के मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

20-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में आवास विकास कालोनी के सेक्टर-17 में मकान नं0-एम0आई0जी0 501 के सामने से 517 तक का मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा नगर के नगलावदी विद्यानगर में पटलौनी की क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

21-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर के नगलावदी विद्यानगर में पटलौनी वालों के स्पेलर के पास हलवाई के सामने जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

उक्त क्षेत्र में उ0 प्र0 जल निगम द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत सीवर की पाइप लाइन डालने हेतु सड़कें खोदने/काटने के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं। खोदी/काटी गयी सड़कों की मरम्मत कराने का कार्य, जल निगम की योजना में सम्मिलित है। जल निगम द्वारा उक्त क्षेत्र की सड़क मरम्मत का कार्य कराया जाना है।

जनपद शाहजहांपुर नगर के मोहल्ला मधईटोला वाला मार्ग पुलिस चौकी पाकड़ के सामने के मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

22-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर के मोहल्ला मघईटोला वाला मार्ग पुलिस चौकी-पाकड़ के सामने लगभग 300-350 मीटर अत्यन्त जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

उक्त कार्य कराने हेतु रु0 21.53 लाख का आगणन तैयार कर लिया गया है। तथापि वित्तीय वर्ष 2012-13 में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष पालिका बोर्ड की स्वीकृति उपरान्त कार्यों का चयन किया जा चुका है। अतः इस वित्तीय वर्ष में वर्णित कार्य को कराया जाना संभव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर नगर की मो0 हाथीयान/गरियाना में अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों की नाली व सी0सी0 रोड आदि का निर्माण कराये जाने की मांग

23-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर की मो0 हाथीयान/गरियाना में जामिया फात्मा स्कूल के पास से आलम टेन्ट वाले के मकान तक का रास्ता डूडा/सूडा से बनना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त रास्ते का निर्माण कब तक करवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों एवं मलिन बस्तियों में ''सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली, जल निकासी एवं अन्य सामान्य सुविधाओं का निर्माण'' से सम्बन्धित नई योजना वर्ष 2012-13 में संचालित की गई है।

उक्त योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारी से प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्माण कार्य कराया जा सकेगा।

जनपद शाहजहांपुर के मो0 ख्वाजा फिरोज नई बस्ती में नाले का निर्माण करवाये जाने की मांग

24-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर के मो0 ख्वाजा फिरोज नई बस्ती से विसरात नदी की ओर आने वाला रास्ता तथा नाला अत्यन्त जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क तथा नाले का निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जहां तक बस्ती है, नाला एवं रास्ता बना हुआ है। जहां पर रास्ता एवं नाला समाप्त होता है वहां से लगभग 10-12 फीट गहरा ढलान है जो कच्चा है एवं वर्षा ऋतु में नदी के पानी से भर जाता है।

जनपद गाजियाबाद के लोनी नगरपालिका परिषद् की सीमा में रंगाई की संचालित फैक्ट्रियां

25-श्री जाकिर अली-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के लोनी नगर पालिका परिषद् की सीमा में कुल कितनी आइस फैक्ट्री तथा कपड़े, रंगाई की फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं ? क्या सरकार उनका विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जनपद गाजियाबाद के लोनी नगर पालिका परिषद् की सीमा में कोई आइस फैक्ट्री पंजीकृत नहीं है। कपड़ा रंगाई की निम्नांकित दो फैक्ट्रियां पंजीकृत हैं :-

1-मे0 अरिहूंत टैक्सटाइल 53.55 रूरल औ0 क्षेत्र लोनी, गाजियाबाद।

2-मे0 निशा प्रिंट ए-11 रूप नगर लोनी, गाजियाबाद।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलिया की बेल्थरा रोड तहसील में मुन्सिफ न्यायालय की स्थापना कराये जाने की मांग

26-श्री गोरख पासवान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद की बेल्थरा रोड तहसील में मुन्सिफ न्यायालय की स्थापना न होने के कारण जनता को न्याय के लिये 70 कि0मी0 दूर जनपद मुख्यालय जाना पड़ता है ? क्या यह भी सही है कि उक्त प्रस्ताव विगत 10 वर्षों से सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हां, तो क्या सरकार तहसील बेल्थरा रोड में मुन्सिफ न्यायालय की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का पूर्ण नियंत्रण होता है। किसी न्यायालय स्थापना के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय का अभिमत/संस्तुति प्राप्त की जाती है वर्तमान में प्रश्नगत न्यायालय की स्थापना के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का कोई अभिमत/संस्तुति प्राप्त नहीं है।

जनपद शाहजहांपुर नगर की जर्जर सड़कों की मरम्मत करवाये जाने की मांग

27-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-106/आ0स0/2012-13, दिनांक 26-09-2012, जो शाहजहांपुर नगर की 04 जर्जर सड़कों के पुनर्निर्माण/मरम्मत के सम्बन्ध में है, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा के महानगर में जाम की समस्या न हो तथा सुचारु रूप से यातायात को संचालित किये जाने की जानकारी

28-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा महानगर में वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण आये-दिन लगने वाले जाम के कारण गम्भीर रूप से बीमार मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेन्स सेवा एवं अन्य आपातकालीन राहत प्रदान करने वाली सेवा यथा फायर ब्रिगेड, बच्चों को ले जाने वाली स्कूल बसें तथा देशी-विदेशी पर्यटक वाहन आदि बुरी तरह से प्रभावित होते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने जाम से निपटने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद आगरा के महानगर में जाम की समस्या न हो तथा सुचारु रूप से यातायात संचालित रहे इसके लिए जनपद आगरा के मध्य से गुजरने वाले एन0एच0-2 के दोनों तरफ आबादी होने के कारण पीक आवर्स तथा स्कूलों की छुट्टी के समय चौराहों पर होने वाली भीड़ से निपटने के लिये

वैकल्पिक व्यवस्था के तहत यातायात पुलिस के अतिरिक्त अधिकारी/कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर यातायात को सुचारु रूप से संचालित कराने का निरन्तर प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त यमुना किनारे सड़क पर अवकाश के दिनों में टूरिस्टों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त ड्यूटी लगाकर जाम न लगे, इसका निरन्तर प्रयास यातायात पुलिस द्वारा किया जा रहा है तथा आगरा शहर की लाइफ लाइन कहे जाने वाले एमजी रोड मार्ग पर आटो रिक्शा का संचालन पूर्णतः बन्द कराकर एमजी मार्ग पर लगने वाले जाम की समस्या से निजात दिलाया गया है, किन्तु इस कार्य के विरुद्ध स्थानीय आटो रिक्शा चालकों तथा अन्य द्वारा मा0 न्यायालय में वाद दाखिल किया गया है जो विचाराधीन न्यायालय है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर के कतिपय विधान सभा क्षेत्रों की निराश्रित महिलाओं को पेंशन दिये जाने की जानकारी

29-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी चौरा के विकास खण्ड-सरदार नगर, ब्रहमपुर एवं पिपराइच में वर्ष 2011-2012 में विधवा पेंशन हेतु कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उसमें से कितने लोगों को विधवा पेंशन स्वीकृत की गयी है तथा कितने आवेदन अवशेष हैं ? क्या सरकार अवशेष आवेदकों को विधवा पेंशन दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण, संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती अरुण कुमारी कोरी)-

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा की विकास खण्ड सरदारनगर, ब्रह्मपुर एवं पिपराइच में वर्ष 2011-12 के लिए पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना हेतु क्रमशः 288, 237 एवं 61 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए।

विकास खण्ड सरदार नगर में प्राप्त 288 आवेदनों के सापेक्ष 250 लाभार्थियों को निराश्रित महिला पेंशन स्वीकृत की गई शेष 38 अभ्यर्थी पात्र नहीं पाये गये। विकास खण्ड ब्रह्मपुर में प्राप्त 237 आवेदनों के सापेक्ष 225 लाभार्थियों को निराश्रित महिला पेंशन स्वीकृत की गयी शेष 12 अभ्यर्थी पात्र नहीं पाये गये। विकास खण्ड पिपराइच में प्राप्त 39 आवेदनों के सापेक्ष 39 लाभार्थियों को निराश्रित महिला पेंशन स्वीकृत की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् कालोनी के सेक्टर एच0 के फेज-1 में पेयजलापूर्ति की जानकारी

30-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् कालोनी के सेक्टर-एच के फेज-1 में आवंटियों की संख्या बढ़ने के कारण पानी की सप्लाई ठीक से नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त फेज-1 के भवन सं0-ई0डब्ल्यू0एस0-1/270 के

सामने स्थित एकता पार्क में दुर्गा जी के मन्दिर के पास एक ट्यूबवेल स्थापित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जानकीपुरम् कालोनी के सेक्टर-एच के फेज-1 में 02 नलकूप अधिष्ठापित हैं, जिनसे सीधे क्षेत्र में जलापूर्ति की जाती है। इसके साथ ही सहारा रोड पर स्थापित 2000 कि0ली0 अवर जलाशय से भी जलापूर्ति होती है। वर्णित क्षेत्र में सामान्य पेयजलापूर्ति हो रही है। क्षेत्र में पेयजल की कोई समस्या नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में जानकीपुरम् से कुकरैल तक मुख्य नाले का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की जानकारी

31-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् योजना में रि-मोट सेंसिंग के पीछे जानकी प्लाजा रोड पर बने नाले के स्थान पर गहरे सीवर पाइप डालने का कार्य वर्ष 2011-12 में आरम्भ किया गया था ? यदि हां, तो उक्त कार्य किन परिस्थितियों में पूरा नहीं किया गया है ? क्या सरकार इसे पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 कार्यान्श के अन्तर्गत लखनऊ नगर की स्टार्म वाटर ड्रेनेज परियोजना के ड्रेनेज डिस्ट्रिक्ट-द्वितीय के अन्तर्गत जानकीपुरम् से कुकरैल तक मुख्य नाले का निर्माण कार्य किया जा रहा है। उक्त कार्य जून, 2013 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के कतिपय सेक्टरों में विकास कार्य कराये जाने की जानकारी

32-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर निगम का वार्ड जानकीपुरम् द्वितीय, वर्ष 2008 में नगर निगम को हस्तान्तरित हुआ था ? यदि हां, तो हस्तान्तरण के बाद सेक्टर-एफ0, जी0 तथा एच0 के चारों फेज में विकास कार्य हेतु कितना-कितना धन आवंटित किया गया था ? क्या यह सही है कि सेक्टर एच0 के फेज-2 में कमलावती सिंह, पूर्व सभासद के आवास के सामने इण्टरलाकिंग कार्य के अतिरिक्त कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां। (सेक्टर एच को छोड़कर)

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जानकीपुरम् द्वितीय वार्ड स्थित सेक्टर-एफ0, आई0 एवं जी0 का हस्तान्तरण नगर निगम, लखनऊ को वर्ष 2008 में किया गया है तथा सेक्टर-एच का हस्तान्तरण नहीं किया गया है।

हस्तान्तरण के समय सेक्टर-एफ0 एवं आई0 हेतु रु0 256.49 लाख एवं सेक्टर-जी0 हेतु धनराशि रुपया 338.29 लाख नगर निगम को अवमुक्त किया गया है। सेक्टर-एच0 हेतु कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है।

जी हां।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा के अन्तर्गत मऊ गांव में सड़क निर्माण की मांग

33-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के अन्तर्गत, मऊ गांव, राजकुमार जैन की दुकान से वाल्मिकियों की बस्ती तक तथा राजकुमार जैन की दुकान से पातीराम भगत के मकान तक की सड़कें जर्जर हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त जर्जर सड़कों का निर्माण सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

मऊ गांव, राजकुमार जैन की दुकान से बाल्मिकियों की बस्ती तक तथा राजकुमार जैन की दुकान से पातीराम भगत के मकान तक ईंटों का खड़न्जा लगा हुआ है, जो ठीक है।

जनपद आगरा की महर्षिपुरम् कालोनी की जर्जर सड़कों का निर्माण कराये जाने की मांग

34-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के अन्तर्गत, महर्षिपुरम् कालोनी, मकान नं0-165 से 185 मकान तक की सड़क जर्जर है ? यदि हां, तो क्या जर्जर सड़क का निर्माण सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

महर्षिपुरम् कालोनी, प्राइवेट कालोनाइजर द्वारा विकसित की गई है तथा यह कालोनी आगरा नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त कालोनी के अनुरक्षण का दायित्व सम्बन्धित कालोनाइजर का है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा के खण्डारी शास्त्रीनगर में गलियों को ऊंचा किया जाना व फर्श निर्माण की जानकारी

35-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के खण्डारी, शास्त्रीनगर में गली नं0-01 एवं पुराने पोस्ट आफिस वाली गली नं0-2 की सड़कें व नाली पिछले 02 वर्षों से क्षतिग्रस्त एवं जर्जर होने से जलभराव व गन्दगी की भारी समस्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों व नलियों की मरम्मत करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

आगरा के खण्डारी, शास्त्रीनगर में गली नं0-01 एवं पुराने पोस्ट आफिस वाली गली नं0-02 की सड़कें व नाली आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं। गलियां नीची होने के कारण कुछ भाग में जल भराव हो जाता है।

उक्त गलियों को ऊंचा किये जाने एवं नाली व फर्श निर्माण हेतु नगर निगम द्वारा आगणन तैयार कर लिया गया है, जिसे धन की उपलब्धता के आधार पर ही कराया जा सकेगा।

जनपद अलीगढ़ के शहरी ग्रामों को अलीगढ़ नगर निगम की सीमा में शामिल किये जाने की मांग

36-श्री दलवीर सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-अलीगढ़ के शहरी ग्रामों को अलीगढ़ नगर निगम की सीमा में शामिल किये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15 जून, 2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार शहरी ग्रामों को नगर निगम की सीमा में शामिल करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत ग्रामों को नगर निगम सीमा में सम्मिलित करने हेतु नगर निगम सदन के प्रस्ताव संख्या-3 दिनांक 21-8-2009 के निर्णयानुसार सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है और नगर निगम, अलीगढ़ की सीमावृद्धि के सम्बन्ध में प्रश्नगत ग्रामों को सम्मिलित करने के लिए सर्वेक्षण हेतु राजस्व विभाग उप जिलाधिकारी, कोल को नगर निगम द्वारा पत्र दिनांक 7-12-2009 व 1-10-2012 भेजा गया है। सर्वेक्षण की आख्या प्राप्त होने पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय में आलू मिल चौराहा से श्याम डेरी तक नाला बनवाये जाने की मांग

37-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आलू मिल चौराहा से चकिया चिमुहानी तक नाला न होने से चकिया त्रिमुहानी नेशनल हाइ-वे पर बरसात के दिनों में पानी जमा हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या को ध्यान में रखते हुये नाला बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

आलू मिल चौराहा से चकिया त्रिमुहानी की तरफ श्याम डेरी तक नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत 370 मी0 तक ड्रेनेज के लिए नगरपालिका, परिषद् द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसके लिए निविदा आमंत्रित की गयी है। चकिया चौमहानी का क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है जो ग्राम सभा कुढ़कला विकास खण्ड नियामताबाद के अन्तर्गत आता है। अतः त्रिमुहानी क्षेत्र में होने वाले जल जमाव का निस्तारण नगर पालिका परिषद् द्वारा किया जाना संभव नहीं है।

नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत रोड के किनारे नाला बनाये जाने का प्रस्ताव है।

वर्ष 2013-14 में कार्य पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

74वें संविधान संशोधन के तहत शहरवासियों को बेहतर बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की जानकारी

38-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 74 वें संविधान संशोधन के तहत शहरवासियों को बेहतर बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है ? क्या सम्पत्तियों की रजिस्ट्री पर वसूली जाने वाली 2 फीसदी अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी सिर्फ निकायों को ही देने पर सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो इससे अनुमानतः निकायों को कितनी धनराशि प्राप्त होगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

74वें संविधान संशोधन के पश्चात् अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित नगर निकाय का है। राज्य वित्त आयोग व 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अन्तरण से दी जाने वाली धनराशि से भी निकायों द्वारा अवस्थापना सुविधाओं के कार्य कराये जाते हैं। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 कार्यान्श के अन्तर्गत 33 एवं यू0आई0डी0एस0, एस0एम0टी0 कार्यान्श के अन्तर्गत प्रदेश में 64 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। एन0जी0आर0बी0ए0 झील संरक्षण एवं नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत भी प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। राज्य सेक्टर के अन्तर्गत आदर्श नगर एवं नया सवेरा नगर विकास योजना से निकायों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास कार्य कराया जा रहा है। राज्य सेक्टर के अन्तर्गत ही उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से वित्त पोषित नगरीय सीवरेज नगरीय पेयजल व नगरीय जल निकासी योजना से मूलभूत सुविधाओं हेतु धनराशि अवमुक्त की जाती है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में सिकन्दरा बोदला रोड की सुलभ विहार कालोनी की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाये जाने की मांग

39-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में मोती कुंज कालोनी, सिकन्दरा-बोदला रोड की सुलभपुरम् कालोनी की आन्तरिक सड़कें विगत दो वर्षों से क्षतिग्रस्त होकर गड्ढा युक्त हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत/निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

आगरा में मोतीकुंज कालोनी तथा सुलभपुरम् कालोनी की सड़कें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं।

मोतीकुंज कालोनी के सड़क निर्माण हेतु आगणन तैयार कर लिया गया है जिसे धन की उपलब्धता के आधार पर ही कराया जा सकेगा।

सिकन्दरा बोदला रोड की सुलभ विहार कालोनी प्राइवेट कालोनी है। अतः नगर निगम द्वारा उक्त कालोनी में कार्य कराया जाना संभव नहीं है।

जनपद आगरा में के0के0 नगर सिकन्दरा कालोनी में नाले का निर्माण कराये जाने की मांग

40-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में के0के0 नगर सिकन्दरा में जल निकासी हेतु नाली अत्यन्त पतली होने के कारण जलभराव की समस्या रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके निराकरण हेतु सड़कों के दोनों ओर 5-5 फिट गहरे नाले का निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

आगरा के के0के0 नगर सिकन्दरा कालोनी प्राइवेट कालोनी है, जिसमें जल निकासी हेतु नालियां बनी हुई हैं। जिस नाले के निर्माण हेतु प्रश्न में वर्णित किया गया है वह शेष नगर निगम सीमा के अन्तर्गत नहीं आता है।

जनपद आगरा में भूड के बाग की शक्ति नगर कालोनी आदि की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाये जाने की मांग

41-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में भूड के बाग की शान्ति नगर कालोनी, ट्रांसपोर्ट नगर, कैलाश बिहार कालोनी की सड़कें एवं सूर्यनगर कालोनी में मेन रोड से कृष्णमुरारी अग्रवाल की कोठी नं0-1 की तरफ जाने वाली सड़क अत्यन्त जर्जर व गड्ढायुक्त हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

ट्रान्सपोर्ट नगर के विकास हेतु रु0 9706.08 लाख का प्रोजेक्ट है।

कैलाश बिहार कालोनी सड़क निर्माण हेतु तथा सूर्यनगर कालोनी में मेन रोड से कृष्णमुरारी अग्रवाल की कोठी नं0-1 की तरफ जाने वाली सड़क के निर्माण हेतु रु0 10.00 लाख तथा रु0 06.79 लाख का आगणन तैयार किया गया है, जो धन की उपलब्धता के आधार पर ही कराये जा सकेंगे।

भूड का बाग की शान्तिनगर कालोनी नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं है। अतः उक्त कालोनी में नगर निगम द्वारा कार्य नहीं कराया जा सकता है।

जनपद पीलीभीत में रामगन हाउस के लाइसेन्स को निरस्त करने का कथित प्रकरण

42-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में व्यावसायिक शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत एवं निर्गत किये जाने का मानक क्या है ? क्या आपराधिक इतिहास के व्यक्ति को भी व्यावसायिक शस्त्र लाइसेंस दिया जा सकता है ? यदि नहीं, तो क्या जनपद पीलीभीत में रामगन हाउस नाम से संचालित व्यावसायिक शस्त्र प्रतिष्ठान स्वामी के परिवार की आपराधिक पृष्ठभूमि है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त लाइसेन्स निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-13 के अन्तर्गत आग्नेयास्त्र व्यवसाय हेतु प्रपत्र-11, 12, 13 एवं 14 पर लाइसेंस हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों पर गुण-दोष के आधार पर विचार कर निर्गत किये जाने का प्राविधान है। आग्नेयास्त्रों के व्यवसायिक लाइसेंस की स्वीकृति हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर पूर्ण सतर्कता एवं गहराई से सभी पहलुओं पर छानबीन कराने के पश्चात् अत्यन्त आवश्यक होने पर ही लाइसेंस स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी संस्तुति जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शासन को प्रेषित की जाती है। शासन के निर्णयानुसार प्रपत्र-11 एवं 12 के नये लाइसेंस के प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शासन को संदर्भित किये जायेंगे तथा प्रपत्र-13 एवं 14 के लाइसेंस जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा विज्ञप्ति संख्या-6372आर(5)/8ख-18/60, दिनांक 01 अक्टूबर, 1962 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत शासन की अनापत्ति के आधार पर स्वीकृति किये जायेंगे।

अपराधिक इतिहास वाले व्यक्ति को व्यवसायिक शस्त्र लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है।

जनपद पीलीभीत में रामगन हाउस के नाम से संचालित व्यवसायिक शस्त्र प्रतिष्ठान स्वामी के परिवार की आपराधिक पृष्ठ भूमि है।

रामगन हाउस, बीसलपुर के परिवार के आपराधिक पृष्ठभूमि होने के कारण रामगन हाउस, बीसलपुर, प्रा0 रामरती देवी पत्नी श्री रामकिशोर का शस्त्र व्यवसायिक प्रपत्र-13 एवं 14 निरस्त किये जाने हेतु न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत में वाद संख्या-02/2001 पंजीकृत किया गया, जिसमें दिनांक 05-04-2001 को कारण बताओ नोटिस निर्गत कर सुनवाई के उपरान्त मे0 रामगन हाउस, बीसलपुर, प्रो0 श्रीमती रामरती देवी के द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञापन का कोई उल्लंघन न पाये जाने के कारण न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 18-08-2003 द्वारा निर्गत नोटिस वापस लिया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अनुज्ञापी के विरुद्ध इस स्तर पर अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

43-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[4थे बुधवार के अता0 प्रश्न सं0-190 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नगर क्षेत्र बीसलपुर में सार्वजनिक भूमियों एवं तालाबों आदि का श्रेणी परिवर्तन कर व दुकान बना कर अवैध कब्जा आदि का कथित प्रकरण

44-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत अनेकों सार्वजनिक भूमियों एवं तालाबों, खलिहानों एवं मार्गों पर श्रेणी परिवर्तित एवं फर्जी किरायेदारी के आधार

पर मकान एवं दुकानें बनाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें चिन्हित कर अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नगर क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत सार्वजनिक भूमियों एवं तालाबों खलिहानों एवं मार्गो पर श्रेणी परिवर्तन की कार्यवाही नगर पालिका द्वारा नहीं की गयी है। फर्जी किरायेदारी के आधार पर मकान व दुकानें बनाकर अवैध कब्जा व अतिक्रमण के मामले भी संज्ञानित नहीं हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ नगर की आशियाना कालोनी सेक्टर एम0 में रोस्टर के अनुसार फागिंग कार्य कराये जाने की जानकारी

45-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर की आशियाना कालोनी, सेक्टर-एम0 में मच्छरों का अत्यधिक प्रकोप हैं ? जिससे वहां बीमारियां फैलने की भी आशंका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में रोजाना फागिंग कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

आशियाना कालोनी सेक्टर-एम0 में रोस्टर के अनुसार फागिंग का कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आलिया स्तर के मदरसों को अनुदान दिये जाने की जानकारी

46-डा0 मो0 अयूब-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अरबी, फारसी बोर्ड से सम्बद्ध मान्यता प्राप्त कितने मदरसा/स्कूल हैं तथा उनमें कितने अनुदान प्राप्त हैं ? क्या सरकार अवशेष को अनुदान देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

वर्तमान समय में प्रदेश में आलिया स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों की कुल संख्या 2026 है जिनमें अनुदानित मदरसों की संख्या 459 है।

यथा समय निर्णय लेकर चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाते हुए प्रकरण में यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में रंगनाथ मिश्रा कमीशन की अनुशंसा को लागू कराये जाने की मांग

47-डा0 मो0 अयूब-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी नौकरी, विकास व तालीम में अन्य समाज से पिछड़े मुसलमानों के विकास के उपाय के लिये सुझाये गये रंगनाथ मिश्रा कमीशन की अनुशंसा सरकार लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

रंगनाथ मिश्रा कमीशन, भारत सरकार द्वारा गठित किया गया था। कमीशन द्वारा अपनी रिपोर्ट/अनुशंसा भारत सरकार को प्रस्तुत की गयी है। संवैधानिक रूप से कमीशन की संस्तुतियों को भारत सरकार द्वारा लागू किया जाना है। प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे सुझाव, जिन पर प्रदेश स्तर से कार्यवाही सम्भव है, पर तत्परता से क्रियान्वयन कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

48-डा0 मो0 अयूब-

[एक से अधिक विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

जनपद संत कबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र धनघटा में नये थाने बनाये जाने की मांग

49-श्री अलगू प्रसाद चौहान-

49-क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत कबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र धनघटा में नये थाने बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दिनांक 07-06-2012 को दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 13-06-2012 को दिये गये वक्तव्य के क्रम में क्या सरकार बतायेगी कि उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय से नया थाना बनाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जनपद संत कबीर नगर के विधान सभा धनघटा में नये थाने बनाये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसके परीक्षोपरान्त कतिपय बिन्दुओं पर सूचना पुलिस मुख्यालय से मांगी गयी है। सूचना प्राप्त होने पर नियमानुसार नये थाने स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सन्त कबीर नगर थाना महुली में ग्रामीणों तथा पुलिस कर्मियों द्वारा आत्मसुरक्षा की गयी फायरिंग सम्बन्धी मुकदमों में नामजद ग्रामीणों से मुकदमा वापस लेने की मांग

50-श्री अलगू प्रसाद चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत कबीर नगर की ग्राम पंचायत महुली में दिनांक 02-04-2010 को बिजली का जर्जर तार टूटने से सैकड़ों एकड़ गेहूं जलकर राख हो जाने के अपराध में किसानों को गम्भीर धारा लगाकर प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दिनांक 19-06-2012 को दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 02-07-2012

को दिये गये वक्तव्य के क्रम में क्या सरकार बतायेगी कि ग्रामीणों तथा पुलिस कर्मियों द्वारा आत्मसुरक्षा में की गयी फायरिंग सम्बन्धी मुकदमों में नामजद ग्रामीणों से सरकार मुकदमा वापस लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रश्नगत प्रकरण में थाना महुली, जनपद-सन्तकबीर नगर पर मु0 अ0 सं0-344/10, धारा- 147/148/149/307/323/332/353/336/427/452/442/504/506/395/397/189 भा0द0वि0 व 7 क्रि0ला0 अमेन्ड0 एक्ट व 3/4 लोक सम्पत्ति निवारण अधि0 बनाम गणेश पुत्र सोमई माली निवासी महुली, थाना-महुली, जनपद-सन्तकबीर नगर आदि 29 व्यक्ति नामजद व आठ-नौ सौ लोग नामपता अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना स्थानीय पुलिस द्वारा प्रारम्भ की गयी, जिसमें अभियुक्त गणेश पुत्र सोमई आदि 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर दिनांक 03-04-2010 को जेल भेज गया। विवेचना से निजामुद्दीन पुत्र हकीम आदि 29 अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप-पत्र संख्या-167 दिनांक 26-11-2010 को प्रेषित किया जा चुका है जो विचाराधीन न्यायालय है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा नगर में खन्दारी की शास्त्रीनगर गली नं0-1 की नाली व सड़क बनवाये जाने की मांग

51-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में खन्दारी की शास्त्रीनगर गली नं0-1 की सड़क अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण एवं गड्ढायुक्त है तथा सड़क नीची होने के कारण जलभराव की भी समस्या रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार आवागमन की समस्या के निराकरण हेतु उक्त मार्ग की मरम्मत करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

आगरा के खन्दारी शास्त्रीनगर में गली नं0-1 की सड़कें व नाली आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं। गली नीची होने के कारण कुछ भाग में जल भराव हो जाता है।

प्रश्नगत गली को ऊंचा किये जाने एवं नाली व फर्श निर्माण हेतु आगणन तैयार कर लिया गया है जिसे धन की उपलब्धता के आधार पर कराया जा सकेगा।

जनपद आगरा में न्यू राजामण्डी के सरकारी पार्क से अवैध कब्जा हटवाकर बाउण्ड्रीवाल बनवाये जाने की मांग

52-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में न्यू राजामण्डी कालोनी में 40 साल पुराने सरकारी पार्क पर स्थानीय लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्क पर से अवैध कब्जे हटवाकर तथा बाउण्ड्रीवाल बनवाकर सौन्दर्यीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

आंशिक रूप से अतिक्रमण है।

पार्क के सौन्दर्यीकरण का कार्य पूर्व में नगर निगम द्वारा प्रारम्भ कराया गया था, किन्तु स्थलीय स्वामित्व विवाद के कारण कार्य अवरुद्ध हो गया था। भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में मा0 जनपद न्यायालय में योजित वाद लम्बित है। प्रकरण के मा0 न्यायालय में लम्बित होने के कारण वांछित विकास कार्य कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

जनपद आगरा नगर में सोंठ की मण्डी लताकुंज कालोनी की जर्जर सड़कों की मरम्मत/निर्माण कराये जाने की मांग

53-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में सोंठ की मण्डी की लता कुंज कालोनी की आन्तरिक सड़कें जर्जर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत/निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

जी हां।

प्रश्नगत आन्तरिक सड़कों की कुल लम्बाई 525 मीटर है, जिसमें से 405 मी0 सी0सी0 की रोड है एवं 120 मीटर कच्ची सड़क है। लताकुंज कालोनी की कुल 400 मीटर लम्बाई में सी0सी0 सड़क है। इसमें से 130 मीटर लम्बाई क्षतिग्रस्त है तथा शेष 275 मीटर सड़क ठीक अवस्था में है, जो आवागमन हेतु सुगम है। उक्त 120 मीटर कच्ची व 130 मीटर क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण हेतु आगणन तैयार कर लिया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जा सकेगा।

जनपद पीलीभीत थाना पूरनपुर चौकी घूघचिहाई से आपराधिक अभियोग वापस लिये जाने की जानकारी

54-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हिस्ट्रीशीटरों के आपराधिक अभियोग वापस लिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो किस-किस प्रकार के अभियोग वापस लिये गये हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि अभियोग सं0-642/1999 धारा 420/667/468/471 भा0दं0सं0 रिपोर्टिंग पुलिस चौकी-घूघचिहाई, थाना-पूरनपुर, जनपद-पीलीभीत को वापस लिये जाने का क्या कारण है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अभियोग का पुनः ट्रायल करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत अभियोग की वापसी नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत कतिपय थानों में शस्त्र लाइसेन्स हेतु लम्बित अवेदन-पत्र के निस्तारण की मांग

55-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2012 के प्रथम सोमवार के अता0प्रश्न संख्या-27 के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लम्बित शस्त्र प्रार्थना-पत्रों का क्या निस्तारण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

अतारांकित प्रश्न संख्या-27 के उत्तर के क्रम में अवगत कराना है कि लम्बित प्रार्थना-पत्रों में से अब तक थाना-बीसलपुर-59, बिलसण्डा-23, दियूरिया कलां-24 एवं बरखेड़ा कलां-14 कुल-120 शस्त्र लाइसेंस प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है। कतिपय प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण विभिन्न स्तरों पर लम्बित जांच आख्याओं के प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर नगर में विसरात रोड से शहीद उद्यान के नाले की सफाई करवाये जाने की जानकारी

56-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर में विसरात रोड पर बांस ठेकी से पनियर मस्जिद तक की सफाई तथा नाले की सफाई व गोविन्दगंज में रूफ्सचरन लेन की सफाई तथा दुर्गा होटल के उत्तर वाले नाले, मो0 भारतद्वाजी वाले नाले, शहीद उद्यान के पश्चिम वाले नाले की सफाई नहीं हो रही है ? यदि हां, तो सरकार उक्त सड़कों व नालों की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

नगर क्षेत्र की समस्त सड़कों की सफाई प्रतिदिन कराई जाती है। नालों की सफाई प्रतिवर्ष माह अप्रैल से 15 जून तक कराई जाती है। सफाई के पश्चात् समय-समय पर ऊपर तैर रही पन्नियों को निकाला जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर नगर में आंख का अस्पताल के कैंपस की रोड की मरम्मत कराये जाने की मांग

57-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर में आंख का अस्पताल भवन (जली कोठी के सामने वाला) को जाने वाला मार्ग गेट के अन्दर व बाहर जीर्ण-शीर्ण हालत में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

शाहजहांपुर नगर में आंख के अस्पताल कैंपस के अन्दर का मार्ग जीर्ण-शीर्ण हालत में है। अस्पताल भवन के बाहर मुख्य मार्ग सही हालत में है।

जी नहीं।

उक्त अस्पताल नगर पालिका परिषद् की सम्पत्ति नहीं है।

जनपद शाहजहांपुर नगर के मोहल्ला रंगमहला में हिन्दु सत्संग भवन की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

58-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर के मोहल्ला रंगमहला खोया मंडी में हिन्दू सत्संग भवन वाली गड्ढायुक्त क्षतिग्रस्त रोड की मरम्मत सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

जी हां।

उक्त मार्ग की मरम्मत हेतु रु0 3,43,500.00 का आगणन तैयार कर लिया गया है, तथापि वित्तीय वर्ष 2012-13 में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष पालिका बोर्ड की स्वीकृति उपरान्त कार्यों का चयन किया जा चुका है, अतः इस वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों को कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी में शस्त्र लाइसेंस निर्गत किये जाने हेतु लम्बित आवेदन-पत्रों के निस्तारण की मांग

59-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद में पिछले तीन वर्षों से कितने आवेदन-पत्र शस्त्र लाइसेंस निर्गत किये जाने हेतु लम्बित हैं ? क्या सरकार समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर प्राप्त आवेदनों का शस्त्र लाइसेंस जारी करने हेतु कोई समयबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वाराणसी जनपद में पिछले तीन वर्षों में कुल-4491 प्रार्थना-पत्र शस्त्र लाइसेंस दिये जाने हेतु लम्बित हैं।

शस्त्र लाइसेंस आयुध अधिनियम, 1959 एवं आयुध नियमावली, 1962 के प्राविधानों के अन्तर्गत अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा निस्तारित किये जाने की व्यवस्था है। उक्त अधिनियम एवं नियमावली में इस हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में नई सीवर लाइन डाले जाने की मांग

60-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में ध्वस्त पुराने सीवर लाइनों के स्थान पर अधिक क्षमता की नई सीवर लाइनें डालने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

जी हां, वाराणसी नगर के सिस वरूणा क्षेत्र, जिसमें दक्षिणी विधान सभा का शहरी क्षेत्र सम्मिलित है में ब्रान्च सीवर की तीन परियोजनाओं अनुमानित लागत रु0 622.97 करोड़ तैयार कर

राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, भारत सरकार नई दिल्ली को प्रेषित किया गया था। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्राक्कलन के विरचन से पूर्व सिटी डेवलपमेन्ट प्लान की स्वीकृति आवश्यक है। सिटी डेवलपमेन्ट प्लान तैयार कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली की नगरपालिका परिषद् के वार्ड सं0-12 में जल निकासी हेतु नाला/नाली का निर्माण करवाये जाने की मांग

61-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड नं0 12 चन्धासी न0पा0 परिषद् मुगलसराय में जल निकासी की भीषण समस्या के निराकरण हेतु सरकार उक्त कार्यों को कब तक करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

74वें संविधान संशोधन के पश्चात् निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास का दायित्व सम्बन्धित निकाय का है। नगर पालिका परिषद्, मुगलसराय जनपद चन्दौली द्वारा वार्ड सं0-12 में कुल 570 मीटर ड्रेनेज कार्य के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसके लिए निविदा आमंत्रित की गई है। निकाय द्वारा यह कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। उक्त के अतिरिक्त संगठित विकास योजना, मुगलसराय की पुनर्विनियोजित योजना के अन्तर्गत 2380 मीटर नाली निर्माण का कार्य भी प्रस्तावित किया गया है। उक्त नाला/नाली निर्माण के पश्चात् वार्ड संख्या-12 में जल निकासी समस्या का निराकरण हो जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के कस्बा निघासन व तिकुनियां को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने की मांग

62-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के कस्बा निघासन व तिकुनियां को नगर पंचायत का दर्जा देने का प्रस्ताव शासन में लम्बित है ? यदि हां, तो इन्हें नगर पंचायत का दर्जा कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जिलाधिकारी, खीरी से निर्धारित मानकों के अनुरूप कस्बा निघासन व तिकुनियां को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त अग्रतर कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के कस्बा निघासन में निर्माणाधीन मुंसिफ कोर्ट के प्रारम्भ किये जाने की जानकारी

63-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के कस्बा निघासन में मुंसिफ कोर्ट के भवन का निर्माण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त कोर्ट के कब तक प्रारम्भ होने की योजना है ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में।

जनपद शाहजहांपुर में नगर के तीन मार्गों के निर्माण सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

64-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एवं विधान सभा क्षेत्र शाहजहांपुर में नगर के तीन मार्गों के निर्माण सम्बन्धी मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्रांक-36 दिनांक 5-9-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मार्गों का निर्माण कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

संदर्भित पत्र नगर विकास विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मथुरा शहर में सीवरेज के शेष कार्यों से सम्बन्धित डी0पी0आर0 केन्द्र सरकार को भेजे जाने की जानकारी

65-श्री प्रदीप माथुर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में सीवर, ड्रेनेज, पेयजल तथा रिवर साइड डेवलपमेंट हेतु केन्द्र सरकार से मिलने वाली धनराशि हेतु डी0पी0आर0 केन्द्र सरकार को भेज दी गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मिशन शहर मथुरा में सीवरेज के शेष कार्यों से सम्बन्धित डी0पी0आर0 फरवरी, 2011 में भारत सरकार को भेजी गई थी परन्तु वित्त पोषण हेतु धनराशि उपलब्ध न होने के कारण (परिव्यय उपलब्ध न होने के कारण) परियोजना पर स्वीकृति नहीं मिल सकी। इस परियोजना को वर्तमान दरों पर पुनरीक्षित करने की कार्यवाही प्रगति में है। मथुरा नगर में ड्रेनेज की परियोजना भारत सरकार से स्वीकृत है। मथुरा नगर की पेयजल कार्यों की सम्बन्धित डी0पी0आर0 वर्ष 2009 में भारत सरकार को भेजी गई थी परन्तु वित्त पोषण हेतु धनराशि उपलब्ध न होने के कारण परियोजना स्वीकृत नहीं हो सकी थी। इस परियोजना को वर्तमान दरों पर पुनरीक्षित करने की कार्यवाही प्रगति पर है जिसे यथाशीघ्र भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा। रिवर साइड डेवलपमेन्ट की कोई परियोजना भारत सरकार को प्रेषित नहीं की गयी है। विरचित की जा रही सभी परियोजनाओं को इसी वर्ष भारत सरकार को प्रेषित किया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 (जेनर्म) की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत चल रहे कार्यों के लिए आवंटित धन को अवमुक्त कराये जाने की जानकारी

66-श्री प्रदीप माथुर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 (जेनर्म) की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत चल रहे कार्यों के धन आवंटन हेतु उपयोगिता प्रमाण भारत सरकार को नहीं भेजे गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि विगत एक वर्ष से आई0आर0एम0ए0 का गठन न होने के कारण केन्द्र सरकार से मिलने वाली धनराशि अवमुक्त नहीं हो सकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार आई0आर0एम0ए0 का गठन कर केन्द्र सरकार से उक्त धनराशि अवमुक्त कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 कार्यान्श के अन्तर्गत मिशन शहर मथुरा की तीन परियोजनाएं सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, स्टार्म वाटर ड्रेनेज एवं सीवरेज (जोन-2/ट्रान्स यमुना) परियोजना, स्वीकृत है। कार्यान्श के अन्तर्गत चार किश्तों में धनराशि अवमुक्त की जाती है। अवमुक्त धनराशि का 70 प्रतिशत धनराशि के व्यय के पश्चात् भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित किये जाते हैं। प्रत्येक परियोजना के सापेक्ष तीन उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित किये जाने होते हैं। सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना तथा स्टार्म वाटर ड्रेनेज परियोजना के सापेक्ष तीनों उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं। सीवरेज परियोजना के सापेक्ष द्वितीय उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है।

कार्यक्रम के यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यान्श के अन्तर्गत जनपद मथुरा के वृन्दावन नगर की दो परियोजनाएं सीवरेज परियोजना व स्टार्म वाटर ड्रेनेज परियोजना स्वीकृत है। इस कार्यान्श के अन्तर्गत धनराशि दो किश्तों में अवमुक्त की जाती है तथा आवंटित धनराशि का 70 प्रतिशत व्यय के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित किया जाता है। इन दोनों परियोजनाओं के सापेक्ष केन्द्रांश की पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 कार्यान्श के अन्तर्गत मेसर्स एम0एस0वी0 इन्टरनेशनल इंक, गुड़गांव द्वारा अनुबन्ध के अनुसार सितम्बर, 2009 से मार्च, 2012 तक आई0आर0एम0ए0 से सम्बन्धित कार्य सम्पादित किया गया। स्वीकृत परियोजनाओं को पूर्ण किये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम की मिशन अवधि मार्च, 2014 तक बढ़ायी गयी है। बढ़ी हुई अवधि में यू0आई0जी0 कार्यान्श की विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं के अन्तर्गत चल रहे कार्यों की स्वतंत्र समीक्षा अनुश्रवण हेतु आई0आर0एम0ए0 का चयन कर लिया गया है तथा प्रदेश सरकार का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

कार्यक्रम के यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यान्श के अन्तर्गत जनपद मथुरा के वृन्दावन नगर की परियोजनाएं इरमा की परिधि में नहीं हैं तथा केन्द्रांश की पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नगर निगमों में विद्युत/यांत्रिक संवर्ग के अभियन्ताओं की तैनाती किये जाने की मांग

67-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के नगर निगमों में विद्युत/यांत्रिक संवर्ग के मुख्य अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता के पदों के सृजन के मानक क्या हैं ? क्या सरकार की जानकारी में है कि प्रदेश में मात्र 05 नगर निगमों में ही विद्युत/यांत्रिक संवर्ग के अभियन्ता तैनात हैं जबकि 08 नगर निगमों में अन्य संवर्ग के अभियन्ता कार्य देख रहे हैं ? यदि हां, तो क्या शेष नगर निगमों में विद्युत/यांत्रिक संवर्ग के अभियन्ताओं की तैनाती करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रदेश के नगर निगमों में विद्युत/यांत्रिक संवर्ग के अभियन्ताओं के पदों का सृजन आवश्यकतानुसार किया जाता है।

जी हां।

प्रदेश की नागर निकायों के पुनर्गठन एवं मानकीकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जिसमें नगर निगमों में विद्युत/यांत्रिक संवर्ग का पुनर्गठन भी विचाराधीन है। निर्णय होने के उपरान्त तैनाती के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी में मा0 श्री कांशीराम शहरी दलित बाहुल्य समग्र विकास योजना के अन्तर्गत कराये गये विकास कार्य की जानकारी

68-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में मान्यवर कांशीराम दलित बाहुल्य समग्र विकास योजना के माध्यम से कराये जा रहे विकास कार्य अवशेष एवं अधूरे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधूरे कार्यों को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं। जनपद लखीमपुर खीरी में मा0 श्री कांशीराम जी शहरी दलित बाहुल्य समग्र विकास योजना के अन्तर्गत वरीयता क्रम में चयनित नगर पालिका परिषद्, लखीमपुर के मोहल्ला गोला रोड बस्ती (दलित बस्ती) में 1071 मीटर सी0सी0 रोड एवं 2069 मीटर नाली का निर्माण कराते हुए उक्त बस्ती को संतृप्त किया गया है।

चयनित बस्ती में कोई भी कार्य अवशेष नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

69-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

70-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

[4थे बुधवार के अता0प्र0सं0-191 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

71-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

[4थे बुधवार के अता0प्र0सं0-192 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के जनपदों में शहरी गरीबों का अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों को आसरा आवासीय योजना के अन्तर्गत निःशुल्क मकान उपलब्ध कराने की मांग

72-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की घोषणानुसार शहरी गरीबों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों के लिये 'आसरा योजना' के तहत रु0 2.50 लाख रुपये की लागत से वाराणसी सहित राज्य के अन्य जिलों में कितने मकान तैयार करके निःशुल्क उपलब्ध कराये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

शहरी गरीबों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों के लिए ''आसरा योजना'' का क्रियान्वयन किये जाने हेतु दिशा-निर्देश, शासनादेश दिनांक 16-1-2013 द्वारा निर्गत किये जा चुके हैं। उक्त योजना प्रदेश के सभी जनपदों में लागू की गयी है। प्रदेश के जनपदों से आसरा आवासीय योजना के अन्तर्गत विहित प्रक्रिया के अधीन आवासों के प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ स्थित देवा रोड से मुंशी पुलिया तक नहर को पाटकर रोड का चौड़ीकरण कराये जाने की मांग

73-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित चिनहट देवा रोड से बाबा हास्पिटल होकर छोटी सम्पर्क नहर जो अब बन्द पड़ी है को पाटकर मुंशी पुलिया तक चौड़ी एवं डामर युक्त सड़क बनवाये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

नगर निगम द्वारा देवा रोड से बाबा हास्पिटल होते हुए हरदासी खेड़ा प्राइमरी स्कूल तक नहर के किनारे जाने वाले मार्ग के सुदृढ़ीकरण का कार्य समग्र विकास योजनान्तर्गत लिया गया है जिसमें नहर पाटने का कोई प्राविधान नहीं है।

जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी के अन्तर्गत ग्राम सभा बेलाताल जैतपुर और ग्राम सभा पनवाड़ी को नगर पंचायत बनाये जाने की मांग

70-श्री संगीत सिंह सोम-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी के अन्तर्गत ग्राम सभा बेलाताल-जैतपुर और ग्राम सभा पनवाड़ी की आबादी एवं क्षेत्रफल को

देखते हुए सरकार नगर पंचायत घोषित करेगी ? क्या इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, महोबा द्वारा प्रेषित कोई प्रस्ताव विगत दो वर्षों से सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों ग्राम सभाओं को नगर पंचायत घोषित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जिलाधिकारी, महोबा से निर्धारित मानकों के अनुरूप नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त अग्रतर कार्यवाही की जा सकेगी।

जिलाधिकारी, महोबा से मानकों के अनुरूप नगर पंचायत से सृजन का प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है। ऐसा प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त अग्रतर कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रदेश की यमुना नदी गोमती नदी के मध्य धारा के 2.0 कि0मी0 की परिधि के भीतर प्लास्टिक एवं पालीथीन के प्रयोग पर रोक लगाये जाने की मांग

75-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जीवन दायिनी गंगा नदी के मध्य धारा 2.0 कि0मी0 की परिधि के भीतर प्लास्टिक एवं पालीथीन के प्रयोग एवं विक्रय को प्रतिबन्धित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की भांति ही यमुना नदी तथा गोमती के मध्य धारा के 2.0 कि0मी0 की परिधि के भीतर प्लास्टिक एवं पालीथीन के प्रयोग एवं विक्रय को प्रतिबन्धित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां, अधिसूचना संख्या-37 रिट/नौ-5-2011-10रिट/2010, दिनांक 02 फरवरी, 2011 द्वारा गंगा नदी के मध्य धारा से 02 कि0मी0 की परिधि के भीतर प्लास्टिक का उपयोग या विक्रय प्रतिषिद्ध किया गया है।

वर्तमान में जीवन के लिए अपरिहार्य आवश्यक वस्तुएं यथा दूध, नमक, मिनरल, वाटर, पेय पदार्थ आदि प्लास्टिक के पैकेट्स या प्लास्टिक के थैलों में आते हैं। यहां तक की कूड़े निस्तारण के बैग भी प्लास्टिक के बने होते हैं। चिकित्सकीय उपकरण यथा दस्ताने, सीरिन्ज, टेबलेट आदि की पैकिंग भी प्लास्टिक से निर्मित होते हैं। अतः प्लास्टिक/पालीथीन को प्रतिबन्धित किये जाने से कई व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। अतः प्रकरण में सम्यक् परीक्षणोपरान्त ही विचार कर निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र के सफ्नौटी से पाराडीह तक के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

76-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-मऊ के मधुबन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सफ्नौटी से पाराडीह तक का मार्ग अत्यन्त जर्जर एवं क्षति ग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क पर लेपन स्तर तक निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

जी हां।

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को आयोजनागत मद में राज्य सरकार द्वारा कोई भी धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जाती है अपितु यह विभाग एक राजकीय कार्यदायी संस्था के रूप में अन्य विभागों/संस्थाओं से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्यों को डिपाजिट वर्क के रूप में सम्पादित कराता है। चूंकि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को जनपद मऊ के मधुबन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सफ्नौटी से पाराडीह तक के मार्ग के लेपन कार्य हेतु वर्तमान में कोई स्वीकृति/धनराशि प्राप्त नहीं है, इसलिए उक्त मार्ग का लेपन कार्य इस विभाग के द्वारा कराया जाना संभव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अलीगढ़ में एन0एच0 91 से दपौरऊ-चण्डौस के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

77-श्री दलवीर सिंह-

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-अलीगढ़ में एन0एच0 91 से दपौरऊ-चण्डौस मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

जी हां।

जी हां।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज तहसील के कुषाण कालीन इतिहास की जानकारी हेतु ग्राम भारत भारी के स्थलीय सर्वेक्षण की जानकारी

78-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज तहसील के पौराणिक एवं ऐतिहासिक स्थल ग्राम भारत भारी को पुरातत्व विभाग द्वारा कुषाण कालीन बताया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्थल की खुदाई कराकर सत्यता का परीक्षण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अरुण कुमारी कोरी-

जी हां।

नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कुषाण कालीन इतिहास की अधिकतम जानकारी ज्ञात है। भारत भारी के स्थलीय सर्वेक्षण से अनेकों साक्ष्य प्राप्त हो चुके हैं। अतएव भारत भारी में उत्खनन कराये जाने की आवश्यकता नहीं पाई गई।

मथुरा-वृन्दावन के बीच प्रेक्षागृह निर्माण कराये जाने की मांग

79-श्री प्रदीप माथुर-

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि0 22 सितम्बर, 2012 को वृन्दावन, जनपद मथुरा आगमन पर मा0 मुख्य मंत्री ने मथुरा-वृन्दावन के बीच 1000 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता के प्रेक्षागृह का निर्माण कराये जाने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो उक्त के निर्माण हेतु सरकार ने कितनी धनराशि स्वीकृत की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अरुण कुमारी कोरी-

जी हां।

जी नहीं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु धनराशि की व्यवस्था नहीं है। आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 में धनराशि की व्यवस्था कराये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

दिनांक 5 मार्च, 2013 के तारांकित प्रश्न संख्या-4 को पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में सुरक्षित निर्णय की जानकारी विषयक व्यवस्था का प्रश्न

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, आज की कार्य सूची को देखें इसमें तीन ही प्रश्न आए हैं और हमारे पास काफी समय था कुछ प्रश्न और आ सकते थे। मैंने दो तीन दिन पहले एक व्यवस्था का सवाल उठाया था उस पर आपने निर्णय सुरक्षित रख लिया था कि जो पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त हुआ था तो आपने कहा था कि इसको दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

हम उसको देख नहीं पाए क्योंकि इधर दो दिन बन्द हो गया और उस दिन 8 साढ़े 8 बजे तक विधान सभा चली । दो दिन छुट्टी थी इस नाते हो नहीं पाया मैं आपके पुनरावृत्ति वाले प्रश्न को खुद देखूंगा और उसमें अगर कोई त्रुटि है तो उसको सुधार करवाएंगे।

[11.46] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 11 मार्च, 2013 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 25 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से 15 सूचनाएं स्वीकार की गईः-

पहली सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर महानगर में निर्माणाधीन शहीद अशफाकुल्लाह प्राणि उद्यान के कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।

दूसरी सूचना श्री अजय मिश्र 'टेनी' की विधान सभा क्षेत्र निघासन को जनपद मुख्यालय लखीमपुर से जोड़ने हेतु पचपेड़ी घाट पर (बेलरांया-पनवारी राजमार्ग) पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(तीसरी सूचना पर अंकित श्री बावन सिंह का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

चौथी सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की पूर्वांचल के 13 अन्य जनपदों की भांति जनपद बस्ती में भी गोंड जाति की उप जनजातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

पांचवीं सूचना श्री अजय कुमार 'लल्लू' की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में बाबू गेंदा सिंह गन्ना अनुसंधान एवं शोध संस्थान की ठप्प पड़ी गतिविधियों को पुनः आरम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

छठी सूचना श्री बंशी सिंह पहाड़िया की पूर्व परियोजना अभियन्ता नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा मेसर्स सांई फायर एप्लाईसेंस प्रा0 लि0 से टेंडर दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी किये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

(सातवीं सूचना पर अंकित देवेन्द्र प्रताप सिंह का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

(आठवीं सूचना पर अंकित श्री प्रदीप कुमार यादव का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

नवीं सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की।

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उपस्थित न रहने पर)

दसवीं सूचना श्री कालीचरन सुमन की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा ग्रामीण स्थित ग्राम रामनगर परियानी के पास खारी नदी पर बने चेकडैम के निर्माण में की गई अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की।

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उपस्थित न रहने पर)

बहुजन समाज पार्टी की ओर से-

मान्यवर, हैं।

श्री अध्यक्ष-

कहां हैं। आप जिम्मेदार लोग हैं ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए। गलत प्राक्सी नहीं की जाती है।

बारहवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के नगर विलसण्डा में राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय में फैली विभिन्न समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

मान्यवर, मैं सूचना को सदन में पढ़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ लीजिए।

(माननीय सदस्य द्वारा सूचना पढ़ते रहने पर)

आप यह नियम-301 की सूचना पढ़ रहे हैं। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, नियम-301 में आरोपात्मक तथ्य नहीं रखे जाते हैं सदन में, मैं इस सूचना को अस्वीकार करता हूं। मेरी तबियत खराब थी इसलिए मैं नोटिस नहीं देख पाया। अब मैं अगली सूचना ले रहा हूं।

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

मान्यवर, मैंने पहली बार दिया है।

श्री अध्यक्ष-

आप खड़े हैं, हम समझ गये, इस तरह से नहीं लिखा जाता है। आप कृपया बैठ जाएं।

तेरहवीं सूचना श्री उमेश पाण्डेय की जनपद मऊ में कांशीराम शहरी योजना के अन्तर्गत बनी आवासीय कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्री राजेश त्रिपाठी की।

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उपस्थित न रहने पर)

पन्द्रहवीं सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर की विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में है।

अब श्री बावन सिंह जी सदन में उपस्थित नहीं हैं इसलिए इनके स्थान पर मैं श्री सुरेश कुमार खन्ना जी की सूचना ले रहा हूं। श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह जी सदन में उपस्थित नहीं हैं इसलिए इनके स्थान पर मैं श्री उमाशंकर सिंह जी की सूचना ले रहा हूं। श्री प्रदीप कुमार यादव जी सदन में उपस्थित नहीं हैं इसलिए इनके स्थान पर मैं श्री पं0 सुदेश शर्मा जी की सूचना ले रहा हूं। श्री जियाउद्दीन रिजवी जी सदन में उपस्थित नहीं हैं इसलिए इनके स्थान पर मैं श्री पंकज कुमार मलिक जी की सूचना ले रहा हूं। श्री शाह आलम उर्फ गुड्ड जमाली जी सदन में उपस्थित नहीं हैं इसलिए इनके स्थान पर मैं श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत जी की सूचना ले रहा हूं।

श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

मा0 अध्यक्ष जी हम लोग बहुत पीछे बैठते हैं तो इधर भी निगाह डाल लिया कीजिये।

श्री अध्यक्ष-

बुधौलिया जी बैठिये। अभी बहुत समय है फिर दीजियेगा।

(संलग्न स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं।)

गोरखपुर महानगर में निर्माणाधीन शहीद अशफाकुल्लाह प्राणि उद्यान के कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

[मान्यवर, वर्ष 2009 में गोरखपुर महानगर में एक प्राणि उद्यान के निर्माण की परियोजना स्वीकृत की गयी थी। वर्ष 2010 में इसे सेन्ट्रल जू एथारिटी तथा वर्ष 2011 में माननीय उच्चतम न्यायालय की भी स्वीकृति प्राप्त हुयी थी।

समस्त स्वीकृतियों के प्राप्त होने के उपरान्त भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले एवं पूरे प्रदेश के सबसे अधिक क्षेत्र में फैलाव वाले इस प्राणि उद्यान के निर्माण का कार्य अत्यन्त धीमी गति से चल रहा है। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि अभी तक सिर्फ 3 करोड़ के ब्याज के बकाये को लेकर वन विभाग तथा गोरखपुर विकास प्राधिकरण के बीच विवाद जारी है, जिससे प्राधिकरण ने अपनी भूमि को वन विभाग के स्वामित्व में हैण्डओवर तक नहीं किया है।

3 साल हो गये और अभी तक मिट्टी भराने के कार्य के अलावा सिर्फ बाउन्ड्रीवाल का निर्माण सम्पन्न हो पाया है। सरकार के बदलने के बाद सरकार ने प्राणि उद्यान का नाम काशीराम प्राणि उद्यान से बदल कर शहीद असफाकुल्लाह प्राणि उद्यान में बदलने का एक प्रशंसनीय कार्य तो अवश्य किया लेकिन निर्माण कार्यों में कोई तेजी नहीं आ पाई। सरकार ने पूर्व कार्यदायी संस्था के हाथ से कार्य लेकर राजकीय निर्माण निगम को स्थानान्तरित अवश्य कर दिया लेकिन राजकीय निर्माण निगम को भी कोई धन आवंटित नहीं किया।

अतः लोकमहत्व के इस निश्चित एवं अविलम्बनीय विषय को नियम-301 के तहत उठाने तथा सरकार को जवाब देने हेतु निर्देशित करें।]

विधान सभा क्षेत्र निघासन को जनपद मुख्यालय लखीमपुर से जोड़ने हेतु पचपेड़ी घाट पर (बेलरायां-पनवारी राजमार्ग) पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

[महोदय,

विधान सभा क्षेत्र निघासन नेपाल राष्ट्र की सीमा पर स्थित बाढ़ से प्रभावित बेहद पिछड़ा क्षेत्र है। जिसका एक मात्र मुख्य मार्ग बेलरायां-पनवारी राजमार्ग है जो पचपेड़ी घाट पर पुल न होने के कारण 7 माह से ज्यादा बन्द रहता है, जिसके कारण लोगों को विभिन्न स्थानों पर जाने के लिये अधिक रास्ता तय करने के साथ समय व धन का भी अपव्यय भी होता है।

गौरतलब है कि निघासन से लखीमपुर के लिये फूलबेहड़ होते हुये जाने वाले सीधे रास्ते पर लम्बी-चौड़ी शारदा नदी है जिस पर पचपेड़ी घाट पर पुल बनने के बाद न केवल 20 कि0मी0 दूरी जिला मुख्यालय की कम होगी बल्कि साथ ही बाढ़ पर भी नियंत्रण करने में मदद मिलेगी और वन विभाग के बहुत सारे कीमती प्रजातियां जैसे खैर व शीशम आदि के वह वृक्ष (जंगल) जो प्रति वर्ष अरबों रुपये वन सम्पदा बाढ़ के कारण खो देते हैं, पुल बनने से जहां उन जंगलों की रक्षा हो सकेगी वहीं लगभग तीस हजार एकड़ कृषि भूमि पर खेती हो सकेगी। जिससे लखीमपुर जनपद को 15,00,000.00 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की अतिरिक्त आय होगी। उक्त पुल के बन जाने से व्यापार को बढ़ावा तथा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। यहां पर पुल बनाये जाने हेतु काफी समय से मांग की जा

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रही है परन्तु जिला प्रशासन एवं शासन की उपेक्षा के कारण अभी तक पुल का निर्माण नहीं हो सका जिससे यहां के क्षेत्र के निवासी में निराशा व्याप्त है।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए पचपेड़ी घाट पर (बेलरायां-पनवारी राजमार्ग) पर पुल बनाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

पूर्वांचल के 13 अन्य जनपदों की भांति जनपद बस्ती में भी गोड़ जाति की उप जनजातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[महोदय, गोंड़ (धुरिया) जाति उ0 प्र0 की जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। वर्ष 1935 के पूर्व से ही यह जाति उ0 प्र0 में गोंड़ जाति के अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। 'अखिल भारत वर्षीय गोंड़ महासभा' के नाम से 6 मई, 1950 को यह संस्था सं0-403 पर पंजीकृत हुई। इसी संस्था के प्रयास से गोंड़ जाति को संवैधानिक अधिकार भी प्राप्त हुए। महामहिम राष्ट्रपति के प्रथम अधिसूचना के अनुसार 10 अगस्त, 1950 को गोंड़ जाति को अनुसूचित जाति के अन्तर्गत जनपद मिर्जापुर एवं बुन्देलखण्ड मण्डल में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गयी। ज्वाइन्ट कमेटी अनुसूचित जाति एवं जनजाति द्वारा बिल सं0-119/67 पारित किया गया, जिसमें जनजाति गोंड़ के उपजाति में धुरिया, नायक, ओझा, पठारी/पथरी एवं राज गोंड़ को स्वीकार किया गया। महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा पारित अधिनियम, 2002 द्वारा बिल 119/67 में आंशिक संशोधन करते हुए उ0 प्र0 के पूर्वांचल के 13 जिलों में गोंड़ जनजाति के उपजनजाति धुरिया, नायक, ओझा, पठारी/पथरी एवं राज गोंड़ सहित अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में संवैधानिक मान्यता प्राप्त कर दिया गया। शेष जनपदों में पूर्व से ही गोंड़ जाति एवं उपजाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में है। इनमें धुरिया उपजनजाति के गोंड़ सम्पूर्ण उ0 प्र0 की जनजातियों में घोषित जनजातियों में सबसे अधिक संख्या में निवास करते हैं। पूर्वांचल के 13 जिलों के गोंड़ जनजाति में बस्ती जनपद की गोंड़ जाति एवं उपजातियों के लोग सबसे ज्यादा पीड़ित हैं क्योंकि पूर्वांचल के घोषित 13 जनपदों में जनपद बस्ती को छोड़कर अन्य सारे जनपदों में गोंड़ की उपजनजातियों, धुरिया आदि जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है। बस्ती जनपद में भी गोंड़ जाति के अथवा उनके अन्तर्गत आने वाली उपजातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी किया जाना न्यायहित में है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में बाबू गेंदा सिंह गन्ना अनुसंधान एवं शोध संस्थान की ठप्प पड़ी गतिविधियों को पुनः आरम्भ किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र-331, तमकुहीराज में बाबू गेंदा सिंह गन्ना अनुसंधान एवं शोध संस्थान बभनौली, जनपद कुशीनगर में स्थित है। जहां गन्ना शोध की गतिविधियां ठप हैं। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं :-

1-गन्ना शोध संस्थान में निदेशक, अतिरिक्त निदेशक कार्यरत नहीं हैं तथा संयुक्त निदेशक दिनांक 31-7-2012 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। गन्ना शोध संस्थान में

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक की तैनाती शोध कार्यों के दृष्टिगत आवश्यक है।

2-गन्ना शोध संस्थान में प्रथम श्रेणी के 11 वैज्ञानिकों के पद सृजित हैं जिसके सापेक्ष केवल 2 प्रथम श्रेणी के वैज्ञानिक कार्यरत हैं। द्वितीय श्रेणी के 42 वैज्ञानिकों के पद सृजित हैं जिसके सापेक्ष केवल 05 द्वितीय श्रेणी के वैज्ञानिक कार्यरत हैं, इस प्रकार कुल 53 वैज्ञानिकों (प्रथम व द्वितीय श्रेणी) के सापेक्ष केवल 07 वैज्ञानिक कार्यरत हैं।

गन्ना शोध संस्थान में वैज्ञानिकों के अभाव में गन्ना शोध कार्य प्रभावित हो रहा है। यदि वैज्ञानिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करा दी जाय तो गन्ना शोध कार्य सूचारु रूप से संचालित हो सकेगा।

3-शाहजहांपुर स्थित गन्ना शोध संस्थान में निदेशक के कार्यरत होने के नाते मेरे क्षेत्र में स्थित गन्ना शोध संस्थान में बजट के अभाव में शोध कार्य सुचारु रूप से सम्पादित नहीं हो पा रहा है।

4-गन्ना शोध संस्थान में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रोन्नत न होने के कारण प्रशासकीय पद जैसे संयुक्त निदेशक, अपर निदेशक की कमी हो गयी है।

5-गन्ना शोध संस्थान में पर्याप्त भूमि स्थित है, जिसका उपयोग गन्ना शैक्षणिक केन्द्र के रूप में किया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0-10158871/2012 का आदेश पारित किया गया है।

अतः जनहित एवं लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

पूर्व परियोजना अभियन्ता, नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा मेसर्स सांई फायर एप्लाइसेन्स प्रा0लि0 से टेण्डर दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी किये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

[मान्यवर, मैं अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। श्री के0के0 पाण्डेय पूर्व मुख्य परियोजना अभियन्ता नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा मेसर्स सांई फायर एप्लाइसेंस प्रा0 लि0 बी-21 सेक्टर-10 नोएडा से टेंडर दिलाने के नाम पर 16 लाख रुपये की धोखाधड़ी का अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रसंग सदन के पटल पर रख कर वक्तव्य की मांग करता हूं।

श्री पाण्डेय द्वारा उक्त फर्म से अपने पुत्र के ईलाज हेतु 20 लाख रुपये की मांग 15 अक्टूबर, 2009 को की थी तथा उक्त फर्म के निदेशक द्वारा अपने रिश्तेदारों/परिजनों/मित्रगणों से उधार लेकर श्री पाण्डेय को 16 लाख रुपये उनके पुत्र के ईलाज हेतु मात्र एक माह के लिए दिये थे परन्तु उन्होंने बड़े नाटकीय ढंग से टेंडर देने की पेशकश उक्त कम्पनी के निदेशक के सामने कर जो आज तक उक्त कम्पनी को प्राप्त नहीं हुआ है तथा निदेशक द्वारा पैसा वापिस मांगने पर उसे जान से

मारने की धमकी उनके द्वारा दी जा रही है जिसकी शिकायत उक्त निदेशक द्वारा नेता सदन मा0 मुख्य मंत्री जी से की गई थी जिसमें माननीय मुख्य मंत्री जी के विशेष कार्याधिकारी द्वारा परीक्षोंपरांत नियमानुसार न्यायोचित कार्यवाही हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्ध नगर को दिनांक 03-12-2012 को निर्देशित किया गया था परन्तु वर्तमान में श्री पाण्डेय गाजियाबाद में निवास कर रहे हैं इसलिए कार्यवाही लम्बित है। प्रति संलग्न है।

उल्लेखनीय है कि श्री के0के0 पाण्डेय, लखनऊ विकास प्राधिकरण में जनवरी, 2011 में किसी बड़े घोटाले में लिप्त थे जिसकी वजह से वह सन् 2011 में लखनऊ जेल में तकरीबन चार से पांच माह व्यतीत कर चुके हैं। श्री पाण्डेय द्वारा सरकारी सेवा अवधि के दरम्यान 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की सम्पत्ति अर्जित की है जो अभिलेखों में दर्ज है तथा उक्त कम्पनी जैसे कई प्रकरण जांच में सदन के पटल पर स्वतः आ जायेंगे।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग के साथ-साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौतमबुद्ध नगर से विशेष जांच की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा ग्रामीण स्थित ग्राम रामनगर परियानी के पास खारी नदी पर बने चेकडैम के निर्माण में की गयी अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काली चरन सुमन-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद आगरा विधान सभा क्षेत्र 90, आगरा ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम रामनगर परियानी के पास खारी नदी पर चेकडैम कुछ समय पहले बना है। जो कि इस चेकडैम के बनाते समय न तो मानकों का ध्यान रखा गया है और न ही इसकी गुणवत्ता का ध्यान रखा गया है। जो कि इस समय जगह-जगह लीकेज हुआ है और बनाते समय लाल रेत व मानक के अनुसार सीमेन्ट की पूर्ण अनियमितता बरती गयी है जिसके कारण आस-पास के गांव को इससे फायदा नही मिल रहा है।

अतः खारी नदी पर रामनगर परियानी (अकोला) की जांच कराकर दोषी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उपरोक्त चेकडैम का मानक के अनुरूप निर्माण कार्य कराये जाने हेतु सरकार के प्रति क्षेत्रीय जनता में भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त चेकडैम के निर्माण में बरती हुई अनिमियता की जांच कराते हुए मानक के अनुरूप चेकडैम का निर्माण कार्य ठीक कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मऊ में कांशीराम शहरी योजना के अन्तर्गत बनी आवासीय कालोनियों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमेश पाण्डेय-

[मान्यवर, कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद-मऊ में कांशीराम शहरी योजना के अन्तर्गत बनी आवासीय कालोनी में पानी एवं विद्युत की सप्लाई काट दी गयी है, उक्त आवासीय कालोनियों में बनी सड़कें एवं नालियां अत्यन्त जर्जर एवं क्षतिग्रस्त हो गयी है। आवासीय कालोनियों में

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मूलभूत सुविधाओं को बन्द कर दिये जाने से वहां पर निवास कर रहे लोगों को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक द्वेष भावना से उक्त आवासीय कालोनियों में कोई भी कार्य नहीं कराया जा रहा है। उक्त आवासीय कालोनियों में रहने वाले लोगों द्वारा वहां पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करने हेतु स्थानीय उच्च अधिकारियों एवं शासन से कई बार अनुरोध किया जा चुका है, परन्तु अभी तक शासन द्वारा उक्त आवासीय कालोनियों में कोई भी कार्य नहीं कराया जा सका है। जिसके कारण वहां के निवासियों में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त आवासीय कालोनियों में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं वहां की सड़कों व नालियों की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराये जाने की भी मांग करता हूं।]

जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर की विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कपूर-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर के नगर पालिका क्षेत्र में विद्युत अव्यवस्था की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं यहां पर नगर पालिका परिषद् में साहूकारा, कायस्तान, वंजारान रामलीला मैदान, भट्टी टोला, चौराहा टोला, हुरमत नगर, शीरीमियां तथा विशारत नगर सभी ट्रांसफार्मर अतिभारित है। जिसके कारण विलासपुर नगर पालिका क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं मिल पा रही है। यहां पर विद्युत व्यवस्था ठीक न होने के कारण जनता रोज धरना व प्रदर्शन कर रही है इसके बावजूद भी विद्युत ट्रांस्फार्मर की अतिभारिता खत्म करने के लिये सरकार द्वारा कोई सार्थक कदम नहीं उठाये जा रहे है। इससे जनता में भारी रोष व्याप्त है और कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय व लोक महत्व के प्रश्न पर में आपके माध्यम से सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा में मोहम्मदी रोड के किनारे बसे 15 गांवों में जल निकासी हेतु नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र 135 शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा में मोहम्मदी रोड पर 15 गांव ऐसे हैं जिसमें जल निकासी न होने के कारण खेतों में बरसात के मौसम में पानी भर जाता है। इस साल इन गांवों में पानी भर जाने के कारण कोई फसल नहीं हुई। यह ग्राम हैं-टिकरा, कुरसण्डा, भावलखेड़ा, महोलियामुण्डी, बसिलिया, तिउलक तक जिसमें जल भराव रहता है। सैकड़ों बीघा जमीन पर पानी भरा रहने से इनके खेतों के मालिकों के सामने भुखमरी का संकट आ गया है।

जल की निकासी हेतु सिंचाई विभाग के माध्यम से नरेगा के धन से एक नाला बनाया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। यह नाला ग्राम सल्लिया में मुनिन्दर की चक्की के पीछे से ग्राम

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बिलरिया तक यदि खुदवा दिया जाय तो सैकड़ों बीघा जमीन पर जल भराव नहीं होगा और फसल हो सकती है। जनहित में यह नाला खुदना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आपके माध्यम से जल निकासी हेतु नाला नरेगा से खुदवाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा में ग्राम सभा नरनी के बीच 11 हजार वोल्ट लाइन के जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमा शंकर-

[मान्यवर, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा रसड़ा अन्तर्गत **ग्राम नरनी से सिलहटा के बीच जो 11000 वोल्ट की मेन लाइन गुजरी है उसमें वर्ष 1968 में तार लगाया गया था जो कि अत्यन्त जर्जर अवस्था में होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें घटित हो रही हैं** तथा कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है तथा आये दिन इस जर्जर तार की वजह से किसी न किसी घर मकान में आगजनी आदि की घटना होती रहती है जिससे क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है तथा आन्दोलन की स्थिति बनी हुई है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन की समस्त कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं।]

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के महीउद्दीनपुर से खरखोदा मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुदेश शर्मा-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र-मोदीनगर, जनपद-गाजियाबाद में महीऊद्दीनपुर से खरखोदा मार्ग चुड़ियाला-सैदपुर तक अति क्षतिग्रस्त है। इस मार्ग पर हाई-वे की तरह अत्यधिक वाहनों का आवागमन होता है। क्षेत्रीय जनता की मांग है कि इस मार्ग को अविलम्ब मरम्मत कराया जाय। यह प्रकरण जनहित से सम्बन्धित है।

अतः मैं चाहूंगा कि जनहित में उक्त मार्ग का पुनर्निर्माण/मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में पेयजल संकट के निवारण हेतु क्षेत्र के तालाबों को राजघाट नहर परियोजना से भरे जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत-

[मान्यवर, कृपया अवगत कराना है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र-222 बबीना (झांसी) में गंभीर पेयजल संकट उत्पन्न हो जाता है और क्षेत्र में ग्राम-नयाखेड़ा, खाड़ी, मानपुर, पुनावली, रक्सा में प्राचीन तालाब स्थित है जो गर्मियों में सूख जाते है। सरकार द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि बबीना क्षेत्र में जो तालाब स्थित है उनमें जल उपलब्धता की कमी है जिससे मनुष्य, पशु पक्षियों को पेयजल के लिए अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हैं, पानी की कमी के कारण बहुत से जानवर एवं पक्षियों की मौत हो जाती है। क्षेत्र में पेयजल की इस समस्या का निदान इन तालाबों के पास ही

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

राजघाट नहर परियोजना संचालित है, इन तालाबों को इस नहर से गर्मियों में भरा जा सकता है। पानी की इस गंभीर समस्या को लेकर क्षेत्रीय जनता में क्षोभ एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए साथ ही क्षेत्र में स्थित इन तालाबों को राजघाट नहर से भरायें जाने की मांग करता हूं।]

जनपद शामली में स्थित शुगर मिल द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज कुमार मलिक-

[मान्यवर, जनपद शामली के शहर शामली के मध्य स्थित शुगर मिल द्वारा नगर में व्यापक प्रदूषण फैला रखा है। मिल द्वारा नगर के मध्य आवासीय कालोनी में सूखी राख/छाई, मैली, बैगासबैल्स एवं डिस्ट्रलरी से लैगून से निकलने वाली दुर्गन्धकारी सलज डाली जा रही है। उक्त सभी मैटिरियल से जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है तथा उपरोक्त प्रदूषण की वजह से दयानन्द नगर, शामली कालोनी के अधिकतर व्यक्ति बीमार हो गये हैं तथा कई वृद्ध व्यक्ति राख छायी मैली की वजह से कैंसर, चर्मरोग, दमा आदि गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गये हैं तथा कई व्यक्तियों की बीमारी के कारण मृत्यु भी हो गयी है। मिल के बायलर में ई0एस0पी0 सिस्टम नहीं लगा है जिससे मिल की राख छायी चिमनी से निकलकर पूरे क्षेत्र में प्रतिदिन लोगों के घरों में सुखाये गये कपड़ों में, खाने-पीने के वस्तुओं में व आंखों में पड़ती रहती है, जिससे नागरिकों को स्वास्थ्य सम्बन्धी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा पूर्व में भी जिला प्रशासन व मिल प्रशासन को चेताया जा चुका है। लेकिन बड़े ही खेद का विषय है कि शुगर मिल शामली के इस जनविरोधी कार्य पर प्रशासन द्वारा कोई लगाम नहीं लगायी गयी। उक्त कारखाने पर पर्यावरण विभाग के डर नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है। स्थानीय नागरिक एवं मेरे द्वारा जब भी प्रशासनिक अधिकारियों व प्रदूषण विभाग के अधिकारियों को उक्त समस्या के समाधान हेतु बताया जाता है तो मात्र एक खानापूर्ति करके इतिश्री कर दी जाती है। इससे प्रतीत होता है कि शुगर मिल व अधिकारियों के बीच साठगांठ हो जाती है और इसका खामियाजा भोली-भाली जनता को उठाना पड़ रहा है। शुगर मिल पर कार्यवाही न होने से लोगों में रोष व्याप्त है। जनहित में कार्यवाही होना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

[11.55] औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 11 मार्च, 2013 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 03 सूचनायें प्राप्त हुयीं हैं :-

विधान सभा की कार्यवाही का सजीव प्रसारण टी0वी0 चैनलों के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

पहली सूचना श्री राजेश त्रिपाठी जी की विधान सभा की कार्यवाही का सजीव प्रसारण टी0वी0 चैनलों के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में। यह सुना नहीं जायेगा और माननीय सदस्य हैं भी नहीं।

जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के सरकारी आवासों में वाहन हेतु बने गैराजों में किरायेदारों के रूप में रहने वाले धोबियों एवं दर्जियों द्वारा बिजली एवं पानी का अनुचित उपयोग करने सम्बन्धी औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

दूसरी सूचना, श्री अगयश रामसरन वर्मा जी की जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के सरकारी आवासों में वाहन हेतु बने गैराजों में किरायेदारों के रूप में रहने वाले धोबियों एवं दर्जियों द्वारा बिजली एवं पानी का अनुचित उपयोग करने के सम्बन्ध में।

नियम-301 की सूचना को लिए जाने का अनुरोध

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

मान्यवर, नियम-301 में एक मेरी भी सूचना थी। मैं उपस्थित हूं।

श्री अध्यक्ष-

देवेन्द्र प्रताप सिंह जी, आप बाद में आये, मेरा कोई दोष नहीं है। कुछ तो पंक्चुअल बनिये। जब आप सूचना देते हैं तो जीरो आवर में रहना चाहिए। आपने सोचा होगा कि जीरो आवर 12.20 पर आयेगा लेकिन आपको एजेण्डा देखना चाहिए कि आज प्रश्न कम हैं तो वह जल्दी आ जायेगा।

जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के सरकारी आवासों में वाहन हेतु बने गैराजों में किरायेदारों के रूप में रहने वाले धोबियों एवं दर्जियों द्वारा बिजली एवं पानी का अनुचित उपयोग करने सम्बन्धी औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, श्री अगयश राम सरन वर्मा जी की सूचना है कि जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के सरकारी आवासों में वाहन हेतु बने गैराजों में किरायेदारों के रूप में रहने वाले धोबियों एवं दर्जियों द्वारा बिजली एवं पानी का अनुचित उपयोग करने के सम्बन्ध में है। तो यह जो गैराज बने हैं यह विधायकों के लिए है। उसमें धोबी, दर्जी रहते हैं कि वह गलत ढंग से पानी व बिजली का उपयोग करते हैं। इसको आप दिखवा लें, ऐसा न हो।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, अब कैसे दिखवा लें, विधायकों ने ही तो रखे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अगर विधायकों ने रखे हैं तो भी यह अवैध है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, विधायकों से राय ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आप अपना सरकारी काम करिये, विधायकों से राय लेने की क्या जरूरत है ? अगर गलत ढंग से रखे हैं तो उनका गैराज छीनकर दूसरे लोगों को दीजिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मेरे गैराज में तो कोई नहीं है लेकिन मेरे दायें, बायें सारे गैराज में हैं।

श्री अध्यक्ष-

रूकिये, मैं जांच कराता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

हालांकि मुझसे भी एक ने कहा कि साहब आपके कपड़े अच्छे धो दिया करूंगा, मुझे यह दे दो और जितने लोग आपके यहां आयेंगे उनके भी सब फ्री कपड़े धो दिया करूंगा। बड़ी सहूलियत तो है गैराज देने में, बड़ा मंहगा धुल रहा है अब।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन इसकी जांच हो जानी चाहिए।

मा0 अध्यक्ष द्वारा सदन में सुरक्षा सम्बन्धी आश्वासन दिये जाने के बावजूद मा0 सदस्य श्री बृजेश कुमार को अतिरिक्त गनर उपलब्ध न कराये जाने सम्बन्धी औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

तीसरी सूचना श्री बृजेश कुमार जी की मा0 अध्यक्ष द्वारा सदन में सुरक्षा सम्बन्धी आश्वासन दिये जाने के बावजूद मा0 सदस्य को अतिरिक्त गनर उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में। देखिये, अतिरिक्त गनर का मामला सरकार का है, यह नियम-300 में नहीं आता।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज कई विभागों के बजट हैं और लम्बा चलेगा इसलिए मैं माननीय सदस्यों से चाहता हूं कि नियम-56 का कम करके, महत्वपूर्ण बजट हैं, सब पर आप लोग चर्चा में भाग लें और अपने सुझाव अच्छी तरह से दें।

मद संख्या-2, 3, 4 व 5 में कुछ नहीं है। अब मैं मद संख्या-6 ले रहा हूं।

आज दिनांक 11-03-2013 को नियम-56 के अंतर्गत कुल 12 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें प्रथम 2 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

पहली सूचना, श्री हुकुम सिंह, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री सुरेश राणा तथा श्री लोकेन्द्र सिंह की भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री सुरेश राणा एवं श्री लोकेन्द्र सिंह को प्रदेश महामंत्री श्री पंकज सिंह के साथ टांडा जाते समय लखनऊ से सुल्तानपुर के मध्य एस0डी0एम0 एवं सी0ओ0 द्वारा गिरफ्तार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

मेरा निवेदन है कि आप बुद्धिजीवी हैं इसलिए जो विषय है बस उसी तक अपने को सीमित रखेंगे, इसे बहुत आगे न बढ़ाया जाये।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, विषय तक ही सीमित रहेंगे। जो मुझे थोड़ा बहुत संविधान का ज्ञान है, संविधान के अनुच्छेद-19 (घ) को देखें। इसमें देश के प्रत्येक नागरिक को विचरण का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी वह जा सकता है, पाबन्दी केवल वहां है अगर कोई कानून ऐसा बना हुआ है कि आप वहां नहीं जायेंगे। आपके या मेरे या संसदीय कार्यमंत्री जी के संज्ञान में कोई ऐसी बात अगर आज हो कि टांडा में प्रवेश करने का प्रतिबंध लगाया गया हो तो उसकी जानकारी सदन को भी होनी चाहिए कि हां प्रतिबंध है। या कहीं उल्लेख किया गया हो कि टांडा या अम्बेड़करनगर के आसपास कितने कि0मी0 की दूरी में वह प्रतिबंध लगा हुआ है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। एक घटना वहां हो गयी उसका उल्लेख सदन में कई बार हुआ। एक पार्टी का शीर्षस्थ नेता, उसकी हत्या हो गयी, उसकी पत्नी की गम्भीर हालत थी, हमारे दो सम्मानित सदस्य और प्रदेश के एक महामंत्री तीनों को अधिकृत किया गया पार्टी की ओर से कि जाइये सम्वेदना भी व्यक्त कीजिये और उनकी पत्नी से भी मिलकर आइये और अगर उनकी घर की कोई समस्या है जिस में हम कुछ सहयोग कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, उसकी भी जानकारी करके आइये। यह पार्टी ने अधिकृत करके इन तीनों को वहां पर भेजा । सुल्तानपुर गये। सुल्तानपुर का और अम्बेडकर का कितना फासला है मान्यवर, यह आपको भी जानकारी है। किस अधिकार से किस कारणों से इनको सुल्तानपुर में रोका गया और घसीटा गया गाड़ियों से नीचे और कुछ देर के बाद में गिरफ्तार करके इनको पहले बैठाये रखा गया वहां पर और फिर जबरदस्ती एक बस में ठूंसा गया और फिर थाने में ले जाकर रखा गया शाम तक । मान्यवर, आखिर इस देश में कोई कानून रहेगा कि नहीं रहेगा। 1975 की आपात काल स्थिति की मुझे याद आती है कि जब जो कह दिया वह कानून हो गया। सुल्तानपुर के जिलाधिकारी या एस0डी0एम0 या सी0ओ0 को कौन सा अधिकार था किस कानून में अधिकार था कि उनको वहां पर जाकर रोकें ? मान्यवर, अगर यह वहां पर जाते, शान्ति भंग की कोई बात रही होती, या यह टांडा पहुंच गये होते और इनसे कहा गया होता कि आप मिलकर चले जाइये यहां से। कोई पब्लिक मीटिंग नहीं करेंगें, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करेंगें, कोई भाषण ऐसा नहीं देंगें तो बात समझ में आती । और उन अधिकारियों की बात को न माना गया होता, सार्वजनिक कार्यक्रम करने का प्रयास करते तो भी बात समझ में आती है। वहां तक पहुंचे भी नहीं हैं। मान्यवर, एक सामान्य नागरिक कुछ न कुछ तो पहुचें होंगें वहां पर। ऐसा तो नहीं है कि वहां पर कर्फ्यू लगाकर बन्द कर दिया गया चारों तरफ से कि कोई प्रवेश नहीं करेगा वहां पर। अगर ऐसी स्थिति है तो बता दिया जाय। जिस रोज यह जा रहे थे उस दिन तो कर्फ्यू भी नहीं था वहां पर। और जब कर्फ्यू नहीं था वहां पर तो क्यों इनको रोका गया ? क्या उस दिन कोई सामान्य नागरिक जो जा रहे थे, उनको भी रोका गया ? इन्हीं को क्यों रोका गया ? क्या मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक ही रोके जायेंगे ? सर्वविदित है कई जगह ऐसी घटनाएं हुईं। एक पार्टी के उपाध्यक्ष जाते हैं कोई रूकावट नहीं। इनके उनके समझौता कहिये या समर्थन कहिये, उनको नहीं रोका जायेगा। मान्यवर, एक जामा मस्जिद के इमाम साहब हैं, वह स्वच्छन्द हैं, कहीं भी जायं। कहीं घटना हो जाय, उनके जाने पर कोई रोक नहीं है। आखिर भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी ऐसी घटना की है। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमें भी वह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं, हमारे विधायकों को क्यों रोका जाता है। हमारे प्रदेश के महामंत्री को क्यों रोका जाता है। रोकना ही नहीं मान्यवर, अनधिकृत रूप से सारे संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन करते हुए, कानून के दायरे से बाहर निकलते हुए, इनके मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए इनको ले जाकर थाने में बैठाया जाता है शाम तक। मान्यवर, यह आपत्तिजनक बात है। और यह उस अधिकार का हनन है जो अधिकार प्रशासनिक अधिकारियों को शान्ति व्यवस्था बनाने में मिला है। मैं जानता हूं धारा-157 भी है, 107(16) भी है, 144 भी है। लेकिन वह 144 सुल्तानपुर में तो लगी नहीं थी।

(सत्ता पक्ष से किसी माननीय सदस्य के कुछ कहने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अरे भई आप क्यों बोल रहे हैं, माननीय मंत्री जी बैठे हैं। आप बैठिये।

श्री हुकुम सिंह-

नहीं मान्यवर, जो खड़े होकर बड़े हनक के साथ लगी थी। क्या तीन व्यक्तियों पर भी लगी क्या वह ? वह 144 लगती है 5 व्यक्तियों या उसके ऊपर इकट्ठा होने पर। यह मान्यवर, 3 व्यक्ति हैं जिनका मैं उल्लेख कर रहा हूं। पहले स्थिति समझ लें, कानून देख लें तब समझने की कोशिश करें। 144 की जानकारी आपको भी है, 144 में यहां कोई ऐसा माननीय सदस्य नहीं बैठा होगा जिसने कभी न कभी 144 का उल्लंघन न किया हो चाहे चुनाव में किया हो या अलग किया हो। कारण केवल यह है कि मैं तीन व्यक्तियों का, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, दो इस सदन के सदस्य हैं, एक हमारे महामंत्री हैं। मैं उन तीनों का उल्लेख कर रहा हूं। चौथा उनके साथ नहीं है ना आपने यह आरोप लगाया है कि नहीं यह पांच या उससे ज्यादा व्यक्ति थे और सुल्तानपुर में प्रवेश करने पर प्रतिबन्ध था। मान्यवर, मेरा आग्रह है कि इस प्रकार हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जायेगा। इस प्रकार हम अगर किसी प्रभावित परिवार में अपनी सान्तवना देने भी नहीं जा पायेंगें। आप कैसे जाते है ?, आप क्यों जाते हैं कई जगह आप गये ,जाते रहते हैं, यह अधिकार इनको कैसे मिल गया ? हम कैसे वंचित कर दिये गये। इनका कोई नेता, कार्यकर्ता जाय तो कोई प्रतिबन्ध नहीं, हमारे जिम्मेदार विधायक जायं तो प्रतिबन्ध हैं मान्यवर, मेरा आपसे यह अनुरोध है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने रखा हैं, हमारे अधिकारों का हनन हुआ है। इस प्रश्न को बहुत गम्भीरता के साथ आपके सामने रखना चाहता हूं कि आप हमें अवसर दें पूरे तथ्य आपके सामने रखने का और इस सरकार की उस कारगुजारी का भी उल्लेख करने का कि दूसरे व्यक्ति को किस प्रकार अधिकार देते हैं। एक व्यक्ति जो पूरे देश में जाना जाता है जो जाते हैं और अपने अपने भाषण के माध्यम से कहीं पर भी दंगा भड़का सकते हैं, उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं। हमारे दोनों विधायकों की पृष्ठभमि ऐसी नहीं है कि इन्होंने कहीं जाकर उत्तेजना फैलाई हो। कोई द्वेष भावना फैलाई हो, कोई उदाहरण हो तो बता दें ? हमारे महामंत्री की कोई ऐसी पृष्ठभूमि नहीं है फिर इनको क्यों रोका गया ? सुल्तानपुर में क्यों रोका गया ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, हुकुम सिंह जी जब कोई बात कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे। गलत तो कहेंगे ही नहीं। अब भी नहीं कहा होगा, अब आप अपने नेताओं को इतना हल्का कर देंगे कि तीन चले थे तो

तीन ही रहेंगे पहुंचने तक, कितनी बुरी बात है, उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा अगर सुन रहे होंगे तो, कुछ तो बढ़े होंगे पांच-छः हो गए होंगे और पांच-छः हो गए तो दफा 144 लग गई होगी फिर भी आपकी शिकायत दिखवा ली जाएगी, कहीं अगर उनकी शान के खिलाफ कोई बात हुई है तो, यह आज उन्हीं के लिए नहीं है सभी विधायकों के लिए है। सबको मूवमेंट की आजादी है, अब जिनकी आप बात कर रहे हैं उनके बारे में तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूं लेकिन आप अपने विधायकों के सम्मान में यह न कहिए कि वह तीन चले थे और पहुंचने तक तीन ही रहे। कुछ तो बढ़े होंगे।

श्री हुकुम सिंह-

केवल एक बात मैं कह दूं माननीय मंत्री जी को कुछ दिनों में एक विशेष ज्ञान प्राप्त हो गया है कि कैसे बात को टाला जाए आराम से, और एक शब्द इनका है कि दिखवा लेंगे, देंखेंगे नहीं, किसी और से दिखवा लेंगे, अब इसको आप थोड़ा संशोधित कर दें, अगर आप कहेंगे कि देख लेंगे तो बात मेरे समझ में भी आएगी, दिखवा किससे लेंगे, दूसरी बात जो विधायकों के बारे में इन्होंने कही, तो गिरफ्तारी सुल्तानपुर में हुई जब यह गाड़ी से जा रहे थे। पांच और सात का सवाल नहीं है। यह तो मान्यवर, लाखों-लाख वोट प्राप्त करके यहां आए हैं, ऐसे नहीं आए हैं लेकिन यह उस समय, जिस समय इनको रोका गया, तीन हमारे नेता थे ड्राइवर साथ में था, एक गनर होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं बाहर सड़क पर भी नहीं थे गाड़ी में थे, अगर बस में पचास आदमी होते हैं तो क्या आप दफा 144 लगा देंगे। सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से ज्यादा व्यक्तियों के रोकने के लिए दफा 144 है। गाड़ी तो सार्वजनिक स्थान है नहीं, गाड़ी तो इनकी अपनी है। पब्लिक प्लेस तो वह है नहीं, वह अपनी गाड़ी है। तो गाड़ी में तो दफा 144 लगेगी नहीं। आपने जैसा कहा कि दिखवा लेंगे मैं मानता हूं लेकिन आप दिखवाने के बजाय खुद देख लीजिएगा। क्यों रोका है, कानून तोड़कर इनको जबर्दस्ती रोका है, इनके अधिकारों का हनन किया है। इनकी आजादी का हनन किया है उनको ताकीद भी होनी चाहिए मान्यवर ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

(श्री सुरेश राणा के खड़े होने पर)

राणा जी नियमावली में भी व्यवस्था है आप उन नियमों के अन्दर आप मुझे भी लिखेंगे । बैठ जाएं आपकी बात हो गई। आपके नेता ने पूरी बात कह दी है,आप क्यों कह रहे हैं,बजट का सवाल है अब उस पर मंत्री जी ने कह दिया, देखेंगे। नियम यह है कि आप पहले बोल लेते फिर आपके नेता उस पर बल देते तो आप तो बोले नहीं, और आपके नेता ने सारे तथ्य रख दिए उस पर मंत्री जी का जवाब आ गया।

*श्री सुरेश राणा-

मान्यवर, मैं केवल यह आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे सदन के इतने विद्वान संसदीय कार्य मंत्री जी हैं इनके रहते हुए जिस प्रकार से विधायकों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, और जैसा कहा कि दिखवा लेंगे, जैसा अभी हमारे नेता हुकुम सिंह जी ने भी कहा बड़ी संजीदगी के साथ, हम

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समझते हैं बहुत गम्भीरता के साथ मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी इस घटना को लेंगे, मान्यवर जब सुल्तानपुर में रोका गया हम लगातार आग्रह करते रहे, जिलाधिकारी सुल्तानपुर से मेरी बात हुई कि ऐसा कोई आश्य नहीं है, केवल हम अम्बेडकर नगर जा करके जो रामबाबू गुप्ता के परिजन हैं उनसे बात करना चाहते हैं सांत्वना देना चाहते हैं और सांत्वना भी इसलिए देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी जाते हैं..

श्री अध्यक्ष-

इसीलिए मैं कह रहा था यह भाषण नहीं चलेगा। जिस पर नियम-56 में आ गया है अब उसमें लिखा नहीं जाएगा।

(श्री सुरेश राणा के बोलने का प्रयास करते रहने पर)

अब राणा जी, अब आप बैठिए। जिस विषय पर इतनी लम्बी चर्चा हो गई है। आप जो बोल रहे हैं, वह अब लिखा नहीं जायेगा। बैठिए। आप अपने तक सीमित रखिए क्योंकि इस पर चर्चा हो चुकी है। अम्बेडकर नगर पर काफी चर्चा हो चुकी है, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने रखा था, आप लोगों ने भी रखा था, सब ने रखा था, अब इस पर चर्चा नहीं। आपके नेता ने सारे तथ्य रख दिए कि आप लोगों के साथ क्या-क्या घटना घटी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने उसका जवाब दे दिया। मैंने आपसे कहा है कि आप मुझे लिखकर दे दीजिए, मैं भी उसे देख लूंगा, अब इसके बाद क्या बचा है ?

(श्री सुरेश राणा बोलते रहे लेकिन स्पीकर आफ होने के कारण कुछ सुनाई नहीं दिया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, हमारे यह दोनों बहुत अच्छे सदस्य हैं, अब अगर इतनी जिद्द वहां की होगी, आपने तो जाहिर है कि रोका होगा। जब इतनी जिद्द आप अध्यक्ष जी से कर रहे हैं तो इतनी जिद्द पुलिस से तो नहीं की थी, आपने ?

श्री अध्यक्ष-

राणा साहब, आपकी बात आ गई। इस मामले को माननीय हुकुम सिंह ने जितनी संजीदगी से रखा और नियमों का हवाला देकर रखा। जब आप यहां पर थे तो पहले आप बोल लिए होते, जब उन्होंने सारा तथ्य रख दिया और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसका जवाब दे दिया, अब आप बोलने के लिए खड़े हो रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, देख लेंगे, कहीं आपके सम्मान में कमी हुई होगी तो उसका ध्यान रखेंगे। हम तो इन्तजार करते थे, पुलिस रोक ले तो हमारी भी हिफाजत हो जाए, काम भी हो जाए और बाद में खबर भी आ जाए तो यह तो अच्छा होता है। काम भी हो गया, खबर भी आ गयी।

श्री सुरेश राणा-

[x x x]

श्री अध्यक्ष-

आप चाहे जितना बोल लें, यह कुछ नहीं लिखा जायेगा। क्योंकि इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। मंत्री जी खड़े हैं तो आप बैठ जाइये।

नोट :- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(श्री सुरेश राणा कुछ बोलते रहे)

श्री अध्यक्ष-

अगर आपकी नीयत है कि यह सदन चले तो इसे चलने दीजिए। अगर आप मन बनाकर आये हैं तो बता दीजिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, देखिए, कहां तक बात चली गयी। हुकुम सिंह जी तो आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, हम भी कर रहे थे। आप आतंकवाद तक चले गए।

श्री अध्यक्ष-

जब मैंने कह दिया कि आप मुझे लिखकर दे दीजिए, मैं भी देखूंगा तो फिर आप क्यों दबाव बना रहे हैं ? अब आप बैठिए। आप अपने तक सीमित रहते नहीं हैं। अब आप बैठें। इस पर मेरा निर्णय तो सुनें।

मैंने माननीय हुकुम सिंह जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने इसको गंभीरता से लेने का आश्वासन सदन में दिया है। इसलिए इस स्तर पर इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इसमें मेरा एक निवेदन है कि आपने कहा कि हमें लिख कर दे दें।

श्री अध्यक्ष-

हां, मैंने कहा है कि वह हमें लिखकर दे दें, हम उसे दिखवायेंगे।

अगली सूचना साध्वी निरंजन ज्योति जी की है। साध्वी निरंजन ज्योति जी, आपकी सूचना हमीरपुर जनपद में किए जा रहे अवैध खनन की स्थिति के सम्बन्ध में है। मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं क्योंकि अवैध खनन हो रहा है, इसी पर आप बतायेंगी।

*सुश्री साध्वी निरंजन ज्योती-

अध्यक्ष जी, मैंने यह सूचना लगायी है, हमीरपुर जनपद दो नदियों के मध्य में बसा हुआ है। मैंने सूचना में लगाया है कि वहां 10 किलोमीटर के इर्द-गिर्द जो खनन हो रहा है, उसको रोका जाए, चाहे वह वैध हो या अवैध हो।

श्री अध्यक्ष-

वैध कैसे रोका जायेगा ?

सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति-

अध्यक्ष जी, हमीरपुर की स्थिति यह हो गयी है अगर जरा सा भी भूकम्प आ गया तो धराशायी हो जायेगा। हमीरपुर दो नदियों के मध्य में बसा हुआ है, इसलिए उस पर रोक लगायी जाए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरा आपसे आग्रह है, अध्यक्ष जी, हमीरपुर के और बिगड़ने की स्थिति है, पुल के किनारे तक उठाया जा रहा है। अध्यक्ष जी, मेरा आपसे आग्रह है कि इसकी जांच करवा करके इस पर तत्काल रोक लगायी जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। मैंने इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया।

अगली सूचना श्री धर्मपाल सिंह की है, नई गन्ना पर्ची नीति से उत्पन्न स्थिति से सम्बन्धित है।

*श्री धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने किसानों से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, आभारी हूं। मान्यवर, किसान की गन्ना नीति की जो नई पर्ची सरकार के द्वारा बनी है। मान्यवर, इससे किसानों को बहुत समस्या आ रही है। पहले चीनी मिलों द्वारा किसानों को पर्ची दी जाती थी तो उन्हें चार-पांच दिन पहले पता चल जाता था और एस0एम0एस0 और इंटरनेट से उनके पास सूचना भी आ जाती थी। सात रुपये पर्ची का अब यह समिति वाले खर्चा भी लेते हैं। मान्यवर, किसानों को पर्चियां न मिलकर गन्ना माफिया जो समिति से जुड़े हुए हैं वह किसानों की पर्चियां ले रहे हैं किसानों का गन्ना पड़ नहीं रहा है तो हम आपके माध्यम से यह चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाये और संसदीय कार्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि यह किसानों, गरीबों, मजदूरों से जुड़ा हुआ विषय है पर्ची की नीति जैसे पहले थी वैसे लागू करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इस शिकायत को दिखवायेंगे अगर इसका मिसयूज हो रहा है तो उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे वर्ना अगर रददोबदल की जरूरत होगी तो इस पर भी विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस सूचना पर माननीय श्री धर्मपाल सिंह व मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना। यह नियम-56 में नहीं आता है। अतः इसको अग्राह्य किया जाता है। श्री रामवीर उपाध्याय जी नहीं हैं तो उनकी सूचना लेने का औचित्य है नहीं। अगली सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना जी की है इस पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कर ले रहा हूं। अब शेष जो नियम-56 की सूचनायें हैं मैं इन सबको अग्राह्य करता हूं। अब बजट लेता हूं।

[12.15] उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं के प्रवेश-पत्र परीक्षार्थियों को तत्काल दिलवाने की मांग

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, अभी-अभी जानकारी मिली है कि कल से बोर्ड की परीक्षायें शुरू हैं सभी छात्रों को प्रवेश-पत्र भी नहीं मिल पाये हैं। सब जगह लम्बी-लम्बी लाइन लगी हैं। कई लोगों का मेरे पास फोन आया कि आज शाम तक भी मेरा नम्बर नहीं आएगा इतनी लम्बी-लम्बी लाइन लगी है। संसदीय कार्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि विशेष रूप से ध्यान करके इसको दिखवा लें। जहां काउंटर कम हैं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वहां और काउंटर खुलवा दें। कहीं ज्यादा भीड़ लगी हो तो वहां एक की बजाय दो या तीन काउंटर खोल दिये जायें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि ऐसा किया जाये। अभी जाकर मैं बात भी कर लूंगा।

कार्य-सूची की मद संख्या-8, 9, 10 एवं 11 को बजट से पूर्व लिये जाने की सहमति

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, नेता विरोधी दल अगर आप सहमत हों तो मद संख्या-8 में जो विधेयक है उसको पहले ले लें।

(माननीय संसदीय कार्यमंत्री व श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के सहमति व्यक्त करने पर)

[12.16] उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2013

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर अधिनियम, 1983 का अग्रतर संशोधन करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-29 सन् 1983 की धारा-14 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर अधिनियम, 1983 की धारा-14 में खण्ड (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

(ञ) मन्दिर के चढ़ावे में प्राप्त बेलपत्र आदि से बने भस्म श्रद्धालुओं में निःशुल्क वितरित करें;

(ट) वैदिक संस्कृति से सम्बन्धित शोध करे, शोध से सम्बन्धित सुअवसर प्रदान करे, निःशुल्क शोध केन्द्र स्थापित करे, निःशुल्क शिक्षण कक्षायें आयोजित करे, वैदिक संस्कृति को तकनीकी शिक्षा से समन्वित करने के लिये निःशुल्क तकनीकी शिक्षा स्थापित करे और रोजगार के लिये सुअवसर सुलभ कराये, समान उद्देशीय संगठनों की सहायता से समाज के लिये कल्याणकारी योजनायें आरम्भ करे, एवं वैदिक संस्कृति की शिक्षा हेतु विद्यालय खोले;

(ठ) निर्धन, निर्बल तथा असहाय श्रद्धालुओं के लिये निःशुल्क चिकित्सा केन्द्र खोले और उसकी व्यवस्था करे;

(ड) श्रद्धालुओं के लिये निःशुल्क अन्नक्षेत्र की सुविधा सुलभ कराये;

(ढ) श्रद्धालुओं के लिये धर्मशालाएं खोले एवं निःशुल्क उपलब्ध कराये और निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था करे तथा वैदिक संस्कृति और तकनीकी शिक्षा से सम्बन्धित शोध केन्द्रों की भी स्थापना करे;

(ण) श्रद्धालुओं में निःशुल्क प्रसाद वितरण की व्यवस्था करे, चढ़ावे में प्राप्त वस्त्रादि एवं अन्य सामग्री को निर्धन और असहाय लोगों में वितरित करे;

(त) न्यास और समय-समय पर आयोजित संगोष्ठियों एवं बैठकों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये जनजागरण हेतु पत्रिकाओं का प्रकाशन एवं निःशुल्क वितरण करें;

(थ) ऐसे सभी अन्य कार्य करे जो मन्दिर और उसके विन्यास के कार्यकलापों के कुशल प्रबन्धन और तीर्थयात्रियों और पुजारियों की सुविधा के लिये आनुषंगिक और सहायक हों।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[12.19] छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2012 के पुनः पारण का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2012, जो इस सदन द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2012 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ पारेषित किया गया था और जो दिनांक 29 नवम्बर, 2012 को सदन की मेज पर रखा गया था, विधान परिषद् द्वारा बिना उसके पारित हुए तीन माह से अधिक का समय व्यतीत हो गया है, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, को पुनः पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2012, जो इस सदन द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2012 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ पारेषित किया गया था और जो दिनांक 29 नवम्बर, 2012 को सदन की मेज पर रखा गया था, विधान परिषद् द्वारा बिना उसके पारित हुए तीन माह से अधिक का समय व्यतीत हो गया है, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, को पुनः पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[12.20] उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) विधेयक, 2012 के पुनः पारण का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) विधेयक, 2012, जो इस सदन द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ पारेषित किया गया था और जो दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 को सदन की मेज पर रखा गया था, विधान परिषद् द्वारा बिना उसके पारित हुए तीन माह से अधिक का समय व्यतीत हो गया है, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, को पुनः पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) विधेयक, 2012, जो इस सदन द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ पारेषित किया गया था और जो दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 को सदन की मेज पर रखा गया था, विधान परिषद् द्वारा बिना उसके पारित हुए तीन माह से अधिक का समय व्यतीत हो गया है, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, को पुनः पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

दोनों सदनों द्वारा पारित श्री राज्यपाल के हस्ताक्षरार्थ विगत कई वर्षों से लम्बित पड़े विधेयकों पर त्वरित कार्यवाही का अनुरोध

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह दो विधेयक ऐसे थे, जो विधान परिषद् से पारित नहीं हुए थे, उन्हें आपने पुनः पारित करा दिया, लेकिन कुछ ऐसे विधेयक भी हैं जो दोनों सदनों से पारित हुए हैं और महामहिम के यहां पेण्डिंग हैं और वह शिक्षा से सम्बन्धित हैं, वे राजनैतिक नहीं हैं, साम्प्रदायिक नहीं हैं, कोई पैसे का इन्वाल्वमेण्ट नहीं है। तो क्या कोई ऐसी भी व्यवस्था होगी कि छःछः, सात-सात बरस से महामहिम के यहां अगर कुछ ऐसे बिल पेण्डिंग हों, तो क्या यह लोकतंत्र की सेवा है या तो उन पर महामहिम के दस्तखत हों या महामहिम इन्कार करें या महामहिम वापस करें। तो इस सदन की क्या जरूरत रह जाती है।

श्री अध्यक्ष-

इस पर हम सभी दलीय नेताओं को और आपको बुलाकर बैठ लेते हैं, सब बैठकर विचार करेंगे, उसके बाद फिर इस सदन में क्या किया जा सकता है, उस पर विचार कर लिया जायेगा ।

[12.24] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग

श्री अध्यक्ष-

वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

*बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 43,10,94,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 43,10,94,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्रीमन्, ये लोग कह रहे हैं कि बेसिक का भी रख दीजिये तो दोनों तो अलग-अलग हैं।

श्री अध्यक्ष-

अगर नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और सभी लोग सहमत हों।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, एक-एक हो जाने दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा है, मा0 मंत्री जी, आप जैसा चाहें वैसा करें, ये आपका अधिकार है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, ये जो आई0सी0डी0एस0 की योजना है, यह भारत सरकार की अतिमहत्वपूर्ण योजनाओं में से है जिसको उत्तर प्रदेश पूरे मनोयोग से चला रही है। मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का आभारी हूं कि मुझे महिला एवं बाल कल्याण विभाग का वर्ष 2013-2014 का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। वर्ष 2013-2014 हेतु अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग के 43 अरब, 10 करोड़, 94 लाख, 46 हजार रुपये का आय-व्ययक प्रस्तावित है जिसमें महिला कल्याण हेतु रुपये 661 करोड़, 95 लाख, 44 हजार एवं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग हेतु रुपये 3649 करोड़, 99 लाख, 2 हजार प्रस्तावित है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि यह भारत सरकार की फ्लैग शिप योजना है और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार भी इसको बड़े मनोयोग से चलाने का काम कर रही है। इस योजना में 06 महीने से 03 वर्ष के बच्चे और 06 महीने से 06 वर्ष तक के बच्चे, धात्री महिलायें और गर्भवती महिलाओं को पोषक आहार देकर के उनको स्वस्थ रखने का काम और स्वास्थ्य को अच्छा रखने का काम इस विभाग द्वारा किया जाता है। ये वर्ष 1975 में पहले केवल 3 ब्लाक से शुरु हुआ था और आज प्रदेश के लगभग हर गांव में आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से इस योजना को चलाया जा रहा है। समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत 06 माह से 06 वर्ष तक की आयु के बच्चों के स्वास्थ्य विकास, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के समुचित पोषण एवं प्रशिक्षण के लिये विभाग द्वारा विभिन्न सेवायें प्रदान की जा रही हैं। यह कार्यक्रम मुख्यतः स्वास्थ्य एवं पोषण से सम्बन्धित विभिन्न घटकों अनुपूरक पोषाहार, स्वास्थ्य प्रतिरक्षण (टीकाकरण), स्वास्थ्य जांच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, स्कूल पूर्व शिक्षा तथा निर्देशन एवं सन्दर्भ सेवाओं पर केन्द्रित है। समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत प्री-स्कल किट्स, मेडिसिन किड्स, वेतन, मानदेय, मशीन साज-सज्जा आदि पर व्यय हेतु गत वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिये रुपये 1737 करोड़, 79 लाख की व्यवस्था थी। वित्तीय 2013-14 के लिये रु0 1445 करोड़, 28 लाख का प्रस्ताव है। अनुपूरक पोषाहार के अन्तर्गत गर्भवती, धात्री महिलाओं एवं 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों को माइक्रो न्यूट्रिएण्ट फूड तथा केन्द्र पर 03 से 06 वर्ष के बच्चों को गरम पकाया भोजन, पोषाहार तथा मार्निंग स्नैक्स दिया जाता है। इसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में 236.43 लाख बच्चों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। अनुपूरक पोषाहार में वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिये रु0 2682 करोड़ 50 लाख मात्र की व्यवस्था थी तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये 2712 करोड़, 90 लाख मात्र का प्रस्ताव है।

आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत आई0सी0डी0एस0 के कर्मियों को कार्य प्रशिक्षण, पुनश्चर्या प्रशिक्षण विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं एवं विभागीय प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से प्रदान किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिये 10 करोड़ की व्यवस्था थी तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये भी 10 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। किशोरी शक्ति योजना भी एक बहुत महत्वपर्ण योजना है। इसमें महिला एवं बाल विकास हेतु योजना प्रदेश के 602 परियोजनाओं में

संचालित की जा रही है। किशोरी शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य किशोरियों को प्रजनन, स्वास्थ्य समस्याओं एवं अधिकारों के प्रति जागरूक करना, पोषण सम्बन्धी रक्तअल्पता को कम करना, उनके शरीर और स्वयं के बारे में जागरूकता करना, बालिकाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, उनमें आत्मसम्मान जागृत करना है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए रू0 6.62 करोड़ यानि 6 करोड़ 62 लाख की व्यवस्था थी। वर्ष 2013-14 में इसकी 6 करोड़, 62 लाख, 20 हजार की व्यवस्था की गई है। राजीव गांधी किशोरी बाल स्वस्थकरण योजना, सबला योजना भारत सरकार के द्वारा एम0जी0ए0जी0 योजना तथा किशोरी शक्ति योजना को एक ही योजना के अन्तर्गत सम्मिलित करते हुए एक नई योजना, राजीव गांधी किशोरी बालिका स्वस्थीकरण योजना, सबला संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत 11 से 14 वर्ष आयु की स्कूल न जाने वाली, तथा 14 से 18 वर्ष आयु की कुल 19.34 लाख किशोरी बच्चियों को अनुपूरक पुष्टाहार, प्रशिक्षण तथा अन्य सेवाओं से लाभान्वित किया जाता है। श्रीमन्, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना यह पाइलेट प्रोजेक्ट केवल दो जनपदों में सुल्तानपुर और महोना में चलायी जा रही है। श्रीमन्, मैं सदन को यह सूचना दे रहा हूं कि हमारा लक्ष्य 10,000 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण करने की योजना है। अगर केन्द्र सरकार ने अपनी पूरी सहभागिता की राशि हमें उपलब्ध करा दिया जायेगा, तो 10 हजार भवनों का निर्माण हम लोग इस साल करायेंगे। साढ़े चार लाख रुपये एक भवन के निर्माण पर है, राज्य सरकार का जो अंश है, उसके माध्यम से भी तत्काल में हम 3580 आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अगर केन्द्र सरकार अपनी सहभागिता के अनुसार पैसा दे देगी, तो उत्तर प्रदेश में इस साल कम-से-कम 10 हजार आंगनबाड़ी बनाने का लक्ष्य रखा गया है श्रीमन्। आंगनबाड़ी केन्द्रों के बनने से यह केवल एक अनुपूरक पुष्टाहार देने का ही नहीं रह जायेगा, अनुपूरक पुष्टाहार भी मिलेगा, धात्री गर्भवती महिलाओं को अनुपूरक पुष्टाहार मिलेगा, उनकी स्वास्थ्य की जांच होगी और अगर आवश्यकता होगी तो टीकाकरण किया जायेगा। उनको प्रजनन के लिए उपाय बताए जायेंगे, स्वास्थ्य के बारे में उपाय बताए जायेंगे। इसलिए आंगनबाड़ी कार्यक्रम के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र भवन बनाना नितांत ही आवश्यक है। कई बार इधर से भी आया श्रीमन् अभी हमारे रायबरेली के जो मा0 सदस्य हैं, उन्होंने धीरे से कहा कि इसमें बड़ी लूट-खसोट होता है ,जो आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से जो पुष्टाहार दिया जाता है, उसमें।

(एक आवाज आई, पहले होता था)

होता था, मा0 सदस्य, यह होता था। मैं जब से इस बार सरकार में आया हूं। हमको जब से यह विभाग मिला है। मैं पूरा प्रयत्नशील रहा हूं, पूरा इस पर काम कर रहा हूं कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त न किया जाए, क्योंकि श्रीमन्, ये सबसे नीचे तबके, ऐसा वर्ग जो गरीब हो, असहाय हो, वंचित हो, जिनकी महिलाओं को पुष्टाहार के रूप में ऐसा भोजन न मिलता रहा हो, गरीबी के कारण से, विवशता के कारण से, उन गर्भवती महिलाओं को हम पौष्टिक आहार देकर के उनको स्वस्थ बच्चा पैदा करने के लिए योजना बनाते हैं और यह माताएं जो बिल्कुल अस्वस्थ हैं, गरीब हैं, बेबस घर से हैं, जिनको अच्छा क्वालिटी का भोजन नहीं मिलता, उनको बच्चा पैदा होता है, तो उनके भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उनको भी अनुपूरक पुष्टाहार और ऐसे बच्चे, ऐसे परिवार के बच्चे, जिनको खाना बढ़िया नहीं मिलता, दूध नहीं मिलता, अण्डा नहीं मिलता, घी नहीं मिलता, ऐसे बच्चों

को भी हम केन्द्रों पर 44 बच्चों को बुला करके उनका अनुपूरक पुष्टाहार देकर, उनके स्वास्थ्य को अच्छा करने का काम करते हैं। वहां उनको हम भोजन कराते हैं, उनका हम टीकाकरण करते हैं, उनके स्वास्थय के प्रतिरक्षण के लिए हम तैयारी करते हैं। उनको हर तरह से स्वस्थ और विकसित होने के लिए, हम आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से कार्यक्रम चलाते हैं। हम पका-पकाया भोजन भी देते हैं, 3 वर्ष से 6 वर्ष के लड़कों को, मारर्निंग स्नैक्स भी देते हैं, अगर केवल पुष्टाहार होता तो यह कहा जाता कि नहीं कुछ-न-कुछ बिक जाता है, लेकिन जो गरम पका-पकाया भोजन मिलता है, जो मारर्निंग स्नैक्स मिलता है, वह तो नहीं बिकता। सारी योजनाओं को बढ़िया ढंग से चलाने के लिए हम बिल्कुल संकल्पित हैं और श्रीमन् इस योजना को मैं बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए प्रयत्नशील हूं।

मान्यवर, मैने विधान परिषद के सदस्यों को, लोक सभा के सदस्यों को और राज्य सभा के सदस्यों को, जिला पंचायतों के अध्यक्षों, सदस्यों और ब्लाक प्रमुखों और यहां तक कि प्रधानों को एक पत्र लिखा था। उसमें यह कहा था कि यह योजना गरीबों और असहायों के लिए है, आंगनबाड़ी केन्द्रों से पुष्टाहार वितरण होता है। यह बच्चों गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं को मिलता है। इसकी बिक्री न होने पाये, भ्रष्टाचार न होने पाये मान्यवर मुझे खुशी है कि किसी भी माननीय सदस्य ने चाहे पत्र के माध्यम से या मौखिक रूप से हमसे यह भी नहीं कहा है कि पुष्टाहार बेंचा जा रहा है। अगर कोई शिकायत होती तो माननीय सदस्यों का जबाब मेरे पास आता। मान्यवर मैं आपके माध्यम से सदन के पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने कदाचित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जाकर, इन कार्यक्रमों के बारे में जानकारी की है और जांच की है और सभी कार्यों को सही पाया है। अगर आपने गलत पाया है तो मेरी आप से हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमको सूचना देंगें चाहे वह आंगनबाड़ी केन्द्रों के बारे में हो मुख्य सेविकाओं के बारे में और कार्यकत्रियों के बारे में हों। हम उसे देखेंगें। मान्यवर मैंने और मेरे दोनो सहयोगी राज्यमंत्रियों श्री वसीम अहमद जी और श्री कैलाश चौरसिया जी ने मिलकर व्रत लिया है कि यह गरीबों की योजना है और इसको हम लोग भ्रष्टाचार के चंगुल से मुक्त कर देंगें। मान्यवर मैं इसमें सभी माननीय सदस्यों का सहयोग चाहता हँ। मैं इसलिए सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे कृपया अपने-अपने विचार इस बजट पर रखें। अपने सुझाव भी दें। अगर किन्हीं गड़बड़ियों की ओर वे इंगित करते हैं तो हम उसका संज्ञान लेकर कठोर कार्यवाही करने का वचन देते हैं।

(सदन में मेंजों की थपथपाहट)।

*श्री राजबली जैसल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग-के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्येश्य विभागीय नीति का आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने बजट पेश करते हुए निश्चित रूप से उन्होंने इस बात को दुहराया है कि यह भारत सरकार की अच्छी योजना है और इस योजना के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के सरकार की तरफ से इसे अच्छी तरीके से संचालित कर रहे हैं। मान्यवर मैं माननीय

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो यह केन्द्र सरकार की योजना है बहुत अच्छी योजना है इसको समुचित रूप से लागू कराकर तमाम ऐसे जो जरुरतमन्द लोग हैं, छोटे बच्चे हैं जिन्हें हष्ट-पुष्ट करने के लिए पोषाहार दिया जाता है इसी तरह से गर्भवती और धात्री महिलाओं को भी उनके पोषण और विकास के लिए पुष्टाहार उपलब्ध कराया जाता है। मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने इस बात को दुहराया है कि इसमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तमाम उपाय भी किये गये है। और माननीय सदस्यों को पत्र भेजकर, उन्हें योजनाओं से अवगत कराते हुए सुझाव भी मांगे गये हैं। मान्यवर, मंत्री जी शायद इस बात को भूल गये हैं कि पिछले वर्ष जब आपने बजट प्रस्तुत किया था तब आपने कहा था कि इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, जो पैकेट बनते हैं वह 25 किलोग्राम के बजाय एक-एक किलो के पैकेट बनाये जायेंगें और उन पैकेटों पर निर्माण करने वाली कम्पनी का नाम और निर्माण की तिथि भी उसमें अंकित होगी और इतना ही नहीं बल्कि उस पर इक्सपायरी डेट भी निश्चित रहेगा और इतना ही नहीं बल्कि उसमें सचेत के रूप में लिखा रहेगा कि यह बिक्री पर पूर्ण रूप से पाबन्दी रहेगी ऐसा आपने सम्भवतः कहा था। लेकिन माननीय मंत्री जी, हमें जो जानकारी है पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी आपने इस योजना को लागू नहीं किया और कहीं भी एक किलो का पैकेट बनने का काम शुरू नहीं हुआ है, जैसा कि हमें जानकारी है। मान्यवर, आपकी योजना भारत सरकार की बहुत अच्छी योजना है लेकिन इसमें तमाम ऐसी प्रमुख योजनाएं हैं जिसके अन्तर्गत सरकार द्वारा पर्ण रूप से उसको लागू नहीं किया जा रहा है या पालन नहीं हो पा रहा है जैसा कि आपने कहा है इस प्रमुख योजना में है कि जैसे पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं को तथा उनके बच्चों को शिक्षा व्यवस्था हेतु अनुदान देना, दहेज प्रथा से उत्पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना, दम्पति पुरस्कार प्रदान करना, पति की मृत्यु के बाद तमाम ऐसी निराश्रित महिलाएं जो पेंशन या किसी तरह का अनुदान पाती हैं उनके बच्चों की शादी में अनुदान प्राप्त कराना और इन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन आपके द्वारा कराने का प्राविधान है। लेकिन, हमें जो लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है सिवाय जो आपकी पंजीरी वाला कार्यक्रम चल रहा है आंगनबाड़ी केन्द्रों पर, उसके अलावा कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार रोकना बहुत आसान नहीं इस विभाग में इसलिए भी कि उसमें एक आंगनबाड़ी केन्द्र को संचालित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में एक आंगनबाड़ी कार्यकत्री होती हैं, सहायिका होती हैं लेकिन इसको सुपरवीजन करने के लिए आपने जिला कार्यक्रम अधिकारी को बैठाया है जिसको डीपीओ कहते हैं आपने सीडीपीओ को बैठाया है बाल विकास अधिकारी, उसके अलावा आपने तमाम सुपरवाइजरों को क्षेत्र के अनुसार रखने का काम किया है। चूंकि इनको एक अच्छा वेतन मिला करता है लेकिन जो वास्तव में जिनको हम जिम्मेदारी दिये हैं तमाम कुपोषण को रोकने के लिए, गर्भवती धात्री महिलाओं को पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए उसको मानदेय क्या मिलता है ?

हम आप सभी जानते हैं इतने कम मानदेय पर वह काम कर रही हैं लेकिन जो भ्रष्टाचार फैलता है यह ऊपर के अधिकारियों से जब उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव बनता है, जब तमाम सुपरवाइजर मांग करती हैं तब वह गड़बड़ी करती हैं । अगर ऊपर से गड़बड़ी की सोच न पैदा की जाय तो ग्रामीण अंचलों में जो कम मानदेय पर भी काम करना चाहती हैं वह गड़बड़ी न पैदा करें। गड़बड़ी ऊपर से ही शुरूआत होती है। इसलिए हमें आपको खास तौर से, आप सरकार चला रहे हैं

तो उनके बारे में निश्चित हमारी एक सोच होनी चाहिए कि यह कम मानदेय पाने वाली जो आंगनबाड़ी कार्यकत्री हैं इनको कैसे इस भ्रष्टाचार से बचाया जाय इसकी हमें आपको चिन्ता करने की जरूरत है।

हम समझते हैं कि चूंकि यह भारत सरकार की योजना है, तमाम उसकी गाइडलाइंस हैं, आपके द्वारा उन योजनाओं को लागू किया जाता है तो हम समझते हैं कि भारत सरकार से आपको इस बात का भी अनुरोध करना चाहिये कि जो उनका कम मानदेय है, उस मानदेय को भी बढ़ाया जाये, इसके लिये आपकी तरफ से किसी न किसी रूप में प्रस्ताव जाना चाहिये और जो राज्य सरकार द्वारा 100 रुपये उन सहायिकाओं को और 200 रुपये आंगनबाड़ी कार्यकत्री को उपलब्ध कराया जाता है, इसमें भी आपको बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता है। चूंकि इसमें बढ़ोत्तरी आप करेंगे, अगर हम उसमें बढ़ोत्तरी करके कुछ धनराशि बढ़ा दें तो उनकी भी काम करने की इच्छा जाहिर होगी और भ्रष्टाचार को रोकने में भी मदद मिलेगी । मान्यवर, इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि तमाम जो इस समाज में बालकों के सापेक्ष बालिकाओं के घटते लिंग अनुपात है, जो उनकी भ्रूण हत्या हो रही है, उसके लिये हमारे वरिष्ठ साथी आज नहीं हैं, इन्होंने कई बार इस बात को उठाया कि उत्तर प्रदेश में हम भ्रूण हत्या को रोक नहीं पा रहे हैं, जिससे बच्चियों की संख्या दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है, उसको रोकने के लिये आपको एक अच्छी योजना बनानी चाहिये थी, इसमें एक योजना इससे पहले बनाई भी गई थी और उसे लागू भी किया गया था, महामाया गरीब बालिका आर्शीवाद योजना, जो एक महत्वाकांक्षी योजना थी, जिससे निश्चित रूप से बालिकाओं के घटते अनुपात थे और भ्रूण हत्या थी, को रोकने में कारगर साबित होती अगर इस योजना को समाप्त न किया गया होता ।

इस महत्वाकांक्षी योजना को बहुत सोच विचार कर आदरणीया बहन जी ने 16-01-2009 को शासनादेश जारी करके लागू किया था, जिसमें समाज के तमाम ऐसे निर्धन परिवार की मातायें जो बच्ची को जन्म देती हैं और बच्ची के जन्म देने के पहले जो तमाम बच्चियों की भ्रूण हत्यायें हो जाती हैं, उसको रोकने का यह एक ठोस उपाय था, वह जानती थी कि जब हमें बच्ची पैदा होगी तो उसको 18 वर्ष की उम्र पूरा करने पर एक लाख रुपया मिलेगा। मान्यवर, इस योजना से लगभग 25 लाख लोगों को लाभ पहुंचा था । मैं नहीं कहता कि आप इस योजना को महामाया गरीब बालिका आर्शीवाद योजना के नाम से ही संचालित करते लेकिन यदि आप वास्तव में संवेदनशील थे आपके अंदर संवेदनशीलता थी और यदि आप वास्तव में भ्रूण हत्या जैसे अपराध को रोकना चाहते हैं और नारी को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहते थे, इनको आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे तो किसी के नाम से भी योजना लागू करते, उसमें किसी को आपूर्तित नहीं थी । लेकिन लगता है कि इस योजना को लागू रखना चाहिये था इससे इन तमाम कुरीतियों पर पाबन्दी अवश्य लगती । मान्यवर, अभी आपने कहा कि तमाम ऐसी योजनायें जो संचालित हो रही हैं जिसमें आपने कहा कि जो मेडिसिन किड्स होता है उसको हम उपलब्ध कराते हैं लेकिन जो हमें जानकारी है कि इस 2012-13 में इस पर कहीं भी बजट खर्च नहीं किया गया और कहीं भी मेडिसिन किड्स को उपलब्ध नहीं कराया गया ।

(इस समय 12 बजकर 49 मिनट पर अधिष्ठाता प्रो0 शिवाकान्त ओझा पीठासीन हुए।)

आपको जो फ्री स्कल किट्स था, इसका भी लाभ किसी भी आगंनबाड़ी केन्द्र पर उपलब्ध नहीं कराया, इसमें भी आपके द्वारा जो बजट प्रस्तावित था, जिसमें तमाम आशा भरी निगाहों से लाभ का इंतजार लोग कर रहे थे, उस बजट के खर्च न होने से लोगों को निराशा हाथ लगी । आपके द्वारा नहीं बल्कि

भारत सरकार के द्वारा पूरे देश में एकरूपता लाने के लिये इस बात को कहा गया था जो एक रजिस्टर होगा आंगनबाड़ी केन्द्र पर वह पूरे भारत में एक स्वरूप में रहेगा । लेकिन आज उत्तर प्रदेश में उस रजिस्टर की छपाई नहीं हो सकी है। मान्यवर, चूंकि आपकी सरकार और आप इस बात को बार बार दोहराते हैं कि हम बेरोजगारी भत्ता देने का काम कर रहे हैं। अगर वास्तव में आपको बेरोजगारी दूर करनी है तो आपके यहां जो 1600 से ऊपर मुख्य सेविकाओं के पद रिक्त हैं अगर आप मुख्य सेविकाओं की भर्ती प्रक्रिया को चालू करके उनको भरने का काम करेंगे तो लगेगा कि आप वास्तव में बेरोजगारी दर करना चाहते हैं। आपके यहां विभाग में तमाम लिपिक हैं जिनको बाबू कहते हैं आप 600 लिपिकों की भी भर्ती कर सकते हैं। अगर आप भर्ती करते हैं तो वास्तव में जो आपकी सोच है उसके अनुसार कार्य करते लेकिन आप केवल बेरोजगारी भत्ते पर जोर दे रहे हैं। इसके बजाय आपको रोजगार देने पर जोर देना चाहिए। जो भारत सरकार की योजना है आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित करने के लिए जहां पर 400 से 800 के बीच जनसंख्या होती है वहां पर एक आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित होता है जहां पर 150 से लेकर 400 की जनसंख्या होती है वहां पर एक मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्थापित होता है। आज उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी जगहे हैं जहां 400 से 600 की जनसंख्या है शायद उनकी डिमाण्ड भी आई होगी आंगनबाड़ी कार्यकत्री, आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के लिए आपको अच्छा मौका मिला है बार-बार दोहरा रहे हैं । हम इस पक्ष में हैं कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। आप हजारों की संख्या में माताओं बहनों को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं अगर उन जगहों पर आंगनबाड़ी केन्द्र खोलेंगे तो तमाम लोगों को लाभ पहुंच सकता है। मान्यवर, आपने कहा और सही भी कहा कि हमारे यहां आंगनबाड़ी केन्द्र का भवन न होने के कारण तमाम लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ती हैं कहीं आपने विद्यालय में दे दिया तो वहां का प्रधानाध्यापक उनको ठीक से कमरा नहीं उपलब्ध कराता है। किसी में दरवाजे नहीं हैं तो किसी में खिड़की नहीं हैं। उनको तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उस कठिनाई को दूर करने के लिए आपको आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन की स्थापना करनी चाहिए। आप जितनी अधिक संख्या में भवन का निर्माण करा देंगे तो आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन सही तरह से हो पाएगा। और उनको तमाम दिक्कतें होती हैं प्रधानाध्यापकों के द्वारा और लोगों के द्वारा वह दिक्कतें नहीं होंगी। और यह सुचारु रूप से चल पाएगा। हम ज्यादा न कहते हुए इतना जरूर कहना चाहेंगे कि इसमें जो खामियां हैं भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना का रूप रेखा निश्चित रूप से बहुत अच्छा है लेकिन उसमें अगर उत्तर प्रदेश के द्वारा उन योजनाओं को ठीक से लागू न करके अगर उन अधिकारों से लोगों को वंचित किया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होती है। अगर वास्तव में आप इस योजना को सुचारु रूप से संचालित कर इसको अच्छी तरीके से लागू करना चाहते हैं तो आपको इस पर नजर रखनी होगी और आपका जो बजट है उस बजट का खर्च पूरा का पूरा खर्च होना चाहिए।

वैसे जो बजट है, बजट में समय के अनुसार, बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार और प्रावधान होना चाहिए था। लेकिन चूंकि अधिक बजट का प्रावधान न कर सके यह आपकी जिम्मेदारी है, इसको करना चाहिए था। हालांकि आपने पहले ही बताया कि यह योजना तीन ब्लाकों से शुरू हुई थी, यह सही बात है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जो किशोरी सशक्तीकरण योजना के बारे में आपने बताया और उसमें लगभग साढ़े 6 करोड़ रुपये का प्रावधान आपके द्वारा किया गया है। किशोरी सशक्तीकरण

योजना ठीक से लागू होनी चाहिए, इसमें कोई अनियमितता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि योजनाएं तो हैं लेकिन ठीक से लागू नहीं होने के कारण उनका लाभ जनता को नहीं मिला पाता है। माननीय मंत्री जी, जो निराश्रित महिलाएं हैं उनके लिए जो आश्रम हैं, उसके बारे में आपके द्वारा कोई चर्चा नहीं की गई इसलिए उस पर भी आपको विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे आश्रयगृह हैं जहां पर उनको ठीक से भोजन नहीं मिल पाता है तथा इसके अलावा अन्य जो सुविधाएं हैं वह नहीं मिल पाती है।

श्री अधिष्ठाता-

अभी कई बजट हैं, इसलिए थोड़ा संक्षेप कीजिए।

श्री राजबली जैसल-

मान्यवर, चूंकि आप रोक रहे हैं इसलिए मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने जिस बात को दोहराया था उसका क्रियान्वयन नहीं हो सका इसलिए हम चाहेंगे कि यदि आप वास्तव में भ्रष्टाचार को रोकना चाह रहे हैं तो उसे क्रियान्वित करने का काम करेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, खुशी की बात यह है कि माननीय सदस्य का विगत 10 महीने में कितना ज्ञान बढ़ गया।

श्री राजबली जैसल-

इधर ज्ञान बढ़ता है उधर आप लोगों का घट रहा है।

सुश्री अनुप्रिया पटेल-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बजट पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं सदन के सभी गणमान्य सदस्यों का भी अभिवादन करती हूं। कार्यक्रम बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य जी ने आंगनबाड़ी की तमाम समस्याओं को विस्तार से सदन में रखा है। अतः मैं पुनरावृत्ति नहीं करूंगी लेकिन आज आंगनबाड़ी व्यवस्था पर माननीय मंत्री जी के विचार मैंने सुने और आंगनबाड़ी में व्याप्त भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए आपकी जो प्रतिबद्धता निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। आपने सदन में बताया कि आपने सभी माननीय विधायकों को व्यक्तिगत रूप से पत्र भेजे और उनसे जानकारी करना चाहा कि यदि उनके जनपद में आंगनबाड़ी कार्यक्रम में किसी तरह की कोई समस्या है या कोई भ्रष्टाचार नजर आ रहा है तो उसके सम्बन्ध में माननीय विधायकगण तत्काल सूचित करें किन्तु इस सदन के किसी भी सदस्य द्वारा माननीय जी को पत्र के माध्यम से कोई सूचना नहीं दी गई। लेकिन इसका आशय यह बिल्कुल नहीं है कि आंगनबाड़ी व्यवस्था में भ्रष्टाचार व्याप्त नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में विनम्रतापूर्वक लाना चाहूंगी कि कुछ माह पहले मैंने माननीय राज्य मंत्री श्री कैलाश चौरसिया जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपने जिले की समस्या को उनके समक्ष रखा था एवं इस संबंध में पत्रांक भी प्रेषित किया था। मेरे जिले वाराणसी में आंगनबाड़ी के बहुत सारे कर्मचारियों ने प्रदेश स्तर पर लगभग अक्टूबर या नवम्बर माह में, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, कलेक्ट्रेट पर जाकर धरना प्रदर्शन किया था और अपनी बहुत सारी

समस्याओं को लेकर उन्होंने मुझसे भी मुलाकात की थी। कई समस्याओं का उन्होंने उल्लेख किया था जिसमें मुख्य समस्याएं थीं कि उनसे हाटकुक यानी कि गर्म खाना बच्चों को देने के लिए कहा जाता है लेकिन उन्हें ईंधन नहीं दिया जाता है, उन्हें बर्तन नहीं दिये जाते हैं। उन्हें कई तरह के अभिलेख मेनटेन करने पड़ते हैं लेकिन उसके लिए कोई रजिस्टर, स्टेशनरी या सामग्री नहीं दी जाती है। पुष्टाहार को लाने, ले जाने का भाड़ा भी नहीं दिया जाता है। यहां तक कि बहुत से आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन ही स्थापित नहीं हैं। वहां की जो आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां हैं वह विवश हैं उन केन्द्रों को पेड़ के नीचे या खुले में चलाने के लिए और उन्होंने बताया कि किराये पर भवन को लेने के लिए जो किराया दिया जाता है वह भी इतना कम है कि उतनी धनराशि में कोई भी किराये पर स्थान देने को तैयार नहीं होता है। वाराणसी जनपद की सी0डी0पी0ओ0 गुरुमीत गुप्ता के वह भ्रष्टाचार में लिप्त होने की शिकायत हैं। उनके द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का शोषण किया जा रहा है और इस शोषण के खिलाफ हजारों की तादाद में मुख्यालय पर आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने धरना-प्रदर्शन करके अपने आवाज को उठाने का काम किया था। गुरुमीत गुप्ता जी के सम्बन्ध में मैं बताना चाहूंगी, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में भी मैं लायी थी कि स्थानान्तरण नीति का पालन भी नहीं किया जा रहा है। दस वर्ष से अधिक समय से वह लगातार वाराणसी जनपद में ही हैं। वहां से वह कहीं हटती ही नहीं। वहां से एक-आध महीने के लिए शायद वह चन्दौली गयी थी फिर वापस वाराणसी आ गयी हैं। अतः मेरा पुनः निवेदन है कि वाराणसी जनपद में आप निरीक्षण जरूर करायें, आंगनबाड़ी व्यवस्था पूरी तरह से भ्रष्टाचार की शिकार है और वहां की सी.डी.पी.ओ. के खिलाफ आरोप सिद्ध होने की दशा में कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि वहां की कार्यकत्रियां पूरी तरीके से उससे शोषित हैं, पीड़ित हैं और वह पूरी व्यवस्था को एक तरीके से बर्बाद कर चुकी हैं। मेरा निवेदन है कि आप इस अनुरोध पर विचार अवश्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं। नमो बुद्धाय।

*श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, बहुत ही संक्षेप में कुछ बातों को कहकर उस पर बल देना चाहता हूं। सुझाव के तौर पर अभी बहिन अनुप्रिया पटेल जी ने भी बहुत संक्षेप में, बहुत कुछ कह दिया है लेकिन सवाल यह है कि यह जो भ्रष्टाचार है यह तो ईश्वर की तरह हम देख रहे हैं कि सर्वव्यापी है। अगर भ्रष्टाचार पर पत्थर मारना हो, उंगली उठानी हो तो शायद पहला पत्थर उसको मारना चाहिए जिसने कभी गलत काम न किया हो, पाप न किया हो, भ्रष्टाचार में लिप्त न रहा हो, ऐसा मैं मान करके चलता हूं अपने सार्वजनिक जीवन में। अभी सुपरवाइजरों की नियुक्ति की बात आयी थी। पिछली सरकार में भी यह विज्ञापित हुआ था और लोगों ने आवेदन भी किया, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई। अब यह मांग आ रही है तो अच्छी बात है। कार्य में गति लाने के लिए, उसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अगर लोगों की भर्ती आवश्यक है, तो किया जाना चाहिए। दूसरी बात, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि कुछ बातों को तो दोहराना ही पड़ेगा उस पर बल देने के लिए क्योंकि वह कामन हैं। मा0 मंत्री जी ने कहा कि जो पोषाहार है उसमें शायद भ्रष्टाचार नहीं है, हो सकता है उसमें हो लेकिन हाटकुक वगैरह में नहीं है। माननीय मंत्री मैं व्यक्तिगत

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आलोचना करने के लिए कभी आलोचना नहीं करता और न किसी पर उंगली उठाता हूं। लेकिन जो व्यवस्था है यहां उसकी आलोचना करने और उस पर सुझाव देने के लिए खड़े होते हैं। यह जो पोषाहार है कार्यकत्री हैं वह वितरित नहीं करती हैं किन कारणों से, और उसको बजाय बच्चों को और माताओं को पुष्ट करने के स्थान पर वह पशुओं को पुष्ट करते हैं तो यह एक नग्न सत्य है, व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर मैं इसको बल दे रहा हूं। अब यह माननीय मंत्री जी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मैं उनको जानता भी हूं और वह प्रयास भी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उनका प्रयास सफल हो क्योंकि यह भ्रष्टाचार एक दिन में पनपा भी नहीं है और रातों-रात खत्म होना भी नामुम्किन है। किराये की बात, तो गांव के विषय में मेरी जानकारी का अभाव है लेकिन शहर के विषय में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो किराया अनुमन्य है, जो किराया दिया जाता है इतने कम किराये में कोई अपना कमरा नहीं देगा और अगर किसी ने दिया है तो वह वैसा ही गिरा पड़ा जैसे खिड़की है तो दरवाजा नहीं बिना चबूतरे का है, वह उसी का किराया ले रहा है और वह भी उनको नियमित नहीं मिल पाता । माननीय मंत्री जी, मैं आपके संज्ञान में ला चुका हूं और अभी आपने एक में न्याय किया है कि विभाग का यह नियम है कि अगर प्रभार दिया जाता है। प्रभारी डी0पी0ओ0 नियुक्त किया जाता है तो वह जो वरिष्ठतम सी0डी0पी0ओ0 है उनको चार्ज दिया जाना चाहिए न कि किसी दूसरे विभाग के किसी अधिकारी को। मैंने आपकी दृष्टि आकर्षित किया और आपने उसको ठीक किया है। अब सवाल यह है हाट कुक का। मैं आपको यह बताना चाहता हूं माननीय मंत्री जी कि यह हाटकुक का पैसा जा रहा है आन लाइन हो गया है खाते में भेजा जाता है कार्यकत्रियों के। ठीक है, वह जितना है वह उनके खाते में जा रहा है लेकिन जिनके पास कुछ अधिकार है उन आंगनबाड़ियों का नुकसान करने का, उनको प्रताड़ित करने का अधिकार है वह यह कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे खाते में चला गया है लेकिन इतना एमाउन्ट आप मुझको ला करके दे दें और यह हो रहा है। यहां तक मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं तो कभी बोलता भी नहीं हूं लेकिन यह विषय मैं देख रहा हूं कि जो मानदेय है जो अभी अभी सेन्ट्रल गर्वनमेंट के कारण वृद्धि हुई है 3 हजार रुपये और 1500 रुपये। यह भी आन लाइन हो गया है और यह भी उनके खाते में जा रहा है। तो आपने व्यवस्था लागे की कि भ्रष्टाचार में कमी आये, भ्रष्टाचार में अंकुश लगे लेकिन माननीय मंत्री महोदय कहने में बहुत अफसोस होता है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। यह मुहावरा सही हो रहा है और जो अधिकारी हैं, अब वह कौन अधिकारी हैं मैं किसी का नाम नहीं ले सकता और न मैं जानता हूं लेकिन एक व्यवस्था है कि आपके खाते में पैसा चला गया आप इतना पैसा लाकर मुझे दे दें और अगर नहीं दिया तो अभी मैंने आपके संज्ञान में लाया था वाराणसी का प्रकरण स्लम-2 का । स्लम-1 में अगर अधिकारियों के शर्त की पूर्ति की जा रही है, उनका पैसा मिल रहा है पोषाहार के बदले भी मिल रहा है, जो मानदेय है उसके प्रकरण में भी मिल रहा है, हाट कुक में भी मिल रहा है, उनकी जो आकांक्षा है उसकी पूर्ति हो रही है तो उसको रेग्युलर मिल रहा है। वहां के जो कर्मचारी हैं उनका वेतन बन रहा है। उनके सी0डी0पी0ओ0 हैं उनका वेतन बना रहा है।

उनके जो सुपरवाइजर हैं उनका वेतन बन रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो स्लम-2 है वहां के लोगों ने अगर उनकी मांग पूर्ति करने में आनाकानी की तो पिछले 3 महीने से या 2 महीने से अधिक समय से न तो उनका मानदेय मिल रहा है, न तो हाटकुक का पैसा उनको दिया जा रहा है, न

तो वहां के कर्मचारियों का वेतन बन रहा है, न साइन हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है ? कि हमारी स्वार्थ की पूर्ति करो। तो यह तो मैं आपके ध्यान में ला चुका हूं लिखित रूप में भी दे चुका हूं। लेकिन रिकार्ड में आ रहा है अच्छी बात है । मुझे भरोसा है इस पर कार्यवाही करेंगे और क्या हो सकता है इसको रोकने के लिए भी उस दिशा में आप कदम उठायेंगे। और जो यह किराए की बात है इसका भी भुगतान नहीं हो रहा है अगर हो रहा है तो वहीं, जहां हम उनके गलत काम में साझेदार हैं । एक प्रकरण मेरे सामने आया था जिस दिन यह सदन स्थगित हो रहा था उस दिन बहुत बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का यहां पर प्रदर्शन हुआ था और अखबारों ने भी उसको काफी पब्लिसिटी दिया, काफी अच्छी संख्या थी लेकिन उतनी नहीं थी जितनी पूरे राज्य में है। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी संख्या में आई थीं। उन्होंने कोई मांग पत्र दिया है वह आपके घर जाना चाहती थीं, लेकिन प्रमुख सचिव जी ने बुलवाया और उन लोगों से मांगपत्र लिया है मेरा आपसे निवेदन है कि जो उचित मांग हों उनकी, उसको पूरा कराने की दिशा में आप संवेदनशील मंत्री हैं, व्यक्ति हैं उस दिशा में भी प्रयास करना चाहिए और आप करेंगे भी। अभी कटौती का प्रस्ताव रखते समय, अभी मैंने विज्ञापन देखा था कि जो बोरिया में सामान जाता है उसमें ज्यादा भ्रष्टाचार पनपता है, आपका वक्तव्य शायद छपा है कि वह छोटे पैकेट में कर देंगे उस पर वजन लिखा होगा, तो अगर आप व्यक्तिगत रूप से मानते हैं कि उससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी तो निश्चित रूप से इसको भी लागू करना चाहिए। एक बात और है कि भ्रष्टाचार पनपना भी है तो उसकी जड़ में आर्थिक पहलू ही होता है अब जहां सेन्टर है जहां उनका डिस्ट्रीब्यूशन सेन्टर है जहां से उनको लाना है, उसका एक पैसा किराया उनको नहीं मिलता है। अगर दस पांच बोरिया उनको वहां से मिला तो वह अपने खर्चे पर डेढ़ सौ रुपया, दो सौ रुपया प्रति बोरिया जो भी उनकी ढुलाई लगता है वह उनको देना पड़ता है तो वह कहां से पूरा करेंगे। निश्चित है कि इससे भ्रष्टाचार पनपना है। मैं बताना चाहूंगा कि सिगरा पर एक कार्यालय था।..

श्री अधिष्ठाता-

दादा बहुत बजट हैं।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

बस दो मिनट में अपनी बात कहूंगा। वैसे आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा, तो वह जो कार्यालय था जो प्रभारी सी0डी0पी0ओ0 थी, उनको डी0पी0ओ0 का चार्ज मिला था उन्होंने उसको बन्द कर दिया। उसकी कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था किए बगैर उन्होंने बन्द कर दिया, यह कहा जाता है कि जो प्रभारी अधिकारी थीं उनके हसबैन्ड किसी बैंक में अधिकारी थे और जो कार्यालय सिगरा में था वह भी किसी रिटायर्ड अधिकारी का था इसलिए दोनों की मिली भगत से सहानुभति उपज गई और उन्होंने कार्यालय बन्द कर दिया। और चाभी उन्होंने मकान मालिक को हैंडओवर कर दी। मुझे नहीं मालूम कि इसमें शासन से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता थी। जिलाधिकारी से भी अनुमति लेने की आवश्यकता थी, और उन्होंने नहीं लिया, क्यों नहीं लिया ? मैं यह चाहता हूं कि जितने दिन भी उन्होंने प्रभारी की जिम्मेदारी का निर्वहन किया उस दौरान जितनी भी अनियमिततायें हुई हैं मैंने लिखकर दिया है उसकी आप कृपा करके, उसकी एक जांच करा लें, और कहीं उन्होंने गलत आचरण किया है तो उनको दंडित करना ही लोगों को रोकने का एक साधन हो सकता है, इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि आप अपने स्वभाव के अनुसार, अपने करेक्टर के

अनुसार, इस विभाग में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको रोकने की दिशा में ठोस और प्रभावी कार्यवाही करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए यह आशा करता हूं कि जो सुझाव और जो विषयों को मैंने उठाया है उस पर प्रभावी कार्यवाही करेंगे और यह जो महत्वाकांक्षी योजना है इसका जो उद्देश्य है वह आम जनता तक पहुंचे यह व्यवस्था करेंगे, साथ ही जो इसमें भ्रष्टाचार है उसको रोकने के लिए कार्यवाही करेंगे।

*श्रीमती रूबी प्रसाद-

धन्यवाद, अधिष्ठाता महोदय कि आपने मुझे बाल एवं पुष्टाचार के बजट के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मैं जनपद सोनभद्र के दुद्धी विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर आयी हूं जो बहुत ही गरीब आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। माननीय मंत्री जी जो हमारे जनपद के प्रभारी भी हैं और बाल एवं पुष्टाहार मंत्री जी भी हैं। उनके भाषणों को मैं ध्यानपूर्वक सुन रही थी, उन्होंने कहा कि किसी ने मुझे आज तक चिट्ठी के उत्तर में यह नहीं लिखा कि कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहती हूं कि हमारे ही दुद्धी विधान सभा के बभनी ब्लाक में 15 बोरे पुष्टाहार के पकड़े गए जो खुलेआम बाजारों में बेंचने के लिए लाए जा रहे थे और उस पर कार्यवाई भी की गई। जब मुझे सूचना मिली तो मैंने डीपीओ, जिला कार्यक्रम अधिकारी को सूचना दी और पुष्टाहार पकड़वाया। साथ ही साथ हमने दुद्धी तहसील में बड़े पैमाने पर पुष्टाहार को पकड़वाया जो गरीबी धात्री महिलाएं, गर्भवती महिलाएं और गरीब बच्चें हैं, उनको बांटने के लिए पुष्टाहार आता है, वह खुलेआम बाजारों में बेंच दिया जाता है और इस पुष्टाहार को खाकर गाय-भैंस मोटे होते हैं न कि इन गरीब बच्चों और महिलाओं को मिलता है। चूंकि यह एक गंभीर प्रकरण है और सीधे तौर पर गरीब महिलाओं, धात्री महिलाओं और गर्भवती महिलाओं से जुड़ी हुई यह समस्या है मैं मंत्री जी के संज्ञान में और भी बात लाना चाहती हूं, एक सुझाव के तौर पर विनम्र निवेदन भी करना चाहती हूं जो पुष्टाहार दिया जाता है, उसकी जांच भी होनी चाहिए कि वह गुणवत्तायुक्त है या नहीं है। समय-समय पर इसकी भी जांच होनी चाहिए। कहीं-कहीं बोरे के अन्दर कई जगहों पर कीड़े भी निकले हैं। इसलिए यह भी गंभीर प्रकरण है, पुष्टाहार की जांच समय-समय पर होनी चाहिए कि यह मानक के विपरीत तो नहीं है और साथ ही साथ जैसा इन्होंने कहा कि जगह-जगह आंगनबाड़ी सेण्टरों पर किट बाक्स हैं, जांच के लिए, परन्तु मेरे संज्ञान में जहां तक है मेरी विधान सभा क्षेत्र के एक-आध केन्द्रों पर ही शायद यह किट बाक्स उपलब्ध होंगे, बाकी जगहों पर नहीं हैं और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का यह कर्तव्य बनता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको आयरन और फोलिक एसिड की गोली दी जाए। जनपद सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दूसरा जनपद है, जहां सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे पैदा होते हैं और कुपोषित बच्चों की संख्या है। मान्यवर, हमारे जनपद में एक बार जागरण समूह और यूनीसेफ की पहल से बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया था। मैं भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थी। उन्होंने जो एक रिकार्ड दिखाया कि जनपद सोनभद्र में बहुत सारे बच्चे कुपोषण का शिकार हैं और कुपोषित बच्चे पैदा होते हैं। यह आखिर कैसे है, यह गंभीर प्रकरण है, मैं इसे सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में ला रही हूं चूंकि जनपद सोनभद्र चूंकि गरीब, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, इस पर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विशेष ध्यान दें और पता लगाने का काम करें कि जनपद सोनभद्र में ही जब आंगनबाड़ी सेण्टरों पर बांटने के लिए इतना पुष्टाहार उपलब्ध है तो आखिर कहां से कुपोषित बच्चे पैदा होते हैं और 6 साल तक के बच्चों को जो पुष्टाहार दिया जाता है, उसको देने के बावजूद भी बच्चे कैसे कुपोषित होते हैं, यह बात मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहती हूं। साथ ही साथ मैं 2-3 और बातें कह कर अपनी बात समाप्त कर रही हूं। अधिष्ठाता महोदय, मैं यह भी सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जो दाईयां काम करती है, उनका मानदेय बहुत कम है, उनके मानदेय को बढ़ाने का काम करें ताकि उनका हौसला बुलन्द हो और अच्छे से ईमानदारीपूर्वक वह काम करें। साथ ही साथ जो हाट कुक मील मिलता है, जो बच्चों को परोसा जाता है, उसकी भी समय-समय पर जांच होनी चाहिए। मान्यवर, बहुत सारी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सी0डी0पी0ओ0 ने इस बात की शिकायत की है कि उन्हें क्षेत्र में बांटने के लिए जब पुष्टाहार दिया जाता है, जैसा अभी कुछ देर पहले दादा ने भी यह बात संज्ञान में लायी थी, मैं भी इस बात को संज्ञान में लाना चाहती हूं कि उनको यातायात की सुविधा के लिए पैसे दिए जायें ताकि वह आसानी से आ जा सके और मन लगाकर काम करें। चूंकि यह विभाग बाल विकास एवं पुष्टाहार एवं महिला से संबंधित है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय को बढ़ाया जाये और हमारे विधान सभा क्षेत्र में सागोबाग में एक बच्चा आंगनबाड़ी सेंटर में गया वह गिरकर मर गया। चूंकि आंगनबाड़ी सेंटर झोपड़ियों में पेड़ के नीचे इस तरह से यह सेंटर चलाये जा रहे हैं हम सरकार के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों की और स्थापना की जाये। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि दस हजार आंगनबाड़ी सेंटरों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं। इसके साथ ही रजिस्टर को भी चेक करने का काम किया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

अब अपनी बात समाप्त करें। अब श्री सत्यवीर मुन्ना जी बोलें।

श्री रामगोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, बाल विकास पुष्टाहार और महिला कल्याण, मान्यवर, माननीय सदस्य ने महिला कल्याण पर बोला भी और काफी जिज्ञासा चाही है। महिला कल्याण मंत्री जी का बजट हमारे में ही निहित है। इसलिए इनको भी सुन लीजिए।

श्री सत्यवीर मुन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बाल विकास एवं पुष्टाहार के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। श्रीमन्, स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा था कि यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। हमारे भारत में खासतौर से दक्षिण एशिया में बच्चों में प्रोटीन और न्यूट्रीशन की विशेष तौर से कमी रही है अपेक्षाकृत पश्चिमी देशों या यूरोपीय देशों की तुलना में। वैसे भी वर्षों की दासता से हमारा देश उभरा । मैं माननीय मंत्री जी को इस बजट पर विशेष तौर से बधायी और आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने इस विभाग में पारदर्शिता लाने का काम किया है। निःसंदेह यह विभाग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है और पिछली बसपा की सरकार में खास तौर से हमने हमारे सोरांव विधान सभा में हमने देखा कि जिस तरह से लूटखसोट मची हुयी

थी और सहायिकायें किस तरह से वसूली करती थीं जिसकी शिकायत हम तमाम स्तर पर करते थे। उसमें बहुत कमी आयी है। श्रीमन्, बाल विकास एवं पुष्टाहार से संबंधित करीब 900 योजनायें संचालित हैं। इस हेतु माननीय मंत्री जी ने अपने बजट में 60 करोड़ से अधिक का बजट प्रस्तुत किया है। इसके लिए मैं उनको बधायी देना चाहता हूं। आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मान्यवर, सरकार द्वारा 10000 आंगनबाड़ी केन्द्र बनाये जाने का लक्ष्य है। मान्यवर, कांग्रेस के हमारे साथी बैठे हुए हैं अगर केंद्र से पूरा वित्त पोषण हुआ तो इस लक्ष्य को पाने में हमारे मंत्री जी कहीं से कोई चूक नहीं करेंगे। इसके लिए मैं उनको बधायी और शुभकामनायें भी देता हूं। श्रीमन्, मंत्री जी ने यह भी बताया कि करीब 3500 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र राज्य सरकार अपने वित्तीय संसाधनों से बनायेगी और इसी संदर्भ में मैं आग्रह करूंगा कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में कई आंगनबाड़ी केंद्र किराये पर चल रहे हैं। माननीय मंत्री जी नया सदस्य हूं आपसे आग्रह करूंगा कि कुछ आंगनबाड़ी केंद्र हमारे सोरांव विधान सभा क्षेत्र में भी बनाये जायें। श्रीमन, जहां तक आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के चयन की बात है, इसमें यह भी देखा गया है जो कि बहुत जहां पुष्टाहार, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए काम आता ही है। वहीं दूसरी ओर जो सहायिकायें और जो आंगनबाड़ी कार्यकत्री महिलायें बनायी जाती हैं, वह गांव की बहुत ही विपन्न और बहुत ही गरीब महिलायें होती हैं। अतः इसलिए महिला सशक्तिकरण में भी इस योजना के माध्यम से काफी मदद मिलती है। श्रीमान् ई-गवर्नेन्स योजना और इलेक्ट्रानिक सर्विलेन्स व्यवस्था को भी और मजबूत करने की आवश्यकता है, इससे इस क्षेत्र में इस विभाग में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और यदि यह कार्यक्रम सफल हुआ तो निसन्देह उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत को सर्वशक्तिमान देश बनने से कोई नहीं रोक सकता है। एक बार फिर मैं मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

महिला कल्याण, संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती अरुण कुमारी कोरी)-

मान्यवर, आपने मुझे महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग से सम्बन्धित वार्षिक बजट 2013-2014 पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि महिला कल्याण तथा बाल विकास से सम्बन्धित 2013-2014 का बजट महिलाओं के कल्याण एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रख कर बनाया गया है। जो हमारी सरकार की प्रथम प्राथमिकता है, अगले वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए इस विभाग का कुल बजट रुपये 751 करोड़ 47 लाख 42 हजार प्रस्तावित है। जिसमें आयोजनागत पक्ष में रुपये 384 करोड़ 79 लाख 13 हजार तथा आयोजनेत्तर पक्ष में रुपये 366 करोड़ 68 लाख 29 हजार का प्राविधान है। यह बजट प्राविधान पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 02 करोड़ अधिक है। नवगठित लोकप्रिय सरकार का यह प्रयास है कि महिलाओं के उत्थान और विकास के लिए अधिक से अधिक बजट की व्यवस्था की जाय और योजनाओं का प्रभावी संचालन किया जाय। इसके लिए बहुत से महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। विभाग द्वारा संचालित मुख्य योजनाओं का विवरण निम्नलिखित है-पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं तथा उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु अनुदान योजना विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत रुपये 300 प्रतिमाह की दर से अनुदान दिया जाता है, योजना में पारदर्शिता लाने के लिए लाभार्थियों के खाते में सीधे धनराशि का प्रेषण किया जाता है। हमारा यह प्रयास रहता है कि पात्र लाभार्थियों को इस योजना के माध्यम से शत-प्रतिशत

लाभान्वित किया जाय। वित्तीय वर्ष 2012-2013 में कुल रुपये 602 करोड़ का बजट प्रस्तावित था। वर्तमान समय तक 598 करोड़ की धनराशि का आहरण कर के लाभार्थियों के खाते में प्रेषित किया जा चुका है। इस प्रकार अब तक कुल 16 लाख 61 हजार लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2013-2014 हेतु रुपये 608 करोड़ का बजट प्रस्तावित है, जिसमें कुल 16 लाख 88 हजार महिलायें लाभांवित होंगीं। पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन अनुदान प्राप्त कर ही महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु सहायता के अन्तर्गत रुपये 10 हजार की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2012-2013 में कुल 75 लाख बजट प्रस्तावित था जिसमें 360 महिलाओं को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2013-2014 हेतु रुपये 7000 हजार की धनराशि का आय-व्ययक प्रस्तावित किया गया है। दहेज प्रथा से उत्पीड़ित महिला को आर्थिक सहायता योजना के रूप में 125 प्रतिमाह का अनुदान उन महिलाओं को दिया जाता है, जो संस्था की संवासिनी न हो, अन्य किसी संस्था से सहायता न प्राप्त कर रही हों, जिसने थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी हो अथवा न्यायालय में प्रतिवाद विचाराधीन हो को वित्तीय वर्ष 2012-2013 कुल 09 लाख का आय-व्यय प्रस्तावित था, अब तक 295 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2013-2014 में योजना हेतु रुपये 900 हजार का आय-व्यय प्रस्तावित किया गया है। कानूनी सहायता योजना के अन्तर्गत दहेज से उत्पीड़ित महिला जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रही हों, उत्पीड़न सम्बन्धी विधिक वाद की पैरवी हेतु रुपये 25 सौ एक मुश्त की सहायता प्रदान की जाती है। इस सम्बन्ध में आवेदन-पत्र जिला परिवीक्षा कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं । वित्तीय वर्ष 2012-2013 में कुल 08 लाख का बजट प्रस्तावित था, जिसमें 105 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2013-2014 हेतु रुपये 800 हजार का आय-व्यय प्राविधान प्रस्तावित किया गया है। पति की मृत्योपरान्त 25 वर्ष से कम आयु की निराश्रित महिला से विवाह करने पर दम्पत्ति पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पत्ति को प्रोत्साहन स्वरूप रुपये 11 हजार की धनराशि एक मुश्त दी जाती है।

इस योजना में 45 लाख का बजट प्रस्तावित किया गया है। इस योजना में 107 महिलाओं को लाभान्वित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में रुपये 4500 हजार का आय-व्ययक प्रस्तावित किया गया है। किशोर न्याय निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-2014 हेतु इस योजना में रुपये 2500 हजार का प्रावधान प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश महिला निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय 2013-2014 हेतु इस योजना में रुपये 5000 हजार का आय-व्ययक प्रस्तावित किया गया है। महिला संरक्षण एवं उत्पीड़न प्रकोष्ठ योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-2014 हेतु इस योजना में रुपये 3000 हजार का आय-व्ययक प्रस्तावित है। महिला कल्याण निगम द्वारा संचालित योजना में स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से वृद्ध महिला आश्रमों की स्थापना हेतु आय-व्यय में रुपये 30000 हजार का बजट अनुमान प्रस्तावित किया गया है। विभागीय कार्यवाही-महिला कल्याण विभाग के प्रभावी संचालन हेतु समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण किये गये हैं और कठोर कार्यवाही भी की गयी है। प्रदेश में अब तक 37 अधिकारियों कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। 29 अधिकारियों कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है। 6 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया है। इन प्रकरणों में एफ0आई0आर0 भी दर्ज की गयी है जिसमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करने के कारण अधिकारियों कर्मचारियों को जेल भेजा गया है। जनपद इलाहाबाद की घटना में राज्य सरकार

द्वारा अत्यन्त कठोर दृष्टिकोण अपनाते हुये एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी थी जिसमें अधीक्षकों सहित 5 कर्मचारियों को जेल भेजा गया है। 5 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया तथा अन्य सभी स्टाफ को दूरस्थ स्थानों पर स्थानांतरित किया गया। इसी प्रकार बरेली जनपद की घटना में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश किये गये हैं। लखनऊ में संस्था के अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी को निलम्बित किया गया है। आई0सी0पी0एस0-बालक ही देश का भविष्य हैं। इस परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से केन्द्र पुरोनिधानित समेकित बाल संरक्षण योजना, आई0सी0पी0एस0 चलायी जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य बालकों को एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है। समाज में उपेक्षित, निराश्रित, भूले-भटके तथा आपराधिक प्रवृत्तियों में संलिप्त बालकों को स्वस्थ, शैक्षिक एवं पारिवारिक वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से समेकित बाल संरक्षण योजना संचालित की गयी है। इसका मूल लक्ष्य राज्य सरकार द्वारा संचालित गृहों एवं योजनाओं को अतिरिक्त सुविधा तथा संसाधन उपलब्ध कराकर बाल संरक्षण की दशा व दिशा में गुणात्मक सुधार लाना है तथा बच्चों व समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है। वित्तीय वर्ष 2012-2013 में इस योजना के अन्तर्गत कुल 77 करोड़ 26 लाख का बजट प्रावधान था। इस योजना के अन्तर्गत कुल 11 घटक हैं। वित्तीय वर्ष 2013-2014 में कुल रु0 68 करोड़ 6 लाख 25 हजार का बजट प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2012-2013 में योजना को सुचारू रूप से चलाने एवं उसका संगठनात्मक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा निम्नलिखित विशेष प्रयास किये गये एवं इस हेतु जनपदों को रुपये 6 करोड़ 80 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। मान्यवर, जैसा कि हम सभी यह जानते हैं कि लगभग सभी योजनायें प्रदेश स्तर से चलकर जनपद तक पहुंचती हैं और जनपद स्तर से हमारे गांव स्तर तक पहुंचती हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य समाज के गरीब, निर्धन, असहाय एवं अशिक्षित व्यक्तियों को लाभ पहुंचा कर उनका सर्वांगीण विकास करना है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने योजनाओं को साकार रूप देने तथा महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिये ये सराहनीय कार्य किया है। जो एक स्वस्थ समाज के लिये आवश्यक है।

*श्री वीरपाल राठी-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महिला कल्याण पुष्टाहार विभाग के कटौती प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, चौधरी चरण सिंह जी एक बात कहा करते थे कि भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जाता है और ये केन्द्र के अन्दर जब चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस मनाया जाता है तो उस वक्त यह चर्चाएं भी आती हैं, आज यहां पर बेसिक शिक्षा मंत्री बैठे हैं, इन्होंने अभी चर्चा की कि हमने एक पत्र लिखा और तमाम विधायकों, सांसदों, तमाम जिला पंचायत अध्यक्षों, सदस्यों तथा ब्लाक प्रमुखों को लिखा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, इस सदन के अंदर मा0 मंत्री जी को और मैंने जो चर्चा की कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे को जाता है, अगर कोई मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, तो तमाम-का-तमाम विभाग अपने आपसे भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, परिवर्तन हुआ है, मैंने कहा था, पीछे मुझे बोलने का मौका मिला, संसद के अंदर, मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर प्रदेश के अंदर किसी विभाग में कोई परिवर्तन हुआ है, तो वह शिक्षा विभाग के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अन्तर्गत मा0 मंत्री जी ने किया है, मैंने इन्हें पहले भी धन्यवाद दिया था और आज भी धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन अभी पीछे एक मा0 सदस्य के द्वारा कहा गया कि विधायकों का वेतन बढ़ाना चाहिए, संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि वास्तव में विधायकों का वेतन बहुत कम है, अगर विधायकों का वेतन नहीं बढ़ाया जायेगा तो विधायक भी भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, ये मंत्री जी ने कहा है, सदन के अंदर कहा है। आज मैं इस पर यह बात कहना चाहता हूं कि जो आंगनबाड़ियों से काम किया जा रहा है, जो उनका मानदेय, मैं मंत्री जी से यह तो कहूंगा कि उन्होंने अतिरिक्त दिया, 200 रुपये, 100 रुपये अतिरिक्त दिया। कितना शोषण आंगनबाड़ी कर्मचारियों का है, जिले के अंतर्गत, सदस्य जानते हैं, इन बातों को कि उनसे वोट बनवाने का भी काम लिया जाता है, आंगनबाड़ी में। मैं यहां निवेदन करूंगा कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए और जहां तक केन्द्र की योजना है, ये खाना बनाने की, स्कलों में खाना देने की, मैं मा0 मंत्री जी, से भी निवेदन करूंगा कि यह पैसा बिल्कुल बेकार जाता है, ये छोटे-छोटे बच्चों को जो हम खाना देते हैं। आज जितने भी कालेज हैं प्राइवेट गुफ्रप्स हैं, कोई भी सरकारी संस्थाओं में अपने बच्चे को पढ़ाने को तैयार नहीं, अब परिवर्तन हुआ है, थोड़ा, इस साल से परिवर्तन हुआ है, क्योंकि स्कूलों में कभी अध्यापक नहीं जाया करते थे। चौधरी चरण सिंह ने एक ऐलान किया था कि 9 बजकर 59 मिनट पर प्रत्येक कर्मचारी, अधिकारी अपने कार्यालय में उपस्थित होगा, आज शिक्षा विभाग के अन्तर्गत तो यह है कि 9 बजकर 59 मिनट पर वहां अध्यापक तो मिल रहे हैं, क्योंकि हमने भी जांच की, हमने भी देखा। इसीलिए हम कहते हैं कि परिवर्तन हुआ है। अध्यापकों के मन में कहीं-न-कहीं डर है कि आपका मंत्री बहुत ईमानदार है, कहीं-न-कहीं वह एक्शन लेगा, जैसे मा0 चौधरी चरण सिंह जी एक बार जब वह मुख्य मंत्री थे उत्तर प्रदेश, एक थाने के अंदर अपना वेश बदल कर बैठ गए थे, पूरे प्रदेश के अंदर, थानों के, अधिकारियों के अंदर यह भय हो गया था कि कहीं चौधरी चरण सिंह जी न आ जायें, जब तक मंत्री का यह भय नहीं होगा, जब तक ऊपर के अधिकारी का यह भय नहीं होगा, छोटे अधिकारियों का तब तक भ्रष्टाचार समाप्त होने वाला नहीं है। मा0 मंत्री जी का आज भय है, मैं मानता हूं कि इनका भय है, लेकिन जहां तक खाना बनाने का सवाल है, सारा-का-सारा समय और जितना मैन्यू दिया जाए उतना मैन्यू देखकर आप बना सकते हैं, कहां शिक्षा प्राप्त होगी, तमाम-का-तमाम समय खाना बनाने में जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 राठी जी ये बेसिक शिक्षा का बजट अभी नहीं है।

श्री वीरपाल राठी-

मा0 बेसिक शिक्षा में बोलकर अभी अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य यह बाल विकास पुष्टाहार के बजट पर चर्चा चल रही है।

श्री वीरपाल राठी-

तो मेरा यह कहना है कि यह जो खाना दिया जाता है, इसमें परिवर्तन करें और परिवर्तन करके, जो बजट केन्द्र सरकार से आता है, इसे किसी ऐसी मद में लगा लें, चूंकि खाना तो बच्चे ले जाते हैं घर से। इन्हीं शब्दों के साथ, धन्यवाद।

श्री प्रदीप चौधरी-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका आभारी हूं। अधिष्ठाता महोदय, इस संशोधन प्रस्ताव पर मैं कुछ कहना चाहता हूं, बहुत लंबी बात तो नहीं करूंगा, महिला एवं बाल विकास से संबंधित बजट हमारा चल रहा है, इस विभाग में एक प्रावधान है कि 10 साल के अंदर प्रमोशन का, आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा। मान्यवर, जो प्रावधान के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों या सुपरवाइजर का जो प्राविधान है उसमें लगभग 15-16 साल बीत गये हैं उन कार्यकत्रियों को, सुपरवाइजर को सर्विस करते हुए, लेकिन उन्हीं अभी तक प्रमोशन की सुविधा नहीं मिल पायी है। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि आठ सौ की आबादी पर एक केन्द्र खोला जाता है । आंगनबाड़ी केन्द्र, उन पर आठ सौ की आबादी पर एक सेन्टर खोलने का प्रावधान है। माननीय मंत्री जी आपको तो अच्छी तरह से जानकारी है ही इसकी लेकिन कहीं-कहीं ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आठ सौ की आबादी पर दो से तीन सेन्टर खोल दिये गये हैं और कहीं-कहीं पर आठ सौ की आबादी पर मान्यवर बहुत दूर तक एक सेन्टर नहीं है। मान्यवर, उन पर गंभीरतापूर्वक जांच करा ली जाये। ताकि समान रुप से वह सारे सेन्टर्स हो जायें। मान्यवर, इसमें प्रमोशन वाली बात भी आपको देखनी होगी। हम मांग करेंगे कि प्रमोशन वाले प्रकरण में भी गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए इनको प्रमोशन की सुविधा देने पर भी सरकार द्वारा विचार किया जाये। यह न्यायसंगत होगा । धन्यवाद।

*श्री अगयश रामसरन वर्मा-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग के बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, तीन ईश्वरीय शक्तियां होती हैं । ब्रहमा, विष्णु और महेश। इसी तरह से तीन मानवीय शक्तियां भी हैं। बाल शक्ति, मातृ शक्ति और प्रौढ़ शक्ति। मान्यवर, यह महिला एवं बाल कल्याण महत्वपूर्ण विभाग है। लेकिन इस महिला बाल कल्याण विभाग में सामान्यतया उपेक्षा देखने में आती है इसमें तीन विशेषता होनी चाहिये सर्वव्यापकता, सर्वस्पष्टता, सर्वग्राह्यता। लेकिन मान्यवर जैसा कि देखा गया है कि 400 की जनसंख्या तक एक मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र, और 400 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केन्द्र होना चाहिए। लेकिन पूरे प्रदेश में और विशेषकर मेंरे विधान सभा क्षेत्र वीसलपुर में मान्यवर इस अनुपात बहुत कम संख्या में मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र और आंगनबाड़ी केन्द्र हैं। यह मानक के अनुसार नहीं है। मानका बनाने की जरुरत है। मान्यवर, एक एक विकासखंड में मुश्किल में 7-7, 8-8 आंगनबाड़ी केन्द्र स्थापित हैं। इसी तरह से वहां पर कार्यरत जो महिलायें हैं चाहे सहायिकायें या कार्यकत्री हों उनको बहुत कम मानदेय मिलता है। दूसरे, इनको आंगनबाड़ी केन्द्रों का किराया नहीं मिलता है। यह पुष्टाहार को लाने तथा ले जाने का भाड़ा नहीं मिलता है। यह सारी सुविधायें इस विभाग को मिलनी चाहिए। यह सारी सुविधायें न मिलने के कारण ही विभाग में भ्रष्टाचार है। मान्यवर, इस विभाग के अन्तर्गत मेरे जनपद की हालत यह है कि मेरे यहां एक गांव है दियोरियाकेला है। जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकत्री का पद रिक्त चला आ रहा था वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित था। वहां की सीडीपीओ ने उसे बदलकर सामान्य जाति में कर दिया है। यह अनुसूचित जाति एवं जनजाति जिला

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधि0 एवं भा0दं0वि0 के अन्तर्गत गंभीर अपराध किया है। जिस कार्यकत्री की उन्होंने नियुक्ति की है उसका बयान भी मोबाइल में दर्ज है और जिसकी नियुक्ति नहीं हुई है उसका बयान भी दर्ज है । इसमें दोनों की बातें आयी हैं कि उनसे पैसा लिया गया है। तो इस मामले की गंभीरतापूर्वक जांच होनी चाहिए। पीलीभीत सीडीपीओ की जांच करायी जाये। यह मैं मांग करता हूं।

मान्यवर, हमारी विधान सभा क्षेत्र में एसडीएम ने पुष्टाहार ले जाते हुए दो बार पकड़ा और थाने में ले जाकर उसे सुपुर्द किया लेकिन कोई एफ0आई0आर0 नहीं लिखी गयी । मान्यवर, इसके बारे में एक बात कह कर समाप्त करता हूं पुष्टाहार के बारे में कहा जाता है कि हाथी पर 3 सवार, दारुबाबू बाल पुष्टाहार। आनन्द भैय्या हैं जिसके खेवन हार। तो मुझको ऐसा लग रहा है कि बसपा वालों ने अपने समय में इतना भ्रष्टाचार, शोषण उत्पीड़न किया था जिसकी पराकाष्ठा थी आज मुझे लग रहा है यह दारू, बालू, पुष्टाहार साइकिल पर सवार हो गया है। इसीलिए मैं इसके सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि इस पुष्टाहार के बारे में गम्भीरता से विचार किया जाय उसकी जांच की जानी चाहिए। मान्यवर, यह महिलाओं से जुड़ा हुआ विभाग है इसलिए इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जो सरकार नहीं दे रही है। इस अनुरोध के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि इस विभाग के बारे में जो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है इस पर गहन जांच कराई जाय और मैं तो कहता हूं कि एक संयुक्त समिति बना करके इस सारे बाल विकास पुष्टाहार और महिला कल्याण की जांच कराई जानी चाहिए और कार्यवाही की जानी चाहिए।

*श्रीमती रजनी तिवारी-

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, महिला बाल विकास पुष्टाहार का बजट आया इसमें भी महिलाओं की उपेक्षा की गयी है। मान्यवर, बहुत लोगों ने बाल विकास सेवा और पुष्टाहार पर बोला। मैं मान्यवर, महिला कल्याण के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की है लेकिन आधी आबादी को देखते हुए महिलाओं की भागीदारी उसमें बहुत कम दिखाई देती है। आज हम न्यूज के माध्यम से और जनप्रतिनिधि होने के कारण से जहा भी जाते हैं, देखते रहते हैं कि महिलाओं पर उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है। मान्यवर, जब मानव इक्कीसवी सदी में चांद और मंगल पर पहुंच गया इतना ऊंचे उठने के बाद भी महिलाओं के प्रति उसकी सोच ऐसी क्यों।

(इस समय 01 बजकर 40 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

महिलाओं पर अत्याचार और उत्पीड़न क्यों ? मान्यवर, आज से यह नहीं व्याप्त है यह बहुत पहले से चलता चला आ रहा है लेकिन यह वास्तव में बहुत सोचनीय विषय है। लोगों ने महिलाओं का उत्पीड़न करना शुरू किया इसको बन्द कब करेंगे। मान्यवर, हम कहना चाहेंगे कि हमारा यह तथाकथित सभ्य समाज यहां पर रोज महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है इसको देखते हुए तो हम कहेंगे कि इससे कहीं ज्यादा अच्छा तो आदिवासी समुदाय है जहां पर महिलाओं को जननी मानते हुए उन्हें समाज का प्रमुख बनाया गया है। मान्यवर, हमारे यहां इतने सभ्य लोगों के होते हुए

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी महिलाओं का उत्पीड़न क्यों हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार क्यों हो रहा है। आज हमने बजट में कई चीजें देखी हैं और हम कुछ सुझाव भी देना चाहेंगे। हम जब रोडवेज बसों में देखते हैं वहां पर महिलाएं बच्चों को गोद में लेकर के यात्रा करते हुए देखी जा सकती हैं। मैं कहना चाहती हूं कि नगर बसों की तरह रोडवेज बसों में भी और प्राइवेट बसों में भी अब महिलाओं के लिए सुरक्षित सीटों की व्यवस्था की जानी चाहिए तो इससे कुछ हद तक महिलाओं की परेशानी दूर हो सकती है। मान्यवर, एक दूसरी समस्या है, सरकार ने जनपद स्तर पर महिला थाने की व्यवस्था की है। लेकिन महिलाएं आर्थिक तंगी के मारण सुदर क्षेत्र के कारण वहां पर जा नहीं पाती हैं इसको देखते हुए हम सरकार से कहना चाहेंगे कि जनपद स्तर के बजाय तहसील स्तर पर महिला थाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। मान्यवर, आपने एक योजना चलाई जिसमें महिलाओं को दो-दो साड़ियां दी जाती हैं लेकिन महिलाओं का कल्याण के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए आपकी यह योजना अच्छी नहीं है। दो-दो साड़ियां बांटने से महिलाओं का कल्याण होने वाला नहीं है। पिछली पूर्ववर्ती सरकार में बहनजी के द्वारा महामाया गरीब बालिका आर्शीवाद योजना चलाई गयी थी, जिसमें बच्ची के जन्म के समय एकमुश्त धनराशि जमा की जाती थी और बालिका के 18 वर्ष के होने पर उसको वह धनराशि दी जाती थी, वाकई में वह योजना महिलाओं के लिये कल्याणकारी थी और महिलाओं को सम्मान देने के लिये थी। हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहेंगे कि वाकई में वह बहुत अच्छी योजना थी, इस योजना को पुनः लागू किया जाये। वर्ष 2012 के बजट में हमने देखा कि सरकार ने एक योजना कही थी कि प्रत्येक विकासखंड में महिला महाविद्यालय खोला जायेगा, जहां पर महाविद्यालय नहीं है, जगह होने पर वहां पर महाविद्यालय की व्यवस्था की जायेगी, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद में वहां पर महाविद्यालय नहीं खोला गया, कम से कम हमारे यहां 4 विकासखंड हैं, लेकिन वहां पर अभी इस योजना को लागू नहीं किया गया। मान्यवर, आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि सरकार की यह योजना तो बहुत अच्छी है लेकिन अच्छी योजना होने पर भी अगर इस योजना को चालू नहीं किया गया, इस योजना को तत्काल लागू नहीं किया गया तो अच्छी योजना होने से क्या फायदा है। मान्यवर, हम कहना चाहेंगे कि महिलाओं का उत्पीड़न ऐसे बन्द होने वाला नहीं है। महिलाओं के लिये सोच अच्छी होनी चाहिये। वाकई में हम किसी भी दल के हों, एक साथ बैठकर जब इस समस्या पर विचार करेंगे तभी महिलाओं का सम्मान हो पायेगा । महान कवि यशपाल जी की कुछ पंक्तियां हम कहना चाहेंगे कि-

''हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिये,
इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिये ।
आज यह दीवार परदों की तरह हिलने लगी,
शर्त थी कि लेकिन यह बुनियाद हिलनी चाहिये ।

मान्यवर, हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहेंगे कि वाकई में महिलाओं की गंभीर समस्या है, महिलाओं पर बढ़ते हुये अत्याचार की समस्या बहुत ही सोचनीय है, इसलिये हम सबको इस पर विचार करना होगा, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

माननीय जैसल जी, आप अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्रीमती सीमा-

मान्यवर, हम भी कुछ बोलना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अभी शिक्षा का बजट आ रहा है, उस पर बोल लीजियेगा।

श्री राजबली जैसल-

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि माननीय मंत्री जी के इस बजट में जैसा कि मैनें पहले बताया कि बालकों के सापेक्ष बालिकाओं का अनुपात घट रहा है और भ्रूण हत्या हो रही है, इसको रोकने के लिये कोई सम्मानजनक योजना इस बजट में संचालित नहीं है, इसलिये हम अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे इस बाल विकास पुष्टाहार विभाग के बजट पर माननीय 10-11 सदस्यों ने भाग लिया, इसमें 3-4 महिला सदस्यों ने भी अपनी पूरी बात कही । जहां तक कटौती प्रस्ताव जैसल जी ने रखा था, मैं उसको छोड़ दिया था। जैसा कि आपने कहा कि एक किलो का हमने बताया था तो जो आपकी सरकार में टेंडर हुआ था, वह टेंडर अभी बरकरार है, जब हमारा टेंडर लागू होगा, उसमें हमने एक किलोग्राम की पैकिंग की व्यवस्था की है। उस पर केन्द्र का नाम रहेगा, परियोजना का नाम रहेगा जिससे अगर बाईचांस वह बिके, वैसे तो हम कहते हैं कि नहीं बिकती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर बिके तो वह पहचान हो सके कि यह किस केन्द्र की पुष्टाहार है, जो बेची जा रही हैं। श्रीमन् जितना एरिया था, हमारे कार्यकत्रियों का, जो बाद में हमें भारत सरकार से मिला, उसमें भ्रष्टाचार न हो, इसलिये यहां से सीधे उनके खाते में पैसा भेजा गया है और उसमें कोई भ्रष्टाचार श्रीमन् नहीं हुआ। वह हम यहां से नहीं भेज रहे थे तो कुछ जो सबसे ताकतवर वर्ग है, बाबुओं का, वह कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा था, जब हमको पता चला, तो मैनें सारा पैसा वहां से वापस मंगाकर सीधे उनके खाते में भेजने का काम किया आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यकत्रियों की भर्ती बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होती है इसके लिए डी0एम0 की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है। भ्रष्टाचार की बात आती है और हमको शर्म भी नहीं आती है सदन में इस बात को कहते हुए लेकिन आखिर यह मिटेगा कैसे । क्या उसका तरीका है ? इसी तरीका के लिए मैंने सदन में सबसे प्रार्थना किया निवेदन किया चिट्टी भी लिखा आखिर हम सार्वजनिक जीवन में हैं राजनीति कर रहे हैं तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है हम आप जब उसको देखेंगे नहीं पकड़ेंगे, नहीं पकड़वाएंगे नहीं, तो कैसे भ्रष्टाचार मिटेगा। श्रीमन् हमने पुष्टाहार बेचने और अन्य अनियमितताएं करने में हमने लगभग 29 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। अधिकांश में रिकवरी का आदेश दिया है कि जो पुष्टाहार तुमने बेचा है वह इतने दाम का है उसकी तुमसे रिकवरी की जाएगी। किसी किसी को नौकरी से हटाने के लिए भी पत्रावली चल रही है। सी0डी0पी0ओ0, मुख्य सेविका एवं कार्यक्रम अधिकारी भी इसमें हैं। हम यही तो कार्यवाही

कर सकते हैं। माननीय सदस्यगण केन्द्रों पर जाकर निरीक्षण करें हमने एक योजना बनवाई और हमने सदन में कहा भी था। हमने बनवाया कि जिस दिन पुष्टाहार का वितरण हो उसके एक दिन पहले गांव में डुग्गी बजनी चाहिए कि कल 10 बजे से 11 बजे तक हमारा पुष्टाहार बंटेगा। मैंने कार्यक्रम अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया था कि हमारे विधायक, एम0एल0सी0, एम0पी0, जिला पंचायत अध्यक्ष या इसमें से कोई नहीं मिले तुमको तो गांव के किसी पांच आदमी को साथ ले जाकर उनके सामने पुष्टाहार का वितरण कर दें। इससे ज्यादा क्या किया जा सकता है। मैंने पत्रकारों से भी आग्रह किया कि केवल आप लिखिए मत आप भी केन्द्रों पर जाकर इसका निरीक्षण करिए और लोगों को बताइए। मैं तो तमाम उपाय कर रहा हूं लेकिन जब आप उसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं ले रहे हैं तो किस बात की शिकायत कर रहे हैं। सिर्फ भाषण देने के लिए दूसरों को दोष देने के लिए हम अपने कर्तव्य का भी पालन करें । निश्चित रूप से मेरा मत है कि सदन जिस दिन चाह लेगा कि भ्रष्टाचार इस प्रदेश में न हो उस दिन भ्रष्टाचार कतई नहीं होगा यह मेरा दृढ़ विश्वास है। सदन जल्दी में है नहीं तो मैं विस्तार से बताता। श्रीमन् जब दुःशासन द्रोपदी की साड़ी खींच रहा था तो ईश्वर की ऐसी कृपा कि कवि को कहना पड़ा कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है।

अगर आप लोग भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं तो चलकर काम करिए उसको मिटवाइए कोई भगवान थोड़े आकर मिटाएंगे। महिलाओं की जहां तक बात है भ्रष्टाचार न हो गरीब, बेबस और लाचार के स्वास्थ्य के लिए विभाग है इसीलिए महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है। कार्यकत्री महिला, मुख्यसेविका महिला सी0डी0पी0ओ0 में 80 प्रतिशत महिला कार्यक्रम अधिकारी में 85 प्रतिशत महिला इस तरह से महिला का विभाग महिला ही शोषण कर रही है। कौन किससे कहेगा । यह सदन ही तो देखेगा उसे इसीलिए तो यह बजट पास होता है सदन ही तो बजट पास करता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से पुनः सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वास्तव में चाहते हैं कि गरीब, असहाय वंचित के जो लड़के हैं जो विकलांग हो रहे हैं कुपोषित हैं उनका स्वास्थ्य बढ़िया हो समाज बढ़िया हो तो देश में एक नम्बर पर हमारे लड़कियां और लड़के आएं तो निश्चित रूप से विभाग पर सबको ध्यान देना होगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और इस बजट को सर्वसम्मति से पास होने दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव वापस नहीं ले रहे हैं इसलिए मैं प्रश्न रखता हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 43,10,94,46,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[12.29] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) अनुदान संख्या-75, शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

*बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,09,64,52,61,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

अनुदान सं0-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 95,23,58,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

माननीय अध्यक्ष जी, वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु बेसिक शिक्षा विभाग के बजट को सदन के माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम मैं वित्तीय वर्ष 2012-13 में बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में कराये गये महत्वपर्ण कार्यों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। हमारी सरकार ने 652 प्राथमिक विद्यालय भवनों तथा 662 उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य पूरा कराया है। जो पिछली बार हमने बजट दिया और जो हमने सदन में कहा था हमने उतने पूर्ण करा लिया है और 3 हजार 752 विद्यालयों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। 13348 नवीन कक्षों का निर्माण पूर्ण कराया गया है और 12847 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 11895 विद्यालयों में चहारदीवारी का निर्माण कराया जा रहा है और विभिन्न निर्माणाधीन कार्यों को जून, 2013 तक पूर्ण करा लिया जायेगा ताकि विद्यालय परिसर में न कोई पशु जा सके और न ही अराजक तत्वों द्वारा उस भूमि का कब्जा किया जा सके। 292 नवीन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वर्ष 2012-13 में स्वीकृत थे उनका निर्माण नहीं कराया गया था। हमारी सरकार ने उसमें विशेष दिलचस्पी ले करके 213 विद्यालयों का निर्माण पूरा करा दिया है तथा 69 विद्यालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। गम्भीर रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु 129 आवासीय केन्द्र संचालित किये गये हैं जिनमें 7 हजार 70 बच्चे आवासीय शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 767 मेडिकल एसेसमेंट कैम्प आयोजित कराये गये तत्पश्चात 35 हजार 823 बच्चों को निःशुल्क उपकरण वितरित किये गये। नवीन व्यवस्था में प्रथम बार कक्षा-1 से 8 तक समस्त बालक-बालिकाओं को यूनिफार्म के दो सेट निःशुल्क वितरित कर दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त कक्षा-1 से 5 तक बच्चों को अभ्यास कार्य के लिए निःशुल्क कार्य पुस्तिकाएं भी वितरित की गई हैं और बालकों को निःशुल्क पाठ्यक्रम पुस्तकें भी वितरित कर दी गई हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को दृष्टिगत रखते हुए छात्र-छात्राओं को मूल्यांकन की नवीन प्रणाली सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन विकसित की गई है। इसका प्रयोग हम पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में पहले पांच जनपदों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बलरामपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गाजीपुर एवं रायबरेली में कर रहे हैं। इन जनपदों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर मूल्यांकन की यह नवीन प्रणाली आगामी शैक्षिक सत्र में प्रदेश के सभी विद्यालयों में लागू करने की हमारी कार्ययोजना है। जो एक बड़ी कठिन समस्या आ गयी थी कि नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद स्कूलों की मान्यता के सम्बन्ध में कठिनाई पैदा हो गयी थी। हमारा मानक दूसरा, केन्द्र का मानक नई शिक्षा नीति में दूसरा। अब मान्यता मिलने में बड़ी कठिनाई हो गयी तो हमारी सरकार ने जो मान्यता पाने वाले स्कूल हैं मान्यता के नियमों में हमने न सरलीकरण किया है और लगभग इससे सभी स्कूलों को फायदा मिलेगा और मान्यता मिलने में अब कोई कठिनाई नहीं होगी। 100 से अधिक नामांकन वाले उस प्राथमिक विद्यालयों में कला, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तथा कार्य शिक्षा लागू की जा रही है। चालीस हजार तीन सौ सात अंशकालिक अनुदेशकों की संविदा के आधार पर भर्ती की कार्यवाही गतिमान है।

अनेक वर्षों से महिला शिक्षकों के स्थानान्तरण नहीं हुए थे, महिलाओं के सामने बड़ी कठिनाई थी। उनका आन-लाइन, पारदर्शिता के साथ 18 हजार से भी अधिक महिला अध्यापिकाओं तथा विकलांगों का चाहे महिला हो या पुरुष उनका स्थानान्तरण किया गया और यह पहली दफा कोशिश की गयी कि किसी भी तरह से चाहे बाबू स्तर हो, चाहे एस0डी0आई0 स्तर हो, चाहे बेसिक शिक्षा अधिकारी स्तर हो, चाहे निदेशालय स्तर हो, चाहे सचिवालय स्तर हो, चाहे हमारा मंत्रालय का स्तर हो किसी भी स्तर पर भी एक पैसे के घूस की लेन-देन की बात सामने न आये और अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पहली बार शिक्षकों का ट्रांसफर पारदर्शिता के तरीके से, बिना किसी एक पैसे के लेन-देन के हुआ और बढ़िया से हुआ। श्रीमन्, मैं फिर कहता हूं कि आगे भी जो स्थानान्तरण होंगे वह बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होंगे। अब एक नया निर्णय भी हम लोगों ने लिया है उनको मुख्य मार्ग जिस पर साधन चलते हों, चाहे बस, जीप, टैम्पो, चाहे टैक्सी जहां पर साधन का आवागमन हो उसी रोड के स्कूलों पर महिलाओं को रखा जाए, उनकी सुविधा की दृष्टि में रख करके। यह हम लोग नये सत्र में करेंगे। शिक्षकों के जो पूर्व वर्षों में पेंशन, वेतन संबंधी जो भी अवशेष था उसको वित्तीय वर्ष 2012-2013 में बजट व्यवस्था कराकर सम्पूर्ण बकाये को, जो पिछली सरकार ने लगभग 6 महीने का बकाया रखा था, सम्पूर्ण बकाये का भुगतान कर दिया है, चाहे पेंशन का हो या चाहे तनख्वाह का हो। परिषदीय शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों के पेंशन माह जनवरी, 2013 से कोषागार के माध्यम से तथा वेतन का भुगतान ई-पेमेण्ट के माध्यम से माह फरवरी, 2013 से कराये जाने की व्यवस्था करा दी गयी है। सर्व-शिक्षा अभियान का प्रस्तावित परिव्यय 11,892 करोड़ रुपये रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा सर्व-शिक्षा अभियान हेतु भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष सदैव राज्यांश की पूर्ण धनराशि उपलब्ध करायी जाती रही है और आगे भी राज्यांश की कमी नहीं होने दी जायेगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित, विज्ञान विषय के अध्यापकों की सीधी भर्ती की व्यवस्था की गयी है, इसमें बी0एड0 टी0ई0टी0 उत्तीर्ण की अर्हता है। इस व्यवस्था से प्राथमिक विद्यालयों से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आने वाले अध्यापक लाभान्वित होंगें क्योंकि सीधी भर्ती का वेतनमान कुछ अधिक है। इसमें हमको बहुत लाभ होने जा रहा है श्रीमन्। अगर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी, तो हम जबसे मंत्री हैं, जहां जाते हैं, हर जगह रोक-रोककर हमसे कहते हैं कि 1740 का क्या हुआ ? अब इस नई प्रक्रिया से जो हम भर्ती करेंगे उससे उनकी भी समस्या का समाधान हो

जायेगा और पूरे प्रदेश में अध्यापक लोगों की कोई समस्या नहीं रह जायेगी। शासन ने अनुभव किया कि इस मंहगाई के दौर में शिक्षा मित्रों को दिया जा रहा मानदेय कम है। इसलिए सरकार ने उनका 5000 मानदेय बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि इनका मानदेय 5000 रुपये कर दिया जाए। अलग से मैंने चिट्ठी 5000 रुपया बढ़ाने के लिए भी लिखा है लेकिन हमारा विभाग पहले से प्रस्ताव किया है कि इनका मानदेय 5000 रुपये हो। जब केन्द्र सरकार उसको दे दे। श्रीमन्, हम लोग बड़ी कठिनाई में हैं, केन्द्र सरकार योजना तो चलाती है और उसमें मानदेय बढ़ाने में देरी करती है, सारे लोग धरना प्रदर्शन हमारे यहां करते हैं। एक आंगनबाड़ी कार्यक्रम में आये थे कि धरना प्रदर्शन हुआ है एक हमारी बहिन ने कहा। आंगनबाड़ी कार्यकत्री केन्द्र के मानदेय पर है। राज्य के कर्मचारी की मांग जो उनकी होती है वह केन्द्र सरकार से होना चाहिए वह हमसे होती है। इसी तरह से यह शिक्षा मित्र जो हैं सीधे केन्द्रीय योजना के मातहत लागू की गई है इसमें मानदेय सीधे प्रधान के प्रधान देता है उनको। फिर भी हमने केन्द्र सरकार को लिखा है कि इनका मानदेय 5 हजार रुपया बढ़ा दिया जाय। कस्तूरबा विद्यालयों में भी जो वार्डन हैं, मास्टर हैं उसमें काम करने वाले लोग हैं उनका भी मानदेय बहुत कम हैं, उनके लिये भी हम लोगों ने केन्द्र सरकार को लिखा है । यह भी योजना केन्द्र सरकार की है हम लोगों ने लिखा है। रसोइयों को बहुत दिन से पेमेंन्ट नहीं हो रहा था। पूरे पेमेंन्ट का आर्डर कर दिया है। हमने कह दिया है कि रसोइयों को पूरा पेमेन्ट हो जाय।

इस साल श्रीमन्, 1497 नवीन प्राथमिक विद्यालय और 337 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये जायेंगें सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से असेवित बस्तियों में। इस साल हम लोगों ने निर्णय लिया है, पिछले सत्र में भी हम लोगों ने काफी प्रयास किया था कि स्कूल खोले जुलाई में और पाठ्य पुस्तकें मिल जायं लड़कों को लेकिन कुछ कठिनाई हुई, 15 अगस्त तो कहीं-कहीं सितम्बर तक चला गया कापी किताब मिलने में। इस बार हम लोगों ने निर्णय यह लिया है कि हम जून में ही। फरवरी में हमारा टेन्डर हो गया था। जून में हम कापी किताबों की सारी व्यवस्था कर देंगें। लड़के जिस दिन पहले दिन स्कूल जायं उसी दिन उनके हाथ में पूरे प्रदेश में किताब कापी दे दी जाय। इस साल मान्यवर, हम लोगों ने व्यवस्था की है कि 15 अगस्त तक यूनीफार्म का ही वितरण हम लोग कर देंगें अगले सत्र में । इस बार तो चला गया थोड़ा लेट हो गया। पहला-पहला अनुभव था। अनुभव कटु रहा। जैसा हम चाहते थे, जैसा हमारा सचिवालय चाहता था फील्ड में वैसा नहीं हो पाया। लेकिन इस बार हम प्रयत्नशील हैं और जागरूक भी हैं कि जो पोशाक होगा वह 15 अगस्त तक मिल जायेगा और ठीक होगा इसके लिये भी मैंने केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक में 2-2 बार इस बात का इशारा भी किया है। 200 रुपये एक सेट के लिये देते हैं और केवल वह अनुसूचित जाति और जनजाति के लड़कों को ही देने की जो व्यवस्था केन्द्र सरकार की है। हमने कहा कि उसको बढ़ाइये और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने यह निर्णय लिया कि अनुसूचित जनजाति को ही नहीं पढ़ने वाले हर जाति धर्म के लड़कों को दो सेट ड्रेस दिया जायेगा और उसका खर्च सरकार निभा रही है। बहुत दिनों से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। कहा जा रहा है कि पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया भी हमारी सरकार ने शुरू कर दी है। 35 हजार तक हमने शिक्षकों की भर्ती अभी तक कर चुके हैं और 72825 प्रशिक्षित अध्यापकों की भर्ती गतिमान है और लोग कोर्ट में जाने को तैयार हैं। कोर्ट ने उसमें कुछ जानकारी चाही है जब तक उनका आदेश नहीं

होगा तब तक कुछ नहीं कर सकते नहीं तो अब तक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो गयी होती। हर व्यक्ति कोर्ट जा रहा है, कोर्ट को इस बात को भी जानना चाहिए कि इससे सरकार के काम में प्रभाव पड़ेगा कि नहीं। श्रीमन्, मैं आपको यह अवगत कराना चाहता हूं कि 1800 और रिक्त पदों पर हम जो टी0ई0टी0, बी0टी0सी0 जो लड़के हैं उनकी नियुक्ति करने जा रहे हैं 41307 पहले ही किये जा चुके हैं। इस तरह से जो नेता लोग इस बात का भाषण देते थे। बराबर, कि मुख्यमंत्री जी केवल बेरोजगारी भत्ता बांट रहे हैं बेरोजगारों के बारे में चिन्ता नहीं कर रहे हैं, मान्यवर, यह पहली सरकार है एक साल के अन्दर मुख्यमंत्री जी ने अपने विभाग से शुरू किया कि 25 हजार गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षकों की भर्ती शुरू किया मुख्य मंत्री जी ने और मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर ही शिक्षा विभाग ने 33000 बताया वह, और 72,825 वह, 10,800 वह, 41 हजार 307 वह, लगभग लाख, एक साल के अन्दर करीब डेढ़ लाख लोगों को नौकरी देने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। एक साल के अन्दर।

(मेजें थपथपाई गईं)

विद्यालय के निर्माण कार्य से अध्यापकों को मुक्त कर दिया गया है। विद्यालय प्रबन्ध समिति को इसका कार्य दे दिया गया है लेकिन अध्यापक लोग लालच छोड़ नहीं रहे हैं। धकियाकर के प्रबन्ध समिति से निर्माण कार्य शुरू करा रहे हैं जिसके कारण यह घटना परसों घटी है। हम तो हटा ही सकते हैं, हम जानते हैं शिक्षक किसी दूसरे कार्य में लगता है तो शिक्षण कार्य में बाधा आती है इसलिए स्पष्ट समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जनगणना, चुनाव और दैवी आपदा को छोड़कर टीचर को किसी काम में नहीं लगाया जाएगा।

(मेजें थपथपाई गईं)

इसी तरह से मान्यवर, एक नवीन व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। छात्र-छात्राओं में मानवीय मूल्य एवं भाई-चारे की भावना विकसित करने के लिए आगामी वर्ष में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्काउट गाइड कार्यक्रम संचालित किये जाने का कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। इसको लागू करने का, संचालित करने का प्रस्ताव रखा गया है।

मान्यवर, अल्पसंख्यक बच्चों के लिए व्यवस्था, अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों के दस-दस उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देने हेतु कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मदरसों के सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव भी रखा गया है। विद्यालय परिवेश को स्वच्छ रखने के लिए 'निर्मल विद्यालय पुरस्कार कार्यक्रम' रखा गया है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में सबसे अच्छे एक विद्यालय को निर्मल विद्यालय पुरस्कार दिया जायेगा। इस हेतु विद्यालयों के मूल्यांकन की प्रणाली विकसित की जायेगी। ताकि बच्चे स्वच्छता के महत्व को समझें और उनमें अपने विद्यालय को शीर्ष पर लाने की इच्छाशक्ति जागृत हो सके। मान्यवर, एक दिन एक पत्रकार ने मुझे पूछा कि आपके पुराने स्कूल में लड़कों से स्कूल साफ कराया जाता है। अब स्कूल तो साफ किए हैं हम लोग पढ़ते थे तो, बच्चा अगर स्कूल साफ कर दे तो कोई बुरी बात नहीं है लेकिन इसमें बच्चे को लगाया नहीं गया है। कैसे स्वच्छ रहेगा, स्वच्छता का पाठ कैसे पढ़ेगा। कल मैं मीटिंग कर रहा था तो मैंने अपने प्रमुख सचिव से कहा था कि नया पाठ्यक्रम बनाइएगा तो उसमें नैतिक शिक्षा जरूर शामिल कीजिएगा। प्राथमिक शिक्षा से ही नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए।

(मेजें थपथपाई गईं)

कक्षा एक से हम अंग्रेजी की शिक्षा भी हम शुरू कर रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हेल्पलाइन की नवीन व्यवस्था हम लोगों ने शुरू की है। मान्यवर, बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अधिक से अधिक पारदर्शिता लाने और जन सामान्य को विद्यालय कार्यों के बारे में शिकायत, सुझाव देने के उद्देश्य से हेल्पलाइन स्थापित की जायेगी, जिसमें टोल फ्री टेलीफोन नम्बर दिया जाएगा। इस व्यववस्था के माध्यम से विद्यालय न खुलने, शिक्षकों के नियमित रूप से विद्यालय न आने, पाठ्यपुस्तक, यूनिफार्म वितरित न होने जैसी शिकायतें दर्ज की जा सकेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु प्रत्येक वर्ष प्रयास किये जाते रहे हैं। भारत सरकार की संस्था राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एन0सी0ई0आर0टी0) द्वारा तीन चार वर्ष के अन्तराल पर छात्र-छात्राओं का एक सर्वेक्षण कराया जाता है। गणित और विज्ञान के बच्चों में कितना ज्ञान है। यह जानकर आपको प्रसन्नता होगी कि हर बुराई लोगों के कहने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश कभी प्रथम और कभी द्वितीय जरूर आया है विज्ञान और गणित के मामले में।

(मेजें थपथपाई गईं)

अब मध्याह्न भोजन की बात है, कई लोग इसकी निगरानी में हैं। सेन्ट्रल गवर्नमेण्ट भी इसकी निगरानी में है, राज्य सरकार भी निगरानी में है और सुप्रीम कोर्ट भी निगरानी में है। उसके बाद भी कभी-कभी आ जाता है कि कहीं कीड़े मिले तो कहीं छिपकली मिली और एक जगह तो श्रीमन्, एक छोटे अखबार वाले ने एक छिपकली को मार करके, खाना कभी को लोग खा गए थे, उसकी तस्तरी में रख करके, छिपकली मिली, छिपकली मिली और जब जांच हुई तो पता चला कि 2 घण्टा पहले भोजन हो गया है, तुमको अब छिपकली कहां से मिली, वह भी साफ वर्तन में। इसमें कुछ कमी हो सकती है लेकिन मान्यवर, कमी को सुधारना राज्य सरकार का काम है। इसमें जो हमने सिस्टम लागू किया है, वायरस सिस्टम, हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश को इनाम दिया गया है, प्रथम माना गया है और इसी को लागू करने की योजना भारत सरकार बना रही है फिर भी मांग आती रही है कि बढ़िया संस्था से भोजन की व्यवस्था की जाए। माननीय मुख्य मंत्री जी के सहयोग से, इनके निर्देश पर अक्षय-पात्र एक संस्था है जो दुनिया में प्रतिष्ठित संस्था मानी गई हैं। वह मथुरा में चलती थी और अब आगरा, कानपुर नगर, कन्नौज और लखनऊ को लिया गया है कि यहां भी अक्षय-पात्र संस्था मध्याह्न भोजन के वितरण की व्यवस्था करे और अगर लोग चाहेंगे और अक्षय-पात्र संस्था अगर स्वीकार करेगी तो हम पूरे प्रदेश में धीरे-धीरे इसको लागू करेंगे। अगर अक्षय-पात्र संस्था इन्कार करती है तो उसकी कैटेगरी की स्वयं सेवी संस्था होगी, जो उच्च क्वालिटी का भोजन देने का प्रबन्ध करेगी, हम उसको भी आमंत्रित करने का काम करेंगे।

अध्यक्ष जी, डायट की स्थापना लगभग सभी जनपदों में की जा चुकी है, जो नए जनपद बने हैं, उनमें भी लगभग जमीन आदि की व्यवस्था करने की कार्यवाही हो गयी है और डायट इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बीटीसी कराना, उच्च शिक्षा में काम करने वाले से लेकर माध्यमिक शिक्षा में काम करने वाले और प्राइमरी शिक्षा में काम करने वाले अध्यापकों को ट्रेनिंग देने का काम भी डायट के लोग करते हैं। हमने ब्लाक स्तर पर बाइट की व्यवस्था किया है ताकि ब्लाक स्तर पर भी ट्रेनिंग दे करके उनको सक्षम बनाया जा सके। अभी कई जगह डायट में प्रिंसिपल नहीं है, उनकी कमी

है, हम अतिथि प्रवक्ताओं को लेकर वहां काम चला रहे हैं। मान्यवर, अब इस जमाने में शिक्षा विभाग की जो चर्चा पहले थी, डायट अपने को मनहूस पाता था और हमने शिक्षा में बिल्कुल संकल्प लिया है, एक दिन में तो काम खत्म नहीं होगा लेकिन बिल्कुल मैंने संकल्प लिया है कि शिक्षा से भ्रष्टाचार को समूल नष्ट किया जायेगा और जहां भी मेरा कोई साथी चाहे वह पक्ष का हो या विपक्ष का हो, चाहे हमारा किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, कोई भी आदमी आकर हमसे बात करता है कि अमुक अधिकारी कुछ गड़बड़ लगता है, तत्काल उस पर कार्यवाई करते हैं। श्रीमन्, यह सब बातें हो गई सुविधा की, टीचर को जितनी सुविधा मिलनी चाहिए, देनी चाहिए, हमने दे दी, अब मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश के टीचर, अध्यापक, गुरू कहलाने वाले लोगों से मैं आज निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जब सारी सुविधाएं सरकार ने दे दी, आपकी सारी मांगे मान लिया, जो बाकी है, उसको 6-7 माह, 1 वर्ष में पूरा कर देंगे तो फिर आप प्राथमिक स्कल में जा करके उच्च क्वालिटी की शिक्षा क्यों नहीं देते हैं ? हमने महिलाओं का ट्रान्सफर कर दिया, विकलांग अध्यापकों का भी ट्रान्सफर कर दिया और आगामी सत्र में भी हम पुरुषों का ट्रान्सफर करेंगे। लेकिन पढ़ाई कब होगी, इसमें हम सदन का सहयोग चाहते हैं। इसमें भी पत्र लिखा था, मुझे आपसे कहने में प्रसन्नता हो रही है कि अब गुरू जी लोग स्कूल की तरफ रूख किए हैं। जो कभी उधर जाते ही नहीं, अब रूख किए हैं। स्कूल में जा रहे हैं। बैठ रहे हैं। जब वह स्कूल में जायेंगे, बैठेंगे तो निश्चित रूप से पढ़ायेंगे। हमारे सामने एक और दिक्कत आयी। लोगों में दिखावटीपन जो आया है हर जगह पब्लिक स्कूल खुल रहे हैं। सरकारी स्कूलों पर ग्रहण लगने जा रहा है। लोगों को अभिभावकों को इस बात का भरोसा होता जा रहा है कि पब्लिक स्कूलों में अच्छी पढ़ायी होती है। तो हमने भी अभी इटावा से शुरू किया है कि एक ही प्रांगण में प्राइमरी और मीडिल स्कूल खोले जायें। हर कक्षा में एक अध्यापक हो। हेडमास्टर हो, गणित का भी अध्यापक हो विज्ञान का भी अध्यापक हो। अच्छे से पढ़ाई हो। कम्प्टीशन हो जाये और हम आज भी आपसे कहते हैं कि हमारा टीचर योग्य है, बी0एड0 है, बी0ए0, एम0ए0, एम0एड0, बी0टी0सी0, बी0पी0एड, सी0पी0एड0 है। पब्लिक स्कूल में जो पढ़ाते हैं जिस पर अभिभावकों को ज्यादा भरोसा हो गया है वह इनके आधे भी योग्य नहीं हैं। केवल उनका काम धाम बढ़िया है, बढ़िया टाई, बढ़िया जूता, पंखा, बिल्डिंग यह देखकर अभिभावक समझता है कि बहुत अच्छी पढ़ायी हो रही है। उसके लिये हमने इटावा से यह शुरू किया है कि हम पब्लिक स्कूल से भी कम्प्टीशन लेंगे और हमारा यह विश्वास है कि यदि हमारा टीचर अगर बढ़िया से पढ़ाने लगे तो पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला लड़का कल नहीं तो परसों निश्चित रूप से प्राथमिक और मिडिल स्कूल में पढ़ने के लिए आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे बजट प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया।

*श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) एवं अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। मान्यवर, मा0 मंत्री जी बड़े वरिष्ठ हैं,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इतना लम्बा अनुभव है और बजट रखते समय मा0 मंत्री जी ने जो सारगर्भित भाषण दिया है हमारी शुभकामना है कि यह सारी बातें जमीन पर लागू हों। क्योंकि हमारा जो बेसिक शिक्षा विभाग है यह अति महत्वपूर्ण विभाग है। गांव गरीब से जुड़ा हुआ यह विभाग है। आबादी की दृष्टि से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के हम निवासी हैं। इतना बड़ा सूबा कि अगर इसको एक राष्ट्र का दर्जा दिया जाये तो इसका विश्व में छठवां नम्बर होगा। माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार भी किया है कि अब अध्यापक स्कूल की तरफ रुख कर रहा है। प्राइमरी स्कलों में शिक्षा में यह जो गिरावट आयी है तो यह एक दिन में नहीं हुआ और चूंकि माननीय मंत्री जी ने एक साल पहले यह विभाग संभाला है और मंत्री जी की जो मंशा है चूंकि मा0 मंत्री जी वरिष्ठ हैं, मा0 मंत्री जी की छवि अच्छी है, सुधार चाहते हैं। परंतु एक साल में ऐसा कोई रिजल्ट दिखायी नहीं पड़ा। व्यवस्था ऐसी बिगड़ी है कि हम लोग गांव में जाते हैं तो स्कूल बन्द मिलते हैं। मा0 अध्यक्ष महोदय, मैंनें भी गांव में प्राइमरी विद्यालय में कक्षा एक से पांच तक की पढ़ाई की है और उस समय की पढ़ाई और आज की जो पढ़ाई है, उसमें अन्तर हुआ है, लेकिन बेसिक शिक्षा के जो स्कूल हैं, उनमें दिन-प्रतिदिन ऐसी गिरावट आई है कि आज जो सक्षम हैं वह अपने बच्चों को बेसिक शिक्षा के स्कूलों में दाखिला नहीं कराते हैं। मान्यवर, चूंकि समय बदला, जनसंख्या बढ़ी, विद्यालय भी बहुत तादात में बढ़े हैं, लेकिन उनके सापेक्ष जो अध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिए वह नहीं है। जब हम पढ़ते थे तो कक्षा एक से पांच तक के स्कूल में पांच अध्यापक होते थे और आज कहीं-कहीं पर एक शिक्षामित्र के सहारे विद्यालय चल रहे हैं। अभी हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि हमारे देश में किन-किन प्रान्तों में शिक्षकों की कितनी कमी है तो नम्बर-एक पर उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश में लगभग तीन लाख से ज्यादा शिक्षकों की कमी अभी है और जब से शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ, उस अधिकार को लागू होने के बाद शिक्षकों की कमी की वजह से प्रत्येक गांव में बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है और मा0 मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि हम इस कमी को पूरा करेंगे और अगर इसको पूरा करने में प्रयास आप करेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी ऐसी आशा है हमको।

मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में इसको अच्छा बनाने के लिए तमाम अभियान चलाये गये। सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, मुफ्त में किताबें आईं, ड्रेसें आईं, मिड-डे मील चला लेकिन जमीनी हकीकत यह रही कि सर्वशिक्षा अभियान केवल ठेकेदारों के पेट भरने में ही कामयाब हुआ। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिले यह उसका मौलिक अधिकार है और प्राथमिक विद्यालय जो आज बनाये जा रहे हैं, संख्या बढ़ती चली जा रही है, लेकिन जो उनके भवन हैं, उन भवनों की गुणवत्ता इतनी खराब है कि वहां लिखा रहता है, भूकम्प रोधी कक्ष, लेकिन हम समझते हैं अगर उसको मानक पर जांचा जाय तो वह उस पर खरा नहीं उतरेंगे। हमने जिस विद्यालय में पढ़ाई की थी, उसी विद्यालय में हमारे पिता जी ने भी कक्षा एक से पांच तक की पढ़ाई की थी, यानी उसको कब बनाया गया होगा और आज भी वह भवन हालांकि जर्जर हो गया है, लेकिन उपस्थित है और उसके बगल में नए तमाम उसमें कक्ष बन गये, उसमें निर्माण हुआ, उनकी हालत अभी से खराब होने लगी। मा0 मंत्री जी ने अभी जैसे सफाई की बात की, मैं चाहूंगा कि जैसे पहले हम लोग पढ़ते थे, तो फील्ड में क्यारियां होती थीं और बच्चों से ही उसमें खेती कराई जाती थी ।

(इस समय 02 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार खन्ना पीठासीन हुए।)

सफाई, शारीरिक श्रम, इन सब के लिए यह जरूरी है। मैं विभाग द्वारा जो यह लिटरेचर उपलब्ध कराया गया है, इसको देख रहा था, इसके पेज नम्बर-आठ पर खेल-कूद मद में शासन द्वारा 2012-2013 में रुपये चार लाख धनराशि स्वीकृत की गई, चार लाख की धनराशि मैं समझता हूं कि बहुत कम है, इसको मा0 मंत्री जी अगर बढ़ाने का काम करेंगे तभी शायद पूरे प्रदेश के विद्यालयों में खेल-कूद के बारे में जो मन्शा है वह आगे बढ़ पायेगी, क्योंकि आज बहुत बड़ी चुनौती है और जो इसमें सुधार के रास्ते हैं, उनके लिए पूरे ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन की कोई ठोस कवायद करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक स्तर की शिक्षा की घटती हुई गुणवत्ता के लिए जो नीतिनियंता हैं, उनको पुनर्विचार करना होगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुए तीन वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन तीन वर्षों में हर बच्चे को स्कूल में होना था। हकीकत जगजाहिर है। एक सर्वे के हिसाब से 90 प्रतिशत स्कूल ऐसे हैं। 90 प्रतिशत प्राइमरी स्कूलों के जो भवन हैं वो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के मानकों पर खरे नहीं उतरते। हम हर वर्ष पढ़ते हैं कि कक्षा 5 के 50 प्रतिशत छात्र कक्षा 2 की किताबों को नहीं पढ़ पा रहे हैं। उनको दो अंकों का जोड़ और घटाना करना नहीं आ रहा है। जो लोग शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य को जानते हैं वो तो इससे इत्तेफाक नहीं रखते लेकिन जो लोग वहां अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वे शायद इसका अनुभव और हम सब लोग कर सकते हैं। मा0 अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मित्रों के मानदेय पर लगातार अनिश्चितता की स्थिति में कार्य करने वाले अनियमित अध्यापक समर्पित भाव से अपना कार्य नहीं कर पाता है। कभी ग्राम प्रधान से अनबन होने के कारण शिक्षा मित्रों को कई-कई माह वेतन नहीं मिल पाता, उसे स्थायी पद चाहिये, अनिश्चय से मुक्ति चाहिये। यह स्थिति स्कूल शिक्षा में नौकरशाहों ने पैदा कर दी है। पूरे देश में 7 लाख से अधिक अध्यापक मामूली से मानदेय पर नियुक्त कर दिये गये। यह नियुक्ति काण्ट्रेक्ट पर हुयी। इनमें अधिकांश अप्रशिक्षित और अनुभवहीन हैं। ऐसे में गुणवत्ता का क्या होगा। कोई भी अनुमान लगा सकता है।

मान्यवर, बड़ा ही साहसिक निर्णय लेने की आवश्यकता है बेसिक शिक्षा के दुरूस्तीकरण के लिये। एक व्यवस्था लागू कर दी गयी और कक्षा 8 तक के बच्चों को हर साल पास करने की नीति बना ली गयी। इसका भी दुष्प्रभाव सामने आने लगा है। इसका सबसे गहरा दुष्प्रभाव समाज के उस कमजोर वर्ग के बच्चों पर पड़ रहा है जिनके सामने मुक्ति का एक मात्र रास्ता शिक्षा है। सिवाय सरकारी स्कूलों के उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। इस वर्ग की चिन्ता करनी होगी। जो कुछ हम सुधार कर सकते करें, उनके बच्चे तो विशिष्टों के लिये बने प्राइवेट स्कलों में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। विभाग उत्साहपूर्वक अपनी योजनायें तो बनाता है परन्तु व्यवस्था सुधारने की दिशा में कार्य नहीं हो रहा है। सुधार के अनेक रास्ते अभी भी खुले हैं। उसके लिये साहसपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह होगा कि आजादी के समय हमारे देश की आबादी 30 करोड़ थी। आज उत्तर प्रदेश अकेले 20 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। जो व्यवस्था पहले लागू थी कि एक जनपद में एक बी0एस0ए0 होगा, पूरे जिले को देखेगा, मान्यवर, आज हालात ये हैं कि बी0एस0ए0 को निदेशालय, शासन, कोर्ट के अनावश्यक चक्कर लगाने पड़ते हैं। मान्यवर, यदि मा0 मंत्री जी चाहें तो स्कूल शिक्षा में नयी जान फूंकी जा सकती है। प्रारम्भ करने की आवश्यकता है और अगर जो हमारे अधिकारी हैं, हमारे वे अधिकारी जिन्हें निरीक्षण के लिये लगाया गया है। उनको

निरीक्षण का ही कार्य दिया जाये। सर्वशिक्षा अभियान, अन्य सारे अभियान उनके उद्देश्य तो अच्छे हैं लेकिन जो इनका मूल्यांकन है वो सही से हो। शासन का निर्देश है कि सभी बच्चों का स्कूल में पंजीकरण होना चाहिये। इसमें संख्या बढ़ जाती है लेकिन एक माह बाद जब जांच की जाती है तो संख्या कम रह जाती है। केवल आंकड़े बढ़ाने का काम न हो। उसके लिये सार्थक प्रयास होना चाहिये। आज शिक्षकों का वेतन बहुत बढ़ा है। हमारे जो गुरुजन हैं अभी हमारे मा0 मंत्री जी भी कह रहे थे कि प्राइवेट स्कलों में अनुभवहीन, उतनी डिग्री नहीं है, बहुत कम पैसा पा रहे हैं लेकिन वहां पढ़ाई हो रही है, ऐसा मानना हो गया है सारे समाज का और यहां पर अच्छा वेतन दिया जा रहा है और आपने अभी एक घोषणा की कि जो हमारी महिला अध्यापक हैं, उनको हम ऐसी जगह नियुक्त करेंगे, जहां उनको आने-जाने में परेशानी न हो, जब ये सारी सुविधाएं आप उनको देने जा रहे हैं, या उनको मिल रही हैं, तो फिर शिक्षकों की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है। आपने अपील की है। पूरा सदन यह अपील करे कि शिक्षक भी अपनी जिम्मेदारी को समझें, क्योंकि आज समय बदला है, पढ़ाई के सिस्टम बदले हैं। किसी जमाने में मीडिल पास आदमी को कहा जाता था कि बड़ा योग्य है, परन्तु आज समय बदला है, आज कम्प्यूटर का युग है। प्राइमरी स्कूल के बच्चे कम्प्यूटर नहीं चला सकते, लेकिन जो प्राइवेट बड़े-बड़े स्कूल हैं, वहां पर आज स्मार्ट क्लासेज चल रही हैं, स्मार्ट क्लासेज आज नर्सरी के बच्चों की चलाई जा रही हैं, ऐसे में जो हमारी प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, वह उनसे कैसे कम्पटीशन करेंगे, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय बनाये गए, योजना अच्छी थी कि जो हमारी गरीब बच्चियां हैं, जिन्होंने प्राइमरी की शिक्षा नहीं ली, उनको वहां रखकर पढ़ाई की जाए, लेकिन बड़ी दुर्दशा है, उसको भी दिखवाने की आवश्यकता है। मा0 मंत्री जी ने पिछले वर्ष 19 जून, 2012 के बजट में एक घोषणा की थी कि विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने 132 आवासीय विद्यालयों की स्थापना करने की योजना बनाई है, पूरे प्रदेश में पता नहीं कहां खुले हैं, मैं नहीं जानता, मेरे जनपद में तो शायद खुला नहीं है। 132 हैं तो मेरे जनपद का नम्बर आना चाहिए, मैं मा0 मंत्री जी से चाहूंगा कि इस योजना को जरूर लागू करें, जिससे कि जो विकलांग बच्चे हैं, अभी कुछ दिन पहले यहां सवाल भी आया था, तो विकलांगों के लिए भी सोचने की आवश्यकता है। अक्टूबर, 2012 में मा0 मुख्य मंत्री जी की तरफ से घोषणा हुई थी कि मैं स्वयं स्कूलों को देखूंगा, हमने अखबारों में पढ़ा था कि मा0 मुख्य मंत्री जी, स्वयं स्कूलों की हकीकत देखने के लिए शायद जाने वाले हैं। मा0 मुख्यमंत्री जी आज सौभाग्य से सदन में हैं, मैं चाहूंगा कि जरूर आप इसको देखें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

यह सौभाग्य ज्यादातर रहता है।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, हमारी आबादी के हिसाब से, हमारा देश अभी चाईना से पीछे है। मैंने सुना है कि वहां शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों के लिए सुविधाओं पर बड़ा ध्यान दिया जाता है, चूंकि यह जो प्राइमरी एजूकेशन है, हमारे उत्तर प्रदेश की 70 फीसदी से ज्यादा आबादी गांवों में रहती है, रीढ़ की हड्डी की तरह यह विभाग है तो इस पर मा0 मंत्री जी, जो कि कई बार कई देशों की यात्रा कर चुके हैं, हम चाहेंगे कि ऐसे देशों का भी भ्रमण कर लें, चाहे कमेटी के साथ कर लें या स्वयं कर लें और उसको यहां लागू कराने की व्यवस्था कराई जाए, जिन परिस्थितियों का मैंने जिक्र किया है,

ऐसे में मा0 मंत्री जी से यह कहना है कि मां-बाप अपने बच्चे को, कहीं अपने एक जवाब में मा0 मंत्री जी बता रहे थे, कि जो मां-बाप अपने बच्चे को, प्राइमरी विद्यालयों में नहीं पढ़ाते वह अच्छे लोग नहीं हैं। इसके लिए मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि इन स्कूलों की साख को दोबारा लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और यदि सब लोग मिलकर जैसा कि मा0 मंत्री जी ने अपील भी की है कि इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो वह खोयी हुई साख वापस आ सकती है। मा0 मंत्री जी, अंत में जो शिक्षा की दयनीय हालत है, इस पर कुछ कारण और सुझाव, आपको बताना चाहूंगा।

मान्यवर, बेसिक शिक्षा विभाग की दयनीय हालत के जो कारण हैं उनमें कुछ इस प्रकार हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय स्कूलों में सन् 1995 के बाद से प्राइमरी व जूनियर हाई स्कलों के नये विद्यालय व उनके भवनों को बढ़ाया गया परन्तु उनमें शिक्षकों की नियुक्ति उसी अनुपात में बढ़ाकर करना तो दूर यथानियम भी नहीं की गयी । सन् 1995 से विश्व बैंक द्वारा चलायी गयी जिला शिक्षा परियोजना कार्यक्रम (डीपीईपी) तथा बाद की सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) में परिषदीय स्कूलों में संविदा शिक्षा मित्रों की नियुक्ति कम मानदेय पर करके शेष पूरे बजट की धनराशि को शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च न करके अधिकारियों ने अनुपयोगी योजना बनाकर फिजूल खर्च किया है। जैसे निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, मिड-डे-मील की योजना, आवश्यकता के ज्यादा अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण। खेलकूद के तमाम संसाधनों (जो कि स्कूलों में दिखायी नहीं देतीं) पर खर्च। स्कूल बाउन्ड्री, शौचालय आदि पर आवश्यकता से अधिक खर्च। परिषदीय शिक्षकों को प्रत्येक शैक्षिक सत्र में विद्यालय कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों में संलग्न करना । प्रत्येक सप्ताह परिषदीय शिक्षकों को किसी न किसी मीटिंग के बहाने सम्बन्धित बीआरसी (खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय) पर व्यर्थ में जाना। प्रत्येक माह कोई न कोई प्रशिक्षण चलना, जिसमें शिक्षकों का प्रतिभाग। शिक्षा अधिकारियों का शिक्षकों के साथ शिक्षा व्यवस्था पर निरीक्षण कम, सरकारी योजनाओं पर अपना हिस्सा तय करके पद का दुरुपयोग करना। शिक्षकों में विभागीय अधिकारियों की परिक्रमा करने की चाहत ज्यादा, शिक्षण कार्य पर ध्यान कम। क्योंकि शिक्षक का शिक्षा विभाग में तमाम वित्तीय योजनाओं पर मिल जुल कर घाल-मेल कर आर्थिक लाभ उठाने पर ही ध्यान लगाना। शिक्षा विभाग के अधिकारियों, शिक्षकों की उदासीनता का बड़ा कारण, ग्रामीण अभिभावकों की प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था पर रुचि कम होना बल्कि सरकारी योजनाओं के लाभ पर ही केवल ध्यान केन्द्रित रखना। शिक्षकों की यूनियन प्रतिबन्धित की जाय, क्योंकि शिक्षक नेता स्कूल पढ़ाने कभी नहीं जाते बल्कि बी0एस0ए0 कार्यालय पर बैठकर अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं। मान्यवर, शिक्षा व्यवस्था के सुधार हेतु मेरे कुछ सुझाव हैं। प्राथमिक स्कूलों में पांच नियमित स्थाई शिक्षक तथा जूनियर हाई स्कूलों में सात स्थाई शिक्षक नियुक्त व कार्यरत हों। यदि छात्र संख्या प्रति विद्यालय 100 से अधिक हो तो प्रति 25 छात्र पर एक शिक्षक की नियुक्ति और की जाय। परिषदीय शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई विभागीय या गैर-विभागीय कार्य न लिए जायं। अधिकारी कक्षावार और विषयवार स्कूलों का निरीक्षण करें और शिक्षक के सम्बन्धित कक्षा या विषय की कमी पर उसको दण्डित किया जाय।

मिड-डे-मील या अन्य स्कूली योजनाओं से शिक्षक की भूमिका बिल्कुल समाप्त की जाय इन व्यवस्थाओं को पूर्णतयः अक्षय-पात्र जैसे एन0जी0ओ0 को सौंप दिया जाय। शिक्षक को शिक्षण अभिरुचि में जागृत करने के लिए प्रत्येक जून माह में शिक्षक योग्यता या अभिरुचि परीक्षा का आयोजन हो, इसमें

असफल शिक्षकों पर आर्थिक व पदोन्नति दण्ड का प्राविधान किया जाय। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी विद्यालय समय में कम से कम दस स्कूलों का निरीक्षण प्रतिदिन अवश्य करें और निरीक्षण में पाई खामियों पर निलम्बन या अन्य प्रभावी कार्यवाही करें। स्कूलों के भवन निर्माण एवं अन्य कोई भी निर्माण सम्बन्धी कार्य शिक्षा विभाग से हटाकर अच्छी कार्यदायी संस्थाओं जैसे एल0एण्डटी0 आदि को दिए जायें। ब्लाक, जिला मण्डल स्तर के शिक्षा अधिकारी स्कूलों के निरीक्षण एवं खामियों के सुधार पर समय अधिक बितायें, अपने कार्यालयों में समय कम दें। शिक्षा व्यवस्था की पारदार्शिता में अभिभावक की भी महत्वपूर्ण भूमिका बनाई जाय। अभिभावक अपनी जिम्मेदारी भी सुनिश्चित करे। प्रत्येक विद्यालय में शिक्षण कार्य वह शिक्षकों का रोजनामचा बनाकर प्रभावी रूप से लागू किया जाय। निरीक्षण में शिक्षा अधिकारी भी इसी रोजनामचे को केन्द्र में रखकर शिक्षकों का भी मूल्यांकन अवश्य करें। परिषदीय शिक्षकों की नियुक्ति उनके मूल निवास से कम से कम 40 कि0मी0 दूर के विद्यालय में की जाये क्योंकि जब आवास भत्ता प्रत्येक शिक्षक को मिलता है तब अपने घर पर रहकर नजदीक के स्कूल में नियुक्ति क्यों ? इसी कारण स्थानीय राजनैतिक प्रभाव भी शिक्षक में रहता है। ब्लाक शिक्षा संसाधन केन्द्रों पर एबीआरसी पद पर शिक्षकों की नियुक्ति न करके अन्य योग्य बेरोजगार नियुक्त किये जायें केवल खण्ड शिक्षा अधिकारी और उसके अधीनस्थ स्टाफ के अलावा शिक्षकों का व्यर्थ में बीआरसी पर जमावड़ा बन्द होना चाहिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह कुछ महत्वपूर्ण सुझाव, जो मैंने आपके माध्यम से रखें हैं मैं इन पर अन्त में केवल इतना कहना चाहूंगा कि हमारे शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारीगण भी सम्भवतः यहा मौजूद हैं और उन्होंने जो यह बुकलेटें यहां पर हम लोगों को बांटी हैं मैं उनका अध्ययन कर रहा था इसलिए भूमिका में जो एक कुटेशन आपने डाला है सभी सुशिक्षित स्वच्छ बनें, जन-जन का कल्याण करें, यह सर्वनाम सिद्धान्त के लिए शिक्षा एक अत्यन्त सशक्त और प्रभावशाली माध्यम है। मैं चाहूंगा कि वाकई में जो आपने लिखा है इस पर अमल करने की आवश्यकता है। क्योंकि पिछले दिनों जो सर्वे आया है इसमें तो जो लिटरेसी रेट है वह भारत का 74 प्रतिशत और हमारे प्रदेश का कागजों पर 69.72 है लेकिन शायद जमीनी हकीकत कुछ और है इसकी। अन्त में मैं आज के इस बजट पर और कटौती के अपने प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रो0 शिवाकान्त ओझा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं मैं माननीय मंत्री जी को बधाई भी देता हूं बहुत दिनों बाद, बहुत बार मैं सदन का सदस्य रहा हूं, बहुत सारी सरकारें भी देखी हैं। पिछली भी सरकार देखी जहां शिक्षा की नियुक्ति से लेकर ट्रांसफर से लेकर पोस्टिंग तक, स्कूल और शिक्षक कक्षाओं तक बनने तक बेचा जाता था। पहली बार मुझको ऐसा अनुभव होता है मैं स्वयं भी शिक्षक हूं ऐसा अनुभव होता है बेसिक शिक्षा मंत्री की सिर्फ कलम ही ताकतवर नहीं है इनके विचारों को लागू करने की क्षमता माद्दा भी इनमें जबरदस्त है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं दुनिया की बात मैं नहीं जानता लेकिन प्रतापगढ़ जनपद की जानता हूं एक ऐसा बेसिक शिक्षा अधिकारी आपने भेजा जिसने बिना किसी शील संकोच के, बिना लेनदेन के कहीं किसी का ट्रांसफर कराने की किसी की जरूरत नहीं पड़ी वह सिर्फ इन्हीं का दबदबा था बेसिक शिक्षा मंत्री जी का और बहुत लोगों ने प्रयास किया, मनमाने ढंग से जैसे ट्रांसफर होते रहते

थे ऐसे लेनदेन करके ट्रांसफर इस सत्र के भीतर किसी का नहीं हुआ इसलिए माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को मैं बधाई देता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं। आज शिक्षा में बहुत बड़ा एक अभिनव व्यवहार प्रदर्शित करके आये हैं माननीय मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश की शिक्षा में छात्रों को लैपटाप देना उनको आधुनिक शिक्षा की तरफ जागृत करना, उनको आधुनिक शिक्षा की तरफ बढ़ाने की जो शुरुआत की है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने, वह भी बधाई के पात्र हैं, बैठे हैं इसलिए कह रहा हूं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी आज दुनिया कहां चल रही है, हम किताबों की शिक्षा दे रहे हैं मैंने जितना पढ़ा लिखा है बेसिक शिक्षा को सचमुच आप सुधारना चाहते हों तो दो चीजें जरूरी हैं । बेसिक शिक्षा को दो हिस्सों में डिवाइड कीजिए एक नर्सरी शिक्षा कीजिए जिसको आप के0जी0 से कह सकते हो या शिशु से कह सकते हो उसको 2 तक ले जाइये। दूसरी प्राथमिक शिक्षा आपकी है जिसको 3 से लेकर 5 तक ले जाइये। जिन शिक्षकों को नियुक्त कर रहे हैं आप वह हैं कौन ? कितनी योग्यता है ? इनके भीतर, बीएड करने वाले शिक्षक, पीएचडी होल्डर हैं, पीएचडी होल्डर्स माननीय अधिष्ठाता महोदय, बी0टेक0 करने वाले प्राइमरी टीचर्स बन रहे हैं, इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने वाले प्राइमरी टीचर्स बन रहे हैं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि फोर फर्स्ट क्लास, फाइव फर्स्ट क्लास प्राइमरी टीचर्स बन रहे हैं, मेरा अपना अनुभव है, माननीय मुख्य मंत्री जी और बेसिक शिक्षा मंत्री जी से कहना चाह रहा हूं कि मान्यवर, इस पर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार कीजिये, अगर यह फोर फर्स्ट क्लास, फाइव फर्स्ट क्लास, पी0एच0डी0 होल्डर्स, बी0टेक0 के लोग प्राइमरी की शिक्षा देने आयेंगे तो न प्राइमरी की शिक्षा देंगे और न स्वयं उनका मन लगेगा, जो पढ़कर आये हैं, उसको भी बरबाद करेंगे और जहां पढ़ाने आये हैं, उसको भी बरबाद करेंगे । पी0एच0डी0 होल्डर वह क ख ग पढ़ायेगा एबीसीडी पढ़ायेगा आपको, फोर फर्स्ट क्लास, फाइव फर्स्ट क्लास, करके आने वाला, एम0एस0सी0 करके आने वाला, बी0टेक0 करके आने वाला छात्र, जिसको आपने शिक्षक बना दिया, वह क्या पढ़ायेगा कखगघ, एबीसीडी पढ़ायेगा, दो दूनी चार पढ़ायेगा, पहाड़ा पढ़ायेगा, गणित लगवायेगा। यह बरबादी है उच्च शिक्षा से लेकर प्राथमिक शिक्षा तक। मेरा सुझाव है कि जो नर्सरी शिक्षा हो, जो के0जी0 से लेकर द्वितीय तक चले, उसकी योग्यता सिर्फ इंटरमीडिएट रखी जाये और नर्सरी के लिये एनसीआरटी टीचिंग कोर्स चलाती है, ट्रेनिंग कोर्स चलाती है, कम्प्लसरी किया गया है, अभी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि पब्लिक स्कूल्स से हम तनख्वाह ज्यादा देते हैं, व्यवस्था ज्यादा देते हैं लेकिन प्राइमरी शिक्षा लेने वहां कम बच्चे आते हैं, पब्लिक स्कूल में ज्यादा जाते हैं, क्यों है ऐसा ? माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी जैसे माध्यमिक शिक्षा में माध्यमिक विद्यालय खोलने की बड़ी शर्तें हैं, आपके यहां भी शर्तें हैं, डिग्री खोलने की बड़ी शर्तें हैं आपके पास, प्राइवेट सेक्टर में जो खोलते हैं, मेरा निश्चित मत है कि जब तक आप अपनी शर्तों को पब्लिक स्कूल खोलने वाले, नर्सरी स्कूल खोलने वाले लोगों पर कड़ाई से लागू नहीं करेंगे, तब तक सारी की सारी प्राथमिक शिक्षा बरबादी की तरफ जायेगी आपकी। क्या हो रहा है आज, यह जो नर्सरी चला रहे हैं, मान्टेसरी चला रहे हैं, छोटे-छोटे शिशु मंदिर चला रहे हैं, इनमें पढ़ाने वाले कौन लोग हैं और जो बेरोजगारी है, माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं हमारा ख्याल है कि यह उत्तर प्रदेश की पहली सरकार होगी, जिसने एक साल के भीतर डेढ़ लाख लोंगो को रोजगार प्रदान किया है, यह मामूली बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के इतिहास के भीतर बेरोजगारी का जो आलम था, जो लोग खिल्ली उड़ाया करते थे, उन्हें आप केवल

बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे, बल्कि डेढ़ लाख लोगों को रोजगार दे करके आपने यह संकेत देने का प्रयत्न किया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार की तरफ ले जायेगी और इसे देने का काम भी शुरू कर दिया गया है। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय दीजिये, आप इस बात को कड़ाई से लागू करें कि नर्सरी शिक्षा में जो पढ़ने वाले लोग हैं, इनको पढ़ाने वाले जो टीचर्स बनने आ रहे हैं, इनके लिये नर्सरी ट्रेनिंग करने की अनिवार्यता होनी चाहिये । इससे आपका रोजगार बढ़ेगा और बेरोजगारी घटेगी। यह जो बी0एड0 करने वाले हैं, जो प्राइमरी में पढ़ाने वाले हैं, इनको आप स्पेसीफाई कीजिये । प्राइमरी में पढ़ाने वाले की योग्यता आप बी0ए0 से ऊपर मत ले जाइये। जूनियर हाई स्कल में पढ़ाने वाले हो सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट हो जायें लेकिन प्राइमरी में पढ़ाने वाले बी0एड0 वही लिये जाने चाहिये, जिनकी ग्रेजुएशन से ज्यादा क्वालीफिकेशन न हो, कम से कम कखगघ, एबीसीडी, दो दूनी चार, पांच दूनी दस पढ़ाने की क्षमता तो हो उनके अंदर। इच्छाशक्ति तो हो उनके अंदर, उसका सदुपयोग तो हो सके। इसलिये मान्यवर, मैं दो बात और कहना चाहता हूं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से, निश्चित रूप से आपने बड़ी कड़ाई से शिक्षकों को शिक्षा की तरफ काम करने के लिये प्रेरित किया है। मैंने पिछले बजट सत्र में भी कहा था कि शिक्षकों के पास शिक्षा के इतर जो काम हैं, वह वापस लिये जाने चाहिये, अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा ठीक चले, प्राइमरी शिक्षा ठीक चले, बेसिक शिक्षा ठीक चले, बच्चे उसकी तरफ आकर्षित हों तो आपको कुछ काम जरूर करने पड़ेंगे, अगर आप उसको नहीं कर पायेंगे तो बेसिक शिक्षा सुधर नहीं सकती । वह यह है कि बेसिक शिक्षकों पर इस बात को नियंत्रित किया जाना चाहिये कि हफ्ते में जो बी0आर0सी0 सेंटर, इस बी0आर0सी0 का मतलब क्या है, क्या उपयोगिता है इनकी, शिक्षा की गुणवत्ता में इनका क्या उपयोग है, यह तो सिर्फ एक बहाना है न जाने का, इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब जमाना आ गया है दूसरा। अब विजुलाइजेशन का जमाना आ गया है, अब विजुअल एजुकेशन की आवश्यकता है, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी आप भी महसूस करते होंगे कि हम सब लोग गांव से आते हैं, हमारी आपकी दादी, हमारी आपकी नानी हमारी आपकी मां हमको आपको किस्सा कहानियां सुनाया करती थीं गीत सुनाया करती थीं। हमको आपको वह तुरन्त याद भी हो जाया करता था आज जमाना बदला है बच्चों को आज किताबों की आवश्यकता नहीं है मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी आप आधुनिक मुख्य मंत्री हैं आज प्राइमरी एजूकेशन के भीतर बच्चों को विजलाइजेशन की शिक्षा दी जानी चाहिए टी0वी0 पर स्क्रीन दिखाकर उनको शिक्षित करने का काम करें। यह काम प्लेटो ने भी कहा था जो शिक्षा का सबसे बड़ा महारथी पहले पैदा हुआ था प्लेटो ने भी शिक्षा देते हुए कहा था कि बच्चों को किताब मत पढ़ाओ बच्चों की कोर्स की किताब मत पढ़ाओ बच्चों को अगर ज्ञान देना चाहते हैं तो उनको किस्से से ज्ञान दो कहानी से दो कविता से दो साहित्य से दो जो सुनकर देखकर बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं वह पढ़कर नहीं। माननीय शिक्षा मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नर्सरी एजूकेशन कम से कम नर्सरी से लेकर दो तक बच्चों को विजलाइजेशन की शिक्षा देंगे तो हमारे ख्याल से ज्यादा अच्छा रिजल्ट होगा। हमारी ज्यादा अच्छी प्रगति होगी और बेसिक शिक्षा जो हमारी परिषदीय शिक्षा है इसमें बच्चों को आकर्षित करने का आपको माध्यम मिलेगा। वहां बच्चे पढ़ने आएंगे। एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। बड़ी संख्या में बी0पी0एड0 बेकार हैं 1960 में हमें याद है हम लोग उस समय

पढ़ा करते थे जब चीन ओलम्पिक पदों को जीत रहा था तो डाक्टर लोहिया ने हिन्दुस्तान की सरकार को सावधान करते हुए कहा था कि चीन के पदक जीतने से सबक लो यही चीन कल हमारे आपके लिए खतरा पैदा होगा क्योंकि चीन की जो जवानी है वह अंगड़ाई ले रही है। वह खेल से प्रगट होती थी। हमारे बच्चे शुरू से अगर खेल में रुचि लेंगे खेल में रुचि लेकर अपने शारीरिक स्वास्थ्य और ज्ञान को मजबूत बनाएंगे बलवान बनाएंगे तो हम और हमारा प्रदेश, देश मजबूत होगा।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

प्रो0 शिवाकान्त ओझा-

बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में बी0पी0एड0 शिक्षक बेकार हैं। माननीय मंत्री जी करना भी चाह रहे हैं मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और आपसे आग्रह भी करूंगा कि हर प्राइमरी एजूकेशन एवं माध्यमिक शिक्षा के भीतर हर विद्यालय के भीतर आप एक शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति जरूर करें जो बच्चों को शुरू से लेकर उनको व्यायाम से लेकर शारीरिक शिक्षा देकर उनको खेल के मैदान में उतारने का काम करेगा। अभी कस्तूरबा विद्यालय की चर्चा माननीय मौर्य जी ने कही निश्चित रूप से कस्तूरबा विद्यालय एक अच्छी योजना है। इसमें हमारी सरकार ने व केन्द्र सरकार ने अच्छी पहल की है लेकिन इसमें तीन समस्याएं हैं जिनका आपको निदान करना होगा। वहां के टीचर्स जिनको नौ हजार रुपए के कांट्रेक्ट पर रख दिया है छुट्टी में आप वेतन काट लेते हैं महिलाओं की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने कुछ ऐसे विद्यालय देखे हैं जहां दूर-दूर तक कोई आबादी नहीं है बेटियां पढ़ रही हैं शिक्षिकाएं पढ़ा रही हैं लफंगे जाकर रात में सीटी बजाते हैं बदतमीजी करते हैं कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी कस्तूरबा विद्यालय की शिक्षिकाओं को आप रेगुलर कीजिए उनके भवनों का सुदृढ़ीकरण कीजिए । यह गरीबों की बच्चियों को पढ़ने की बहुत अच्छी योजना है । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गए बजट का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी को बधाई भी देता हूं कि आपने जो अच्छा कदम उठाया है आप अपने विचारों और इच्छाशक्ति में दृढ़ रहिएगा एक समय ऐसा आएगा कि दो साल में प्राइमरी शिक्षा में बदलाव दिखाई पड़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय सदस्य नीरज मौर्य द्वारा प्रस्तुत कटौती पर बल देने के लिए मुझे अनुमति प्रदान की। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के बारे में हम सब जानते हैं कि एक कर्मठ और एक समर्पित, ईमानदार मंत्री हैं। उनके साथ जो उनके राज्य मंत्री हैं इधर उनका गोरखपुर में कई बार आगमन हुआ है हम लोगों ने आपकी भी कार्यपद्धति को देखा है। यह भी एक सत्य है कि पहली बार ट्रांसफर में हम लोगों ने महसूस किया है कि जो लेनदेन हुआ करता था वह नहीं हुआ। लेकिन माननीय मंत्री जी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ट्रांसफर में तो लेनदेन नहीं हुआ लेकिन रिलीव कराने और ज्वाइन कराने में लेनदेन हो गई। इसको भी थोड़ा सा कड़ा करने की जरूरत है। मैं जानता हूं कि आप प्रयास कर रहे होंगे हम लोग आपको सूचनाएं देंगे तो जो छेद बचे हैं उन छेदों को भी आप बन्द करेंगे। मैं आपके बेसिक शिक्षा के बारे में मात्रात्मक परिवर्तन के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बारे में खड़ा भी नहीं हुआ हूं। कितने शिक्षक हो गये, कितनी बिल्डिगें बन गईं, कितने शौचालय बन गये, उनके आंकड़े भी हमारे पास हैं आप जानते हैं लेकिन मैं उनकी बात करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। मैं मूलतः जो बात लाना चाहता हूं वह है प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर, जिसकी एक हल्की सी चर्चा बजट के दौरान मैंने की थी चूंकि वह मूल बजट था इसलिए उस बजट में हम विस्तार से नहीं आ पाये। मैंने उस दिन इस बात का जिक्र भी किया था और आपने नोटिस भी लिया था कि भारत सरकार के योजना आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार कराई है जो प्रत्येक वर्ष तैयार होती है। इस साल की रिपोर्ट अभी 01 मार्च को प्रकाशित हुई है, जिसमें 30 दिसम्बर, 2012 तक के सर्वे के आंकड़े हैं, वह स्वयं कहते हैं कि 30 दिसम्बर, 2012 को पूरे देश में विभिन्न प्रदेशों में जो शिक्षा की स्थिति है, उसका उन्होंने मूल्यांकन किया है। मैं उनसे सम्बन्धित सिर्फ दो विषयों पर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। एक विषय जो गुणवत्ता बड़ी खराब है, उसके बारे में है और दूसरा विषय यह है कि जब से राइट टू एजूकेशन आया है शिक्षा की गुणवत्ता में जो और खराबी आ रही है, उसके बारे में है। बड़ा अजीब सा लगेगा लेकिन यह एक सत्य है जो उनके आंकड़े हैं, जो उनके तथ्य हैं वह यही बताते हैं कि जब से राइट टू एजूकेशन इस प्रदेश में लागू हुआ है गुणवत्ता की दृष्टि से शिक्षा प्रभावित हुई है। उनकी रिपोर्ट कुछ इस प्रकार से है, उन्होंने इस बात को जानने की कोशिश की है कि कक्षा-1 से लेकर कक्षा-8 तक के बच्चे, जिन्हें हम दावा करते हैं कि एक निश्चित कैरीकुलम पढ़ाया जायेगा, वास्तविक जानकारी उनके पास कितनी है। मान्यवर, रिपोर्ट यह कहती है कि कक्षा-5 और कक्षा-8 में सिर्फ 42 प्रतिशत बच्चे कक्षा-5 के ऐसे हैं जिन्हें कक्षा-2 के स्तर की जानकारी है और कक्षा-8 में सिर्फ 70 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो कक्षा-2 के स्तर की जानकारी रखते हैं। इसी प्रकार से कक्षा-5 के 15 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कक्षा-1 की जानकारी है और कक्षा-8 के सिर्फ 11 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कक्षा-1 की जानकारी है। यह रिपोर्ट है आप चाहें तो नोट कर लें इसका नाम है ''असर'' एनुअल सर्वे आफ एजूकेशनल रिपोर्ट और यह प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि यदि आप रिपोर्ट से एग्री नहीं करते हैं तो आप इसे चैलेंज कीजिए। यह रिपोर्ट पूरे देश में, पूरी दुनिया में जा रही है, पूरी दुनिया और देश उत्तर प्रदेश की शिक्षा के बारे में जान रहा है अगर आप चुप हैं तो मौनम स्वीकृति लक्षणम, इसका मतलब आप इस रिपोर्ट को स्वीकार कर रहे हैं। अगर यह गलत है तो जहां से यह रिपोर्ट निकल रही है, वहां इसे चैलेंज करना चाहिए। इसी प्रकार से जो गणित की शिक्षा का स्तर है क्योंकि गणित की बात आई, कक्षा-5 के वह बच्चे जो भाग कर सकते हैं, ऐसे लड़कों की कुल संख्या 21 प्रतिशत है और कक्षा-8 के वह लड़के जो भाग कर सकते हैं ऐसे लड़कों की संख्या सिर्फ 36 प्रतिशत है। बाकी उनकी रिपोर्ट तो खाना, घटाने और अंक पढ़ने में के बारे में है, बहुत मोटी रिपोर्ट है, मैंने उस मोटी किताब को पढ़ा है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं लेकिन माननीय अधिष्ठाता महोदय यह तो बहुत छोटा हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा तो कुछ और है। महत्वपूर्ण यह है कि जिस राइट टू एजूकेशन को हम आदर्श मानकर चलते हैं जिसके बारे में हम इतनी सारी बातें कहते हैं उस राइट टू एजूकेशन के नाते परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली में जो परिवर्तन हुआ है इसके नाते बच्चों की पढ़ने की मानसिकता में जो परिवर्तन हो रहा है, उसकी ओर यह रिपोर्ट इंगित करती है। यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण है और हम सबके समझने योग्य है क्योंकि आप समय आने पर इस पर स्टैण्ड ले सकते हैं। रिपोर्ट में इस बात को लिखा गया है कि रिपोर्ट बनाने

वाले महसूस करते हैं कि जब से परीक्षा प्रणाली समाप्त कर दी गई। यह कह दिया गया कि यह कन्टीनिवस कम्प्रहेन्सिव असेसमेंट होता रहेगा किसी बच्चे को 1, 2, 3, 4 में रोका नहीं जायेगा तब से हुआ यह है कि किसी को पढ़ने का कोई डर नहीं रह गया है। अब जो कुछ लोग पढ़ते भी थे और जो पढ़ाते थे वह भी नमस्ते हो गया है। मान्यवर, अब स्थिति वही हो रही है और माननीय मंत्री जी आप इस बात से सहमत होंगे और मैं उस आंकड़े को कम से कम आपको बता दूं कि उन्होंने एक कोहार्ट स्टडी किया है 2006 से लेकर 2011-12 तक।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आप अपने आंकड़े बताइये।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं अपने आंकड़े के अनुसार भी यह कह सकता हूं कि जो पहले पढ़ाई हुआ करती थी वह अब नहीं हो रही है। अगर वह एन0जी0ओ0 है तो आपको चैलेंज करना पड़ेगा। एन0जी0ओ0 के नाम पर उसको आप टाल नहीं सकते हैं। अगर एन0जी0ओ0 है तो आपको उस आंकड़े को अपने अधिकारियों को देना चाहिए और जिन अधिकारियों ने अब तक उन रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद उसे चैलेन्ज नहीं किया तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि यह प्रदेश के छवि को बिगाड़ रही है। हम इसे एन0जी0ओ0 कहकर टाल नहीं सकते। इन आंकड़ों से हम आंख नहीं मूंद सकते हैं या तो हम इन्हें चुनौती देंगे या हम इन्हें गलत साबित करेंगे। या तो यह सत्य पूरी दुनिया में माने जा रहे हैं, माने जायेंगे। इसलिए सरकार को अधिकृत रूप से प्रथम की रिपोर्ट को डिस्ओन कर देना चाहिए लेकिन अधिष्ठाता जी, यह रिपोर्ट केवल उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं है, इसको डिस्ओन करना इतना आसान भी नहीं होगा क्योंकि यह पूरे देश के बारे में है। क्योंकि यह पूरे देश का सर्वे योजना आयोग का, केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है इसलिए महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूं कि इसकी ओर आपको ध्यान देना चाहिए। आपने बात की कि अटेन्डेंस बढ़ने लगा है, आंकड़े यह कहते हैं कि 2012 में 89 प्रतिशत टीचर हुआ करते थे, अब वह घट करके 81 प्रतिशत हो गया है। टीचरों की अटेन्डेंस, छात्रों की अटेन्डेंस कक्षाओं में घटी है आंकड़े इस बात को कह रहे हैं। उन्होंने अट्ठारह-उन्नीस सौ विद्यालयों में जा करके सर्वे किया है। तो जो फैक्ट्स हम लोगों के सामने आये हैं उसको हम डिस्ओन नहीं कर सकते। आप अगर यह मानते हैं कि ये गलत है तो उनको चुनौती के साथ, उनके सामने सारे तथ्य रखे जाने चाहिए। दूसरी चीज, जो हम सर्वशिक्षा अभियान चला रहे हैं एक-एक बच्चे को खोज करके विद्यालय ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले वर्ष और इस वर्ष के तुलनात्मक अध्ययन यह आये हैं कि पहले से अधिक बच्चे अब विद्यालय नहीं जा रहे हैं विशेषकर बच्चियों के बारे में। एक आयु वर्ग के बारे में जो पढ़ने के लिए सबसे अधिक जागरूक मानी जाती है 11 से 14 वर्ष के उम्र की। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 2011-12 में अब विद्यालयों में जाने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या घट रही है। यह हम सबका दायित्व है। मैंने आपसे पूर्व में कहा आपकी मंशा को लेकर, आपकी कार्य प्रणाली को लेकर, आप जानते हैं आज से नहीं जमाने से चालीसों साल से हम लोग आपको जानते हैं उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। समस्या यह है कि हम सब मिल करके आप अक्सर इस बात को कहते भी हैं कि हम सब मिल करके ठीक कैसे करें। तो ठीक करने के लिए जानना जरूरी है और जान करके लक्ष्य पर टारगेट करके काम करना जरूरी है। असर क्या हुआ

है ? असर यह हुआ है कि अब शहरी क्षेत्रों में बच्चे प्राथमिक विद्यालय छोड़ करके, प्राईवेट विद्यालयों में जा रहे हैं।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा लालबत्ती जलाने पर)

अधिष्ठाता महोदय, समाप्त कर रहा हूं इसकी कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा नहीं बोलना है, कुछ सुझाव दे रहा हूं। ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में यह माना जा रहा है कि धीरे-धीरे बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में भी प्राथमिक विद्यालयों को छोड़ करके निजी विद्यालयों की ओर जा रहे हैं। यह भागने की दर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष है और 2017 में जब तक आपका कार्यकाल समाप्त होगा। 50 प्रतिशत बच्चे प्राथमिक विद्यालयों को छोड़ करके निजी विद्यालयों में जा चुके होंगे तो यह जो बात है। अगर सामान्य परिवार के लोगों को यह लग रहा है कि हमें सरकारी विद्यालय छोड़ करके निजी विद्यालय की ओर चले जाना चाहिए यह हम सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। आप जैसा मंत्री हो, और वसीम भाई जैसे सहयोगी हों, तब यह न हो तो और भी आश्चर्य होगा कि आप दोनों की जोड़ी यह नहीं कर पायेगी तो करेगा कौन ? उनको तो आपने बोलने का मौका दे दिया लेकिन हमारे वसीम भाई बोल नहीं पाये, हम इनको सुनना चाहते थे, इतना अच्छा गोरखपुर जाते हैं तो बोलते हैं। मुझे विश्वास है कि जो रिपोर्ट मैंने आपके बीच में रखी है उसे आप संज्ञान में लेंगे गलत है तो गलत सिद्ध करेंगे, अगर सही है तो परेशानी की कोई चीज नहीं है। अभी चार साल का कार्यकाल हम लोगों का बाकी है। अगर आप लक्षित होकर कार्य करेंगे और टीचरों के अन्दर वह भाव पैदा करेंगे, समाज में वह भाव पैदा करेंगे। मैं कहना नहीं चाहता जो प्राथमिक शिक्षा के मूल शिक्षक हैं वह आजकल हम लोगों को यह बताते हैं कि डा0 साहब, हो सकता है कि गलत हो या सही, आप ठीक कर दीजिएगा। जो शिक्षा मित्र हैं वह उसी गांव के हैं जिस गांव में नियुक्त हैं और प्राथमिक शिक्षक अधिकांशतः कहीं न कहीं बाहर से हो जाते हैं, उस गांव के नहीं होते हैं। किस प्रकार की समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है वह बखूबी बताते हैं। मैं आपको शहर के एक विद्यालय की बात बताकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मेरे घर के बगल में मिलन्दपुर में एक प्राथमिक विद्यालय है यहां आने के दो-तीन दिन पहले मैं गया 11.00 बजे वह विद्यालय बन्द था और जब मैंने मोहल्ले के लोगों से पूछा तो पता चला कि वह अक्सर बन्द ही रहता है। सात बच्चे लड़के-लड़कियां ड्रेस पहन कर खड़े थे, इंतजार कर रहे थे। जब 11 बजे कोई आया ही नहीं होगा तो मिड-डे-मील वील तो छोड़ दीजिये, हालांकि सैद्धान्तिक आधार पर मैं मिड-डे-मील के कान्सेप्ट से ही सहमत नहीं हूं। टीचर्स को हमने रसोइया बना दिया और बच्चे अब खाने के सिवाय कोई बस्ता वस्ता नहीं। कैसे इसका रास्ता निकलेगा किसी को नहीं मालूम। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से हो रहा है और हम सब उससे गवर्न हैं यदि अगर रास्ता निकल सके हम लोगों का भी काम होता है, माननीय उच्चतम न्यायालय को अपनी जो जमीनी सच्चाई से अवगत कराना। हम लोग भी उससे बाध्य होंगें लेकिन बाध्य होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि हम लोग अपनी आवाज उठाने के लिये भी बाध्य नहीं हैं। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आपको एक एनालिसिस करानी चाहिए कि मिड-डे-मील के नाते बच्चों का पोषण, बच्चे ही ठीक न हुए हों लेकिन पढ़ाई जरूर बर्बाद हुई है। अगर आप उसे ठीक करा सकें या सुप्रीम कोर्ट को अपने तथ्य बता सकें और सुप्रीम कोर्ट से कह सकें कि दुनिया भर की चीजों में आप जांच कराते हैं एक बार आप जांच कराकर देख लीजिये कि आपके द्वारा मजबूर किये जाने के नाते जिस प्रकार से हम मिड-डे के

ऊपर ही पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को ढकेलने के लिये बाध्य हो गये हैं उस चुनौती को अगर आप स्वीकार कर लीजिये तो ऐसा नहीं है माननीय उच्च न्यायालय के सामने, उच्चतम न्यायालय के सामने यह तथ्य रखे जायं आंकड़ों के आधार पर तो वह उस पर पुनर्विचार नहीं करेंगे। आप एक जागरूक मंत्री हैं, मुझे विश्वास है कि जो चीज सम्भव है आप उसको करने का प्रयास करेंगे।

श्री राम लाल अकेला-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्राथमिक शिक्षा के बजट के समर्थन में आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जो दृढ़तापूर्वक इच्छा शक्ति भरा हुआ बेसिक शिक्षा के बारे में अपना भाषण सदन के अंदर दिया है और माननीय मुख्य मंत्री जी की जो दिशा है प्राथमिक शिक्षा के बारे में, आज समूचे उत्तर प्रदेश का मजदूर और किसान यह महसूस कर रहा है कि इस सरकार के नेतृत्व में प्राथमिक शिक्षा के अंदर निश्चित रूप से सुधार आने का काम होगा। हमारे साथी नीरज जी कटौती का प्रस्ताव रख रहे थे और इसमें उन्होंने जो बेसिक शिक्षा के भवन हैं, उनकी गुणवत्ता की तरफ इंगित करने का काम किया, बहुत अच्छा काम किया आपने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक साल पहले का इतिहास उठाकर देख लो और ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षा के भवन जो निर्माण करते थे अध्यापक आपके कार्यकाल में 50 से 75 हजार रुपये एडवांस में कमीशन के रूप में उनसे ले लिया जाता था और जब 50 से 75 हजार रुपया कमीशन के रूप में लिया है आपने तो कहां से उन भवनों की गुणवत्ता अच्छी होगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने मंत्री जी को और माननीय मुख्य मंत्री जी को कि इन्होंने निश्चित रूप से कानून बनाकर अध्यापकों को भवन निर्माण के कार्य से विरक्त करने का काम किया है और गुणवत्ता के आधार पर भवनों का निर्माण होगा। चिन्ता मत करिये जिन भवनों की आप चिन्ता करते हो जो आपके कार्यकाल में बने हैं इस कार्यकाल में जो भवन बनेंगे जहां आपने विद्यालय की तुलना की, जहां आप पढ़े, वैसी ही गुणवत्ता के विद्यालय बनाने का काम हमारी सरकार करेगी, आपको उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निश्चित रूप से हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव ने यह कहा है किसानों के बारे में कि उत्तर प्रदेश किसानों का प्रदेश है और जब तक गांव नहीं बढ़ेगा देश नहीं बढ़ेगा। आज 75 प्रतिशत किसानों का बेटा प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा अर्जित करने का काम करता है। यह भाषण देने का सवाल नहीं। आज जो शिक्षा के स्तर के बारे में चर्चा होती है। हमको, आपको सबको समर्पित भाव से चिन्ता करनी चाहिए वरना प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं वो कल का भारत हैं और कल के भारत के निर्माण में नींव कमजोर हो गई तो देश कमजोर हो जायेगा और शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिये तीन श्रेणियां हैं। एक है अध्यापक, दूसरा है छात्र और तीसरा है अभिभावक। इन तीनों को मिलकर और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि इन तीनों कड़ियों को मिलाकर। आज जिस तरह से व्यावसायीकरण के रूप में तमाम विद्यालय गांव-गांव दरवाजे-दरवाजे खोले जा रहे हैं केवल व्यावसाय किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी इस पर कड़ाई होनी चाहिए और ऐसे विद्यालय जो पूरी तरह से हमारे प्राथमिक विद्यालय पर चोट करने का काम करते हैं वहां मजदूर किसान का बेटा लम्बी फीस नहीं दे सकता। किसान का बेटा तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिये जायेगा। अगर हम शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने का काम नहीं करते हैं तो हम अपने मजदूर और किसानों के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। आज निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे साथी

मौर्या जी ने कटौती के प्रस्ताव पर बहुत सही बात कही कि यह वी0आर0सी0 सेन्टर यह सब बकवास हैं। यह आपकी प्राथमिक शिक्षा को चौपट करने का काम हैं। इसमें आधे अध्यापक वी0आर0सी0 सेन्टर में बैठकर केवल राजनीति करने का काम करते हैं और अध्यापकों को एक आपसे निवेदन है कि जब शिक्षा के स्तर को सुधारने की बात करते हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं। इतने सरकारी मीटिंग कागज अध्यापक तैयार करता है, चाहे सर्वशिक्षा अभियान की रिपोर्ट हो, व्यावसायिक शिक्षा की रिपोर्ट हो, एम0बी0एम0 की रिपोर्ट हो, तमाम रिपोर्ट वह अध्यापक तैयार करता है। दिन भर लिखा पढ़ी करता रहता है और कक्षा में पढ़ाई कराने का उसे वक्त नहीं मिलता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप इच्छा-शक्ति दिखाइये, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक प्राथमिक और जूनियर विद्यालय में लिखा-पढ़ी करने के लिए एक बाबू अनिवार्य रूप से तैनात करने का काम किया जाना चाहिए और जब बाबू तैनात होगा तो अध्यापक लिखा-पढ़ी से मुक्त हो जायेगा। दूसरा सवाल है, हम मान्टेसरी स्कूल की तुलना में हम अपनी शिक्षा को अच्छा करना चाहते हैं तो प्रत्येक विद्यालय में एक सफाई कर्मी की तैनाती अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। आज विद्यालय भवन आप अच्छे बना रहे हैं लेकिन तमाम विद्यालय हैं, जिनमें चहार दीवारी का निर्माण नहीं है, जिनमें शौचालय का निर्माण नहीं है, जिनमें विद्युतीकरण नहीं हुआ। मान्यवर, जब प्राथमिक विद्यालय में शौचालय नहीं होगा, बाउन्ड्री नहीं होगी, मान्यवर, इस सारी शिक्षा को हमारे मुख्य मंत्री जी ने सुधारने के लिए साहसिक कदम उठाया है, पिछली सरकार ने पूरी तरीके से बेसिक शिक्षा को तबाह और बर्बाद करने का काम किया है और निश्चित रूप से हमारे नेता जिनकी सोच है, गांव, किसान, गरीब, मजदूर की, तो हम समझते हैं कि आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अन्दर एक क्रान्तिकारी परिवर्तन आया है। पहले बजट में आपने जो भाषण दिया और बात कही, आज निश्चित रूप से जैसा मंत्री जी ने कहा कि अध्यापक स्कूलों की ओर चल पड़ा है। मान्यवर, आज वह चल ही नहीं पड़ा है, आज अध्यापक समय से स्कूल जाने लगा है, केवल बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए। थोड़ी सी कड़ी मेहनत करने की और आवश्यकता है। आपने जो शानदार बजट रखा है, प्राथमिक शिक्षा का, मैं उस पर पूरी तरीके से बल देते हुए, अपनी बात को खत्म करता हूं, धन्यवाद।

श्री काली चरन सुमन-

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, आपने मुझे बेसिक शिक्षा के बजट के ऊपर बोलने का मौका दिया। माननीय नीरज मौर्या जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए आपके बीच में खड़ा हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, जबसे समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, तब से प्राथमिक शिक्षा का स्तर गिरता चला जा रहा है। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बड़े भावुक हो करके भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, इन सारी बातों का उल्लेख किया। उनके भाषणों से ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में उन्होंने जैसा कहा है, उसे खत्म करने की उनकी कोशिश है। परन्तु कहना एक अलग बात है, लेकिन जमीनी स्तर पर ले जाना एक अलग बात है। एक वर्ष समाजवादी पार्टी की सरकार को हो गया है, जमीनी स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। मैं दावे से कहना चाहता हूं। अधिष्ठाता महोदय, डा0 भीमराव अम्बेडकर जी ने

कहा था कि शिक्षा ही विकास की कुंजी है, इसी से सारे विकास के रास्ते खुलते हैं जब तक हम शिक्षा पर पूरा जोर नहीं देंगे, वह भी प्राथमिक शिक्षा पर जोर नहीं देंगे तो न तो देश का विकास हो सकता है, न प्रदेश का विकास हो सकता है, न समाज का विकास हो सकता है। आदिकाल में कहा था कि 'गुरु गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागूं पांय, बलिहारी गुरु आपने, गोविन्द दिया बताय।' साथियों जो दोहा कहा गया है, ठीक उसका उल्टा हुआ है। आज प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का काम नहीं होता, प्राथमिक विद्यालयों में राजनीति होती है और राजनीतिक मंच बनाकर शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बताना चाहूंगा, हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे, यह बात उनकी सत्य है, मान्यवर, प्रदेश में जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के माध्यम से उन गांवों के अन्तर्गत उन विद्यालयों में विद्युतीकरण, शौचालय इत्यादि सुविधाएं दे करके विद्यालयों को एक मान्टेसरी स्कूल की स्थापना का उद्देश्य दिया गया। आज इस बजट में ऐसी कोई नई बात नहीं है। मा0 मंत्री जी कह तो रहे हैं कि हम मान्टेसरी स्कूल का मुकाबला करेंगे लेकिन हमें ऐसा होता दिखता नहीं है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह द्वितीय बजट लाया गया है और इनके प्रथम बजट में भी यही सब कहा गया था लेकिन विद्यालयों में न तो कहीं चहारदीवारी है न कहीं पानी पीने की व्यवस्था है न शौचालयों की व्यवस्था है।

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अधिष्ठाता जी, विद्यालयों में पीने की व्यवस्था अगर माननीय मंत्री जी ने खत्म करा दिया तो मैं इनको बधायी देना चाहता हूं। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि विद्यालयों में पीने की व्यवस्था नहीं है।

श्री काली चरन सुमन-

मान्यवर, मेरा कहने का आशय यह है कि विद्यालयों में न तो कहीं चहारदीवारी है न कहीं पीने के पानी की व्यवस्था है न शौचालयों की व्यवस्था है। हमने तारांकित प्रश्नों के माध्यम से जानकारी चाही तो कहा गया कि निर्माणाधीन है परंतु आज एक साल में किसी भी विद्यालय में बाउंड्रीवाल, शौचालय और पीने के पानी की, बिजली की व्यवस्था नहीं की गयी है। अगर मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं देंगे तो शिक्षा का स्तर गिरता जाएगा। मान्यवर, हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री स्थानान्तरण की नीति के बारे में कह रहे थे, उनकी बात में बल है। स्थानान्तरण नीति के अंतर्गत कहीं भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। मान्यवर, आगरा की बात करता हूं। मान्यवर, जनपद स्तर के अंतर्गत जो स्थानान्तण नीति है। वहां पर एच0आर0ए0 का लाभ उठाने के लिए किसी-किसी विद्यालय में छात्र कम हैं और अध्यापक अधिक हैं और ग्रामीण क्षेत्र में अध्यापक कम हैं और छात्र अधिक हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जनपद स्तर पर स्थानान्तरण नीति छात्रानुपात पर बननी चाहिए। गांवों में अध्यापक जाना नहीं चाहते हैं और वह शहर में आना चाहते हैं। जब तक जनपद स्तर पर स्पष्ट नीति के तहत कार्य नहीं करेंगे तब तक शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा। मान्यवर, हमारे आगरा जनपद में इंटौजा गांव के अंतर्गत आश्रम पद्धति का एक विद्यालय चलता है। वहां पर लम्बे समय से स्कूल की न ड्रेस मिलती है, न किताबें मिलती हैं न समय से मिड-डे-मील मिलता है। हमने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिलाधिकारी से कहा था उसकी जांच करायी परंतु कार्रवाई नहीं हो पायी। मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जब बसपा की सरकार थी तो उस समय प्रथम सत्र में जुलाई, अगस्त, सितम्बर में छात्रवृत्ति बंट जाती थी परंतु अभी तक विद्यालयों में छात्रवृत्ति नहीं बांटी गयी है। आप लोहिया जी की बात करते हैं परंतु लोहिया जी को मानते हैं लोहिया जी की बात को नहीं मानते। जब तक हम लोहिया जी के साथ-साथ उनकी बात को मानने का काम नहीं करेंगे तब तक हमारी बात सार्थक नहीं होती है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे श्री नीरज मौर्य जी के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान व धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री (श्री मनोज कुमार पाण्डेय)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री जी के रखे गये बजट पर बोलने का अवसर दिया। हम आपका आभार प्रकट करते हैं और मा0 मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करते हैं और स्वागत करते हैं। मा0 मंत्री जी ने एक नई पहल की और यह पहल कोई छोटी पहल नहीं है। हमारे विपक्षी सदस्यों ने इसका स्वागत किया है। हम उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी हमारे साथी कह रहे थे कि 'गुरु गोविन्द दोऊ खड़े काके लागू पांय। उन्होंने गुरु की महत्ता के बारे में बताया है और धन्यवाद भी हम इसलिए देते हैं कि उन्होंनें इसको स्वीकार किया है कि स्थानान्तरण में पैसा नहीं चला है और पैसा नहीं लिया गया है। तब हम यह कहना चाहते हैं कि यह छोटी उपलब्धि नहीं है, उन्हीं गुरुओं से किस तरीके से पांच साल तक धन उगाही की गई है, किस तरीके से उन गुरुओं की जेब से पैसा निकाला गया है, अगर हम बोलने लगेंगे तो उस पर पूरे सदन को कहीं न कहीं शर्म आ जायेगी, किस तरीके से गुरुओं से पैसा लिया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री जी को कि उन्होंनें उसको न सिर्फ समाप्त करने का ही काम किया है, बल्कि उस पद्धति को खत्म कर देने का ही काम किया है, आज गुरुओं से पैसा नहीं लिया जा रहा है। आदरणीय बसपा के सदस्य मा0 नीरज मौर्या जी ने कटौती के प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा था, उन्होंने कई देशों के बारे में कहा कि इन देश के आंकड़ों से हमारी कहीं न कहीं अभी कमी है, हम कहना चाहते हैं अपने मा0 बसपा सदस्य नीरज मौर्या जी से एक चुटकुले के साथ कहना चाहते हैं, कि एक बहुत ही सम्भ्रान्त बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति थे, गली में रहते थे, ऊपर मकान था उनका, जब वह कमरे से नीचे रोज उतरते थे तो मोहल्ले के बच्चों से वह पूछते थे कि बेटा जानते हो कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, तो वह पूछते थे कि जानते हो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है, एक दिन जब वह नीचे उतरे तो लडके बहुत परेशान हो गये थे, उनके सवाल से परेशान उन लड़कों ने पूछ लिया कि लल्लू हलवाई की दुकान कहां पर है, अंकल क्या आप बता सकते हैं, तो उन्होंनें कहा कि कहां है मैं तो जानता नहीं हूं। तो बच्चों ने कहा कि बगल में है लल्लू हलवाई की दुकान को देख लीजिए, लड़कों ने कहा जब लल्लू हलवाई की पड़ोसी की दुकान आप नहीं देख रहे हैं तो अमेरिका और ब्रिटेन से इस देश का भला नहीं होना है, इस देश का शिक्षा स्तर नहीं बढ़ना है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री जी को कि उन्होंने उन तमाम पड़े ऐसे स्कूल जिनमें बाउण्ड्रीवाल नहीं थी, ऐसे तमाम स्कूल जिनके बारे में लोग कहा करते थे कि इसकी गुणता में कमी है, उनको सुधारने के लिए इस बजट में प्राविधान नहीं किया, बड़ी संख्या में उन्होंनें उसमें बाउण्ड्रीवाल के लिए बजट में प्राविधान किया है, इसके लिए बधाई देना चाहते हैं और कम से कम उत्तर प्रदेश में एक

संदेश बहुत मजबूती से देने का काम किया है, जिसको इस गलियारे से बाहर, इस सदन से बाहर पूरा उत्तर प्रदेश मानता है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो कि बेसिक शिक्षा में मा0 मंत्री जी ने जिस ईमानदारी से ईमानदारी की पद्धति लागू करने का काम किया है वह आने वाले दिनों में इस प्राइमरी पाठशाला को निश्चितरूप से मजबूत करने का काम करेगा और शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करेगा। मैं पुनः मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री जी को और उस बजट के माध्यम से जो उन्होंने अवगत कराया इस सदन को कि लगभग एक लाख चौंसठ हजार, मा0 मंत्री जी ने एक लाख पचास हजार कहा, मैंने जोड़ा तो एक लाख चौंसठ हजार लोगों को उन्होंने एक साल में रोजगार से जोड़ने का काम किया है, इसके लिए हम आपको बहुत बधाई देते हैं और इस सदन की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं। मा0 अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे बोलने के लिए अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद।

*श्रीमती रूबी प्रसाद-

धन्यवाद, माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बेसिक शिक्षा के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले मा0 मंत्री जी को अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंनें प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा का पिछले पांच सालों में जो गिरा हुआ स्तर था, उसे सुधारने का पूरा प्रयास किया, इसलिए वह हम लोगों की तरफ से धन्यवाद के पात्र हैं । साथ ही साथ मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहूंगी कि मा0 मंत्री जी, जो छोटे क्लासेज के बच्चे के लिए ऐसी शिक्षा का प्राविधान किया जाय ताकि वह बच्चे आकर्षित हों और प्राथमिक विद्यालयों में ज्यादा से ज्यादा जाने का प्रयास करें, वह यह है कि एक मा0 सदस्य भाजपा ने और सपा के एक मा0 सदस्य ने सही कहा कि विजन के रूप में बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी की शिक्षा में, एल0के0जी0 की शिक्षा में, टी0वी0 के द्वारा, स्क्रीन के द्वारा खेल-खेल में पढ़ाई की जाती है, यदि इस तरह की शिक्षा का प्राविधान प्राथमिक के साथ-साथ माध्यमिक विद्यालय में भी किया जाय और जोड़ा जाय तो निश्चित तौर पर गांव के बच्चे शिक्षा के प्रति आकर्षित होंगे और स्कूल में जाने का ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। मैं यह सुझाव के तौर पर मा0 मंत्री जी को कहना चाहती हूं साथ ही साथ महिला शिक्षा पर जोर देना चाहती हूं। मैं सुझाव के तौर पर यह कहना चाहती हूं कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां स्कूल में आयें और शिक्षा ग्रहण करें क्योंकि जब एक बेटी शिक्षित होती है तो वह दो-दो परिवारों को शिक्षा देने का काम करती है इसलिये बच्चियों की शिक्षा बच्चों की अपेक्षा ज्यादा जरूरी है। अभी हमारे प्रदेश में बच्चियों का शिक्षा में लड़कों की अपेक्षा कम है इसलिये मैं सुझाव के तौर पर कहूंगी कि लड़कियों की शिक्षा का लड़कों की अपेक्षा शिक्षा का परसेण्टेज बहुत कम है। बहुत सारे क्षेत्रों में छोटी-छोटी बच्चियों से काम लिया जाता है, उनसे काम करवाया जाता है और माता पिता उनको शुरू से ही ये संस्कार देते हैं और उनमें ये फर्क डालते हैं कि तुम लड़की हो तुम्हें दूसरे घर को जाना है इसलिये वो शिक्षा के प्रति इतनी आकर्षित नहीं हो पातीं, उनको दबाने का काम करते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे मा0 मंत्री जी, बहुत ही सुलझे हुये, बहुत ही ईमानदार और हमारे जनपद के प्रभारी भी हैं। उनके संज्ञान में है कि हमारे जनपद और हमारे विधान सभा क्षेत्र में आश्रम पद्धति विद्यालय चलाया जाता है। जहां पर आदिवासी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बच्चे बच्चियां शिक्षा ग्रहण करते हैं और आज भी उनकी एवं उस विद्यालय की स्थिति बहुत दयनीय है। साथ ही साथ कस्तूरबा विद्यालय भी है। मैं स्वयं अपने विधान सभा क्षेत्र में कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निरीक्षण करने गयी थी। एक बहुत बड़ी घटना वहां हो गयी थी। लड़कियों का स्कूल था, वहां चहारदीवारी नहीं थी और कुछ असामाजिक तत्व, कुछ लड़कों ने उसमें कूद कर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ किया था इसलिये मैं मा0 मंत्री जी के संज्ञान में विशेष तौर से देना चाहती हूं कि दुद्धी विधान सभा क्षेत्र, दुद्धी तहसील में एक वार्डेन के सहारे कस्तूरबा गांधी विद्यालय चल रहा है। मैं वहां स्वयं जा के देखा कि वहां बिल्कुल सफाई नहीं थी। एक वार्डेन थी और बहुत सारी बच्चियां थीं। वहां लोग 6-6 महीने से उपस्थित नहीं थे और एक दाई खाना पका रही थी। मैं अपनी ओर से सुझाव के तौर पर कहूंगी कि जितने कस्तूरबा विद्यालय हैं, उनको मा0 मंत्री जी स्वयं अपनी देखरेख में लें और वहां दौरा करके जमीनी हकीकत को जानें। वहां पर जो भोजन परोसा जाता है वह भी मेन्यू के हिसाब से नहीं होता। मिड-डे-मील में कहीं खड़ी-खड़ी दाल, खड़ा-खड़ा भोजन परोसा जाता है। इस तरह का संज्ञान भी मेरे विधान सभा क्षेत्र, मेरे जनपद सोनभद्र में आया। साथ ही साथ कस्तूरबा विद्यालय में वही बच्चियां जाती हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़ी होती हैं, दलित वर्ग से होती हैं, ज्यादातर आदिवासी वर्ग से होती हैं। यही लड़कियां कस्तूरबा विद्यालय में जाती हैं इसलिये पहला सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनकी सुरक्षा की गारण्टी की जाये क्योंकि जब वो सुरक्षित ही नहीं रहेंगी तो पढ़ाई क्या करेंगी इसलिये सबसे पहले उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की जरूरत है। साथ ही साथ अपने सुझाव के तौर पर मैंने पहले ही कहा है कि स्क्रीन पर दिखा करके, खेल-खेल में बच्चों की शिक्षा का माध्यम ऐसा भी होता है, छोटे छोटे बच्चों को खेल के द्वारा पढ़ाया जाता है, उन्हें शिक्षित किया जाता है। यदि इस तरह का कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों में भी चलाया जाये तो आने वाले समय में आटोमैटिक पैरेण्ट्स का और बच्चों का रूझान शिक्षा के प्रति और अधिक हो जायेगा। वे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिये जरूर जायेंगे। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूं।

श्री राम चन्द्र चौधरी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बेसिक शिक्षा विभाग के बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया। हम आपका आभार प्रकट करते हैं। मा0 शिक्षा मंत्री जी ने जो आज बजट पेश किया है। बेसिक शिक्षा में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो। बेसिक शिक्षा में सुधार हो, इस बात के लिये उन्होंने ये बजट पेश किया। हम निश्चित रूप से बजट का स्वागत करते हैं। आज प्राइमरी एजूकेशन की दशा पूरे देश के अन्दर खराब जरूर है लेकिन जब से मेरी सरकार बनी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों का आना जाना शुरू हुआ। मैं तो उस क्षेत्र से जुड़ा हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 14 महाविद्यालय हैं और बहुत से प्राइवेट स्कूल भी हैं। उसके बावजूद भी हमारे क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिये जाते हैं लेकिन प्राइमरी में कुछ सुधार लाने की आवश्यकता है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं मा0 मंत्री जी से बताना चाहूंगा कि सुधार ही जरूरी है क्योंकि जो बी0आर0सी0 दफ्तर बना हुआ है। वहां पर बैठ करके जो अध्यापक हैं, दिन भर किसी भी जगह जाने का काम नहीं करते हैं, न किसी विद्यालय की जांच-पड़ताल करते हैं, हर ब्लाक में जो ए0बी0एस0ए0 है वह जाकर जांच करें और जो हमारी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसको बताने का काम करें, जिससे लोगों में एक नई जागृति पैदा हो और आज शिक्षा में जो ह्रास आया है, हर तरह की शिक्षा में जो ह्रास आया है, हमारे

मंत्री जी ने, शिक्षा के क्षेत्र में बजट में इतनी बढ़ोत्तरी करके बजट पेश किया है। शिक्षकों का वेतन अधिक है, लेकिन गुरु शिष्य का नाता बहुत जरूरी होना चाहिए। प्राइमरी स्कूल में जब गुरु शिष्य का नाता होगा, गुरु अपने शिष्यों को शिष्य समझे और शिष्य अपने गुरु को गुरु समझे तो निश्चित ही आपस में तालमेल होगा और भी बच्चों का खिंचाव होगा, वह पढ़ने जाएंगे। इस तरह से हमारी सरकार के द्वारा, जब शिक्षा में इतना सब विचार करके, शिक्षा में उत्तरोतर वृद्धि करने का काम किया जा रहा है, उसी प्रकार से हमारी सरकार के मा0 मुख्य मंत्री जी, मा0 अधिष्ठाता महोदय, जो यह लैपटाप और कम्प्यूटर देने का काम कर रहे हैं, मुझे बहुत फक्र है। जब नाकाशाकी-हिरोशिमा पर वर्ष 1932 में एटम बम गिरा था, उस वक्त नाकाशाकी, हिरोशिमा ध्वस्त हो चुका था, उसके बाद वहां जो सरकार बनी, उसने पूरी शिक्षा नीति में परिवर्तन कर दिया और शिक्षा नीति में हाई स्कूल शिक्षा अनिवार्य कर दिया और हाई स्कूल शिक्षा अनिवार्य करने के बाद फेल किसी को नहीं किया। 80 प्रतिशत लोगों को बैक किया, उनको टेक्नीकल एजूकेशन दिया और 20 प्रतिशत जो बच्चे उनको इण्टरमीडियट की शिक्षा दी, 15 प्रतिशत को बैक किया उनको सैनिक शिक्षा दी गई और 5 प्रतिशत को हायर एजूकेशन दी गयी और जो राजनेता, शिक्षाविद् हुए। आज जर्मनी, जापान का पांच वर्ष का बच्चा भी एक छोटा-सा खिलौना बनाकर हिन्दुस्तान भेज देता है, तो हम आप बड़े प्रेम से खरीद लेते हैं। उसी प्रकार से हमारी सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार के मुखिया मा0 अखिलेश यादव जी ने जो लैपटाप और कम्प्यूटर देने का काम किया है, बच्चों में नई जागृति पैदा करने का काम किया है, हर ब्लाक में, छोटे-मोटे उद्योग-धंधे जो खुलेंगे, उन धंधों के खुलने से निश्चित ही हमारे प्रदेश के अंदर एक नई ज्योति पैदा होगी और शिक्षा के माध्यम से हमारे प्रदेश में एक नई ज्योति पैदा होगी, लोग नये ढंग से शिक्षा ग्रहण करेंगे। तब ज्यादातर हायर एजूकेशन की तरफ, लोग नहीं दौड़ेंगे और न ज्यादा आई0टी0आई0 और टैक्नीकल एजूकेशन पर ध्यान देंगे, यह जरूरी है, इसीलिए हमारी सरकार का यह प्राविधान है, इसीलिए हमारी सरकार इस शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहती है और हमारे प्राइमरी में जो तमाम खेल होते थे, आज खेल समाप्त हैं, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए मान्यवर, खेल पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि हर प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल में बच्चों के खेल के लिए बजट में और प्राविधान कर दिए जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री फेरन लाल-

मा0 अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद, आपने मुझे बेसिक शिक्षा के बजट पर मा0 नीरज मौर्या के द्वारा रखे गए कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए, जो मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मा0 अध्यक्ष जी, अभी हमारे तमाम साथियों ने, इस बजट के सपोर्ट में और कटौती में अपने-अपने विचार रखे हैं, मेरा तो जो विचार है, ये आरोप या प्रत्यारोप का समय नहीं है। वास्तव में यह है कि प्राइमरी की शिक्षा के स्तर में यह निरन्तर गिरावट आई है और यह गिरावट आज भी जारी है। मेरे कहने का आशय यह नहीं है कि यह गिरावट समाजवादी पार्टी की सरकार में आई है, लेकिन गिरावट है, यह वास्तविकता है, क्योंकि मा0 अध्यक्ष जी, विपक्ष एक सरकार का आईना होता है और विपक्ष को इस आईने के माध्यम से, जो वास्तविकता होती है, उसे सरकार को देखना चाहिए। मान्यवर, जो हम लोग यहां पर बैठे हैं । अभी हमारे साथियों ने विचार रखा कि बेसिक शिक्षा के स्तर में सुधार

हो गया है। तो इस बात का परीक्षण हम लोग यहीं पर बैठे कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितने हमारे साथी हैं जिन्होंने पिछली जुलाई में अपने बच्चों का एडमीशन प्राइमरी पाठशाला में बेसिक शिक्षा परिषद् के स्कूलों में कराया है। वह हाथ उठाने का कष्ट करें। क्योंकि मान्यवर, इस समाजवादी पार्टी की सरकार का गठन 15 मार्च, 2012 को औपचारिक रूप से हो गया था।

(कई आवाजें कि आपने अपने बच्चे का कराया है।)

मान्यवर, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो आने वाला जुलाई का महीना है क्या उस नये सत्र में हमारे साथी अपने बच्चों का एडमीशन बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में करायेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य यहां नियम और परम्परानुसार आप साथी शब्द प्रयोग नहीं कर सकते।

श्री फेरन लाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय सदस्यों से जानकारी कर रहा था। मान्यवर, जो बेसिक शिक्षा का स्तर गिरा है उसके लिए कौन दोषी है, और दोषी कौन नहीं है बल्कि जो हमारा ढांचा है उस ढांचे में सुधार की आवश्यकता है। मान्यवर, सुधार के जो कुछ मूल बिन्दु है उसमें हमें अमल करना होगा, सुधार करना होगा। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि जितने अध्यापक हैं और वो जिन प्राइमरी स्कलों में तैनात हैं वहीं पर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिये। सरकार को यह भी शासनादेश जारी करना चाहिए अध्यापकों के लिए कि जब स्वयं आप वहां पढ़ाते हैं तो आपने विद्यालय में पढ़ाने से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने की ओर ध्यान होना चाहिए, हर टीचर अपने विद्यालय में अपने पुत्र व अपने पुत्री का प्रवेश उसमें जरूर करायें। इससे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। मान्यवर, बेसिक शिक्षा मंत्री जी द्वारा कुछ सुधार का प्रयास निश्चित रूप से किये गये हैं और उनके परिणाम आयेंगें। मान्यवर, जैसा कि महिलाओं की समस्याओं को देखते हुए, उनके आवास के निकटवर्ती विद्यालय या सड़क से लगे विद्यालय में पोस्टिंग करना। यह एक महत्वपूर्ण विषय था, इससे महिला टीचरों को सुविधा हो रही है। मान्यवर, हम लोग भी उन्हीं कें बीच से चुनकर आते हैं हम लोगों को पता चलता था कि जुलाई में बी0एस0ए0 साहब ने महिला टीचरों को ऐसी जगह पोस्ट कर दिया है कि जहां से उनको आने-जाने में बहुत कठिनाई होती थी। ऐसी स्थिति में अधिकांश महिला टीचर या तो मेडिकल लेतीं थीं या कोई अन्य अवकाश ले लेती थीं और जिस कारण सम्बन्धित विद्यालय की पढ़ाई प्रभावित होती थी। इसलिए इसमें जो सुधार किया गया है वह महत्वपर्ण बिन्दु है और दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि इसमें चूंकि न्यायालय का आदेश है अभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी बोल रहे थे कि इसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना है लेकिन माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध सरकार कर ले कि माननीय उच्च न्यायालय से आग्रह तो कर ही सकते हैं कि आपने जो आदेश दिया है उसका पालन तो हो ही रहा है लेकिन उसकी परिभाषा क्या है आपने मान्यवर, एक बार माननीय मंत्री जी अपने स्तर से सर्वे करा लें मान्यवर, आज स्थिति यह है कि बच्चों को शिक्षा के नाम पर और मिड-डे-मील के नाम पर कटोरा थमा दिया गया है और शिक्षकों को रसोइया बना दिया गया है। मान्यवर, अचानक जब हम लोग विद्यालयों की तरफ जाते हैं तो टीचर लोग रसोई की तरफ विशेष ध्यान देते नजर आते हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं भी कोई कमी

मिल गयी तो कहीं शिकायत न हो जाय, और कार्यवाही न हो जाय। इसी तरह से बच्चे भी बजाय किताबे ले जाने के कटोरदान को स्कूल ले जाते हैं और उनका ध्यान उसी पर लगा रहता है कि खाना जल्दी पक जाय और उन्हें खाने को मिल जाय। जब इस तरह से बच्चों का दिमाग बट जाता है तो उनका मन पढाई में कम लगता है जिसकी वजह से शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। एक बात यह भी बतानी है कि अभी बात आई कि ग्राम रोलागढ़ रनिया में जिला खीरी में एक सरकारी भवन में एक प्राइवेट नर्सरी स्कूल संचालित है इसी तरीके की शिकायतें हमारे जनपद ललितपुर में भी हैं जहां सरकारी भवनों में निजी विद्यालय संचालित हो रहे हैं। तो ऐसे स्कूलों की जांच कराई जानी चाहिए। मान्यवर, अभी कुछ दिन पहले प्राइवेट स्कूल वाले मिले थे वह कह रहे थे कि आप हमारी बात सरकार तक पहुंचाने का काम करें। हमारे यहां दो तरह की शिक्षा प्रचलित है एक पब्लिक स्कूल है और दूसरे प्राइवेट स्कूल है। जब हम तुलना करते हैं एक हम प्राइमरी के लिए अरबों-खरबों का बजट देते हैं दूसरा प्राइवेट सेक्टर के लिए हमारी सरकार का कोई बजट नहीं होता है उसके बाद भी गुणवत्ता में जमीन आसमान का अन्तर दिखाई देता है। हमारे कई साथियों ने अभी कहा कि प्राइवेट सेक्टर पर हमें नकेल कसना चाहिए अगर हम प्राइवेट सेक्टर पर नकेल कसेंगे तो प्राइमरी का स्तर सुधरेगा। मान्यवर, यह कैसे सम्भव है। अगर नकेल कसना है तो प्राइमरी से अपने अध्यापकों पर कसना है। बल्कि हमें प्राइवेट सेक्टर के मान्यता के जो मानक हैं, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एनबीसी कोड का जो प्रमाण-पत्र है, अग्निशमन का जो प्रमाण-पत्र है दिल्ली में किसी विद्यालय में आग लगी देहात में लागू कर दिया। इसके माध्यम से जो प्राइवेट विद्यालयों की मान्यता है उनका सभी संबंधित अधिकारियों के द्वारा शोषण होता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर के विद्यालय को भी महत्व दिया जाय और जब तुलनात्मक नजरिया से दोनों को हम देखेंगे तो कम्पटीशन होगा और कम्पटीशन होगा तो शिक्षा की स्थिति में सुधार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय नीरज मौर्य द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव को बल देता हूं धन्यवाद।

श्रीमती सीमा-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर जो बोलने का अवसर दिया है उसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी हमारे जिले के प्रभारी मंत्री हैं उनको मैं अच्छे ढ़ंग से जानती हूं और उनको मैं बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने कुछ काम निश्चित रूप से अच्छे किये हैं। जहा तक मेरी समझ में बात आती है न तो सरकार के प्रयास में कोई कमीं है न तो संसाधन में कोई कमीं है। माननीय मंत्री जी, मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहती हूं उन उदाहरणों को देखिये और आप अपने आदेश को देखिये तो कहीं न कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आपका ऊपर तो बिलकुल सब सही है लेकिन जब हम नीचे जायेंगे तो कहीं न कहीं हमको कमीं नजर आयेगी। जैसे माननीय अध्यक्ष जी, अभी आपने एक आदेश दिया है 2010 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब थी तो कोई एक ऐसा आदेश कर दिया कि जिसके तहत बहुत सारे अध्यापकों के वेतन अवरुद्ध हो गये। माननीय मंत्री जी, आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया आपने 31 जनवरी को एक शासनादेश जारी किया। इस शासनादेश के तहत जो 2010 में जीओ हुए थे जिनके-जिनके वेतन अवरुद्ध हुए थे उनके उनके वेतन तत्काल प्रभाव से जारी कर दिये जायें। अब माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं, आप रिपोर्ट

मंगवा लीजिए जिन जिलों के लिए आपने ऐसे आदेश दिये थे क्या आपके आदेश का पालन हुआ है या नहीं अगर आदेश का पालन हो गया है तो निश्चित रूप से आपका बल नीचे तक पहुंचा है और अगर आपके आदेश का पालन नहीं हुआ है तो कहीं न कहीं नीचे के अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं। अभी आपने एक बात कहीं अपने भाषण में कि आपने 2012-13 में 652 प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण कार्य करा लिये हैं। हमारे क्षेत्र में माननीय अधिष्ठाता महोदय, मछली शहर ब्लाक में एक गांव है टिकरा में, घिरुहिची एक गांव है दो साल से उस गांव में प्राथमिक विद्यालय बनने के लिए पैसा गया हुआ है मैंने बार-बार जिलाधिकारी से कहा, मैंने बार-बार बीएसए से कहा कि आखिर क्यों नहीं बन रहा है। जो मेरी जानकारी में है उसके पीछे कारण यह है कि उसी गांव का प्रधान जो खुद का स्कूल खोला हुआ है वह नहीं चाहता हूं कि वहां पर प्राथमिक विद्यालय बने। यह प्राथमिक विद्यालय जहां पर बनने के लिए स्वीकृत हुआ है वहां चौहान लोगों की आबादी है उसके मन में कहीं न कहीं यह बात है कि अगर यह विद्यालय बन जायेगा तो हमारा विद्यालय भी टूट जायेगा और जब बूथ होगा, वोटिंग होगी तो हमारी वोट भी प्रभावित होगी। मान्यवर, वह राजनीति करता है तो करे लेकिन आपके विभाग को राजनीति करने की क्या आवश्यकता है। अगर उसके संज्ञान में यह बात आ गयी, अगर उसका ध्यान मैंने आकृष्ट किया तो आज की तारीख में वहां पर विद्यालय का काम शुरू हो जाना चाहिए लेकिन अभी तक नहीं हुआ । आप जनपद जौनपुर के प्रभारी मंत्री हैं। आप बताइये कितने शर्म की बात है आज हमारे जनपद जौनपुर में जो मेरी जानकारी में है 64 विद्यालय ऐसे पड़े हैं जहां पर ताला बन्द हैं वहां पर पठन-पाठन का काम नहीं हो रहा है 64 विद्यालयों में ताले पड़े हैं। मेरे क्षेत्र में ऐसा हैं। मैं इन सब बातों को माननीय मंत्री जी आपसे शिकायत के रूप में नहीं बल्कि सुझाव के रूप में कहना चाहती हूं और आपने अभी एक बात कही कि परे प्रदेश में निःशुल्क ड्रेस का वितरण हो गया, हम तो दूर की बात नहीं करते, हम तो जहां हैं, वहीं की बात करते हैं, अभी मेरे क्षेत्र में ही वितरण नहीं हुआ तो जनपद जौनपुर और परे प्रदेश की बात कहां से कह सकते हैं। यह बात सही है कि किसी भी सरकार को और किसी भी विधायक को, किसी भी जनप्रतिनिधि को आंकलन करने के लिये एक वर्ष का समय बहुत ज्यादा नहीं होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ड्रेस का वितरण अभी तक नहीं हुआ है, इस बात को मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहती हूं आप जांच करा लीजिये कि इसमें सच्चाई कितना है। माननीय मंत्री जी आपने बहुत अच्छे काम भी किये हैं, आपने विकलांगों के ट्रांसफर किये हैं, आपने महिलाओं के ट्रांसफर किये लेकिन माननीय मंत्री जी मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जो शिक्षक अपने मां-बाप का अकेला है, जिसके मां-बाप अकेले 100 किमी0-150 किमी0 दूर गांव में रहते हैं, उसका बच्चा 200 किमी0 दूर पर नौकरी करता है, क्या उसको अपने गृह जनपद में आने का अधिकार नहीं है, मेरा ऐसा मानना है कि उसको भी आना चाहिये। आपने कहा है कि ट्रांसफर होंगे, जैसे अभी आपने महिलाओं के, विकलांगों के ट्रांसफर में पूरी पारदर्शिता बरती, माननीय मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि जब हर जिले में जगह खाली है, जब हर जिले के विद्यालयों में ताले पड़े हैं तो काहे नहीं ऐसा कोई जी0ओ0 कर दिया जाता कि जो स्वेच्छा के आधार पर जहां जाना चाहे, वह वहां पर चला जाये।

माननीय मंत्री जी, एक सुझाव मैं आपको देना चाहूंगी कि जो शिक्षक हैं, उनके अवकाश प्राप्त होने की उम्र 60 साल है और जो हमारे शिक्षणेत्तर कर्मचारी हैं, उनकी रिटायरमेंट उम्र है 58 साल,

यह विसंगति क्यों है। मेरा आपसे यह भी सुझाव होगा कि जब शिक्षक 60 साल में रिटायर हो रहा है तो शिक्षणेत्तर कर्मचारी जो बाबू है, चपरासी है, क्लर्क है, उसको भी 60 साल में रिटायर होना चाहिये।

माननीय मंत्री जी, मैं आपको बधाई देना चाहती हूं कि आपने बहुत सारे अच्छे काम किये हैं, लेकिन मैं आपसे दो-तीन बातों के बारे में अवश्य जिक्र करना चाहूंगी। अभी आप हमारे जिले में बेरोजगारी भत्ता का वितरण करने गये थे, हम भी आपके विधायक थे, हम भी सदन के सदस्य थे, यह मेरी शिकायत नहीं, सुझाव है कि आपने हमको क्यों नहीं बुलाया, हम जाते तो क्या ताली न बजाते, आपकी बात पर। आपने हमको क्यों नहीं बुलाया, मैं इस बात को जानना चाहती हूं, क्या विपक्ष के विधायक को ऐसे कार्यक्रमों में जाने का अधिकार नहीं है। अगर आप प्रभारी मंत्री होकर ऐसा विभेद करेंगे तो निश्चित रूप से जिले में बैठा हुआ अधिकारी इस बात को समझेगा कि विपक्ष के विधायक की कोई वैल्यू नहीं है और विपक्ष के विधायक को वैल्यू देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

आपने यह भी कहा कि आपकी सरकार ने बेरोजगारी भत्ते को बांटा, सही है आपने बाटा लेकिन टीईटी के फार्म के माध्यम से कितने शिक्षित बेरोजगारों का पैसा आपके खजाने में जमा है, इस बात को भी सोचिये । एक-एक घर में जिन बच्चों ने फार्म भरा है, गरीब से गरीब बच्चों ने अपना फार्म भरा है टीचर के लिये, लेकिन टीचर तो बन जाते उससे पहले मामला माननीय न्यायालय में है, मैं न्यायालय के बारे में टिप्पणी तो नहीं कर सकती लेकिन सरकार से जरूर अपेक्षा कर सकती हूं कि माननीय न्यायालय में मामला है, यह सोचकर हाथ पर हाथ रखकर न बैठा जाये, कोई ठोस जिम्मेदारी के साथ और प्रयास किया जाये कि न्यायालय से हमारे बच्चों को मुक्ति मिले।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने कहा कि आपने विद्यालयों की बाउन्ड्रीवाल के लिये बहुत सारे पैसे दिये, बहुत सारे विधायक यहां पर बैठे हैं, माननीय मंत्री जी उधर के विधायकों की पूछ होती हो तो हम नहीं जानते लेकिन हम लोग किसी भी विधायक को यह नहीं पता है कि उसके विधान सभा क्षेत्र में, किस ब्लाक में विद्यालय में बाउन्ड्रीवाल बन रही है, यह किसी को पता नहीं, मान्यवर, ऐसा होना चाहिये कि यह हमारे प्रस्ताव पर लिया जाना चाहिये। हम गांव में जाते हैं और देखते हैं कि किन विद्यालयों में ज्यादा भैंस जा रही हैं, कहां पर गन्दगी हो रही है, कहां पर बाउन्ड्री बनना है। जितना इसकी विवेचना हम कर सकेंगे, जितना अच्छे ढंग से इसको हम देख सकेंगे, आपका एस0जी0आई0 और आपका बी0एस0ए0 इसको नहीं देख सकता। तो आखिर हमारे प्रस्ताव क्यों नहीं लिये जाते। उसके पीछे सिर्फ एक कारण हमारी समझ में आता है कि आपका संबंधित अधिकारी अध्यापकों से मिल करके जहां उसको पैसा मिलता है, वहां उस विद्यालय में बाउन्ड्री बन जाती है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं दो बात और कहना चाहूंगी जब मैं पढ़ती थी, हमारी भी शिक्षा-दीक्षा गांव में हुयी है, प्राइमरी में हम भी पढ़े हैं, लेकिन हमको तो याद आता है, जब हम लोग कक्षा 2-3-4 में पढ़ने जाया करते थे, उस समय जब डिप्टी साहब का मुआयना हुआ करता था तो हम लोग सुबह से बिल्कुल डरे हुये रहते थे कि आज डिप्टी साहब का मुआयना होने वाला है। आज मान्यवर, आज आपका अध्यापक विद्यालय में कम जाता है। बी0एस0ए0 के पास, डिप्टी साहब के पास, बी0आर0सी0 के पास उसका ज्यादा समय व्यतीत होता है। अगर उसके मन में डर नहीं है तो छात्रों के मन में डर पैदा नहीं हो सकता है। अधिष्ठाता महोदय हम आपके प्रति आभारी हैं कि आपने

मुझे बोलने का अवसर दिया । माननीय मंत्री जी मैं एक आखिरी बात कहना चाहूंगी संयोग से बाल विकास एवं पुष्टाहार का बजट भी आपके पास है। मैं एक बहुत जरूरी बात कहना चाहती हूं।

श्री अधिष्ठाता-

वह अलग से लिखकर दे दीजिए।

श्रीमती सीमा-

आज जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां हैं उनको खाना बनाने को कहा जाता है तो प्राइमरी वाले उनको अंदर घुसने नहीं देते आंगनबाड़ी को बनाने के लिए कोई कमरे हैं नहीं रसोइयां का कोई संसाधन है नहीं। बरतन हैं नहीं लकड़ी है नहीं इसलिए वह खाना नहीं बनता है। दूसरी बात अगर आपके पास दोनों विभाग हैं तो आपको तो और समीक्षा करके आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के लिए खाना बनाने के लिए रसोइये की व्यवस्था करनी चाहिए। अधिष्ठाता महोदय आपने अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री श्याम बहादुर सिंह यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे बेसिक शिक्षा के इस महत्वपूर्ण बजट पर जो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है बड़ी मेहनत के बाद बोलने का अवसर दिया आपका बहुत-बहुत आभार। आपकी इस कृपा के लिए मैं आजीवन आभारी रहूंगा। मैं अपने समय में जो मुझे मिला है उसमें कुछ बातें जरूर सदन के सामने रखना चाहता हूं। पिछले बेसिक शिक्षा के बजट जो भारी भरकम था लगभग पौने दो अरब का आज दो अरब से भी ज्यादा है इतना भारी और इतना बड़ा बजट देश के भविष्य के निर्माण के लिए जो हमारे माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उस बजट की महत्ता पर मैं पहले यह कहते हुए कि जिस प्रकार से अध्यापकों की तरफ जाने पर आप देखेंगे कि गुरुकुल परम्परा के तहत शिक्षण कार्य हुआ करता था और कृष्ण सुदामा एक ही विद्यालय में एक ही गुरु के द्वारा शिक्षित किए जाते थे उस परम्परा को परिस्थितियों ने समाप्ति की तरफ ले जाने का काम किया लेकिन हमें हमारी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री और उनके सहयोगियों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन लोगों ने उस परम्परा को पुनः लागू करने का काम किया। उसको कानूनी अमली जामा पहनाने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश के पैमाने पर चार में से एक बच्चा सामाजिक और कानूनी रूप से किन्हीं भी प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश पाने का हकदार है। मैं अपनी सरकार को माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। आज एक गरीब का बच्चा किसी भी ऐसे विद्यालय में अगर वह प्राथमिक में नहीं है जो आप दूसरे विद्यालयों को मान्यता देते हैं मैंने पिछले बजट भाषण में भी कहा था कि यदि हम प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा को सुधारने का मन से प्रयास करना चाहते हैं तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारी भी गाड़ियां हमारा भी दो मिनट का समय प्राथमिक विद्यालय की जांच में जाना चाहिए। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं पिछली बार मैंने बजट में कहा था कि एक तमिलनाडु में जनपद है सलोन वहां का मैंने उदाहरण दिया था कि वहां के जिलाधिकारी महोदय अपने बच्चों के साथ प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश कराने के लिए लाइन में खड़े होकर प्रवेश कराने का काम किए। दूसरे ही दिन से उस विद्यालय की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तमाम व्यवस्थाओं का कायाकल्प हो गया। मैं बेसिक शिक्षामंत्री जी से अपील भी करना चाहता हूं प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि आपके नाम के आगे भी चौधरी लगा हुआ है और कुछ समय पहले एक भाषण हुआ जिनके सिद्धान्तों पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतना बड़ा संगठन, इतनी बड़ी पार्टी और इतनी बड़ी सरकार बनाने का काम किया। प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री और देश के प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह साहब। हम और हमारे पिता जी भी उनके शिष्य रहे, उनके अनुयायी रहे, उनके द्वारा हमने सुना था, आज सदन में भी बात आई कि 9 बजकर 59 मिनट पर चाहे वह बैंक का कर्मचारी हो, स्कूल का कर्मचारी हो या किसी भी विभाग का कर्मचारी हो वह अपनी सीटों पर पहुंच जाता है। आपके सिर्फ नाम और काम का इतना प्रभाव है कि 10 बजे सभी विद्यालयों पर 99 प्रतिशत अध्यापक उपस्थिति हो रहे हैं यह आपकी मेहनत का फल है। उसमें गुणात्मक सुधार के अध्यापकों के कामों में कमी लाना पड़ेगा। हमारे गुरुजनों से आप भी पिछली बार अपील किये थे हम भी उनसे हाथ जोड़कर अपील करना चाहते हैं सदन के माध्यम से कि शिक्षक ही समाज का निर्माता होता है, शिक्षक एक कुशल शिल्पी की तरह, कुशल कुम्भकार की तरह, जिस तरह से हमारे बच्चे कच्ची मिट्टी के घड़े के समान होते हैं उनको छीलकर, ठोंक कर, पीटकर, एक निश्चित ताप पर तपा करके उन्हें समाज के पात्र के रूप में बनाने का काम करता है। जिस प्रकार से शिल्पी एक बेजान से पड़े पत्थर में भगवान की प्रतिमा से ले करके हमारा आपका और तमाम आकृतियों का सृजन करने का काम करता है। वही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारे प्रदेश और देश के शिक्षकों का है। हमारे साथी कह रहे थे कि प्राथमिक विद्यालय और दूसरे जो मान्टेसरी और कान्वेन्ट के विद्यालय हैं, मैं पिछली बार बोला था इस बार भी कह रहा हूं कि बहुत तो कसा गया है लेकिन नियमों के हवाले से ऐसे प्राईवेट विद्यालयों को मान्यता देने में ऐसी कसावट ऐसा प्रतिबन्ध होना चाहिए कि उन्हें कम से कम मान्यता मिल सके और हमारे विद्यालयों में छात्रों की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो सके। मैं यह भी आपसे अपील करना चाहता हूं कि अभी शिक्षामित्र के लिए जो आपने कहा है, स्थानीय स्तर पर उसमें यह व्यवस्था है कि वह गांव का ही निवासी होना चाहिए, जब कानूनी रूप से एक शासनादेश है तो शिक्षामित्र गांव का ही रहेगा। परन्तु कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि जो स्कूल शिक्षामित्रों के दम पर चल रहे हैं जहां पर सिर्फ शिक्षा मित्र ही है वहां पर स्थानीय नजदीक का भी अध्यापक रखने की जरूरत है। मिड-डे-मील योजना की बात अभी डाक्टर साहब कह रहे थे तो मान्यवर, माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय है, जहां तक मैं भिज्ञ हूं उसमें स्थानीय स्तर पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बन सकती, मैं एक ला-ग्रेजुएट होने के नाते जो कानून समझ सकता हूं वह बता रहा हूं मैं सम्माननीय डाक्टर साहब से कहूंगा कि ऐसा सुझाव जो यहां से नहीं होने वाला है उसे न दें। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन एक सुझाव अवश्य देना चाहता हूं मिड-डे-मील के बारे में, जब वह विवशता है आवश्यकता है तो कोई एक ऐसी कंडीशन बना दें जैसा कि मैंने किया है, मान्यवर, आजादी से लेकर आज तक प्रधान का पद भी मेरे परिवार में है, मैंने अपने यहां अपने अध्यापक लोगों से व्यक्तिगत रूप से रिक्वेस्ट की कि गुरुजन भी हमारे छात्रों के साथ दोपहर का नास्ता उसी मिड-डे-मील में करेंगे। यदि ऐसा नहीं हो पाया पता चला तो मैं उनके खिलाफ लिखापढ़ी करने का काम करूंगा। आप जो भी कह लें लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यदि उसी खाने में आपको भी खाना पड़ जायेगा तो आप जरूर उसकी गुणवत्ता बनाने का काम करेंगे, देखरेख का जरूर काम करेंगे, उसके मेन्यू को सुधारने का काम करेंगे,

ऐसा मेरा मानना है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, हम लोगों को बहुत कम समय मिल पाता है, लखनऊ, सैफई, इटावा में एक अभिनव विद्यालय की जो स्थापना दो जगह पर हुई है उसके लिए बजट में 360 लाख का जो प्रावधान किया गया है। उसके लिए भी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। शिक्षामित्रों का जो अभी इधर से जवाब आया था। हमारे मंत्री जी ने शिक्षा मित्रों को विधिवत अध्यापक बनाये जाने की प्रक्रिया शुरू की है उनको दो साल का प्रशिक्षण देकर सर्टीफिकेट देने का काम किया है उसमें 1,70,084 लोगों को अध्यापक बन जाना है, जिस दिन वह प्रक्रिया पूरी हो जायेगी सारे शिक्षा मित्र जो अर्ह हैं वह अध्यापक बन जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करिये, 3-4 बजट और हैं।

श्री श्याम बहादुर सिंह यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं थोड़ा समय और लूंगा। पहले जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो प्राथमिक विद्यालयों में हमारे छात्रों एवं उनके अभिभावकों की स्थितियों का आकलन करके सिर्फ एक जाति विशेष के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती थी। आपको स्मरण होगा उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्रित्व काल में सभी वर्गों के बच्चों को छात्रवृत्ति देकर सबको संतृप्त करने का काम किया था।

श्री अधिष्ठाता-

अब कृपया समाप्त करें।

श्री श्याम बहादुर सिंह यादव-

मान्यवर, अभी तो आधे पर भी नहीं पहुंचा हूं। बेसिक शिक्षा पर जो खेलों के ऊपर बजट दिया गया है सिर्फ 4 लाख रुपये का तो मैं बेसिक शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बहुत बड़ा प्रदेश है सिर्फ 04 लाख का बजट दिया है तो मैं आपसे एक निवेदनपूर्ण अपील करूंगा कि इस बजट को जरूर बढ़ाने का काम करें। खेलों में वैसे देश बहुत पीछे जा रहा है तो प्राथमिक स्तर से अगर सुधार होगा तो क्या पता आगे और अच्छा हो सके। निःशुल्क यूनिफार्म से लेकर सर्व शिक्षा अभियान और निर्माण कार्यों से लेकर बालिकाओं की शिक्षा के लिए जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय का प्रोग्राम है उसमें 746 विद्यालय बनाने का लक्ष्य था, कुछ छोड़कर बाकी बन गये हैं। इसमें 68,763 बालिकायें शिक्षित हो रही हैं। मीना की दुनिया का जो प्रसारण आकाशवाणी से हो रहा है, मैं बहुत सी चीजों की तैयारी करके आया था लेकिन समय नहीं है। कुछ ऐसे साथी दोनों तरफ हैं जो पूर्वाह्न 11.00 बजे से लेकर सदन के समाप्ति तक बैठे रहते हैं तो मैं अपने माननीयों से क्षमा चाहते हुए अपील करना चाहता हूं कि उनकी तरफ पीठ से जरूर एक निगाह पड़ती रहे। ऐसे साथी दोनों तरफ हैं जो बड़े नेताओं के सामने अपनी बात कह कर सदन से निकल जाते हैं उनसे मुझे पीड़ा नहीं है। लेकिन हम लोगों को मौका नहीं मिलता इसकी मुझे पीड़ा है। यह मैं व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे जितने वरिष्ठ मा0 सदस्य, मा0 कैबिनेट मंत्रीगण बैठे हुए हैं, मैं खुद टाट-पट्टी पर बैठकर पढ़ करके आया हूं। तो मुझे नहीं लगता 90 प्रतिशत से ज्यादा लोग सब प्राइमरी पाठशाला से पढ़ करके आये हैं। अगर इस गरिमामयी सदन में कैबिनेट मंत्री के रूप में बैठे हुए हैं तो प्राथमिक शिक्षा का स्तर न गिरा

था न गिरा है उसमें कमियां आ गयी थी जिसको हमारे मा0 मंत्री जी सुधारने का काम कर रहे हैं। एक साल में इतना सुधार हो गया है तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगला बजट जब प्रस्तुत करेंगें तो प्राथमिक शिक्षा अपने उच्च स्तर पर होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपने मुझे अवसर दिया, मैं आपको साधुवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं बजट का तहे दिल से भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए उस पर बल देता हूं।

*श्री छोटे लाल वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे आपने बेसिक शिक्षा के बजट पर श्री नीरज मौर्या जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे सभी सदस्यों की शिकायत है कि प्रदेश में अधिकांश प्राइमरी स्कूल बन्द रहते हैं। अभी ओझा साहब का सुझाव सरकार की तरफ से आया था कि इंग्लिश मीडियम या बी0एड0 जितने उच्च शिक्षा प्राप्त करके प्राइमरी एजुकेशन में अध्यापक बन करके आते हैं और अधिकांश शहर से आते हैं क्योंकि इंग्लिश मीडिएम के जितने छात्र होते हैं उनके नम्बर ज्यादा होते हैं और यू0पी0 बोर्ड के जितने छात्र होते हैं उनको कम नम्बर मिल पाते हैं इसलिए मेरिट में उनके नम्बर बी0एड0 में आ जाते हैं और वह अधिकांश शहर से आते हैं और शहर से आने वाले जितने भी गुरुजन अध्यापक हैं जो 80-80 कि0मी0 दूर से आते हैं .....

(इस समय 04 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

तो 11-12 बजे पहुंचते हैं और 2-3 बजे वापस चलने का काम कर देते हैं। मान्यवर, मेरा सुझाव है आपके माध्यम से कि सरकार इस पर विचार करे कि जैसे उन्होंने कहा कि इन्टर के होने चाहिए, बी0ए0 के होने चाहिए। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि ऐसी स्थिति में 90 प्रतिशत विद्यालय ग्रामीण अंचल के हैं और मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि ग्रामीण अंचल के किसान से जुड़ा शिक्षा का काम है। अधिकांश गरीब लोग हैं और हम लोग कितनी भी महत्ता देते रहें गांव के 10 प्रतिशत से ज्यादा गांव के बच्चे अच्छी जगह पढ़ने नहीं जा पाते और 90 प्रतिशत बच्चे आज भी प्राइमरी विद्यालय में पढ़ते हैं। इसमें मेरा सुझाव है कि जो दूर से आने वाले टीचर्स हैं जो बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं मान्यवर, मंत्री जी से अनुरोध है आपके माध्यम से कि इसमें ब्लाक स्तर पर नियुक्ति की नीति बनानी चाहिए जिससे हर हाल में जो गांव के इन्टर के, हाई स्कूल के और बी0ए0 के आप कह रहे हैं कि ब्लाक स्तर पर उन्हीं को चयन किया जाय ताकि गुणवत्ता के हिसाब से वह वहां पर समय से बच्चों को पढ़ायें। मान्यवर, जिस प्रकार से आपने शिक्षा मित्रों को 2001 से लेकर काम किया। (व्यवधान) बोलने दो भई। मंत्री जी आप बहुत डिस्टर्ब करते हैं सदन को। तो मान्यवर, शिक्षा मित्रों को आपने 5 हजार का माननीय मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा है, यह 5 हजार रुपये बहुत कम है, इसके 10 हजार रुपये करने का काम करें और यह अधिकांश गरीबों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं जो शिक्षा मित्र बने हैं। यह शहर के नहीं हैं, गांव के गरीबों के बच्चे हैं इसलिये इसको कम से कम 10 हजार रुपये करने का काम करें। मान्यवर, कस्तूरबा विद्यालयों की बात करते हैं, मेरे विधान सभा में दो ब्लाक हैं, दोनों में विद्यालय हैं। फत्याबाद का तहसील प्रांगण में बना दिया है कस्बा से तीन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किलोमीटर दूर है और कोई भी सुरक्षा का वहां काम नहीं है, तहसील में खुला रहता है। मेरा अनुरोध है बिल्डिंग बन गई है उसकी बाउन्ड्री का काम करें और दूसरा शम्सा ब्लाक का है। शम्सा ब्लाक का आगरा में पढ़ाई होती है शहर में और ब्लाक में कोई भवन नहीं बना। स्वीकृत किया था हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय राष्ट्रीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने 26 नवम्बर 2006 को गये थे जब घोषणा की थी। दोनों विद्यालय उनकी घोषणा के आधार पर आज चालू हैं। एक का भवन नहीं बना और आगरा शहर में पढ़ाई हो रही है शम्सा विकास खंड की, उसे बनाने का काम आप करें और बाउन्ड्री का भी। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने कहा कि अगस्त तक यूनीफार्म बंट जायेगा, इसके लिये मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। परन्तु 15 अगस्त तक जरूर बंट जाना चाहिए। इस पर आप अमल करें। यह आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। क्योंकि इसमें कोई बड़े बड़े बच्चों को नहीं मिलता यह गरीब बच्चों को मिलता है। यह तो वही लोग लेते हैं जो गांव के बिल्कुल दबे कुचले गरीब किसान के बच्चे होते हैं, वही यह यूनीफार्म लेते हैं और पहनते हैं। इस पर निर्णय आपका अच्छा है लेकिन इसका समय से पालन हो नहीं तो यह घोषणा में चला जायेगा और कोई काम नहीं होगा। मान्यवर, एक बड़ी गम्भीर समस्या है हमारे क्षेत्र में, विशेषकर हमारे बुन्देलखंड और आगरा में पानी की बड़ी समस्या है, कोई भी विद्यालय आप सर्वे करवा लीजिये। हैंड पम्प से अब पानी नहीं चलने वाला है। आपने हैंड पम्प की व्यवस्था की है और पूरे क्षेत्र में विद्यालयों में विद्युतीकरण का काम नहीं हुआ है। पहले आप लोग नारे लगाते थे रोटी कपड़ा और मकान देंगें। आज हमारे क्षेत्रों में बिजली और पानी का नारा है और किसी बात की मांग कोई नहीं करता। न मकान की, न रोटी की न कपड़े की। किसी भी विद्यालय में हैंड पम्प जो लगे आज वह खराब पड़े हैं। विद्यालयों का विद्युतीकरण नहीं हुआ। मेरा आपसे सुझाव है कि आप जनहित में और छात्रों का जो शिक्षा का ध्यान दे रहे हैं हर विद्यालय में आप ट्रांसफार्मर लगाकर विद्युतीकरण का काम करें जिससे कि वहां एक सबमर्सिबल नहीं तो एक टी0टी0एक्स0 की योजना जो टंकियों का निर्माण कराया जा रहा है वो हो सके। मैं दावा करता हूं कि आगरा में इसका इतना दुरुपयोग हो रहा है। इतना दुरुपयोग हो रहा है कि जितनी पूरे प्रदेश में नहीं लगी होंगी उतनी टंकिया आगरा में लगाई गई हैं। मेरा अनुरोध है कि आप उनमें से एक एक टंकी गांव में बने विद्यालयों में लगाने का काम करें जिससे छात्र भी उससे पानी भरेंगें और जब पानी की सप्लाई पाइप से होती है तो उससे गांव के लोग भी पानी ले सकेंगें। इसका निर्माण स्कूल के प्रागंण में करा देंगें तो अच्छा रहेगा। माननीय मंत्री जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने कहा कि यह कोई काम नहीं करेंगें। यह बहुत अच्छा काम है अगर आपको गुणवत्ता में सुधार करना है तो निश्चय आपको संकल्प लेना होगा कि यह पढ़ाई के अलावा दैवीय आपदा के अलावा और कोई काम नहीं करेंगें। आज की तारीख में अध्यापकों का दोष नहीं है, वो सारा काम अध्यापक करते हैं चाहे मान्यवर, चाहे वोट बढ़ाने का काम है, चाहे गिनती का काम है चाहे जाने-आने का काम है सारे शिक्षकों को आपने इससे छुटकारा दिला दिया है मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। यह काम बहुत अच्छा है क्योंकि यह छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। चाहे यह काम लेखपाल से कराया जाए चाहे ग्राम्य विकास अधिकारी से कराओ, चाहे किसी दूसरे से कराओ लेकिन अध्यापक से मत कराओं। दूसरा एक साहब ने कहा ए0बी0आर0सी0 और बी0आर0सी0 यह लोग कोई काम नहीं करते हैं यह केवल वसूली का काम करते हैं। आप सर्वे करा लें यह केवल यह करते हैं कि जो नहीं

आते हैं तो हाजिरी में और जो नहीं आते हैं उनक ड्यटी बदलवाने में और एक स्कूल से दूसरे स्कूल में पोस्टिंग कराने का काम करते हैं। और मजिस्ट्रेट की तरह बनकर स्कलों में अध्यापकों के पास दौड़ा करते हैं, अभी पिछली बार सदन में कहा था कि कितने अध्यक्ष ऐसे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में स्कूलों का निरीक्षण किया। आपके आशीर्वाद से मैं परसों गया मैंने निरीक्षण किया तो वहां पांच अध्यापक थे उन पांच में से एक अध्यापक मिला और एक शिक्षामित्र मिला दो कहां गए पूछा तो बोले वह तो ए0बी0आर0सी0 और बी0आर0सी0 हैं वह सुबह निकल जाते हैं हाजिरी भर जाते हैं फिर आते नहीं हैं तो आप इस परम्परा को देखें वह ए0आर0सी0 और बी0आर0सी0 का काम देखें लेकिन स्कूल में पढ़ाई के समय जरूर पढ़ाएं। वरना उनकी जगह नियुक्ति करें। सरकार की तरफ से कहा गया कि झाड़ू वाले की कमी है। यह आप भी मानते हैं हम भी मानते हैं कि सफाई नहीं होती है तो आप सफाई कर्मियों की भी नियुक्ति करें। जैसे हमारी सरकार थी बहन कुमारी मायावती जी ने गांव की सफाई के लिए एक लाख सफाई कर्मी भर्ती कर दिए। आप भी भर्ती कर दो, उससे ज्यादा आप भर्ती कर लो और ग्राम पंचायत स्तर पर सफाई कर्मचारी लगा दो। फिर चाहे चार स्कूल हों चाहे पांच स्कूल हों सफाई का काम जरूर होना चाहिए तभी गुणवत्ता का काम होगा। आपने भोजन के लिए कहा, तो अधिकांश महिलायें जो भोजन बनाती हैं वह गरीब विधवा और बिल्कुल असहाय भोजन बनाने का काम करती हैं, इसमें मंत्री जी आप ऐसा कर दें कि कम से कम उनके विधवाओं के बच्चे, वह तो भोजन खा जाती होंगी, वहीं बनाती होंगी, वहीं खाती होंगी, लेकिन उनके बच्चे भूखे रहते होंगे तो आप जो उनको डेढ़ सौ रुपया मिलता है उसको आप साढ़े चार हजार रुपया कर दें, डेढ़ सौ रुपये में तो आजकल सफाई कर्मचारी भी नहीं मिलता है तो कम से कम इनको साढ़े चार हजार रुपया दें। डेढ़ सौ रुपया प्रतिदिन देने का काम कर दें। मान्यवर आपने कहा कि प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालय एक ही प्रांगण में बनाने का काम होगा। अभी तो यह है कि एक सिरे पर प्राइमरी पाठशाला है और दूसरे सिरे पर माध्यमिक पाठशाला है, स्थिति यह है कि प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले, मैंने कल बी0एस0ए0 को फोन किया, जूनियर स्कूल में कोई अध्यापक नहीं है प्राइमरी विद्यालय वाला तीन सौ मीटर पर जाकर और शिक्षामित्र वहां पढ़ा रहा है। मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कल व्यवस्था हो जाएगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी भी सुन रहे हैं, मेरा अनुरोध है कि आप नियम बनाकर ऐसे विधेयक लाएं कि ग्रामीण अंचल में पढ़ाने वाले, प्राइमरी एजूकेशन देने वाले गांव के अधिकांशतः वह गरीब लोग लिए जाएं जो रुचि लेकर पढ़ाएं जितने शहर वाले पढ़ाने के लिए आते हैं वह फारमेलिटी करने आते हैं, वह न तो क,ख पढ़ाते हैं और न एक दो पढ़ाते हैं, वह नहाधोकर तैयार होकर चले आते हैं, विशेषकर मैं महिलाओं की बात करना चाहता हूं गांव में मैं देखता हूं कि वह महिलायें आती नहीं हैं, अगर आती भी हैं तो फारमेलिटी करके चली जाती हैं अगर ईमानदारी से हम लोगों को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है तो आपको परिवर्तन लाना होगा और सोच को बदलना होगा हम आपका पूरा साथ देंगे और साथ तब देंगे जब देखेंगे कि हां वास्तव में यह किसानों की सरकार है किसानों का काम करने वाली है गुणवत्ता ठीक करने का जो काम है, सुधार करने का जो काम है, यह पूरे प्रदेश का काम है यह सत्तापक्ष और विपक्ष का काम नहीं है यह सबका काम है सबको मिलकर अच्छा काम करना चाहिए इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और कहना चाहता हूं कि आप मेरे सुझावों पर आप ध्यान दें। धन्यवाद।

श्री गुलाम मोहम्मद-

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी द्वारा रखे गए बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, एक ऐसा इन्सान जो सबको खुली दावत देता हो, सबको निमन्त्रण देता हो कि आइये, हमारे विभाग की कोई कमी बताइये, उससे बेहतर इन्सान, उससे बेहतर मंत्री कौन हो सकता है ? मैं मुबारकवाद देता हूं, माननीय मंत्री जी को कि वह पक्ष ही नहीं, विपक्ष की, सबकी बात सुनते हैं और यह भी बात साबित कर दी है जैसा अभी माननीय जैसल साहब और दूसरे एक सदस्य उधर से कह रहे थे कि भ्रष्टाचार ऊपर से है। ऊपर से भ्रष्टाचार हो रहा था, बहुत सही, उन्होंने अपनी बात को कबूल कर लिया। ऊपर कहां तक जा रहा था, अच्छी तरह से आपको मालूम है, बीच में जो कड़ियां थीं, वह भी परेशान हैं। माननीय मंत्री जी ने यह साफ जाहिर कर दिया, यह साबित कर दिया कि इस विभाग को भ्रष्टाचार से मुक्त कर दिया गया और सबको खुला न्योता दिया गया है कि बताइये कि हमारी कोई कमी हो, हम उसको दूर करेंगे। मान्यवर, यह प्राइमरी एजूकेशन, बेसिक शिक्षा, सच्चे मायनों में शिक्षा की शुरुआत है और यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्टेज होती है, बच्चे की जिसमें उसको सीखना होता है। बच्चे की पाठशाला सबसे पहले उनकी अपनी मां की गोद होती है और उसके बाद प्राइमरी स्कूल। बहुत सारे मैथड्स हो सकते हैं, लर्निंग बाई डूइंग है, लर्निंग बाई प्लेइंग है, क्विशचन-आन्सर मैथड से, बच्चे को सिखाया जाता है। आज जिस तरह से सुधार हमारे माननीय मंत्री जी कर रहे हैं, वह सराहनीय है, मैं भी इसमें अपने कुछ सुझाव पेश करना चाहता हूं। हमारे जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं, उन सबमें वेल क्वालीफाइड टीचर्स को इप्वाइंटमेंट दिया जाता है, हर सब्जेक्ट में वह क्वालीफाइड होते हैं। लेकिन थोड़ी लापरवाही से जिस तरह से हमारे किसी साथी ने कहा, हम भी उन्हीं प्राइमरी स्कूलों में पढ़े हैं, डिप्टी साहब का एक खौफ होता था, उसको कायम किया जाना चाहिए। हमारी सरकार का अभी एक साल पूरा हुआ है, जो बिगड़ी हुई व्यवस्था थी, उसको ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। दूसरे जो हमारे प्राइवेट स्कूल गली-गली, मोहल्लों-मोहल्लों में खुले हैं, उनको जब हम मान्यता देते हैं, उसमें भी यह ख्याल रखा जाना चाहिए कि जो नार्म्स और कन्डीशन हैं, उनको पूरा होना चाहिए। जो छोटे-छोटे कमरे हैं, उनमें भूसे की तरह बच्चों को भर दिया जाता है। ऐसी बिगड़ी हुई व्यवस्था है, सिर्फ ए,बी,सी,डी, रटवा देना ही एजूकेशन नहीं है। एजूकेशन तो बच्चे का आलराउण्ड डेवलपमेण्ट है, चहुमुखी विकास है, यदि यह नहीं होगा तो उसको सही एजूकेशन मिल ही नहीं सकती है। छोटे-छोटे कमरे हैं, कई-कई सौ बच्चे हैं, न उनके खेलने का मैदान है और न ही सही तरह का फर्नीचर है, तो उसकी व्यवस्था पर ध्यान दिया जाना चाहिए। चूंकि मैं भी इसी फील्ड में हूं, मैं चाहता हूं कि इस बात पर खास तौर से ख्याल रहे कि जिन स्कूलों को आठवीं तक की मान्यता दी जाए, उसमें उनके टीचर्स की क्वालीफिकेशन भी देखी जानी चाहिए, खासतौर से जो मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ाने वाले टीचर हैं, उनकी कमी उन मोहल्लों में चलने वाले स्कूलों में जो इंग्लिस मीडियम के नाम से चल रहे हैं, जो अच्छी खासी फीस वसूल कर रहे हैं, कमी है। वहां पर साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए क्योंकि आठवीं तक मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ाने के लिए ग्रेजुएशन के नीचे का टीचर नहीं पढ़ा सकता है लेकिन वहां कोई इण्टर पास है, कोई दसवीं पास है और हमारी बच्चियां थोड़े-थोड़े पैसों में वहां पढ़ा रही हैं, इसका भी ख्याल डिपार्टमेण्ट की तरफ से रखा जाना चाहिए। यह मेरा एक सजेशन है। इसके अलावा

मैंने आपसे अलग से मिलकर भी कहा था और आपने उस पर एक्शन भी लिया है फिर भी मैं एक बात रख देना चाहता हूं कि जो दूरदराज के स्कूल हैं वहां टीचर नहीं जाना चाहता है। जो शहरों के करीब स्कूल हैं वहां बच्चे कम हैं टीचर ज्यादा हैं और शहरों के दूरदराज के जो स्कूल हैं वहां बच्चे ज्यादा हैं टीचर कम हैं। उस पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए। मैंने बी0एस0ए0 साहब से भी कहा था, आपके कहने से उस पर कुछ असर हुआ है लेकिन वहां की जो व्यवस्था जिसमें वहां के सी0डी0ओ0 और अन्य लोग शामिल हो जाते हैं तो उस व्यवस्था पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मान्यवर, देश में दो जुबाने हिन्दी और उर्दू इसी मिट्टी में पलकर बड़ी हुयी हैं। दोनों बड़ी प्यारी जुबाने हैं। हिन्दी तो हमारी राष्ट्रीय भाषा है। मान्यवर, हमारी सरकार ने तो उर्दू के टीचर्स भी रखे और हर तरह से काम किया। लेकिन मेरी दरखास्त यह है कि जहां बच्चे नहीं है वहां उर्दू टीचर्स को रख दिया जाता है जहां बच्चे हैं वहां नहीं रखा जाता। अपनी सुविधा के हिसाब से सब काम चल रहा है। तो इस पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं यह भी चाहता हूं कि जो वजीफे दिये जाते हैं तो उन स्कूलों को भी देखा जाना चाहिए जो कुछ खास वजहों से बच्चों के नाम नहीं भेजते हैं। उन पर निगाह रखी जानी चाहिए और उनकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। बच्चों के वजीफे समय पर मिलने चाहिए। हमारी सरकार इसको करना चाहती है लेकिन नीचे के लेवल पर लापरवाही बरती जाती है। यह कुछ सजेशन्स हैं मेरी दरखास्त है कि इन सजेशन्स को आप इसमें शामिल करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे बोलने का वक्त दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

देखिये इस बजट पर ढाई घण्टे चर्चा को हो गया। अब इस चर्चा को बन्द किया जाये। अभी और बजट हैं।

*श्री धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, बेसिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण बजट पर नीरज मौर्य जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, हमारे शास्त्रों के अनुसार शिक्षा ऋषि ऋण है। इस ऋण को सभी को चुकाना चाहिए और सभी का इस ऋण के लिए कर्तव्य बनता है कि वह शिक्षा में जितना सुधार कर सकें उतना सुधार करें। मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं है। अभी बहुत प्रयासों की आवश्यकता है। प्राथमिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा है। मा0 मंत्री जी ने पूरे बजट में अपने को तीन बातों में केन्द्रित किया। सर्व शिक्षा अभियान, विद्यालय में मध्याह्न भोजन और विभाग की गतिविधियों के लिए बजट। मान्यवर, आज शिक्षा में गिरावट आ रही है। मान्यवर, शिक्षा पर तीन बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। संस्कार, अध्यापन, स्वाध्याय। मान्यवर, आज प्राथमिक शिक्षा से संस्कार दूर हो गये। मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः, आचार्य देवो भवः। बताने वाले अध्यापक नहीं रहे। वह गुरुदेव रहे नहीं, जब तक संस्कार नहीं होंगे, चारों तरफ हम ऐसा वातावरण बनायें कि संस्कार उद्धत होने लगें, जब बच्चे संस्कारवान होंगे तो निश्चित रूप से वह ज्ञानवान हो जायेंगे और जब ज्ञानवान हो जायेंगे तो वह धनवान हो जायेंगे। मान्यवर, आज सच में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मा0 मंत्री जी बहुत चिन्तित हैं, लेकिन शिक्षा की नीति बहुत खराब है, इन्होंनें अभी कहा है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए, शिक्षा में गुणवत्ता का सुधार क्या है, ये कक्षा-एक से आठ तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं करेंगे, चाहे वह पढ़ना जानता है अथवा नहीं जानता है। तो मान्यवर हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं मा0 मंत्री जी से जब आप बच्चों को फेल ही नहीं करोगे तो शिक्षा में गुणवत्ता आयेगी कहां से। मान्यवर, प्राथमिक विद्यालय में कक्षा पांच के पचास प्रतिशत छात्र, कक्षा दो की किताब नहीं पढ़ पाते, उन्हें इकाई, दहाई, सैकड़ा का ज्ञान नहीं । तो मान्यवर, हम प्राथमिक शिक्षा को कहां ले जा रहे हैं और मान्यवर आज 80-20 का रेशियो है, 80 प्रतिशत वह लोग हैं जो गांव में रहते हैं, झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं, अखबार नहीं पढ़ पाते हैं, मा0 मंत्री जी ने आज बजट उन्हीं लोगों के लिए रखा है। 20 प्रतिशत लोग हाईटेक हैं, जो कम्प्यूटराइज शिक्षा का प्रयोग करते हैं। मान्यवर, हम प्राथमिक शिक्षा की बात करें, प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दें तभी हमारे प्रदेश की तरक्की होगी। मान्यवर, आज प्राथमिक शिक्षा को बिगाड़ने का काम प्रशासनिक अधिकारी का रहे हैं, यह नहीं चाहते कि गांव के गरीबों के बच्चे पढ़ें, क्योंकि इनके बच्चे कान्वेन्ट स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए प्राथमिक शिक्षा का सत्यानाश करने पर तुले हैं। मान्यवर, इन्होंनें मिड-डे मील की बात कही, मध्यान्ह भोजन की क्या आवश्यकता है, बच्चे थाली कटोरा ही दिन भर बजाते रहते हैं और जो अध्यापक हैं वह सिर्फ भोजन में ही लगे रहते हैं, तो इसलिए जो स्थिति बनी हुई है। मैं आपका आभारी हूं मैं केवल एक मिनट में एक-दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, मान्यवर इस तरीके से मा0 मंत्री जी ने एक बहुत अच्छा विषय उठाया है और इससे लगता है कि यह चाहते हैं कि गरीबों के बच्चे पढ़ें, इन्होंने अभिनव विद्यालय खोलने की बात कही और मान्यवर यह केवल दो जगह खोलेंगे, एक लखनऊ में खोलेंगे और दूसरा मा0 मुख्यमंत्री जी का जो गांव है, सैफई में खोलेंगे। क्या मान्यवर, सिर्फ दो स्थानों पर विद्यालय खोलने से काम चल जायेगा ? क्या दो ही स्थानों के बच्चे पढ़ जायेंगे तो सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के बच्चों को पढ़ा-लिखा मान लिया जायेगा। मान्यवर, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह ज्यादा जगह नहीं खोल रहे हैं तो कम से कम मण्डल स्तर पर एक-एक विद्यालय जरूर खोल दें, ताकि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में यह संदेश जाय कि समाजवादी पार्टी, मान्यवर आप तो समाजवादी हैं, कहां परिवार वादी हैं, आप तो परिवार वादी की ओर बढ़े चले जा रहे हैं तो मान्यवर हम चाहते हैं कि यह समाजवादी पार्टी का जो बजट आप लाना चाहते हो, तो यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के गांव, गरीब, किसानों के लिए हो । मान्यवर, मैं इतनी ही बात कहते हुये, अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

देखिये अभी और बजट है शिक्षा का, माध्यमिक शिक्षा है, उसमें बोल लीजिए, दो घण्टा पैंतीस मिनट इसमें चर्चा हो गई है।

श्री प्रदीप चौधरी-

मान्यवर, सिर्फ दो मिनट में अपनी बात कह दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, बोल लो, लेकिन जल्दी खत्म कर देना।

श्री प्रदीप चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बेसिक शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। मा0 अध्यक्ष जी, जो प्राथमिक विद्यालय खोलने का मानक है वह 300 की आबादी पर खोलने का मानक है, लेकिन हमारे क्षेत्र में बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे गांव, मजरे ऐसे बचे हुए हैं जहां कई-कई हजार की आबादी होने के बावजूद भी वहां पर प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं। हमारे क्षेत्र के अन्तर्गत गांव जिधेड़ी का मजरा है एक छोटा सा वहां पर स्कूल नहीं है और छोटी कैण्डल, मिर्जापुर गंगोह के अन्दर गुडछप्पर, गुरुनानकपुरा, बासदेवा और बहलोलपुर इन गांवों में प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं, मा0 मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि यहां पर प्राथमिक स्कूल खुलवाने का प्रयत्न किया जाय ताकि वहां के बच्चे शिक्षित हो सकें और मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बारे में भी कुछ बातें कहना चाहता हूं, मान्यवर, कई-कई हजार की आबादी होने के बावजूद भी वहां पर उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं खुले हैं, गंगोह ब्लाक के गांधीनगर, बहादुरनगर, मेघामाजरा, माधोपुर, ठोल्ला आदि गांव हमारे क्षेत्र के ऐसे गांव हैं, इनमें उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की कृपा करें, यह मैं मा0 मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं, इसी के साथ मैं बहुत लम्बी बात न करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

*श्री अजय कुमार ''लल्लू''-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और मा0 नीरज मौर्या जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुये बस दो चार बातें कहना चाहता हूं। काफी समय काफी लोगों ने ले लिया लेकिन दो चार बातें मैं कहना चाहता हूं। मान्यवर, वर्ष 2004, 2007 और 2008 में 88 हजार अभ्यर्थी की भर्ती हुयी, उसमें 5 प्रतिशत बी0टी0सी0 और विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी जिनकी अधिकांश संख्या 40 से ऊपर हो चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके मूल प्रमाण-पत्र उस समय जमा करा लिये गये। प्रशिक्षण के दौरान डायट में जमा करा लिये गये। आज भी 5 प्रतिशत शिक्षक भर्ती से महरूम हैं। उस समय एक मानक बना था और 2011 में एक टी0ई0टी0 परीक्षा आयोजित हुयी थी। टी0ई0टी0 परीक्षा के दौरान ये कहा गया कि अगर ये टी0ई0टी0 परीक्षा के पात्र नहीं हैं तो इनको नहीं लिया जा सकता जबकि भारत सरकार की एक सूचना दिनांक 23.08.2010 के नियम-5 के अन्तर्गत यह व्यवस्था थी कि जिनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्व से आरम्भ हो, पूर्व से प्रारम्भ हो, उन पर टी0ई0टी0 की अनिवार्यता नहीं है। अगर ये चयनित अभ्यर्थी जो पहले से ही जिनके सारे प्रमाण पत्र जमा करा लिये गये थे। जिस आधार पर 95 प्रतिशत लोगों को नौकरी दी गयी, उन 5 प्रतिशत लोगों को भी उससे जोड़ना चाहिये। इस क्रम में मा0 मंत्री जी ने दिनांक 31.12.2002 को निर्देश भी जारी किये, प्रमुख सचिव और डायरेक्टर साहब को कि अपनी आख्या प्रस्तुत करें जिससे इनकी भर्ती हो सके लेकिन पता नहीं वो अब तक कहां पड़ा हुआ है और अब तक नियुक्ति नहीं हो पायी है। दूसरा मैं कहूंगा कि सर्व शिक्षा अभियान में हमारे जनपद कुशीनगर में 512 जो प्रेरक हैं, उन 512 प्रेरकों को, जैसे किसी ने आवेदन दे दिया कि उनकी पुनः जांच कर ली जाये। इनके सर्टिफिकेट वगैरह की जांच कर ली जाये और जांच के बाद पुनः

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पारदर्शी तरीके से लिस्ट निकाल ली जाये। इन 512 अभ्यर्थियों की वहां पर जांच दी गयी और जांच के दौरान आज करीब एक साल हो गया। एक साल बाद भी, अब तक वहां के डायट के प्रिंसिपल ने न कोई जांच की और न ही कोई सूची प्रकाशित की। पता यह चल रहा है कि डायट के प्रिंसिपल यह कह रहे हैं कि इन सारे लोगों को निरस्त कर दिया जाये और नये सिरे से आवंटन किया जाये। मान्यवर, अगर फिर नये सिरे से भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी तो फिर धांधली मचेगी। मान्यवर, अभी कस्तूरबा विद्यालय की चर्चा चल रही थी तो मा0 मंत्री जी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि हमारे यहां तमकुही राज जो मुख्य जगह है, जहां तहसील है, एस0डी0एम0 और बी0एस0ए0 सभी लोगों के कार्यालय हैं, उस कस्तूरबा गांधी विद्यालय में अभी मात्र दो महीने पहले भारी संख्या में बच्चियां जो अनाथ होती हैं, उनका उस विद्यालय में दाखिला होता है। वहां भारी संख्या में बच्चियां बीमार पायी गयीं और उनको हम लोगों ने जल्दी-जल्दी हास्पिटल में भर्ती कराया और स्थिति यह हुयी कि जब हम लोग मौके पर गये, वहां एस0डी0एम0 भी थे, बी0एस0ए0 भी थे। हम जब मौके पर गये तो स्थिति यह हुयी और पता चला कि पूरे एक महीने में कभी उनको रोटी दी ही नहीं गयी। केवल उन्हें चावल खिलाया जाता था और तीन-तीन दिन का बासी चावल खिलाया जाता था। इसकी जांच हुयी, जांच के दौरान पाया भी गया लेकिन एक भी कर्मचारी पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मैं मा0 मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वहां इस तरह की व्यवस्था थी। सबसे बड़ी बात अध्यक्ष जी यह कि हमारा मुसहर बाहुल क्षेत्र है। मुसहर हमारे यहां बहुत गरीब हैं। उनके अंदर जागरूकता नहीं है। जागरूकता के अभाव में उनका कोई शिक्षा का स्तर नहीं है जिसके कारण उनको तमाम बीमारियों का सामना करना पड़ता है और उनके बच्चे विकसित नहीं हो पाते हैं। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहूंगा कि मुसहरों की बस्ती में एक-एक विद्यालय का प्रावधान डाला जाये ताकि उनके बच्चे भी शिक्षित और विकसित हो सकें। मान्यवर, और लास्ट बात कहना चाहूंगा कि खण्ड शिक्षा अधिकारी जो जगह-जगह बच्चों को जागरूक करने के लिये वे बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान में ले आयें और विद्यालय में पढ़ाने के लिये एक व्यवस्था लागू करें। जो गांव में जायें और जागरूक करें लेकिन स्थिति यह है कि वो बैठकें केवल एक सीमित कमरों में ही जाती हैं और वह जागरूकता के लिए किसी गांव में नहीं जाते कि चलिए चलकर इन बच्चों को लाकर प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाए, तो इसकी व्यवस्था की जाए और साथ-ही-साथ हमारे क्षेत्र में काफी विद्यालयों में हैण्डपम्प मा0 मंत्री जी खराब हैं। वहां स्थिति यह है कि 40 फीट पर ही हैण्डपम्प लगा दिया गया है और उसका पानी बिल्कुल पीला होता है और हमारे इलाके में जो तमकुहीराज में प्राइमरी स्कूल हैं, उनके हैण्डपम्प खराब हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वहां हैण्डपम्प की व्यवस्था कराई जाए। मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने जो आपकी अनुमति से बेसिक शिक्षा विभाग का कटौती प्रस्ताव रखा था, उसमें पूरे सदन से, हमारे मा0 सदस्यों ने, लगभग 15 साथियों ने अपने विचार रखे और सभी ने,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में यह स्वीकारा कि बेसिक शिक्षा में कमियां हैं। सभी ने यह स्वीकारा कि बेसिक शिक्षा अपनी लाइन से हटी है। मान्यवर, हमारी एक सदस्य सीमा द्विवेदी जी बोल रही थीं कि उनके क्षेत्र में 9,10 स्कूल बन्द पड़े हैं। मा0 मंत्री जी को शायद सूचना होगी और कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि लगभग 7000 विद्यालयों में ताला पड़ा है, पूरे प्रदेश में, 15000 में एक-एक शिक्षक है, तो इनको भी दुरुस्थ करने का काम मा0 मंत्री जी करें। हमारे सत्तापक्ष के साथी जो शायद अभी उठ गए हैं, बहुत चिल्ला के बोल रहे थे, कि पिछली सरकार में यह हुआ, पिछली सरकार में क्या हुआ, मैं बताना चाहूंगा आपको कि मा0 अध्यक्ष जी कि जब 2007 से 11 दिसम्बर, तक मा0 बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, तो उसी समय विशिष्ट बी0टी0सी0 के 88 हजार परीक्षार्थियों की भर्ती की गई, बी0टी0सी0 2001 एवं बी0टी0सी0 2004 के लंबित प्रकरणों का निस्तारण करा कर, प्रशिक्षण तथा नियुक्तियां करायीं गईं, निजी बी0टी0सी0 के कालेजों को, संबद्धता देकर बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्रारंभ कराया गया। उर्दू बी0टी0सी0 शिक्षकों की नियुक्तियां करायीं गई। प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा-1 से अंग्रेजी पढ़ाने की व्यवस्था की गई। शिक्षामित्रों का दो बार मानदेय बढ़ाया गया, वर्ष 2007 में 600/- रुपया तथा वर्ष 2010 में 700/- रुपये। स्नातक शिक्षामित्रों का प्रशिक्षण कराकर शिक्षक बनाने का निर्णय लिया गया, प्रथम बैच में 60 हजार शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण प्रारंभ कराया गया। मध्याह्न भोजन के अंतर्गत कन्वर्जन कास्ट बढ़ाया गया, पहले रसोइयों को वेतन कन्वर्जन कास्ट से ही बच्चों की संख्या के आधार पर दिया जाता था, इस व्यवस्था को समाप्त कर, बच्चों के आधार पर रसोइयों की संख्या बढ़ायी गई तथा उनके मानदेय, वेतन की व्यवस्था अलग से की गई। रसोइयों का वेतन एक हजार प्रतिमाह हमारी सरकार में किया गया। सभी बच्चों को मिड-डे-मील मिल रहा है या नहीं यह सुनिश्चित करने के हेतु आई0वी0आर0एस0 व्यवस्था लागू की गयी। इस व्यवस्था के तहत प्रधान अध्यापकों, सहायक अध्यापकों के मोबाइल से सूचना एकत्र की जाती थी। मिड-डे-मील में खाना पकाने के बर्तन तथा खाना पकाने हेतु रसोई गैस की व्यवस्था कराई गई ब्रांडेड तेल, मसाले, नमक के इस्तेमाल का प्राविधान किया गया तथा प्रत्येक दिन के हिसाब से मैन्यू निर्धारित किया गया। उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा कक्षों का निर्माण हमारी सरकार में कराया गया। प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्युतीकरण का निर्णय भी मा0 बहन कुमार मायावती जी की सरकार में लिया गया था। सभी प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अग्निशमन यंत्रों को स्थापित करवाया गया। प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी तथा बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय का निर्माण, मा0 बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में कराया गया। पेयजल व्यवस्था हेतु प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ओवर हेड टैंक स्थापित कराये गए। मा0 अध्यक्ष महोदय, अभी चर्चा चल रही थी, चर्चा में सबको अवसर मिला था, मैं तो मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को मानता हूं, उन्होंने एक दिन यहां कहा था कि भई धैर्यवान बनो और जो धैर्यवान हैं, वह और धैर्यवान बनें। मान्यवर, तो इनकी बात को उधर भी लागू करायें। मैंने जो बातें रखी हैं, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि कोई दोषारोपण नहीं करुंगा। बेसिक शिक्षा की स्थिति खराब है यह सबको पता है (सपा की ओर से आवाजें, पहले खराब थी) मान्यवर, जो यहां पर सार्थक चर्चा हो रही है पौने तीन घण्टे से चर्चा हो रही है। माननीय मंत्री जी हम लोगों को बड़े धैर्य से सुन रहे थे। मुझे आशा है कि वे हमारे सुझावों को वह अपनायेंगें और शिक्षा की व्यवस्था सुधारने में प्रयत्नशील

रहेंगें। मान्यवर, सुधार होना चाहिए यह सबकी राय है। मान्यवर, ज्यादातर कानून-व्यवस्था की बात आती है कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब होने में शिक्षा में गिरावट भी एक कारण है, जो उसमें सम्मिलित है। इसलिए इसमें भी आवश्यकता है कि जो अच्छी-अच्छी योजनाएं कागजों पर आपने उतारी हैं उनको जमीनी स्तर पर भी उतारने का आप काम करें इसकी बहुत आवश्यकता है। मान्यवर, जब तक इसको लागू करने पर कार्य नहीं होगा। तब तक शायद परिणाम आने वाले नहीं हैं। मान्यवर, आपने मुझे बेसिक शिक्षा के बजट पर अपनी कटौती का प्रस्ताव रखने और उस पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं अन्त में शेक्सपियर के एक नाटक 'आल्स वेल दैट एण्ड वेल' में हेलेना का एक रोल रहा है जिसका तात्पर्य है कि हमारे समाधान का रास्ता हमारे अन्दर ही मौजूद होना चाहिए, लेकिन हम नीयति को दोष देते हैं। मान्यवर, इसीलिए हम यह कहना चाहेंगें कि बेसिक शिक्षा को आप सही दिशा में आप ले जाने का काम करेंगें। इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ। मान्यवर, कुल पन्द्रह-बीस माननीय सदस्यों के बहुमूल्य सुझाव इस बजट पर आयें हैं माननीय नीरज कुशवाहा जी ने कटौती का प्रस्ताव रखते हुए, बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं मान्यवर पहले तो लग रहा था कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन जब दुबारा बोलने के लिए खड़े हुए तो ऐसा लगा कि वह बजट भाषण को ही पढ़ रहे हैं। मान्यवर जो भी सुझाव आये हैं उन पर मैं निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा इस पर कोई दो राय नहीं है। मेजों की थपथपाहट। मान्यवर एक कष्ट जरूर है डा0 अग्रवाल जी हमारे छात्र जीवन से मित्र रहे हैं उन्होंने एक शब्द कहा है कि स्थानान्तरण में तो पारदर्शिता बरती गयी है लेकिन रिलीविंग और ज्वाइनिंग में नहीं। मान्यवर, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय अग्रवाल जी मुझे जानते हैं कि मेरे रहते हुए और मेरी जानकारी में रहते हुए अगर भ्रष्टाचार हो जाये तो मेरे जैसे आदमी के लिए राजनीति में काम करने की जगह फिर नहीं है। यह आपको पता है। मैं यह बात कहता हूं मैंने अपना नम्बर दे दिया था पूरे अध्यापक लोगों को, टीवी पर हर अखबार में कि हमारा यह नम्बर है और मैंने 2-2, 3-3 बार बयान दिया कि अगर ट्रांसफर में किसी तरह की कोई मिलेगी हमको सूचना, मिली तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उसका असर यह हुआ कि बहराइच से महिलाओं ने हमको फोन किया, बहराइच से कि मंत्री जी आप कह रहे हैं कि किसी को घूस नहीं देना है यहा पर जो एसडीआई हैं वह कह रहे हैं कि पैसा दो तब रिलीव करेंगे। मैंने कहा कि पैसा तुम लोग दी तो नहीं हो, तो कहा कि नहीं आप कहें है तो कैसे दे दें। हमने कहा कि तुम रूके रहो, मैंने तुरन्त वहीं से निदेशक को फोन किया और निदेशक ने तत्काल डीएम से फोन से दो एसडीआई को निलम्बित करवाया और पैसे का लेनदेन वहां पर नहीं हुआ। एक जगह से और खबर आई श्रीमन्, वहां भी मैने निदेशक को फोन किया, प्रमुख सचिव से भी कहा और निदेशक को भी फोन किया और वह अधिकारी सस्पेन्ड हुआ और कहीं भी मैं ढूंढता रहा, पूछता रहा मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि पैसा देना पड़ा। डाक्टर साहब, कहीं कुछ नहीं हुआ। मुझे थोड़ा सा कष्ट था इसलिए मैंने इस बात को कह दिया। बड़े अच्छे सुझाव आये। जो धर्मपाल जी ने कहा कि अभी तो यह आदर्श रूप में लखनऊ में और सैफई में हम लोग इसको करने जा रहे हैं जो यह बड़ी चर्चा है कि प्राथमिक स्कूल में लड़कों की संख्या कम हो रही है। श्रीमन्, हिन्दोस्तान अफवाहों का देश है, हिन्दोस्तान निजी स्वार्थ को पूरा करने में अधिक विश्वास करने वाला देश है। सुनियोजित तरीके से यह पब्लिक स्कूल चलाने वाले लोग,

सुनियोजित तरीके से कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, प्राइमरी स्कूल में तो पढ़ाई ही नहीं होती है और अपने स्कूल में बच्चों को ले जाते हैं। यही नहीं श्रीमन्, वह चाहे रात हो जाय आपको बजट पास करने में, प्राथमिक स्कूल की शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। इस पर एक दिन पूरा रखना चाहिए था पूरा एक दिन।

श्री अध्यक्ष-

एक दिन मायने 4 घंटा, 3 घंटा तो हो ही गये हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

एक दिन मायने 2 बजे एक बजे से शुरू होता और 7 बजे 8 बजे तक चलाते रात के।

श्री अध्यक्ष-

एक दिन का नियम है 4 घंटे डिसकशन। उसमें मंत्री का भी है और कटौती भी है। 3 घंटा हो गया है आपका।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

ठीक है, आपकी भी कृपा है हमारे ऊपर विभाग के ऊपर। श्रीमन्, सुनियोजित तरीके से यह नहीं कि पढ़ाई नहीं हो रही है यह जो असर का रिपोर्ट है, असर वाले हमारे यहां भी गये थे। इतना मोटी किताब ले करके। प्राथमिक शिक्षा की हालत यह है कि हमारा विभाग काम कर रहा है और सैकड़ों एनजीओ भी इस पर काम कर रहे हैं वह केन्द्र सरकार से गवर्न होते हैं, तब भी नहीं सुधर रहा है। उसी में का यह असर भी है। तो यह अगर सिखवायेगा नहीं तो उसको काम हमारे यहां कैसे मिलेगा, तो कैसे उसको काम मिलेगा। वह हमारे यहां आये थे कि हमको काम करवाइये। मैंने कहा कि सर्वशिक्षा अभियान के बहुत बड़े अधिकारी हैं उनसे बात करो। अगर उनके बात समझ में आ जायेगी तो हम काम देंगे। एक तरफ एनसीआर ने जो हमको कहा है कि पूरे हिन्दोस्तान में विज्ञान और गणित के मामले में उत्तर प्रदेश एक नम्बर आया है नहीं तो दो नम्बर आया है 5 वर्ष में लगातार। इसको सही माना जाय। अगर असर को भी हम सही मानते हैं तो यह शिक्षा विभाग के लिए अच्छा दिशा निर्देश नहीं है। यह खराब हालत है। यह पब्लिक स्कूल करता है यही नहीं अध्यक्ष जी, वह सब इतने चौकन्ने हैं पैसा कमाने में । मैंने कल अपने अधिकारी लोगों से भी परसों कहा था कि ज्यों ही महिला गर्भ धारण करती है तब तक ये मिठाई विठाई लेकर के पहुंच जाते हैं पब्लिक स्कूल वाले, बधाई हो, बधाई हो बधाई हो और जब बच्चा पैदा होता है तो सारे पब्लिक स्कूल वाले जुट जाते हैं हमारे में ठीक पढ़ाई, हमारे में ठीक पढ़ाई। इतना कन्फ्यूज कर देते हैं कि वह प्राइमरी स्कूल के बजाय उसमें भेजने लगते हैं। मैंने अपने अधिकारियों से परसों यह कहा पहले हमारी इच्छा थी इस बात की लेकिन हम उसमें सफल नहीं हो पाये कि पब्लिक स्कूल वाले अप्रैल में ही नाम लिखते हैं, हमारे यहां परीक्षा नहीं होती, लेकिन इस बार हमने भी अपने प्रमुख सचिव, अपने निदेशक, अपने सरकारी अधिकारियों से कहा है कि अगर हमको पब्लिक स्कूल से कम्प्टीशन लेना है, जिसके लिये हमने इटावा और लखनऊ से शुरू किया है तो हमको लड़कों की संख्या बढ़ाने में भी कम्प्टीशन लेना पड़ेगा और हमारे भी विद्यालय में जो स्कूल चलो अभियान होता है, वह अप्रैल में ही शुरू हो और मास्टर और एस0डी0आई0 घर-घर घूमकर कहें कि हम बढ़िया पढ़ायेंगे और तुम अपने बच्चों को हमारे स्कूल में

भेजो । यह हमने परसों बात की है और यह कार्यक्रम हम लोग करेंगे। श्रीमन् जहां तक शिक्षा मित्रों की बात है तो हमने पहले ही अपने भाषण में कह दिया कि हमने उनके मानदेय बढ़ाने के लिये लिखा है लेकिन श्रीमन् जिसके लिये जितना ही कर दीजिये, उसके लिये तुच्छ है, केन्द्र सरकार की यह योजना थी, केन्द्र सरकार ने योजना को खत्म कर दिया, यह अपना मानदेय बढ़ाना चाहते हैं लेकिन इस सरकार ने निर्णय लिया है कि हम उनको अध्यापक बनायेंगे और 7 हजार का 2013-14 में जो दो बैच हमारा ट्रेनिंग कर रहा है, दोनों बैच नियमित अध्यापक हो जायेंगे । शिक्षा मित्र के लिये यह भी किये हैं कि जो इंटरमीडिएट हैं उनको भी हमने कहा कि हम तुमको ट्रेनिंग करा देंगे और जब तुम ग्रेजुएट कर लेना तो तुम्हारी भी नियुक्ति हो जायेगी।

मान्यवर, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का विषय आया। दो-दो बार केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में मैनें यह कहा कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो लड़किया पढ़ रही हैं, उनके भोजन का जो पैसा आप दे रहे हैं, मिड-डे-मील का जो दे रहे हैं, मसाला का, तेल का, नमक का, सब्जी का, वह इस मंहगाई के जमाने में बहुत कम है। इसको बढ़ाइये। एक बात जो सबसे बढ़िया कहा, माननीय धर्मपाल जी ने, कि जब परीक्षा ही नहीं होगी तो फिर शिक्षा में गुणवत्ता कैसे आयेगा। जो नई शिक्षा नीति श्रीमन् लागू हुयी है, उसमें एक से कक्षा-8 तक के बच्चों को फेल नहीं करना है। उनको कक्षा में बढ़ाते जाना है। किसी ने कहा कि यह क्या शिक्षा के साथ मजाक कर रहे हैं और मैनें अपने अधिकारी लोगों से कहा है कि चाहे नई शिक्षा नीति में जो भी हो, हमारे यहां तिमाही, छमाही, नौमाही परीक्षा ली जायेगी और सालाना परीक्षा भी ली जायेगी और परीक्षा से लड़कों की गुणवत्ता को हम परखेंगे । श्रीमन् मैं सदन के पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों का आभारी हूं कि जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव हमको दिये और उन सुझावों को निश्चित रूप से मैं लागू करने का प्रयास करूंगा और मेरी इच्छा है, यह तो बहुत बढ़िया संयोग है कि कटौती करने वाले मौर्य जी भी प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं और उनके पिताजी भी पढ़े हैं और बजट प्रस्ताव पेश करने वाला मैं, हमारा पूरा परिवार आज तक की डेट में प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ा है। तो उनके जो भी सुझाव हैं और जितने माननीय मंत्रियों के सुझाव हैं, हम उसको मानेंगे लेकिन जो दुर्दशा शिक्षा की हो रही है और हुयी है, उसको हम सारे लोग मिल करके उस पर जब तक एकतरफा वार नहीं करेंगे, अध्यापक लोगों से जब तक निवेदन नहीं करेंगे, जैसे अभी जौनपुर की माननीय सदस्या ने कहा कि 60 स्कूल इनके यहां बन्द हैं तो यह एम0एल0ए0 किस बात की हैं। 60 स्कूल आपके यहां बन्द हैं, फिर भी आप एम0एल0ए0 हैं, क्यों एम0एल0ए0 हैं। 60 स्कूल जिसके क्षेत्र में बन्द हों और वह जनप्रतिनिधि कहलाने का अधिकारी हो, वह हकदार हो ही नहीं सकता।

श्रीमती सीमा-

मैनें पूरे जिले के लिये कहा है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं सारे बन्द हैं। आप कार्यवाही निकलवाकर देख लीजिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हमारे सामने आपको सोच समझकर बात कहनी चाहिये।

श्रीमती सीमा-

आपको शर्म करनी चाहिये, आप वहां के प्रभारी मंत्री हैं।

श्री अध्यक्ष-

सीमा जी, आप बैठिये, वहीं जब मीटिंग होगी तो वहीं बता देना।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

इनके यहां जो विद्यालय बन्द हैं तो मैं तीन बार जौनपुर गया वहां पर किसी भी अधिकारी ने किसी भी नेता ने नहीं कहा कि स्कूल बन्द हैं फिर भी अगर बन्द होंगे तो यह जो भर्तियां हो रही हैं उन भर्तियों के बाद कोई भी स्कूल बिना अध्यापक के नहीं रहेगा। लेकिन कोर्ट अगर ऐसे ही उलझाते रहेगा तो दिक्कत होगी क्योंकि कोर्ट भी तो एक मामला है। जो भी भर्ती करिए मामला कोर्ट में चला जा रहा है अगर कोर्ट ने उलझाया तो हम संविदा अध्यापकों को नियुक्त करके पढ़ाई बाधित नहीं होने देंगे। हम बच्चों को पढ़ाएंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं।

*श्री दलवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे दो मिनट का समय दिया। मैं काफी देर से प्रतीक्षा में था कि मुझे भी कुछ कहने का मौका मिले।

श्री अध्यक्ष-

आप बुजुर्ग थे लोग सोच रहे थे कि आप माध्यमिक पर बोलेंगे।

श्री दलवीर सिंह-

उस पर भी बोलेंगे यहां भी दो मिनट का समय दे दें। पूरे सदन ने अपने-अपने तरीके से शिक्षा के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की। सबका एक ही मत था कि किसी भी तरह से शिक्षा में गुणवत्ता लाई जाए। जहां तक माननीय मंत्री जी की कार्य पद्धति का सवाल है मेरे ख्याल से किसी ने भी उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। सभी ने तारीफ की कि उनके आने के बाद शिक्षा में काफी परिवर्तन हुआ जैसे कि ट्रांसफर का मामला आया ट्रांसफर के मामले में हम दावे के साथ कह सकते हैं कि एक पैसे की बेईमानी नहीं हुई कतई पारदर्शी नीति रही।

श्री अध्यक्ष-

सुझाव दीजिए। यह सब चर्चा हो चुकी है।

श्री दलवीर सिंह-

मौर्या जी ने जो कटौती रखी मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी ऐसी कोई विशेष टीका टिप्पणी नहीं की केवल एक सुझाव दिया था कि खेलकूद के मामले में जैसा कि हमारे साथी भी कह रहे थे कि इसका बजट बहुत कम है इसके अलावा उन्होंने कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की। इससे साफ जाहिर है कि पूरे सदन को एक ही चिन्ता है कि शिक्षा की गुणवत्ता किस तरह से बनाई जाए। मेरे दो तीन सुझाव हैं मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी यह प्रश्न उठाया था।

श्री अध्यक्ष-

नियमानुसार एक सत्र में एक विषय दो बार नहीं उठा सकते।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री दलवीर सिंह-

आज भी मैं सुझाव दे रहा हूं एक बेसिक चिन्ता यह है कि देहात क्षेत्र में जितनी भी बेसिक प्राइमरी पाठशालाएं हैं उनमें जितने भी छात्र अध्ययन कर रहे हैं उनको अंकों में पांच प्रतिशत का रिलैक्शेसन मिले जहां भी वह जाएं चाहे नौकरी का मामला हो या एडमीशन का मामला हो। तो सब लोग वहां पर पढ़ाने का काम करेंगे। दूसरी बात जितने भी देहात क्षेत्र में इंटीरियर में अध्यापक पढ़ाने जा रहे हैं मैंने इस सम्बन्ध में कई बार माननीय मंत्री जी को सुझाव दिया कि जैसे शहर के नजदीक पढ़ाने वालों को एच0आर0ए0 अतिरिक्त दिया जाता है। उसे खत्म करके वह सुविधा जो देहात में पढ़ाने वाले अध्यापक हैं उनको दी जाए तो निश्चित रूप से अध्यापक वहां जाएंगे। शहर के पांच-सात कि0मी0 क्षेत्र में अध्यापकों का ध्रुवीकरण हो रहा है। एक-एक स्कूल में 18-18, 15-15 अध्यापक हैं जहां तक मंत्री जी के प्रयास की बात है इसमें कोई दो राय नहीं कि मंत्री जी ने बहुत प्रयास किया। प्रदेश में अध्यापकों की सबसे बड़ी फौज है उसका चलाना, बिगड़ा हुआ माहौल उन्हें मिला है। मैं चाहता हूं कि जो दो तीन सुझाव मैंने दिए हैं मैं चाहता हूं कि आप उस पर जरूर विचार करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव वापस नहीं ले रहे हैं इसलिए मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,09,64,52,61,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 95,23,58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[05.08 बजे] समय की कमी के दृष्टिगत बजट को जल्द पास कराने का अनुरोध

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, समय कम है इसलिए मैं चाहूंगा कि एक-डेढ़ घण्टे में पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी बात रख करके बजट को पास करायें।

[05.08 बजे] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान- अनुदान संख्या-69 व्यावसायिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या-47 प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या-70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0-69-व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 4,83,56,94,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान सं0-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 5,56,33,81,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान सं0-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,87,07,24,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार प्राप्त करने हेतु विभिन्न विधाओं में कौशल प्रदान करना वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं में सर्वोपरि है। व्यावसायिक शिक्षा विभाग प्रदेश की जनसंख्या के बड़े भाग को सम्मानपूर्ण रोजगार एवं स्वरोजगार प्राप्त कराने हेतु विभिन्न विधाओं में युवाओं को प्रशिक्षित करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। समाज में किसी भी व्यक्ति को जीवन में पूर्णता हेतु आधारभत कौशल अत्यन्त उपयोगी एवं आवश्यक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा है कि शारीरिक श्रम ही असली श्रम है। व्यावसायिक शिक्षा विभाग कौशल प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम मल्य पर विश्व स्तरीय गुणवत्ता का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 267 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हैं, जिसमें से 220 मुख्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं एवं 47 सम्बद्ध महिला शाखाएं हैं। इस प्रकार से कुल 69 हजार 14 हमारी प्रशिक्षण क्षमता है। पूरे प्रदेश में स्वतन्त्र रूप से 12 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिलाओं के लिए ही स्थापित हैं। प्रदेश में निजी क्षेत्र में 1369 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हैं जिसकी प्रशिक्षण क्षमता 1,59,970 है। प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में लगभग 6 लाख अभ्यर्थी प्रवेश लेने हेतु प्रतिवर्ष प्रवेश-परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। यह आंकड़ा भी इस विभाग की ओर समाज की विश्वसनीयता एवं अपेक्षाओं को प्रदर्शित करता है। मान्यवर, व्यावसायिक शिक्षा विभाग का जो महत्वपूर्ण कार्य है उसमें 2013-14 के व्यावसायिक शिक्षा विभाग ने जो प्रस्तुत किया है उसमें पहला प्रदेश में प्रशिक्षण के अवसर को बढ़ाने के लिए सरकारी या निजी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जायेगी। दूसरा है, प्रदेश में समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के निजी भवन बनाये जायेंगे तथा पूर्व से चल रहे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवन का निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। पूर्व में प्रशिक्षण के लिए चल रही योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था वर्तमान बजट में की गयी है। चौथा है, प्रदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रम की कौशल विकास मिशन के रूप में चलाकर अधिक से अधिक युवाओं

को रोजगार परक कौशलों में प्रशिक्षित किया जायेगा। पांचवें, प्रदेश में पूर्व में स्थापित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यावसायों के अतिरिक्त लोकप्रिय व्यवसायों को खोलकर प्रशिक्षण क्षमता में वृद्धि की जायेगी। छठवां राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

मान्यवर, विगत वर्ष में 2012-13 में कुल 3,27,12,92,000 के बजट का प्राविधान था और 2013-14 में यह 4,83,56,94,000 रुपये का बजट प्रस्तावित है। मैं चाहूंगा कि यह उन गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार पैदा करने के लिए जो यह हमारा व्यावसायिक शिक्षा विभाग है इसको विपक्ष के साथियों से चाहूंगा कि गरीबों के हितों को ध्यान में रख करके इस प्रस्ताव को स्वीकृत कराने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

प्राविधिक शिक्षा विभाग का जो बजट आपने रखा है उस पर भी कुछ विचार व्यक्त करना चाहते हैं ?

श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी-

प्रदेश के आर्थिक विकास एवं युवाओं को रोजगार के अवसर उत्पन्न कराने के लिए कौशल विकास वर्तमान समय की महती आवश्यकता है। प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में 78 सरकारी पालीटेक्निक और 19 अनुदानित पालीटेक्निक और 234 निजी पालीटेक्निक संचालित हैं जिसमें कुल प्रवेश क्षमता 95 हजार है। प्रदेश में कुल 71 निर्माणाधीन पालीटेक्निकों में 35 का निर्माण कार्य लगभग 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। उक्त 35 पालीटेक्निकों के अवशेष एवं अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण कराकर अगले शैक्षिक सत्र 2013-14 में अपने नव-निर्मित भवन में स्थानान्तरित कर संचालित करने का लक्ष्य है। आगामी वर्षों में सरकारी पालीटेक्निकों की प्रवेश क्षमता 27 हजार से बढ़ाकर लगभग 40 हजार तक कराने का लक्ष्य है। शेष 36 पालीटेक्निकों का निर्माण कार्य लगभग 50 प्रतिशत से ज्यादा पूर्ण हो चुका है। उक्त 36 पालीटेक्निक के निर्माण कार्य को त्वरित गति से पूर्ण कराकर शैक्षिक सत्र 2014-2015 में स्थानान्तरित कर संचालित किया जायेगा। प्रदेश में विकलांगों को स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाने हेतु उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कानपुर में डा0 अम्बेडकर इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नोलाजी फार हैंडीकैप्ड की स्थापना वर्ष 1996-1997 में की गई है। वर्तमान में 3 पाठ्यक्रमों यथा कम्प्यूटर साइंस एण्ड इन्जीनियरिंग, आर्टीटैक्चरल असिस्टेंटशिप तथा मार्डन आफिस मैनेजमेंट आफ सैक्टेरियल प्रैक्टिस में 40-40 की प्रवेश क्षमता से छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। विकलांग छात्र एवं छात्राओं को राजकीय एवं सहायता प्राप्त पालिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 3 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में 59 पालीटेक्निक,(42 राजकीय एवं 17 अनुदानित संस्थाओं)को कम्युनिटी डेवलेपमेंट थ्रू पालीटेक्निक सी0डी0टी0पी0 नामक योजना 2009-2010 से संचालित हो रही है। यह योजना भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण अंचलों के युवक युवतियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और उनकी सामाजिक , आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिये स्थानीय आवश्यकतानुसार अल्पकालीन रोजगारपरक, व्यावसायिक तकनीकी प्रशिक्षण

कार्यक्रमों द्वारा लाभ पहुंचाना है। 2013-2014 में इस योजना के अन्तर्गत कुल 8523 युवक युवतियां लाभान्वित हो चुके हैं। वर्तमान में प्रदेश में डिग्री स्तर के दो तकनीकी विश्वविद्यालयों को मर्ज कर उसे पूर्ववत् उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित किये जाने हेतु एवं मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज गोरखपुर को विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक मंडल में एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज स्थापित किया जाना राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। इसके अन्तर्गत जनपद सोनभद्र एवं कन्नौज में एक एक राजकीय डिग्री कालेज स्थापित किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त 2013-2014 में राजकीय इंजीनियरिंग कालेज विहीन आगरा मंडल के जनपद मैनपुरी में भी एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना का निर्णय लिया गया है। एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कालेज अम्बेडकर नगर, बिजनौर एवं बांदा जिनकी कक्षायें क्रमशः के0एन0आई0टी0 सुल्तानपुर, एच0बी0टी0आई0 कानपुर तथा बी0ई0आई0टी0 झांसी में संचालित की जा रही है और इनके भवनों का निर्माण को पूरा कराकर उनकी कक्षायें अपने भवनों में संचालित किये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता पर की जा रही है। पी0पी0पी0 मोड के अन्तर्गत लखनऊ में आई0आई0आई0टी0 की स्थापना का निर्णय लिया गया है जिसके लिये भूमि भी चिन्हित कर ली गई है तथा रांज्यांश के रूप में वांछित धनराशि की व्यवस्था भी कर ली गई है अवशेष कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं विपक्ष के साथियों से चाहूंगा कि यह प्राविधिक शिक्षा के बजट को भी पास कराने का कष्ट करें।

मान्यवर, प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रोद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासनिक नियंत्रण में दो वैज्ञानिक संस्थाएं कार्यरत् हैं। यथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् उत्तर प्रदेश एवं सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र उत्तर प्रदेश। दोनों ही संस्थाएं प्रदेश के वैज्ञानिक विकास एवं संबंधित वैज्ञानिक समस्याओं के वैज्ञानिक निदान हेतु निरन्तर प्रयत्नशील रही हैं। उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् की स्थापना 1975 में हुई थी। परिषद् का मुख्य उददेश्य प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के व्यापक निवेश, विकास एवं उसके उपयोग को बढ़ावा देना है जिससे प्रदेश विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में परिषद् द्वारा मुख्य रूप से निम्न परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। पहला प्रदेश में आवश्यकता के अनुसार शोध एवं विकास दूसरा है प्राद्योगिकी स्थनान्तरण एवं राज्य की आवश्यकतानुसार विकास, तीसरा विज्ञान लोकप्रियकरण, चौथा जैव प्रौद्योगिकी उन्नति एवं विकास, पांचवा है नक्षत्रशाला एवं विज्ञान व प्रौद्योगिकी पार्क है आधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण छठा है आधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण, सातवां है बौद्धिक सम्पदा अधिकार संरक्षण कार्यक्रम, आठवां है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्बन्धी आवश्ययकताओं का मानचित्रीकरण, नवां है नव प्रवर्तन सेल .....

श्री अध्यक्ष-

अब बाद में उत्तर दें। कट मोशन आ जाने दीजिए।

श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी-

बाकी भी पढ़ देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

पढ़ नहीं देता हूं बोल देता हूं।

श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी-

विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग के नियंत्रण में दो स्वायत्तशासी संस्थायें कार्यरत हैं जिनके लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु आयोजनागत पक्ष में कुल रुपया 1774.00 लाख आयोजनेत्तर पक्ष में रु0 1375.25 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है जिसकी संस्थावार फांट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश हेतु आयोजनागत पक्ष में 1260.00 लाख आयोजनेत्तर के पक्ष में रुपया 458.07 लाख तथा सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र उत्तर प्रदेश हेतु आयोजनागत पक्ष में 514.00 लाख आयोजनेत्तर पक्ष में रुपया 917.18 लाख का आय व्ययक की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किया गया है मैं आपके माध्यम से मा0 विपक्ष के साथियों से अनुरोध करुंगा कि इसको पास करें।

*श्री दीपक पटेल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-69 व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-47 प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, एक साथ प्रस्तुत किए गए इस बजट की तीनों पुस्तिकायें इस समय मेरे पास उपलब्ध हैं और तीनों पुस्तिकाओं का संकलन करके कुल 301 पेज की यह बजट पुस्तिकायें हैं मान्यवर, इन तीनों बजट पुस्तिकाओं में अध्ययन के उपरान्त एक चीज प्रकाश में आई मान्यवर, इसका 95 से 98 फीसदी भाग पूरी बजट पुस्तिका का इसमें संख्यात्मक आंकड़े हैं। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि यह आंकड़ों की बाजीगरी है इसके सिवाय कुछ नहीं है तो मान्यवर, यह आंकड़े जो प्रस्तुत किए गए हैं यह भी व्यवहारिक नहीं हैं और वास्तविकता से परे हैं और जमीनी वास्तविकता, धरातल से अत्यन्त दर हैं। आज हमारा देश सबसे बड़ा नौजवानों वाली आबादी का देश है देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोग बहुत आशा और उम्मीद के साथ हमारी ओर देख रहे हैं। मान्यवर, नौजवानों की जब बात आती है तो उसमें तकनीकी शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा यह ऐसी शिक्षायें हैं जिनका सीधा ताल्लुक नौजवानों से है। मान्यवर, आज यह बजट पेश किया गया है मान्यवर, इस पुस्तिका में बड़ी-बड़ी चीजें लिखी गई हैं। मान्यवर, प्राविधिक शिक्षा के जो हालात पिछले दो-तीन सालों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से उत्तर प्रदेश में हैं वह बहुत चिन्तनीय है। मान्यवर पिछले दो-तीन सालों से लगातार इंजीनियरिंग कालेज बन्द हो रहे हैं आज उत्तर प्रदेश का छात्र उत्तर प्रदेश से इंजीनियरिंग करना नहीं चाहता है। उसकी पहली प्राथमिकता दक्षिण भारत के इंजीनियरिंग कालेज चाहे कर्नाटक हो, चाहे तमिलनाडु हो चाहे महाराष्ट्र हो, यह प्रदेश हो गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, बड़ा आश्चर्य होता है, जो गिरावट आई है, उसके बारे में इस बजट पुस्तिका में कोई जिक्र नहीं है, यह बहुत महत्वपर्ण बिन्दु है। मान्यवर, आज छात्रों की ही बात नहीं है, यह ग्लोबलाइजेशन का टाइम है और जितनी भी मल्टी नेशनल कम्पनीज हैं, उनकी भी प्राथमिकता हमारे प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेज के कैम्पस नहीं हैं। हमारे प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेज सबसे आखिरी में आते हैं। मान्यवर, निश्चित तौर पर यह बड़ी चिन्ता का विषय है। मान्यवर, मैं इस पुस्तिका को पढ़ रहा था, पृष्ठ सं0-1 में और पृष्ठ सं0-2 की शुरुआत में जो मैंने देखा, पिछली बार भी मैंने जिक्र किया था, मान्यवर, पेज सं0-1 में विश्व बैंक सहायतित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम का जिक्र किया गया है। पिछली बार भी मैंने कहा था कि इसमें 6 सरकारी क्षेत्र के इंजीनियरिंग कालेज हैं और 3 निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग कालेज हैं, जिनको करोड़ों रुपये की मदद प्रदान की गयी है। मान्यवर, बड़ा आश्चर्य होता है, सरकारी क्षेत्र तो दूर है, यह जो 3 प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेज हैं, उनको किस आधार पर यह ग्राण्ट प्रदान की गई है ? मैंने प्रश्न उठाया था कि इनकी मेरिट क्या है, क्या लाटरी से इनको धन दिया गया कि पिक एण्ड चूज कर लिया गया या हमारे देश में जो सबसे प्रचलित प्रथा है, जुगाड़ पद्धति, उसके थ्रू इनको धन दिया गया ? इस बार मान्यवर, मैं पुनः देख रहा हूं कि सब-कम्पोनेन्ट प्लान 1.1 में दो संस्थानों को करोड़ों की धनराशि देने की बात कही गयी है। आश्चर्य होता, मान्यवर, यह दोनों संस्थान यूनीवर्सिटी में तब्दील हो चुके हैं। कई बार जिक्र आता है, इनकी शुरुआत इंजीनियरिंग कालेज से ही हुई है। आज बहुत से स्थापित इंजीनियरिंग कालेज हैं, अगर धन देना ही है तो पहले से जिनका नाम है, जहां कैपिटेशन के नाम पर लड़के जाते हैं, उनको देने की क्या आवश्यकता है ? अगर धन देना है तो ऐसे संस्थानों को दिया जाए जो बन्द हो रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में खोले जा रहे हैं, जहां हमारा असली भारत बसता है। जो पूर्वांचल में खोले जायें, जो बुन्देलखण्ड में खोले जायें, उन्हें धन देने की आवश्यकता है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु पेज-4 के आखिर में दिया है-अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए, मान्यवर, पेज-5 पर इसका विवरण दिया गया है कि इन सभी कमजोर वर्ग के लोगों को चाहे अनुसूचित जाति के हों, जनजाति के हों, चाहे पिछड़े वर्ग के हों और चाहे सामान्य वर्ग के पात्र हों, उन सभी को छात्रवृत्ति का प्राविधान सरकार की ओर से किया गया है। मान्यवर, बहुत ही दुःखद पहलू है और बताने में भी बड़ा संकोच हो रहा है कि पिछले साल की छात्रवृत्ति चाहे वह अनुसूचित जाति का रहा हो, चाहे पिछड़े वर्ग का रहा हो, अभी मिल पाई है और इस वर्ष की छात्रवृत्ति कब मिल पायेगी, उसकी समय-सीमा का कहीं जिक्र नहीं है। दूसरी चीज मान्यवर, जो मैं कहना चाह रहा हूं, एक फरमान यहां से अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए जारी किया गया, एक व्यावहारिक पहल इसका है, कि अब अनुसूचित जाति, जनजाति की जो छात्रवृत्ति है, वह सीधे छात्र के खाते में आयेगी। मान्यवर, पहले यह व्यवस्था थी कि छात्रवृत्ति संस्थाओं के खातों में जाया करती थी, इससे संस्थाओं छात्रों को एडमिशन दे दिया करते थे

कि जब भी छात्रवृत्ति आयेगी, संस्थान के खाते में आयेगी। मान्यवर, शासन से एक फरमान जारी किया गया कि अब सीधे छात्र के खाते में छात्रवृत्ति जायेगी, इसके कारण आज कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग कालेजों के दरवाजे बन्द हो गये हैं, इसलिए क्योंकि उनको भरोसा नहीं रह गया है कि छात्र के खाते में जब धनराशि आयेगी तो वह वापस करेंगे कि नहीं करेंगे। मान्यवर, छात्रवृत्ति का आशय मेरा फीस की प्रतिपूर्ति से है। मान्यवर, पृष्ठ सं0-6 में एक बहुत ही चिन्तनीय विषय देखने को मिला है, परीक्षाफल का विवरण उसमें दिया गया है। जिसमें वर्ष 2010 में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 98 था जो घटकर 2011 में 92 हो गया। सबसे ज्यादा चिन्तनीय वर्ष 2012 का परीक्षाफल रहा जो घटकर 78 रह गया। मान्यवर, यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न है कि 2 साल के अन्दर हमारे परिणाम में 20 फीसदी की गिरावट आई।

मान्यवर, यही हाल व्यावसायिक शिक्षा का है। मान्यवर, मैं इलाहाबाद से आता हूं। मान्यवर, दो दिन से इलाहाबाद में व्यावसायिक शिक्षा के अधीन एक आई0आई0टी0 संस्थान में पिछले दो दिन से आग लगी हुयी है। वहां के छात्रों ने वहां के टेबिल, फर्नीचर, कुर्सी से लेकर वहां की कार व निदेशक का सबकुछ जलाकर राख कर दिया है। उसका कारण यह था कि पिछले 6 महीने में प्रथम सेमेस्टर में केवल 5 दिन कक्षायें चल पायी हैं। इसके परिणामस्वरूप वहां के 90 फीसदी छात्र फेल हो गये और आक्रोश में उन्होंने पूरे विद्यालय को तहस-नहस कर दिया। मान्यवर, प्रदेश में आज प्राविधिक शिक्षा बहुत ही बदहाली की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी नौजवान हैं, युवा हैं और वह भी टेक्नोक्रेट रहे हैं। मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा कि गोरखपुर जिले के मिनी आई0टी0आई0 का निर्माण अंतिम चरण में है उसके अगले सत्र की पढ़ाई प्रारम्भ हो सके इसके लिए उसके पदों के सृजन की व्यवस्था अभी से शुरू कर दी जाये तो यह सुचारू रूप से चल पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी बतायी हुयी समय-सीमा के अंदर अपनी बात को खत्म करता हूं। मुझे विश्वास है कि सदन का और आपके समर्थन और सहयोग से मेरे सुझाव माननीय मंत्री जी तक पहुंचेंगे। धन्यवाद।

*डा0 अजय कुमार-

मान्यवर, आपने मुझे मा0 मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि फीस की प्रतिपूर्ति और शिक्षा की गुणवत्ता और जैसाकि अभी आंकड़ा बताया कि 98 से 92 हो गया और फिर 78 प्रतिशत हो गया तो करीब 20 प्रतिशत तक गिरावट यह दर्शाता है कि शिक्षा का जिस तरह से बाजारीकरण हुआ है यह हमारे नैतिक मूल्यों में गिरावट की भी मिसाल है। केवल यह कह देना कि सरकार इसके लिए दोषी है। अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक या पिछड़े वर्ग के बच्चों को जो छात्रवृत्ति मिलती है उसमें हमारी सरकार ने जो प्रयास किया है वह प्रशंसनीय है। अक्सर यह देखने में मिला है कि विद्यालय वाले फीस भी ले लेते हैं और उसकी जो प्रतिपूर्ति आती है शायद ही कोई विद्यालय वाला उनको वापस करता है। अगर हमारा छात्र है और हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं विद्यालय और छात्र की परम्परा में गिरावट दर्शाता है। मैं सरकार से चाहूंगा कि इस पर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी जो बहुत से प्राईवेट इंजीनियरिंग कालेज खुल रहे हैं या और भी जो सरकारी कालेज खुल रहे हैं उनकी मानीटरिंग के लिए अलग से संस्था बनायी जाये। एजेंसियों के माध्यम से समय-समय पर रेंडम आर्डर पर उनकी चेकिंग भी होती रहे। आखिर यह प्रतिशत क्यों कम हो रहा है। क्योंकि मैं भी शिक्षा से 20 साल से जुड़ा हूं।

श्री अध्यक्ष-

क्या इंजीनियरिंग कालेज चलाते हैं ?

डा0 अजय कुमार-

नहीं मान्यवर, मैं डिग्री कालेज चलाता हूं, पी0जी0 कालेज भी है और बी0टी0सी0, बी0एड0 कालेज भी है।

श्री अध्यक्ष-

एडेड है या वित्त विहीन है ?

डा0 अजय कुमार-

वित्तविहीन है, सेल्फ फाइनेंस। इसलिए मैं जानता हूं और मैं समझता हूं कि जो माननीय सदस्य ने कहा कि 20 प्रतिशत की गिरावट आयी है तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सारे टीचर्स की गुणवत्ता की जरूर जांच करायें। इससे प्रदेश में अच्छे विद्यार्थियों की, अच्छे इन्जीनियरों की जो हमें उपलब्धता कम हो रही है, उसमें यह भी एक कमी है। मैं समझता हूं कि शायद 80 परसेण्ट से भी ज्यादा विद्यालय ऐसे हैं जहां पर टीचर मानक के अनुरूप नहीं हैं। जो बीटेक पढ़ाने के लिए अर्हता होनी चाहिए, बिल्कुल प्राप्त नहीं है। एक-दो परसेण्ट हो तो हो, निजी कालेजों में तो बिल्कुल नहीं है। यह सुधार तभी होगा, जब मानक के अनुरूप टीचर होंगे, इसलिए मैं सरकार का इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सरकार इस पर विशेष ध्यान दे, इसी के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री सलिल बिश्नोई-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे व्यवसायिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग के बजट पर श्री दीपक पटेल जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए मौका दिया। मा0 अध्यक्ष जी, आज-कल हम जिस समय में जी रहे हैं, उसमें अगर सबसे ज्यादा कोई चीज प्रासंगिक है तो साईंस और टेक्नोलाजी है, अगर यह कहा जाय कि साईंस और टेक्नोलाजी की इरा में जी रहे हैं तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। आज हमारे जीवन को जो क्रिया-कलाप है, जो एक जीजीविषा है वह सारा कुछ मशीनीकरण हो चुका है। पहले मोबाइल जैसी, चीज, कम्प्यटर जैसी चीज, लैपटाप जैसी चीजों को हम सपने की चीज समझते थे, लेकिन आज यह सब जीवन के आवश्यक अंग हो गये हैं। ये क्षेत्र ऐसा है कि अगर इसमें प्रगति करेंगे तो हमारा पूरा प्रदेश प्रगति करेगा। आज बीस वर्ष पूर्व स्थिति यह थी माननीय अध्यक्ष जी कि उत्तर प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा के नाम पर सिर्फ आईआईटी कानपुर, एचबीटीआई, बीएचयू, रुड़की और एमएलएनआर कालेज इलाहाबाद यह चार-पांच कालेज थे, जहां पर टेक्निकल एजूकेशन मिलती थी। तो इन लिमिटेड कालेजों

के होते हुए हमारे प्रदेश की सारी मेधा और सारा पैसा दक्षिण के राज्यों में जाता था, लेकिन इधर पिछले बीस वर्षों में जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन का दौर चला, पिछले पांच-साल सालों में जिस तरह से तेजी से कालेजों की संख्या बढ़ी और उन्हें बिना मानकों को पूरा किये हुए मान्यता दी गई, उससे प्राविधिक शिक्षा का स्तर बहुत नीचे चला गया । नौजवानों को अपने ही प्रदेश में जब कालेज मिले तो उन्होंनें प्रवेश लिया, लेकिन उनसे निकलने के बाद उनके भविष्य के सामने प्रश्नचिन्ह लग गया। उत्तर प्रदेश के यूपीटीयू के पढ़े हुए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को नौकरी मिलने में बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। आप को यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि पांच साल बीटेक की डिग्री लेने के बाद 10 हजार से 15 हजार रुपये तक की नौकरी के लिए लाइन लगाते हैं । आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रदेश का जो टेक्निकल, औद्योगिक, प्रोद्योगिक और प्राविधिक वातावरण है, इसको सुधारा जाय। मा0 मुख्य मंत्री जी ने उस दिन जब अपना बजट पेश किया था और उसमें उन्होंनें कहा था कि प्रत्येक मण्डल के स्तर पर एक-एक सरकारी इंजीनियरिंग कालेज खोलने की योजना है। मेरा इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि नए इंजीनियरिंग कालेज खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रदेश के 75 प्रतिशत से ज्यादा इंजीनियरिंग कालेजों की आज स्थिति यह है कि वहां आधी संख्या में भी छात्र नहीं हैं। 10 प्रतिशत कालेज तो ऐसे हैं कि जहां 10-5 छात्रों के नाम पर ही कालेज चलाये जा रहे हैं । आज आवश्यकता माननीय अध्यक्ष जी, नए इंजीनियरिंग कालेजों को खोलने की नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो इंजीनियरिंग कालेज खुले हैं, उनको सरकार सहायता प्राप्त करे, जैसा कि अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मा0 सदस्य कह रहे थे कि उनके जो प्रोफेसर, फैकेल्टी हैं, उनके मानक पूरे नहीं हैं, 80 प्रतिशत कालेजों में, सरकार स्वयं स्वीकार करती है कि उन प्राविधिक कालेजों में, उन इंजीनियरिंग कालेजों में 80 प्रतिशत कालेजों में मानक के अनुरूप फैकेल्टी नहीं है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रदेश के हम टेक्निकल वातावरण को सम्भालने की कोशिश करें और इसी कारण से जिस तरह से आज हम पीछे पिछड़ गये हैं दक्षिण राज्यों की बात करते हैं तो हम भी उसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो पूरे हिन्दुस्तान में बड़े अच्छे ग्रेड के माने जाते हैं, लेकिन जिस तरह से संख्या बढ़ा दी गई सरकार की, अधिकारियों के द्वारा जो मानक के विपरीत कार्य हो गये। उससे आज स्थिति चिन्ताजनक हो गयी है। मैं समझता हूं कि इसमें कोई राजनैतिक दल की बात न हो करके पूरे प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के बारे में सोचते हुये हमें इस वातावरण को सुधारना चाहिये। जैसे अभी श्रीमान दीपक पटेल जी कह रहे थे फीस की प्रतिपूर्ति के लिये कि पहले कालेजों के थ्रू जाता था, अब सीधे छात्रों के एकाउण्ट में जायेगा। मा0 अध्यक्ष जी, मेरा इसमें अनुरोध है कि कोई भी ऐसी एक नीति बना ली जाये जिससे न तो कालेजों को दिक्कत हो क्योंकि अगर कालेजों को फीस की प्रतिपूर्ति समय से नहीं होगी तो फिर कालेजों को अपना बजट चलाने में दिक्कत होगी और अगर छात्रों के एकाउण्ट में सीधे जायेगी तो उनको फिर पहले अपनी गारण्टी देनी पड़ेगी। पहले पैसा जमा करना पड़ेगा। ये तमाम तरह की प्रैक्टिकल दिक्कतें आयेंगी, तो कुछ इस प्रकार की व्यवस्था बनायी जाये कि ये बिचौलिये समाप्त हो जायें। कालेजों और छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो जाये। सरकार इस तरह का कुछ करे तो इससे बहुत अच्छा रहेगा। प्रदेश सरकार की भी यह नीति होनी चाहिये और अपने प्रदेश के टेक्निकल एजूकेशन के ग्रेजुएट्स को प्रमोट करने के लिये एक नीति होनी चाहिये कि उत्तर प्रदेश सरकार में

जितनी भी टेक्निकल सेवायें निकलें, उसमें यू0पी0टी0यू0 के इंजीनियर्स को कुछ परसेण्टेज दिया जाये आरक्षण के तौर पर और उनको प्राथमिकता दी जाये। साथ ही एक इस तरह के जो छोटे छोटे सरकार के टेक्निकल काम होते हैं सरकारी स्तर पर, उन पर भी प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेजों में पढ़े हुये छात्रों को वरीयता दी जाये तो मैं समझता हूं कि प्रदेश के नौजवानों को काम मिलेगा और प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेजों की गुणवत्ता को सुधारने का काम किया जाये क्योंकि आज जमाना ऐसा है, पहले हम लोग अपने व्यापारिक संस्थानों को मुनीमों और मैनेजरों से चलाते थे। अब मुनीम और मैनेजर भी एम0बी0ए0 चाहिये, टेक्निकल ग्रेजुएट्स चाहिये। आज इस तरह का वातावरण बन गया है मा0 अध्यक्ष जी कि इस कैलिबर को आगे बढ़कर इनकी पूरी प्रतिभा, मेधा को निखार कर हम प्रदेश के विकास में सहयोग करें, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है धन्यवाद।

श्री राधेश्याम सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ बजट व्यावसायिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा का बजट रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। टेक्निकल शिक्षा से नौजवानों को रोजगार मिलता है। समाजवादी पार्टी की सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिये व्यावसायिक शिक्षा को ही बजट मा0 मंत्री जी ने रखा है। उसमें पहले चरण में तहसील स्तर पर हर तहसील पर एक एक स्कूल हो ताकि जो गांव और गरीब के बच्चे टेक्निकल शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। आई0टी0आई0 स्कूल में अपना नामांकन करेंगे। जैसे कि इंजीनियरिंग कालेजों में कैम्पस सेलेक्शन होता है वैसे ही आई0टी0आई0 स्कूल में हमारी सरकार ने, मा0 मंत्री जी ने यह व्यवस्था बनायी है कि अब आई0टी0आई0 स्कूल में भी अब कैम्पस सेलेक्शन होगा। लैपटाप और कम्प्यूटर देने का मकसद कि गांव, देहात और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में प्रतिभा उभरे। टेक्निकल शिक्षा से उनका लगाव हो। अभी कटौती प्रस्ताव रख हमारे पटेल जी ने कहा कि पूर्वांचल में इंजीनियरिंग कालेज और टेक्किनल शिक्षा के लिये सरकार ने क्या किया। आजादी के 65 साल गुजर गये, 65 साल के बाद पहली बार जब उत्तर प्रदेश जनता को एक इंजीनियर मुख्य मंत्री मिले उनकी निगाह पूर्वांचल में गयी और गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देकर के पर्वांचल की टेक्निकल शिक्षा का उत्थान करने के लिये उन्होंने नौजवानों को अवसर दिया। राजकीय पालीटेक्निक जो भी कालेज हैं उनमें आमूलचल परिवर्तन हो, शिक्षा का सुधार हो। यह हमारी सरकार के बजट में है और जब तक और जब तक टेक्नीकल शिक्षा में सुधार नहीं होगा, नौजवान रोजगार से नहीं जुड़ेंगे। हम आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि हमारे हाता विधान सभा जनपद कुशीनगर में एक राजकीय पालिटेक्निक कालेज का निर्माण हो रहा था, मुजाहना हैतिन गांव में, जिसका निर्माण बन्द है, हम आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से चाहते हैं कि उस इंजीनियरिंग कालेज के भवन निर्माण का जो कार्य अधूरा है, उसे तत्काल परा कराकर अगले सत्र में उसमें शिक्षा शुरू करायी जाए। बधाई देना चाहते हैं कि हमारे तहसील में एक आई0टी0आई0 स्कूल भी स्वीकृत हुआ है। हमारी सरकार व्यावसायिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा के उत्थान के लिए कटिबद्ध है। एक बार पुनः आपने मुझे समय दिया, मंत्री जी के इस बजट का हम स्वागत करते हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ, इस बजट का समर्थन करते हैं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मा0 पहाड़िया जी, आप क्या कोई किताब लिख रहे हैं, जब आते हैं या तो लिखते हैं, या इधर-उधर की बात करते हैं, आप बोलिएगा।

*श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

हां, मैं बोलूंगा जी।

श्री अध्यक्ष-

तो बोलें जी।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

मा0 अध्यक्ष जी, आज आपने मुझे बिना कहे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मान्यवर, धन्यवाद। अध्यक्ष जी, अभी कई हमारे मा0 सदस्यों ने एक बात कही, जो व्यावहारिक भी है, छात्रवृत्ति के बारे में अभी हमारे जो बसपा के मा0 सदस्य ने प्रस्ताव रखा था। मेरा भतीजे की 3 वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए, जो आज से दो साल पहले, बी0बी0ए0 कर रहा था, उसकी छात्रवृत्ति के लिए मैंने भी प्रयास किया, लेकिन छात्रवृत्ति आज तक नहीं मिली, उन 3 वर्ष की। आज भी एक सदस्य ने जिक्र किया कि पिछले वर्ष की अब मिल गई है। प्राइवेट संस्थाएं जो आपने कुकुरमुत्ते की तरह खुलवा दीं, विशेष तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, किसी भी दलित या पिछड़ी जाति के अल्पसंख्यक छात्र को छात्रवृत्ति के बारे में संस्थाओं ने जरा भी ध्यान नहीं दिया और पूरी फीस पहले जमा कर ली। उस उदासीनता के कारण डेट आगे-पीछे हो गयी, और दुनिया भर के बहाने हुए, और छात्रों का बड़ा अहित हुआ। दूसरा मा0 अध्यक्ष जी तत्कालीन मा0 मुलायम सिंह जी, की सरकार में मैं पढ़ा करता था, देखा करता था, उन्होंने प्रत्येक जिलों में प्राविधिक या व्यावसायिक या टैक्निकल जो और भी स्कूल खुले, उसमें मानक तय किया गया था कि प्रत्येक स्कूल में ऐसे 3-4 संस्थाओं को मान्यता देंगे या उन्हें खोलने की इजाजत देंगे, लेकिन ऐसा पूरे प्रदेश में आज तक भी नहीं हुआ है, कहीं-कहीं पर 100-100 हैं और कहीं पूर्वांचल के बुंदेलखण्ड के जिलों में एक और दो हैं, बमुश्किल, उस पर भी सरकार ध्यान दे यह मेरा आग्रह है। साथ ही प्लेसमेंट की व्यवस्था के बारे में मा0 सलिल विश्नोई जी ने जो कहा, वह सही कहा, यह विषय नहीं है अभी प्राथमिक शिक्षा की बात हम कर रहे थे, पहले प्राविधिक शिक्षा में, सरकारी पालिटेक्निकल कालेजेस का बड़ा महत्व हुआ करता था। आज उनमें जो गिरावट आई है, उसके लिए मा0 अध्यक्ष जी, सरकार का प्रयास यह हो कि उनके छात्रों को वरीयता के लिए कोई इस तरह का कानून बने या उनके 5 नम्बर या 3 नम्बर ज्यादा रखे जाएं । मा0 अध्यक्ष जी, मैं एक बात साफ तरह से कहना चाहता हूं, दुनिया भर की बातें हो रही हैं, आज भी यदि कहीं अंकुश है, यानि परीक्षा के बारे में गुरुजनों का कहीं दबाव है तो पालिटेक्निक और आई0टी0आई0 के कालेजों में नकलची पकड़े जाते हैं। नकल की प्रवृत्ति नहीं है और प्राइवेट जो संस्थाएं खुली हुईं हैं, एक-एक आदमी की दस-दस संस्थाएं हैं, वहां पर ठेके पर काम होता है, नकल का मतलब ही नहीं है, वहां तो कापी में क्लासरूम में लिख रहे हैं और परीक्षा चल रही है, क्योंकि होम सेन्टर होने से, उनमें

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गिरावट आई है और ये लोग अच्छी परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन इनके मार्क्स भी हमारे जो सरकारी गुरुजन हैं, वह इतने कम परसेन्ट नम्बर देते हैं और उनके परसेन्टेज बढ़ा दिये जाते हैं, क्योंकि पालिटेक्निक में किसान और गरीब का बेटा पढ़ता है, डेढ़ लाख, दो लाख रुपये फीस साल की और मा0 अध्यक्ष जी, अब तो बन्द हो गया, कालेज ही बन्द होने जा रहे हैं। 5-5, 10-10 लाख रुपये अच्छे संस्थानों में इंजीनियरिंग के पैसा लिया जाता है।

मान्यवर, पालिटेक्निक में नहीं। पाल्टिटेक्निक के परीक्षाओं को मैं ज्यादा अच्छा मानता हूं। यह सरकार द्वारा संचालित परीक्षायें होती हैं। इसलिए इनके छात्रों को सरकारी नौकरियों में वरीयता दी जानी चाहिए। मैं यह भी चाहता हूं कि आई0टी0आई0 संस्था हर ब्लाक लेविल पर स्थापित हो। सरकार आई0टी0आई0 कालेज खोले ताकि लोगों को रोजगार परक शिक्षा मिल सके। मान्यवर, अभी सलिल विश्नोई साहब ठीक कह रहे थे कि सरकार को इंजीनियरिंग कालेज और खोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि निजी क्षेत्र में जो ढेर सारे इंजीनियरिंग कालेज खुले हुए हैं वह बन्द होने के कगार पर हैं। क्योंकि छात्र दक्षिण में स्थिति कालेजों की ओर जा रहे हैं। मान्यवर, यह जो सरकारी आई0टी0आई0 और पाल्टिटेक्निक संस्थायें हैं यह गरीब और गांव के आदमियों के बच्चों के लिए हैं। अभी कुछ देर पहले यहां पर प्राइमरी पाठशालाओं की खिल्ली उड़ाई जा रही थी। मान्यवर, मैं भी प्राइमरी पाठशाला में पढ़ा हुआ हूं। आज वहां करोड़ो-करोड़ बच्चे इसलिए भी दाखिला लेते हैं कि वहां पर मिड-डे-मील बच्चों को मिल जाता है जो भारत सरकार की देन है।

श्री अध्यक्ष-

तो क्या आप चाहते हैं कि पाल्टिटेक्निक और आई0टी0आई0 संस्थाओं में भी पढ़ने वाले अभ्यर्थियों को मिड-डे-मील मिले।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

मान्यवर, हम चाहते हैं कि पालिटेक्निक और आई0टी0आई0 संस्थाओं को सरकार की ओर से खोला जाय। मान्यवर, आई0टी0आई0 में छात्र आसानी से मिल जाते हैं। मान्यवर, कहीं कहीं पर तो किसी ब्लाक में यह पालिटेक्निक और आई0टी0आई0 संस्थायें ज्यादा हैं एक ब्लाक में दस-दस हैं और कहीं पर नहीं हैं। तो इसमें कोई नीति बनाई जाय और मानक तय किये जायें ताकि सब जगह समान रूप से अनुपात में पालिटेक्निक और आई0टी0आई0 संस्थायें स्थापित हो सकें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि एक ब्लाक में दस आई0टी0आई0 हैं यह तो कांग्रेस की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मान्यवर, यह जानकारी देंगे कि यह कहां पर हैं।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

मान्यवर, जिनकी राज्य सरकार ने अनुमति दी, भारत सरकार ने भी अनुमति दे दी। शुरुआत आपने की। फिर हमारी सरकार ने एप्रूवल दे दिया। हमारे यहां खुर्जा में दस प्राइवेट क्षेत्र में संस्थायें हैं चार के नाम तो मुझे पता है बाकी मैं खोज लूंगा और आपको बता दूंगा।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, यह कैसे सम्भव हो सकता है।

श्री अध्यक्ष-

अब माननीय सदस्य जानें वे बता रहे हैं।

*श्री अजय मिश्रा 'टेनी'-

मान्यवर मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे व्यवसायिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, वास्तव में व्यवसायिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अभी दो-तीन दिन पहले इसी सदन में चर्चा हो रही थी कि उत्तर प्रदेश में साठ लाख से अधिक बेरोजगार पंजीकृत हैं यदि व्यवसायिक शिक्षा के माध्यम से इनको रोजगार उपलब्ध कराया जाय तो यह बहुत बड़ा काम होगा। मान्यवर, आई0 टी0आई0 संस्थाओं का हमारे यहां बहुत महत्व है उसमें कारीगर और इलेक्ट्रीशियन सभी व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है और अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अभी सलिल विश्नोई जी ने एक बात कही कि उनका प्लेसमेण्ट नहीं हो रहा है। यह एक समस्या कि उनका प्लेसमेण्ट कैसे हो। मान्यवर, इसके लिए हमारी सरकार को बड़ी-बड़ी कम्पनियों से वार्ता करके, कोई हल निकालने का प्रयास करना चाहिए और उनके प्लेसमेण्ट की व्यवस्था करानी चाहिए। मान्यवर, मध्य प्रदेश में सरकार ने एक योजना बनाई है कि वहां पर आई0टी0आई0 प्रशिक्षित लोग हैं उनको ग्राम स्तर पर रोजगार देने का काम किया जा रहा है। ऐसे दस-दस अभ्यर्थियों को रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है। वहां पर ग्राम पंचायत स्तर पर दस-दस दुकानें बनाई जा रही हैं, और उसके लिए ग्राम प्रधान को बता दिया जाता है कि यह यह दुकानें खुलेंगी उसमें जैसे- इलेक्ट्रीशियन, मोटर मकैनिक, पलम्बरिंग आदि। उसमें राज्य सरकार 50,000 रुपये का लोन भी देती हैं बिना ब्याज के । इस तरीके से ग्रामीण स्तर पर ही लोगों की समस्यायें हल हो जाती हैं और उन प्रशिक्षित लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। उसमें प्लेसमेंट की भी समस्या नहीं रहती है। इसलिए मेरे इस सुझाव पर सरकार विचार करने और उसे लागू करने का कष्ट करें।

दूसरी जो चीज यहा पर कही गयी है हम लोगों के जो आईटीआई विद्यालय हैं और व्यवसायिक विद्यालय हैं उनमें जो सृजित पद हैं उसमें लगभग 60% पद ही भरे हुए हैं 40 प्रतिशत पद खाली हैं। जिसके कारण ही उसकी शिक्षा की गुणवत्ता पर असर आ रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि इन पदों को भरने का काम किया जाय। इसके साथ साथ मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं मैं लखीमपुर जनपद का रहने वाला हूं हमारी विधान सभा निघासन है जहां पर एक मात्र केवल एक डिग्री कालेज है, व्यवसायिक शिक्षा के कालेज, टेक्निकल कालेज इसकी तो सम्भावनाएं ही नहीं हैं। बहुत बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। अभी मैं गोवा गया था तो मैंने गोवा का क्षेत्रफल पूछा तो पता चला कि लखीमपुर उससे दो गुना क्षेत्रफल का जिला है। गोवा प्रदेश से दो गुना क्षेत्रफल है और हमारे यहा केवल 4 आईटीआई हैं मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक आईटीआई और एक पालीटेक्निक कम से कम खोलने का अगर कृपा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरा एक तो हमारे यहा जो प्राविधिक शिक्षा के विषय में दूसरा बजट अनुदान संख्या-47 इसके विषय में मुझे कहना है कि प्राविधिक शिक्षा के विषय में जो लोगों ने कहा है वास्तव में बीटेक और एमटेक किये हुए छात्र लखीमपुर और सीतापुर में जो बेचारे बाहर से करके आये हैं लेकिन उन लोगों को कहीं पर भी सर्विस नहीं मिल पा रही है व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि ऐसे जो हमारे उत्तर प्रदेश के रहने वाले विद्यार्थी हैं और जिन्होंने टेक्निकल शिक्षा प्राप्त की है उनके रोजगार के लिए कोई विशेष योजना बनाई जाय । बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, अच्छी बात है लेकिन जब तक हम बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं देंगे तब तक हम फंडामेंटली इस समस्या को दूर नहीं कर पायेंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको भी हम लोग शामिल करें।

दूसरा, साइंस और टेक्नोलॉजी के विषय में वास्तव में आजकल जो युग है उसमें साइंस और टेक्नालॉजी का बहुत महत्व है। अगर हमको बढ़ना है और हिन्दोस्तान में दूसरे प्रदेशों के साथ हम लोगों को समकक्षता करनी है और पूरी दुनिया में अपने देश को दूसरे देशों के समकक्ष लाना है तो साइंस और टेक्नोलांजी के लिए उत्तर प्रदेश में विशेष योजना बनानी पड़ेगी। मैं विरोध में कुछ भी नहीं कह रहा हूं क्योंकि आज बहुत अच्छा वातावरण इस सदन का रहा। मैं तो पहली बार ही चुनकर आया हूं मुझे लगता था कि जो सत्ता पक्ष के लोग कहेंगे उसका विरोध पक्ष में बैठे लोग विरोध ही करेंगे। लेकिन आज जो बेसिक शिक्षा का बजट आया उसमें बहुत अच्छा वातावरण रहा। कहीं पर भी विरोध ऐसा नहीं लगा तो मेरा विरोध करने का मंशा नहीं है। मुझे कहना है माननीय मंत्री जी से कि इस सुझाव को जरूर रखें साइंस और टेक्नोलॉजी में एक गुणात्मक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है और जिन विद्यालयों से हम ऐसे शिक्षार्थी निकालें तो उनको व्यवसायपरक शिक्षा ऐसा मिले कि उनका प्लेसमेन्ट हो या उनके रोजगार की हम व्यवस्था करें इतना ही मैं कहना चाहता हूं इसके साथ ही माननीय मंत्री जी से विशेष अनुरोध है कि लखीमपुर जनपद का निघासन विधान सभा क्षेत्र का जरूर ख्याल रखेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर, हमारे यहां पर एक पालीटेक्निक और एक आई0टी0आई0 स्वीकृत हुई थी अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र के नाते । पालीटेक्निक में, यह मिर्जापुर ब्लाक है जलालाबाद विधान सभा में जनपद शाहजहांपुर में लगभग 40 से 50 प्रतिशत काम हो चुका है, बिल्डिंग बन चुकी है लेकिन एक वर्ष से कार्य रुका है। मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी उसका संज्ञान ले लें और उसका काम पूरा करा दें सरकार का काफी पैसा लग गया है और हमारे जलालाबाद ब्लाक में एक आईटीआई स्वीकृत हुई थी उसकी जमीन भी अधिग्रहीत हो गयी, आईटीआई को ट्रांसफर हो गयी, आईटीआई के लिए वहां पैसा भी आ गया है लेकिन पहले के इस्टीमेट में और आज के इस्टीमेट में फर्क होने के नाते कार्य रुका हुआ है। मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि इसको बनवाने की कृपा करें।

श्री दीपक पटेल-

धन्यवाद, आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी डा0 अजय भारतीया जी ने, श्री सलिल विश्नोई जी ने

डा0 अजय कुमार-

अरे नाम तो ठीक ले लीजिये ।

श्री दीपक पटेल-

अजय भारतीया जी ही कहा है।

श्री अध्यक्ष-

वह डिग्री कालेज चलाते हैं, पालीटेक्निक नहीं ।

श्री दीपक पटेल-

श्री बंशी लाल पहाड़िया जी ने, श्री अजय मिश्र जी ने .....

(डा0 अजय मिश्र द्वारा टोकाटाकी किये जाने पर)

चलिये क्षमाप्रार्थी हैं इसके लिये, भविष्य में सचेत रहेंगे । इस प्राविधिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा और विज्ञान टेक्नालोजी पर अपने अमूल्य सुझाव इन सभी लोगों ने दिये हैं और मान्यवर, बहुत सारी चीजें हमने भी रखी हैं, अभी हमारे सहयोगी माननीय विधायक जी ने भी बताया है कि इलाहाबाद के यमुनापार में मांडा में एक आई0टी0आई0 विद्यालय चल रहा है, लेकिन इसमें ट्रेड कम हैं, केवल 4 ट्रेड हैं। हम यह भी सुझाव देंगे कि इसे भी सम्मिलित कर लें और कटौती पर बल देने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नही है, सुझाव दिया है, अगर सकारात्मक सुझाव का नतीजा निकलेगा तो विचार किया जा सकता था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के साथियों ने जो सुझाव दिये हैं, उस पर सरकार गंभीर है, जो रचनात्मक सुझाव हैं, उनको मान लिया जायेगा । जहां तक पटेल जी ने एक बड़हलगंज के लिये बताया है तो बड़हलगंज, गोरखपुर की आई0टी0आई0 इसमें चार ट्रेड हैं और स्वीकृत हो चुका है और इसकी पढ़ाई भी गोरखपुर के मुख्य आई0टी0आई0 में हो रही है। भवन जब तक निर्मित नहीं हो रहा है, तब तक वहां चलती रहेगी और जब भवन निर्माण हो जायेगा, तब यहां चली आयेगी । माननीय सदस्य विश्नोई साहब ने चिन्ता व्यक्त की है कि इंजीनियरिंग कालेज की संख्या बहुत हो गयी है, इसे अब न बनाया जाये। यह 2003-04 में जब इसी तरह से माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त किया था कि प्रदेश का पैसा बाहर दक्षिण में चला जा रहा है, तो उस समय तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय नेताजी ने यहां प्राइवेट सेक्टर में इंजीनियरिंग कालेज को स्थापित करने का आदेश करवाया जिसकी वजह से आज पूरे प्रदेश का नौजवान जो इंजीनियरिंग करना चाहता है, डिप्लोमा करना चाहता है, वह दक्षिण भारत न जाकर अब अपने प्रदेश में ही शिक्षा ग्रहण कर ले रहा है। माननीय सदस्य अपने साथी राधेश्याम सिंह जी ने मुजैहना में इंजीनियरिग कालेज जो निर्माणाधीन है, उसकी बात कही है, वह घर की बात है, उसको मैं दिखवा लूंगा और पहाड़िया जी ने ब्लाक स्तर पर 10 आई0टी0आई0 ...

श्री अध्यक्ष-

वह लाकर सूचना देंगे, वह नहीं देंगे तो आप कार्यवाही करियेगा ।

श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी-

वैसे यह सरकार हमारी प्रदेश के जितने असेवित तहसील हैं, उसमें हम आई0टी0आई0 कालेज बनाने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी एक आई0टी0आई0 हमारे यहां 1988 में खुली थी, और वह कभी बस्ती चलती थी, कभी चौकड़ा चलती थी, अब पता नहीं कहां चली गयी, मैं नहीं जानता, उसका बिल्डिंग ही आज तक नहीं बना, अब पता ही नहीं चलता, कहां है, आप जरा पता लगवा लीजिये। जब हमारे यहां भारत सरकार ने हमारे यहां जब माननीय काजी जलील अब्बासी जी एम0पी0 थे तो उन्होंने उसे खुलवाया था। वह बहुत दिन बस्ती चली फिर डुमरियागंज चली आई, 1988-89 में वह हमारे क्षेत्र चौखड़ा चली आई अब वह कहां है इसका आप पता लगा लीजिए।

*श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

वह चलती फिरती आई0टी0आई0 थी।

श्री अध्यक्ष-

जमीन न मिल पाने के नाते वह इधर उधर घूमती रही।

श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी आपकी चिन्ता भी गम्भीर है और सरकार भी गम्भीर रहेगी।

श्री अध्यक्ष-

इतना ही मुझे कहना है कि इसको गम्भीरता से देख लें। आपका जवाब हो गया।

श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी-

जी मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-69 व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-69-व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 4,83,56,94,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या- 47-प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-47 प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 5,56,33,81,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत सम्पर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपए 1,87,07,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[06.12 बजे] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्षक दल, व्यावसायिक शिक्षा मंत्री (श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 90,35,85,07,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, शिक्षा बौद्धिक सम्पन्नता एवं राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की आधार शिला है। शिक्षा ही व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के स्वरूप तय करती है। शिक्षा के उन्नयन एवं उसके प्रति छात्र-छात्राओं के रुझान में वृद्धि तथा कम्प्यूटरीकृत शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कक्षा दस उत्तीर्ण एवं अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निःशुल्क टेबलेट पी0सी0 उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में रुपए 283.27 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।

बारहवीं पास एवं अध्ययनरत सभी छात्र-छात्राओं को निःशुल्क लैपटाप उपलब्ध कराया जायेगा। लैपटाप हेतु रुपए 1507.42 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। दिनांक 11.3.2013 को मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारम्भ किया गया।

मान्यवर हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त कर चुकी लड़कियों को उच्च शिक्षा के प्रति अनुप्रेरित करने के उद्देश्य से कन्या विद्याधन योजना क्रियान्वित की गई है। इसके लिये वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में रुपये 543.66 करोड़ का बजट अनुमान प्रस्तावित किया गया है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हेतु रुपये 200.00 करोड़, माडल स्कूलों की स्थापना हेतु रुपये 100.00 करोड़ तथा बालिका छात्रावासों के निर्माण हेतु रुपये 20.00 करोड़, आई0सी0टी0

योजना में रुपये 98.88 करोड़ का तथा विकलांग बच्चों को समेकित शिक्षा योजनान्तर्गत रुपये 105.31 करोड़ की बजट व्यवस्था वर्ष 2013-14 हेतु प्रस्तावित है।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण के कार्य तथा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण, विस्तार, विद्युतीकरण तथा भूमि/भवन क्रय योजना को मिलाकर रु0 75.00 करोड़ का आय-व्ययक अनुमान वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु प्रस्तावित किया गया है। पहली बार इतने बजट की व्यवस्था की जा रही है ताकि पठन-पाठन के लिये स्वस्थ वातावरण का निर्माण हो सके।

सेवित/असेवित विकास खण्डों में निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा कन्या विद्यालय की स्थापना योजनान्तर्गत अनावर्तक व्यय के रूप में रु0 10-10 लाख दो किस्तों में दिया जाता है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में असेवित में 1.00 करोड़ तथा सेवित में 3.30 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

एक सुर एक ताल योजनान्तर्गत सांस्कृतिक कार्य के माध्यम से छात्र-छात्राओं में राष्ट्रीय एकता व सौहार्द की भावना के विकास के लिये 0.50 करोड़ का बजट अनुमान 2013-14 व्यवस्था प्रस्तावित किया गया है।

इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा के लिये अनुदान संख्या-72 में आय-व्ययक अनुमानों में आयोजनागत मद में रुपये 2959.9675 करोड़ एवं आयोनेत्तर मद में रुपये 6075.9102 करोड़ कुल रुपये 9035.8777 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, जो यह आंकड़े आप दे रहे हैं वह सारे आंकड़े उस पुस्तक में होंगे जो पुस्तक आपने बांटी होगी। इसलिए जो अच्छी और बड़ी योजनाएं हैं उनको आप बता दीजिए।

श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, लैपटाप, टैबलेट पी0सी0 जो पहली बार उत्तर प्रदेश के नौजवान और इंजीनियर मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तावित किया गया है, इसमें 15 लाख लैपटाप बंटने के लिए आ चुके हैं और आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। हम प्रतिवर्ष बच्चों को लैपटाप देंगे जो इण्टरमीडिएट पास करेगा और जो बच्चा हाई स्कूल पास करेगा चाहे वह छात्र हो या छात्रा हो, उसको टैबलेट पी0सी0 देंगे। इस तरह से हम जो कम्प्यूटरीकृत पढ़ाई शुरू कर रहे हैं उससे गांव के गरीब बच्चों के लिए जो अच्छी शिक्षा आर्थिक कठिनाइयों से नहीं प्राप्त कर पाते हैं उनको हम लैपटाप देंगे। इससे वह इंटरनेट के माध्यम से हर सवाल का जवाब अपने घर बैठे-बैठे प्राप्त कर सकेंगे और अच्छी नौकरी डाक्टर, आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 के कम्प्टीशन में बैठ सकेंगे। इसलिए हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस योजना को लागू किया है, मैं उनको बधाई दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि एक पत्रकार साथी ने यह सवाल किया कि लैपटाप दे रहे हैं तो क्या कोई आपरेटर भी दे रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि जिस समय मोबाइल का प्रचलन शुरू हुआ था उस समय दो, चार, दस लोगों के पास मोबाइल हुआ करता था लेकिन ज्यों-ज्यों उसका प्रचलन बढ़ता गया उसे आपरेट करना आसान होता गया। आज गांव देहात में महिलाएं जो घर का काम करने वाली हैं वह भी मोबाइल को आपरेट करना जान गई हैं। हमारा तो इण्टर पास लड़का है जो बी0ए0, बी0एस0सी0 में

एडमिशन ले रहा है, उसे लैपटाप चलाना है मैं समझता हूं कि उसे इस लैपटाप को आपरेट करने में कोई परेशानी नहीं होगी और वह स्वयं सक्षम होगा। जो अपना लैपटाप चला सकता है इसलिए इसके माध्यम से हमारी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। मैं चाहूंगा विपक्ष के साथियों से कि यह जो जनोपयोगी हमारा बजट प्रस्तुत हुआ है और उसमें कम्प्यूटरीकृत शिक्षा देने की जो व्यवस्था की गयी है उसको सर्वसम्मति से पास करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

माननीय पहाड़िया जी, यहां बैठ करके लिखा-पढ़ा नहीं जाता है, बैठ करके सुना जाता है, आप लगातार लिखते रहते हैं। अनुग्रह नारायण सिंह जी इनको आप समझा दीजिए, आपकी पार्टी के हैं।

श्री उमाशंकर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रमुख स्थान है। माध्यमिक शिक्षा के बाद ही बच्चे उच्च शिक्षा-चिकित्सीय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या प्रबन्धकीय शिक्षा में प्रवेश हेतु योग्य होते हैं। मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा ही उच्च शिक्षा के लिए सेतु का कार्य करता है। चूंकि पिछली बार माध्यमिक शिक्षा का बजट इस सदन के सम्मानित संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा था और उनके बजट भाषण से जो मैंने संकलित किया। उन्होंने उस समय बहुत मार्मिक अपील भी की थी। उन्होंने कहा था कि बेसिक शिक्षा बुनियाद है, माध्यमिक शिक्षा रास्ता और उच्च शिक्षा हमारी मंजिल। लेकिन बहुत दिनों से यह देखने में आया है कि शिक्षा में जिस तरह की गिरावट आयी है और शिक्षा विभाग में जिस तरह से लेन-देन का चलन आम हुआ है। बराबर सदन में गम्भीरता से इस बात को लिया गया है उसने पूरी सामाजिक व्यवस्था को चरमरा कर रख दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बात को मैं रखने जा रहा हूं। चंकि हमारे कटौती प्रस्ताव में सुझाव देना या आलोचना करना है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आलोचना से शुरुआत करता हूं और आज उस पर हमें इसलिए भी बल मिल गया कि कहीं न कहीं जो संसदीय कार्यमंत्री जी ने पिछली बार बजट रखा था, इस बार उनका बजट न रखना इस बात का द्योतक है कि हमारी जो जानकारी संकलित हुई है उसमें 100 प्रतिशत सत्यता है। मान्यवर, शुरुआत करते हैं 2012-13 की माध्यमिक शिक्षा परिषद् के नियंत्रणाधीन पाठ्य-पुस्तकों के लेखन, मुद्रण, प्रकाशन हेतु नीति शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्याः 987/15.07. 2012-1-286/2007, दिनांक 25 मई, 2012 द्वारा प्राप्त हुई। मान्यवर, आपका संरक्षण चाहूंगा, बहुत गम्भीर मामला है। शासनादेश द्वारा इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग के 4 विषयों, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान एवं गणित की पुस्तकों का प्रकाशन कोप्स आधारित पाठ्यक्रम के आधार पर तथा शेष विषयों की पुस्तकों का प्रकाशन शासनादेश दिनांक 15.02.2000 में निर्धारित प्राविधानों के अंतर्गत अर्हतायुक्त प्रकाशकों के माध्यम से कराने का निर्देश प्राप्त हुआ। मान्यवर, यहां से शुरूआत होती है। एक विज्ञापन

निकलता है, प्रकाशन करने के लिए पब्लिशरों की। उस विज्ञापन में 20 फर्में भाग लेती हैं, बीसों फर्मों का नाम हम नहीं बतायेंगे, लेकिन 20 फर्में भाग लेती हैं। उन फर्मों में चयन के लिए एक समिति बनती है, शिक्षा निदेशक, माध्यमिक की अध्यक्षता में। उस समिति में अध्यक्ष होते हैं श्री वासुदेव यादव, शिक्षा निदेशक, जो सभापति भी हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के, दूसरे श्री राजेन्द्र प्रसाद, संयुक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा, सदस्य हैं, तीसरे, श्री दिनेश चन्द्र पाण्डेय, उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ सदस्य हैं, चौथे दिलीप कुमार पाण्डेय जी, जो वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, यह भी सदस्य हैं और पांचवें सदस्य के रूप में सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश हैं। यह कमेटी बनती है, यह कमेटी उन बीसों जो आवेदक आये हैं उनके सारे अभिलेखों का परीक्षण करती है अभिलेख परीक्षण में वह कमेटी पाती है कि 20 फर्मों में से क्रम संख्या- 5,9,17 एवं 20 को छोड़कर जो शेष अन्य प्रकाशक हैं उनको लेखन मुद्रण और प्रकाशन की अनुमति प्रदान कर दी जाय। मान्यवर, यह समिति का निर्णय हुआ। समिति ने यह भी निर्णय किया कि पुस्तकों का मूल्य निर्धारण न कि प्रकाशक के पास रहेगा बल्कि उस समिति के पास रहेगा और उस समिति ने अपनी बैठक में रेट भी तय कर लिये कि हम रेट कैसे डिसाइड करेंगें, हमारा रेट का मानक क्या रहेगा। मान्यवर, 85 पैसा प्रति 8 पेज यानि 8 पेज का 85 पैसा यानि लगभग 11 पैसा पड़ा एक पेज का और कवर का मूल्य 70 पैसा समिति ने डिसाइड कर दिया। मान्यवर, यह तो पूरा समिति का निर्णय रहा लेकिन बीच में जो समिति ने जो 4 कम्पनियों को जो उसमें योग्य नहीं पाया था उसमें से फिर क्रम संख्या 9 पर जो फर्म है मैसर्स राज लक्ष्मी पब्लिकेशन को इन्होंने बिना समिति के निर्णय के जो हमारे शिक्षा निदेशक महोदय हैं उन्होंने इसे भी प्रकाशन का अधिकार दे दिया। चलिये यह भी ठीक है, हालांकि उसका कहीं समिति से भी अनुमोदन नहीं लिया गया। मान्यवर, यही नहीं हो जाता है क्योंकि समिति के निर्णय के खिलाफ शिक्षा निदेशक द्वारा विज्ञान वर्ग की पुस्तकों जिसमें भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान एवं गणित के प्रकाशन का कार्य मात्र एक प्रकाशक मेसर्स नगीन प्रकाशन, मेरठ को दे दिया गया। यही नहीं हुआ मान्यवर, समिति के विपरीत उसमें चूंकि और लोगों का भी आर्डर मेरे पास है।उसमें उनको शर्तों में भी छूट दी। बाकी लोगों के लिये 09 शर्तें रखी गई थी उनको 07 शर्तें रखी गई थी। मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा विभाग, जो मुझे जानकारी मिली है, जो मैंने जानकारी प्राप्त की है। इसकी जानकारी सचिव माध्यमिक शिक्षा को नहीं दी गई। यानि शासन को नहीं उपलब्ध कराई गई कि हमने विज्ञान की किताब छापने के लिये एक ही प्रकाशक को तय कर लिया है। यह भी जानकारी शासन को नहीं दी गई कि मूल्य निर्धारण का काम जो समिति ने तय किया है वह भी हमने प्रकाशक पर ही छोड़ दिया है। मान्यवर, इसका परिणाम क्या हुआ ? एक हजार पेज की जो किताब छपी है, किताब में एक हजार पेज हैं। क्योंकि 8 पैसा अगर 8 पेज के हिसाब से 11 पैसा लगभग आयेगा। इस तरह से किताब का मूल्य 106 रुपया आयेगा और अगर उसके कवर का मूल्य हम जोड़ेगें 70 पैसा तो उसका मूल्य लगभग 106 रुपये 95 पैसा आयेगा। हम उसको 107 रुपया मान लेते हैं । लेकिन प्रकाशक को छूट दिया गया। प्रकाशक ने अपनी किताब में कितना प्रिन्ट छापा है। उसने छापा है 650 रुपये। किताब की कीमत है मान्यवर 107 रुपया और प्रकाशक ने उस पर छापा है 650 रुपये और किताब मार्केट में धड़ाधड़ बिकने लगी। लगभग 543 रुपये अधिक। यानि एक किताब पर समिति का जो निर्णय था उससे 543 रुपया अधिक दाम पर किताब मार्केट में बिकने लगी। मान्यवर, पिछले सत्र में यही किताब

जब पिछली सरकार थी बहुजन समाज पार्टी की तो उसमें विज्ञान की किताब 90 रुपये की और गणित की किताब 120 रुपये में दी जाती थी जो आज किताब का मूल्य हो गया 650 रुपया। मान्यवर, इस साल जो बोर्ड में हमारे साइंस के छात्र बैठ रहे हैं परीक्षा में उसमें 9 लाख 67 हजार 859 छात्र विज्ञान के हैं। इन छात्रों को भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं गणित के दो दो पेपर होते हैं। इनको दो दो किताब खरीदनी थी। यानि एक विद्यार्थी को 8 किताब खरीदनी है। 9,67,859 विद्यार्थी हैं इनको हम 8 से गुणा करेंगें तो आ जायेगा 77 लाख 42 हजार 872 किताबें।

श्री अध्यक्ष-

यह कुल एक बार जोड़कर बोल दीजिये। कई कई बार जोड़ कर बतायेंगे। बहुत समय चाहिए न लोगों को बोलने के लिये। एक बार जोड़कर बता दीजिये कि इतना था इतना हो गया।

श्री उमाशंकर-

इस तरह से प्रकाशक को जो हमने दसवीं क्लास एवं बारहवीं कक्षा की विज्ञान की किताबों का लाभ दिया है वह 420 करोड़ 43 लाख 79 हजार 496 रुपये यानि इतना हम अधिक दिया है। यह तो हो गया जो लड़के इस वर्ष बोर्ड में बैठे हैं। मान्यवर, जो लड़के इस वर्ष प्रवेश लिये हों दसवीं का रिजल्ट भी बहुत अच्छा बना था लगभग नब्बे प्रतिशत रिजल्ट आया था दसवीं का। 11वे में जो लड़के प्रवेश लिए हैं साइंस में, उनकी संख्या 12 लाख है 12 लाख से अधिक मान्यवर, अगर हम आंकड़ा निकालेंगे तो उसका आ जाएगा 521 करोड़ 28 लाख रुपया, मान्यवर इस तरह से 941 करोड़ 71 लाख 79 हजार 496 रुपया, हम एक प्रकाशक को यह लाभ केवल अधिक मूल्य बढ़ाकर लाभ दिए हैं। यही नहीं मान्यवर, इसका सबसे बड़ा जो दूसरा पहल है वह जो उनकी समिति ने एक निर्णय लिया था और सारे प्रकाशक से एक एफिडेविट लिया था उसमें था कि कोई भी प्रकाशक अपनी किसी किताब पर, किसी तरह का कोई विज्ञापन नहीं छापेगा शपथ-पत्र में भी है लेकिन मान्यवर किताब में विज्ञापन छापा गया है उसका नमूना भी मेरे पास है। यही नहीं जो किताब छपनी थी यह भारत सरकार द्वारा पूरे देश में, एक तरह का सी0बी0ए0ई0 बोर्ड के अनुसार छपना था लेकिन मान्यवर, किताब का अध्ययन करा लें, इसमें दो-तीन पन्ने सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के लगाए गए हैं और यह इसलिए लगाए गए हैं अगर पूरे पन्ने अगर सी0बी0एस0ई बोर्ड के लगते तो 2% की रायलटी सी0बी0एस0सी0 बोर्ड को देना पड़ता उसमें मान्यवर, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है..

श्री अध्यक्ष-

आप कहिए लेकिन आप समय का भी ध्यान रखिए। आप जो बता रहे हैं खाली उसी पर तो चलेगा नहीं, इसमें बहुत सारी बातें हैं।

श्री उमाशंकर-

मान्यवर, इसमें यही नहीं हुआ है एक तरफ हम गुणवत्ता की शिक्षा की बात करते हैं दूसरी तरफ मैं बताना चाहूंगा इसमें यह भी निर्देश हैं कि मान्यवर, जो राइटर रखे गए हैं उसमें एक राइटर जो हैं स्व0 राजकुमार जी हैं..

श्री अध्यक्ष-

जल्दी करिए क्या आप इसी को लेकर दो घंटा घुमाते रहेंगे।

सुझाव दें।

श्री उमाशंकर-

उनका भी नाम उसमें अंकित है उनके बेटे का नाम भी उसमें अंकित है। एक लेखक बी0एम0 शुक्ला जी है आई0सी0एस0सी0 बोर्ड के हैं लखनऊ में सेन्ट फिडलिस स्कूल है जो बच्चों को लखनऊ में पढ़ाते हैं इनमें इण्टरमीडिएट किताब लिखने की किसी तरह की बिल्कुल योग्यता नहीं रखते है मान्यवर, लेकिन उनका भी नाम लिखा गया है अनुचित लाभ देने के लिए। मान्यवर, यही नहीं। मान्यवर, कापीराइट एूक्ट के तहत अगर लेखक के मरने के बाद उसका नाम अंकित होता है तो यह अपराध बनता है उसमें राइट पुत्र को दिया गया है। यही नहीं मान्यवर, और लाभ देने के लिए सब बच्चे किताब खरीद लें उसके लिए मान्यवर समस्त डी0आई0ओ0एस0 लोगों को पत्र गया है आप यह सुनिश्चित कर लें कि इस प्रकाशक के अलावा किसी भी प्रकाशक की किताबें विज्ञान वर्ग की न किसी विद्यालय में रहेगी न किसी बुक स्टाल पर रहेगी यदि ऐसा होता है तो उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। मान्यवर, इस तरह का निर्देश जारी हुआ है मान्यवर जो भारत सरकार ने सभी प्रदेशों की जो बैठक की थी और उसी आशय से बजट भी दिया था कि आप गरीब छात्र, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों को यह पुस्तकें मुफ्त बांटनी हैं लेकिन आज सभी लोग मजबूर हैं आज वह साढ़े छः सौ रुपये में किताब खरीद रहे हैं दसरी कोई किताब मार्केट में नहीं मिल रही है मान्यवर, आप भी जानते हैं कि लड़के इण्टरमीडिएट के बाद डाक्टरी की, इंजीनियरिंग की तमाम तैयारी करते हैं क्योंकि कोई लड़का एक राइटर की किताब नहीं पढ़ता है। वह तमाम राइटरों की किताब पढ़कर तैयारी करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में हम लोग उनको वंचित कर दिए हैं कि उनको कोई किताब न मिले, सारे लड़के एक राइटर की किताब पढ़ने को मजबूर हैं। यह भी सत्य है कि उनको इतना बड़ा फायदा ऐसे ही नहीं दिया गया होगा। जो इतनी अनियमितता किए हैं, जो कमेटी की रिपोर्ट नहीं माने हैं शिक्षा निदेशक उनको भी, इनके द्वारा, उनको एक बड़ा हिस्सा उनको प्राप्त हुआ होगा। यह मेरी आलोचना की बात है। कुछ सुझाव भी हम देना चाहेंगे इसमें माननीय मंत्री जी का स्पष्ट जबाव आएगा। मेरा स्पष्ट आरोप है लगभग एक हजार करोड़ रुपये...

श्री अध्यक्ष-

सुझाव दीजिए।

श्री उमाशंकर-

यह विभाग हालांकि मा0 मुख्य मंत्री जी के पास है हो सकता है संज्ञान में न हो खेल कहां हुआ है यह जांच का विषय है। दूसरा प्रदेश में लगभग 20,720 उत्तर माध्यमिक विद्यालय हैं। राजकीय विद्यालय 1584 हैं और शासकीय विद्यालय 19,136 हैं। शासकीय सहायता प्राप्त 4,478 हैं और अशासकीय वित्त विहीन 14,658 हैं। मान्यवर, चूंकि इसलिए भी महत्वपर्ण है क्योंकि माध्यमिक में लगभग 01 करोड़ 31 लाख 24 हजार 213 छात्र हैं। हम पिछली माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जब बजट रखा था तो हमने यह सुझाव दिया था कि जब से मान्यता की प्रथा शुरू हुई है, तब से कमरों का साइज 25 बाई 20 रखा गया है और उस समय हाई स्कूल में 45 बच्चे और इण्टरमीडिएट में 50 छात्रों के लिए सेक्शन बनता था। मान्यवर, छात्रों की संख्या आज बढ़ा दी गयी है, यह सर्कुलर जारी हो गया है और छात्रों की संख्या लगभग 75 हो गयी है। लेकिन अभी भी जो मान्यता दी जा रही है, उसमें कमरों का साइज 25 बाई 20 रखा गया है। हालांकि उस बार माननीय मंत्री जी ने

इसको गंभीरता से लिया था, कहा था कि आपका यह सुझाव अच्छा है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं अवगत कराना चाहूंगा कि प्रदेश में लगभग 16 हजार तदर्थ शिक्षक हैं जिनका वेतन भी राजकोष से प्राप्त होता है। यह अपना विनियमितीकरण करने के लिए रोज धरना, प्रदर्शन करते रहते हैं। यह लोग मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं हैं या मानसिक रूप से यह अपने आप को एडजेस्ट नहीं कर पाते हैं कि हम शिक्षक का काम करें। इसमें से तमाम लोग 25 साल 30 साल की सेवा के बाद रिटायर भी हो गए हैं लेकिन इनका विनियमितीकरण नहीं किया गया है और जो हमने इसमें पता किया तो पता चला कि इसको विनियमित करने में राजकोष पर कोई अतिरिक्त व्यय-भार भी नहीं पड़ने वाला है। इन लोगों को स्वतः ट्रेजरी से तनख्वाह मिल रहा है। मान्यवर, इसी तरह से प्रदेश में लगभग 20 हजार ऐसे वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं जिसमें लगभग 2 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जिनके बारे में आप भी जानते हैं कि प्रबन्धक लोग उन्हें 1 से डेढ़ हजार रुपये वेतन देते हैं। अगर हम यह कहें कि यह संख्या बढ़ कैसे गयी, मान्यवर, 14 अक्टूबर, 1986 को वित्तविहीन मान्यता का प्रावधान मात्र 2 सालों के लिए लागू हुआ था और 14 अक्टूबर, 1986 से पहले जो मान्यता मिलती थी, वह वित्त सहित मिलती थी लेकिन यह बीच में 2 साल के लिए लागू हुआ था लेकिन वह व्यवस्था आज तक चली आ रही है जिसकी वजह से इनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। मान्यवर, अभी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जिस तरह से मार्मिक अपील की है, बेसिक शिक्षा के बारे में, चूंकि मान्यवर, हमें हर जगह वही दिक्कत है, बेसिक में भी वही दिक्कत है और माध्यमिक में भी वही दिक्कत है। प्रदेश में 650 जो राजकीय इण्टर कालेज हैं, जिसमें 400 में प्रधानाचार्य नहीं हैं। हम शिक्षा में गुणवत्ता कहां से देंगे ? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, इसमें मान्यवर, वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12, अगर कुल मिला देंगे तो इसमें हाई स्कूल 1021 स्वीकृत हुए हैं, जब कि एक विद्यालय में 7 अध्यापक चाहिए और एक प्रधानाचार्य लेकिन मान्यवर, एक की भी नियुक्ति नहीं हुई है। मान्यवर, इसी तरह से इण्टरमीडिएट के लिए जो हैं, 148 इण्टर कालेज चलाने के लिए भारत सरकार ने पिछले साल जो धनराशि उपलब्ध कराई है, हालांकि उसका काम शायद प्रोग्रेस पर है लेकिन उनमें भी नियुक्ति का कोई प्राविधान नहीं किया गया है। मान्यवर, इससे स्पष्ट है कि शिक्षा की जो दुर्दशा हुई है, उसका एक बहुत बड़ा कारण हमारे गुरुजनों की कमी है। मान्यवर, लगभग 97 हजार शिक्षक के पदों पर 18 हजार पद खाली पड़े हैं लेकिन शिक्षा विभाग अपनी रिपोर्ट में कह देता है कि हमारे पास शिक्षक सरप्लस हैं। मान्यवर, इसमें चयन बोर्ड की भी अपनी भूमिका है। जैसा कि शिक्षा विभाग के लोग बताते हैं कि अगर 100 लोग रिटायर होते हैं तो हमारे चयन बोर्ड के लोग 25 की नियुक्ति करते हैं।

अगर हम लोग यह मांग करते हैं कि हमें मैथ का टीचर चाहिए तो वह लोग भूगोल का टीचर देते हैं। अर्थात जिस विषय का टीचर या गुरुजन हमारे रिटायर हुए हैं उस विषय का टीचर उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस प्रकार चयन बोर्ड की भी इसमें कहीं न कहीं कमी है। दूसरा मान्यवर, हम एक उदाहरण देंगे, जनपद बलिया के इण्टर कालेज की जो हमने बात कही है, वहां पर जो भी राजकीय इण्टर कालेज हैं, उनमें एक में भी प्रधानाचार्य नहीं है। जो जिला मुख्यालय पर राजकीय कन्या इण्टर कालेज है, उसमें भी प्रधानाचार्य नहीं है। यही नहीं, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान जैसे विषयों में शिक्षक नहीं हैं। वहां पर आर्ट साइड वाले जो गुरुजन हैं, वही लोग वहां बच्चों को पढ़ा

रहे हैं। दूसरा मान्यवर, अभी हमने अखबारों के माध्यम से पढ़ा था कि शिक्षा विभाग कुछ नियुक्तियां करने की प्रक्रिया में है जिसमें मात्र 900 प्राचार्यों और 1350 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। उसको मैंने नोट कर लिया था। आज जो संख्या है उतने से कुछ होने वाला नहीं है। मान्यवर, पिछली बार उच्च शिक्षा के बजट में भी मैंने कहा था क्योंकि हर ब्लाक स्तर पर राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने की बात आयी थी लेकिन हमने निवेदन किया था कि हम राजकीय कन्या महाविद्यालय तब खोलें जब पहले हर तहसील मुख्यालय पर हम राजकीय कन्या इंटर कालेज खोल लें। उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया करें। मान्यवर, करीब 25 साल पहले से एक राजकीय कन्या इंटर कालेज बलिया में रसड़ा में स्वीकृत हुआ था। जब शुरुआत हुई तो दूसरे के मकान में शुरुआत हुई। मकान मालिक ने जब उसे खाली करा दिया तो पुरानी तहसील जर्जर पड़ी है, टीनशेड है उसमें कोई बैठ नहीं सकता वहां यह शिफ्ट हो गया। तो उसमें जब मैंने नियमों में पढ़ा मा0 मुख्य मंत्री जी का जवाब आया कि उस विद्यालय के लिए जमीन का चयन कर लिया गया शीघ्र उसमें निर्माण की कार्यवाही की जाएगी। लेकिन उस जवाब को आये 6 महीने हो गया। यह स्थिति हमारे मा0 शिक्षा विभाग की है। मान्यवर, जो पंजीकरण के कारण जो सेंटर डीवार कर दिये गये थे, यह हुआ कि पंजीकरण लेट हुआ तो सेंटर डीवार कर दिये गये। मान्यवर, उसमें मा0 उच्च न्यायालय का आदेश आया उसमें 400 विद्यालयों को सेंटर बना दिया गया। 184 विद्यालय केवल बलिया के हैं। वहां जांच बैठी तो जांच में पाया गया तो यह पाया गया कि पंजीयन लेट किया गया है तो उसमें डी0आई0ओ0एस0 के यहां के बाबू को सस्पेंड कर दिया गया है। दोष बाबू का नुकसान विद्यालयों को डी0आई0ओ0एस0 मोबाइल बन्द किये हुए हैं। जो लोग उनसे मिल लिये उनका सेंटर तो बना दिये। मान्यवर, ऐसे-ऐसे विद्यालय छूटे हैं जो कन्या इंटर कालेज हैं और बीसों साल से वह विद्यालय चल रहे हैं उन पर कभी कोई आरोप नहीं लगा है उनके विद्यालय की छात्रायें 35-40 किमी0 दूर जाने को विवश हैं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी इसका संज्ञान लेंगे। अभी एक-दो पेपर हुआ है। अभी टाइम है। अगर कन्या विद्यालयों को कहीं न कहीं समायोजित कर लें तो बड़ी कृपा होगी। बाकी बात आगे कर लेंगे। मान्यवर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विजय बहादुर पाल-

माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित सदन यह इस देश का दुःखद दुर्भाग्य कहा जाएगा कि 26 जनवरी, 1950 को इस देश का संविधान लागू हुआ। संविधान में मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया उन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए। उनकी प्रशंसा की जाये या उन्हें धिक्कारा जाये कि राइट टू एजूकेशन की याद उन्हें अब आयी। हम लोग समाजवादी लोग हैं समाजवादी सरकार का मतलब कि जनता की सरकार। हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे बेजोड़ बेदाग नेता माननीय मुलायम सिंह जी यादव पहले शिक्षक रहे थे बाद में उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ और इस प्रदेश में जो मुख्य मंत्री हुए जिनके हृदय शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए सहानुभति रही, संवेदनशीलता रही, उन्हें आज भी प्रदेश के शिक्षक नेता, प्रदेश के शिक्षकों के परिवार और किसानों के परिवार सम्मान और श्रद्धा से इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने अध्यापकों की सेवा की आयुसीमा 62 वर्ष की और उन शिक्षकों की जिनकी यह जिन्दगी थी।

''भिक्षुक भला न शिक्षक होना, आज बताये जाता हूं,
सुनो कलेजा थाम कहानी, करुणा भरी सुनाता हूं।''

जो बंधुआ मजदूर से भी बद्तर जिन्दगी घुट-घुट जीते थे, उन्हें वेतन देकर उन विद्यालयों को अनुदानित करके उन्हें एक नई जिन्दगी जीने का अवसर दिया, चाहे वेतन बढ़ाने की बात रही हो, चाहे उनकी सेवाओं को नियमित करने की बात रही हो, जो काम हमारे नेता ने किया, मात्र एक-दो नेता ऐसे रहे, इस प्रदेश में मुख्य मंत्री के रूप में जिनके नाम भी उसी आदर के साथ लिये जा सकते हैं। आज मा0 अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के यशस्वी, ओजस्वी मुख्य मंत्री हैं, मुझे यह कहने में गर्व है और आज का दिन ऐतिहासिक दिन है कि आज जब माध्यमिक शिक्षा का बजट सदन में पेश किया जा रहा है, आज ही वे एक ख्याति प्राप्त लखनऊ के कालेज में दस हजार विद्यार्थियों को कम्प्यूटर बांट रहे थे। मा0 मुख्य मंत्री जी चाहते हैं, ट्रिपिल-ई, ई-फार एजूकेशन, ई-फार इनर्जी, ई-फार इम्प्लायमेण्ट । जो प्रदेश बीमारू प्रदेश कहा गया, बिगड़ैल प्रदेश कहा गया, बद्हाल प्रदेश कहा गया, कंगाल प्रदेश बनाया गया, सवालों का प्रदेश कहा गया, समस्याओं का प्रदेश कहा गया, उसे मा0 अखिलेश यादव उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं। देश का नम्बर-एक का प्रदेश बनाना चाहते हैं, इसलिए भी उन्हें कोटि-कोटि धन्यवाद। अभी बड़ी जोरदार वाणी में बोल रहे थे एक नेता। विलियम शेक्शपियर की लाइनें उन्हें याद आईं, ''आल इज बर्ड्स बर्थ वेल, दैट इस वेल''। मान्यवर, विद्वान मा0 सदस्य आप यह क्यों भल गये शेक्शपियर याद रहे, विलियम बर्ड्स उस वक्त याद क्यों नहीं रहे और शेक्शपियर की लेडी मैकबिथ याद क्यों नहीं रहीं और शेक्शपियर का कैम्पेस्ट क्यों नहीं याद रहा, कैम्पेस्ट में सार है कि ''सिन्स आफ दि पैरेन्ट्स आफ सी अपान देयर सन्स'' तो याद करो ''सिन्स आफ दी लीडर, आर सीन अपान देयर फालोवर्स'' भुगत रहे हो। विलियम बर्ड्स उस वक्त याद नहीं रहा आपके साथ ''द वर्ड वाज टू मच विद् अस मनी-मनी, मनी एण्ड नथिंग एल्स'' ''मनी वाज आल इन नाट फार यू'', लेडी मैकवेथ याद नहीं रहीं ।

श्री अध्यक्ष-

अरे, हिन्दी में बोलिये ।

श्री विजय बहादुर पाल-

हिन्दी में, हिन्दी के लिए तो हमारे नेता जी ने इतनी जोरदार हुंकार भरी थी, अब तो अखिलेश जी हैं। कहते हैं कि हिन्दी भी पढ़ो, अंग्रेजी भी पढ़ो, उर्द भी पढ़ो और सब भाषायें पढ़ो और विद्यार्थी को कोठरिया में बन्द करके न रखो, दुनिया के लिए उसके दरवाजे खोलो। इसलिए मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूं, अब आपको हिन्दी, अंग्रेजी सब भाषाओं में आलोचना याद आई, तब मालकिन के सामने बोलती बन्द क्यों थी, जब लोकतंत्र की लाज बेची जा रही थी, बड़ी माननीया, पत्थरहिया मुहमागी रकम से मान्यतायें नई देती जा रही थीं, शिक्षकों को कहा जाता था कि रूपइया दई जाव, घरे रहौ चाहे ससुराल चले जाव, विद्यालय बिल्कुल न जाव, जाव भी तो बिल्कुल न पढ़ाव। अंग्रेजी का ज्ञान आपका अपरिमित है, हमारी भी सुनो, उन दिनों आपके बी0एस0ए0 हुआ करते थे, बी0 फार बेजोड़, एस0 फार सम्पूर्तित, ए0 फार अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं, बेजोड़ सम्पूर्तित अधिकारी उन्हें याद नहीं रही, हमारे सम्मानित अधिकारियों को तो बड़ी जोरदारी से गिना रहे थे, वे भूल गये कि ऊंचे पदों को सुशोभित करने वाले लोग अपना रास्ता भूल गये ? जेलों की ओर उनकी हो गई थी, उन्हूं क्यों भूल गये, जो भूमिगत हो गये थे, उन्हें भूलने का साहस कैसे कर दिया आपने जिन्हें पुलिस खदेड़ रही थी और अब रहस्य उगल नहीं रहे हैं, खाकी वर्दी के सामने

उगलाये जा रहे हैं, हां यह भी स्वीकारो कि देवी सरस्वती, लक्ष्मी देवी के आगे बौनी हो गयीं थीं। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, मैं ये स्वीकारता हूं अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच में अनुपात ठीक हो। ये भी आवश्यक है कि अध्यापक पढ़ायें और ये भी आवश्यक है कि शिक्षक संघ के नेता, विद्वान, अनुभवी, ख्याति प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के शिक्षाविद्, हमारे सम्मानित अधिकारी, सत्ता और विपक्ष के नेता साथ-साथ बैठें। राम तेरी गंगा मैला हो गयी और ज्ञान गंगा मैली हो गयी। शिक्षा संस्थायें बढ़ती जा रही हैं, गुणवत्ता घटती जा रही है। जब गुणवत्ता घटेगी तो उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश कैसे बनेगा। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, आदर्श प्रदेश बनाना है तो शिक्षा का स्तर ऊंचा करना पड़ेगा, शिक्षा की चिन्ता करनी पड़ेगी। कोई समय हुआ करता था जब शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी चिन्तन का विषय हुआ करते थे फिर एक समय आया जब यह चिन्ता का विषय होने लगा। अब मामला बिगड़ गया, पिछले 5 वर्ष के पापों के कारण काजल की कोठरी बना दी काले कारनामों से। अब यह आवश्यक हो गया है कि शिक्षा की चिता की ओर न जाये। इसके लिये उत्तर प्रदेश के जागरूक नागरिकों का और सदन में बैठे जिम्मेदार लोगों का और सदन में बैठे जिम्मेदार लोगों की, विपक्ष के श्रेष्ठ लोगों की यह जिम्मेदारी है कि शिक्षा को चिता की ओर जाने से रोकें। **कन्या विद्या धन, पढ़ें बेटियां बढ़ें बेटियां। एक नहीं दो-दो मात्रायें नर से भारी नारी।**

(बहुजन समाज पार्टी के कतिपय मा0 सदस्य के द्वारा यह बोलने पर कि यह योजना तो खत्म हो गयी)

यह आवश्यक है। योजना खत्म हो गयी, योजनायें उससे अच्छी शुरू होंगी। धीरज रखो, वेट ऐण्ट सी। मैं बहुत विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूं मा0 अध्यक्ष जी, यह निश्चित रूप से चिन्ता का विषय है कि वित्तविहीन शिक्षक हमारे चुनाव घोषणा-पत्र में था लेकिन जो लोग हो-हल्ला मचा रहे हैं तो यह पूर्ण बहुमत की सरकार 5 साल के लिये है। अभी पहला साल है। हम स्वीकारते हैं कि वित्तविहीन अध्यापकों की पीड़ा दूर करने के लिये उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिये बजट में प्रावधान नहीं किया जा सका। सरकार गम्भीर है, हमारे मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, मा0 अखिलेश यादव जी ये संवेदनशील हैं प्रदेश की जनता के प्रति और हमें कोई भय नहीं। शिक्षकों को कोई शंका नहीं। शिक्षकों, नौजवानों, पढ़े लिखे बेटों और बेटियों ने उस जुल्मी तानाशाही सरकार की टांगें पकड़ करके ऊपर कर दीं। सर हुआ नीचे, पैर ऊपर। हम उनके आभारी हैं। हम कृतघ्न नहीं बन सकते। समाजवादी पार्टी के नेता जो कहते हैं सो करते हैं। हम केवल गर्व गर्जनायें नहीं करते, हम केवल आंकड़ों की बाजीगरी नहीं करते। हम सच्चाई का सामना करते हैं। हम महसूस करते हैं कि उत्तर प्रदेश को अगर उत्तम बनाना है। अगर शिक्षित बनाना है, सुशिक्षित बनाना है, श्रेष्ठ नागरिक तैयार करने हैं तो इन वित्तविहीन शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल हमारे नेता, हमारी सरकार इस मामले में गंभीर है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री विजय बहादुर पाल-

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी जैसी अनुमति हो।

श्री अध्यक्ष-

अब हमारी अनुमति तो यही है कि अब आप बैठें, दूसरे लोग बोलें।

श्री विजय बहादुर पाल-

मा0 अध्यक्ष जी, जो समस्यायें आयी हैं जिन्हें समाजवादी सरकार के नेता भी जानते हैं। कभी कभी विपक्ष के कुछ विद्वान नेताओं को छोड़ करके उनसे बेहतर जानते हैं। पूरी तरह संवेदनशीलता है, वचनबद्धता है। हम लोग वादा निभाना जानते हैं और जनता के बीच से प्रबल बहुमत के साथ आये हैं। हम चाहेंगे कि जन आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पर खरे उतरें और उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा में चमत्कारी परिवर्तन, व्यापक सुधार करके दिखायें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बजट चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, आपको कोटि-कोटि प्रणाम।

श्री सन्त प्रसाद-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे माध्यमिक शिक्षा विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बल देने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे माध्यमिक शिक्षा विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बल देने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मा0 अध्यक्ष जी, जो क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में जितना विकसित होता है, वह क्षेत्र उतना ही विकसित माना जाता है। शिक्षा विकास का आईना होता है, हमारा काम आलोचना करना नहीं है। मान्यवर, कुछ प्रमुख सुझाव हैं, उन्हें मैं देना चाहता हूं। आज माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता में काफी कमी आई है, मान्यवर, उसका मूल कारण है, कि शासकीय, अशासकीय विद्यालय, जो एडेड हैं, उनमें शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और शिक्षकों का अभाव है, काफी शिक्षणेत्तर कर्मचारी और शिक्षक सेवा मुक्त हो गए हैं, उनके स्थान पर नई नियुक्ति नहीं हुई है, जिसके कारण पठन-पाठन में काफी दिक्कत हो रही है। मा0 मंत्री महोदय, से मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि उन शिक्षकों की पूर्ति तत्काल की जाए, हम सब गुरुकुल शिक्षा पद्धति के पोषक हैं बगैर भवन के शिक्षा हो सकती है, लेकिन बगैर अध्यापक के किसी भी कीमत पर शिक्षा नहीं दी जा सकती है। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं, मा0 मंत्री जी से आग्रह करना चाहगा कि विद्यालयों के जो परीक्षा केन्द्र हैं, उनका समय से निर्धारण किया जाए। अभी तीन दिन पहले तक मेरे द्वारा कुछ विद्यालयों के प्रबंधकों, प्रिसिंपल महोदय को देखा गया कि विधान सभा के अगल-बगल शिक्षक, विद्यालय, परीक्षा केन्द्र के निर्धारण के लिए दौड़ रहे थे। इसका निर्धारण मान्यवर, समय से हो जाना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को कहीं दिक्कत न हो। दो दिन पहले ही, कहीं-कहीं सेन्टर बनाये गए, इसी तरह से मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी तीनों चिंतन का विषय हैं, अभी मा0 माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री जी कह रहे थे, वास्तव में वह गंभीर हैं, शिक्षा के प्रति, लेकिन हमारा उनसे आग्रह है कि जिन विद्यालयों को 9(4) में मान्यता दी गई है, जो नान-एडेड विद्यालय हैं, उनमें वास्तव में मानक के अनुसार अध्यापक नहीं हैं। पिछली सरकार ने कुछ ऐसे विद्यालयों को मान्यता दे दी, जिनके पास न मानक के अनुसार भूमि है, न भवन है। इसकी जांच करा करके मान्यवर, कम से कम मानक के अनुसार वहां पर अध्यापक तो रहे, अन्यथा इससे पढ़ाई के काम में बाधा आ रही है। केवल जुलाई में एडमिशन लेकर के और इस समय परीक्षा का काम शुरू हो गया है, इस समय परीक्षा दिलाई जाती है और इतना

भ्रष्टाचार है मान्यवर क्या कहा जाए। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाह रहा हूं कि परीक्षा के समय इस सदन में एक मात्र ऐसे मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री जी थे, मा0 राजनाथ सिंह जी, जो शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए, नकल अध्यादेश लाए थे और उससे शिक्षा में काफी सुधार हुआ था। आज मैं मा0 शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं, आपके माध्यम से कि शिक्षकों के हित के लिए और विद्यार्थियों के हित में और इस प्रदेश के हित में परीक्षा, सुचारू रूप से, सही ढंग से हो, इसलिए नकल के माध्यम से, जो विद्यार्थी अच्छे हैं, उनको अच्छे अंक नहीं मिल पाते हैं, जो नकलची हैं, जिनकी कापियां दूसरे लोग लिखते हैं, उन्हें अच्छे अंक मिल जाते हैं, जिसके अच्छे विद्यार्थियों का मानसिक रूप से शोषण होता है। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहां कृषि विज्ञान और विज्ञान की मान्यता दी गई है लेकिन वहां पर प्रयोगशाला किसी भी कीमत पर नहीं है। इसकी जांच करा ली जाए, मा0 माध्यमिक शिक्षा मंत्री से मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसे विद्यालयों को जहां पर उपकरण नहीं हैं और वहां मान्यता दी गई है, उन विद्यार्थियों से केवल पैसा लेकर के उनकी प्रायोगिक परीक्षा मान ली जाती है, इससे काफी कठिनाई हो रही है। आपके माध्यम से मैं मा0 माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं, आपके ही आंकड़ें हैं ये, कि जो व्यक्तिगत परीक्षा थी, प्रयोग की उसमें वर्ष 2013 में, 26 नवम्बर, 2012 और 4 जनवरी, 2013 तक जो पेपर आयोजित किए गए, ये मान्यवर, टोटल फर्जी हैं, केवल कागज में लिखा दिया जाता है और उनकी परीक्षा में, इस तरह से प्रयोग मान लिए जाते हैं। इसमें सुधार की आवश्यकता है, जब तक यह सुधार नहीं होगा, तब तक माध्यमिक शिक्षा में कोई, विशेष सुधार नहीं माना जायेगा। आज आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया, मैं माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि यदि शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी की आपको यदि वास्तव में चिंता है तो इसमें गुणात्मक सुधार तभी होगा, जब रिक्त पड़े स्थान भरे जाएं, जिससे जब अध्यापक रहेंगे तभी उनकी शिक्षा पूरी मानी जायेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

*श्री सुरेश बंसल-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माध्यमिक शिक्षा विभाग के बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया है। मान्यवर, राष्ट्र की प्रगति में और बच्चों के भविष्य निर्माण में माध्यमिक शिक्षा बहुत जरूरी है। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा के बाद ही उनका आगे का रास्ता तय होता है कि किसको इंजीनियर, डाक्टर और वकील बनना है या वैज्ञानिक बनना है। उसी से सारी आगे की बाते तंय होती हैं। मान्यवर, महानगरों में शिक्षा प्राप्त की बहुत बड़ी समस्या है। हाई स्कूल और इण्टर में एडमीशन नहीं हो पाते। मान्यवर पहले बड़े-बड़े लोग जनहित में कालेज बनाते थे और वह सरकार से सहायता प्राप्त करते थे लेकिन अब तो जमाना बदल गया है। जो लोग विद्यालय बना रहे हैं वह कान्वेण्ट पब्लिक स्कूल बना रहे हैं जो सी0बी0एस0सी0 से सम्बद्ध होते हैं और उनकी शिक्षा प्रणाली से संचालित होते हैं। उनकी फीस बहुत अधिक होती है। वह वर्दी के नाम पर, प्रवेश के नाम पर तमाम शुल्क वसूल लेते हैं जिसमें गरीब आदमी के बच्चे फिर नहीं पढ़ पाते हैं। मान्यवर, उन स्कूलों में एडमीशन कराने के लिए लोग हम लोगों के पास भी आते हैं और सिफारिशें कराते हैं।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन हम लोग उनका प्रवेश नहीं करा पाते हैं। क्योंकि वह कहते हैं कि भले ही आपका अभ्यर्थी हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी में पास है लेकिन वह हमारी प्रवेश परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। तो यह दिक्कतें आती हैं। इसलिए मेरा कहना है कि जो पब्लिक स्कूल है सी0बी0एस0सी0 से जुड़े हुए हैं और सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं उन स्कूलों को निर्देशित किया जाय सरकार की ओर से कि उसमें 25 प्रतिशत सीटें गरीब बच्चों के लिए अरक्षित रहेंगी और उनसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जायेगा। मान्यवर, हमारे यहां गाजियाबाद में पिछले बीसों साल से कोई भी राजकीय माध्यमिक विद्यालय नहीं खुला है। पहले से जो स्कूल खुले हुए हैं वह जूनियर हाई स्कूल लेविल के हैं सरकारी सहायता प्राप्त हैं उनमें छात्रों को भर-भर कर पढ़ाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है वहां अध्यापक पूरे नहीं हैं। मान्यवर, जब अध्यापक पूरे नहीं होंगें छात्रों के बैठने की व्यवस्थायें नहीं होंगी तो कैसे विद्यालय चलेंगें और छात्र पढ़ेंगे। यह जो निजी क्षेत्र में विद्यालय स्थापित हैं और सरकारी सहायता प्राप्त हैं उनमें टीचरों की संख्या पूरी होने और छात्रों के बैठने की सही व्यवस्था होने के तरफ सरकार ध्यान दें ताकि वह सही ढंग से संचालित हो सके। मान्यवर, आज शिक्षा का युग तेजी से बदल रहा है कम्प्यूटर का जमाना आ गया है। जो छोट-छोटे स्कूल हैं सी0बी0एस0सी0 से जुड़े हैं वहां के बच्चे तो इण्टरनेट पर काम करते हैं। और वहीं दूसरी ओर जो हमारे सरकारी माध्यमिक विद्यालय हैं वहां के बच्चे इण्टरनेट की विद्या से अनभिज्ञ हैं इसलिए सरकार को चाहिए कि वहां भी कम्प्यूटर शिक्षा इण्टरनेट शिक्षा को बढ़ावा दें। मान्यवर, आज सरकार छात्रों को लैपटाप और टैवलेट बांट रही है यह अच्छी बात है हम इससे सहमत हैं इसलिए इसके महत्व को देखते हुए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी जो कम्प्यूटर का कोर्स आप्शनल है उसको कमप्लसरी कर दिया जाय ताकि वहां के बच्चे भी कम्प्यूटर भी सीख सकें। मान्यवर सरकारी स्कूलों में कम्प्यूटर टीचर और शारीरिक शिक्षा टीचरों की भी नियुक्ति भी होनी चाहिए। ताकि बच्चे शिक्षित होने के साथ-साथ स्वस्थ भी रह सकें। मान्यवर, इस बजट में दो स्थानों पर एक लखनऊ में और एक एटा में राजकीय इण्टर कालेज खोला जा रहा है। मान्यवर, हमारे यहां जनपद गाजियाबाद में केला भट्टा एक जगह है जहां की आबादी सवा लाख के करीब है और वह मुस्लिम बाहुल्य इलाका है वहां एक भी हाई स्कल/इण्टर कालेज नहीं है। वहां पर एक इण्टर कालेज खोला जाय। हमारे यहां एक जूनियर हाई स्कूल है। कक्षायें बड़ी-बड़ी हैं परन्तु टीचर नहीं हैं। वहां टीचरों की नियुक्ति करायी जाय और केला भट्टा में हाई स्कूल का निर्माण कराया जाय ताकि उस क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा मिल सके। मान्यवर इस विभाग में बहुत खामियां भी हैं भ्रष्टाचार भी हैं डी0आई0ओ0एस0 जो होते हैं वह लोगों को परेशान करते हैं। इसलिए सरकार को सारे अधिकारियों पर नजर रखनी चाहिए। धन्यवाद।

श्री सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट'-

जलाओं दिये पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाये। इस सोच के साथ हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी जो स्वयं में उच्च शिक्षित हैं उन्होंने पूरे प्रदेश के उन गरीब बच्चों को चाहे लैपटाप हो, चाहे बेटियों के लिए कन्या विद्या धन हो, देकर के उनको प्रोत्साहित करने का काम किया है और वह आदमी जो बहुत गरीब है, कमजोर है, मजदूर का बेटा है, किसान की बेटी है, बेटा है उसके सपनो में रंग भरने का काम किया है जो खाली हसरत से देखा करता था और सोचा करता था कि मेरा बच्चा भी उन बड़े-बड़े पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के बराबरी पर आयेगा या नहीं

आयेगा। हर मां बाप का यह सपना होता है चाहे जितना गरीब हो, चाहे जितना कमजोर हो, झोपड़ी मे रहने वाला मां बाप, मजदूरी करने वाला और किसान भी अपने खेतों पर जब काम करता है तो यह सपना मन में रखता है कि मेरा बच्चा आगे पढ़े और पढ़ लिखकर किसी अच्छे रोजगार में जाय और उच्च शिक्षित हो। लेकिन उसका सपना तब चूर हो जाता है जब उसके पास साधन और संशाधन नहीं होते हैं। हमारे हिन्दोस्तान जैसे गरीब देश में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिसमें मेधा है, क्षमता है लेकिन उस मेधा और क्षमता को कभी ताकत नहीं मिली सरकार की ओर से। इसकी वजह से न जाने कितनी प्रतिभाएं आज मेहनत और मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गयी हैं। लेकिन यह सही है कि हमारी सरकार ने जो फैसले लिये उससे आज उन किसान के बच्चों के मन में, उन किसान मां बाप के मन में, उन मजदूरों के मन में यह भावना जागृत हो गयी है कि हमारा बच्चा भी उन पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की बराबरी कर सकेगा और उनका जो यह सपना था कि मेरा बेटा भी कभी आई0ए0एस0 बनेगा कि नहीं बनेगा, कभी मेरा बेटा भी आई0पी0एस0 बनेगा कि नहीं बनेगा अब उन्हें लगने लगेगा कि नहीं उनका बेटा भी आई0ए0एस0 और आई0पी0एस0 हो सकता है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं यह सच बात है कि जब भी हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार आई है शिक्षा केलिए आगे बढ़कर बहुत सारे काम किये गये। न जाने कितनी सारी योजनाएं लाई गयीं आज यह हमारे सदस्य, हमारे सामने बैठे हैं अपने बुरे कर्मों की वजह से सारे के सारे उधर बैठे हैं, आज एक आरोप लगाया कि इसमें बेइमानी उसमें बेइमानी, किताब में बेइमान, इसमें बेइमानी हम तो समझते हैं कि बसपा की पूरी की पूरी सरकार ही बेइमानी थी और पूरे के पूरे प्रदेश की जनता ने यह बता दिया कि बेइमान कौन था। जो बेइमान था आज वह वहां बैठ गया जहां उसे हो जाना चाहिए था और आज वह लोग जिन पर जनता ने विश्वास व्यक्त किया उनको पूरी जनता को भरोसा था कि यह वह लोग हैं जो हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ काम करेंगे हमारे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कुछ काम करेंगे और जब पढ़ लिखकर बच्चा बाहर निकलेगा तो उनको रोजगार देने का काम करेंगे इसलिए उन्हें आज यहां पर बैठाला है।

एक बात और अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे हम इनकी बात से सहमत हैं। पिछली बार जब सदन हुआ था तो सदन में मैने एक बात कही थी कि जितने भी पब्लिक स्कूल हैं वहां पर केवल शिक्षा ही मंहगी नहीं है बल्कि इसके साथ साथ वहां पर वह लोग दूसरे व्यवसाय जो हमारा कोई दूसरा व्यवसायी करता है वह काम भी करते हैं वह किताब भी बेचते हैं वह जूते भी बेचते हैं, मोजे भी बेचते हैं, यहां तक कि किताबों पर चढ़ाने वाले कवर भी बेचते हैं और कई गुना मंहगी कीमत पर बेचते हैं। मेरा यह कहना है और अब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है इस पर कि 25 प्रतिशत गरीब बच्चों को शिक्षा इनको देना पड़ेगा। यह बेशक सही है कि सी0बी0एस0ई0 के स्कूल हमसे संचालित नहीं होते लेकिन दूसरी बात यह भी सही है कि 25 प्रतिशत गरीब के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ने जायें यह जिम्मेदारी हमारी है हमें निश्चित रूप से इसको देखना चाहिए और विचार करना चाहिए कि ऐसे जो गहुत गरीब बच्चे हैं उसमें जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं इसके लिए कोई व्यवस्था हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से हो ताकि उन पब्लिक स्कूलों में भी जो सरकार से सुविधा लेते हैं सस्ती जमीनें लेते हैं सरकार से साधन लेते है और इसके बाद जो जिम्मेदारी सुप्रीमकोर्ट ने तय की है उनके लिए उसका निर्वहन नहीं करते हैं। इसमें पहली बात तो यह कि जो कापी किताब यूनिफार्म और जूते मोजे

बेचने का काम करते हैं इससे उनको अलग किया जाय । इसके साथ ही साथ जो कारोबार जिसको करना है किताब बेचने वाला किताब बेचेगा, जूते बेचने वाला जूते बेंचेगा, स्टेशनरी बेचने वाला स्टेशनरी बेंचेगा लेकिन दूसरी जिम्मेदारी उनसे छीनी जाय जो व्यापारियों के हक में उन्होंने डाका डाल रखा है उससे उनको विरत किया जाय जिससे आम आदमी को इससे राहत मिलेगी। निश्चित रूप से हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिये बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। सच्चाई यह भी है कि आज तत्कालीन सरकार के माध्यमिक शिक्षा मंत्री जेल में हैं या जेल में जाने वाले हैं। जैसा हमारे अभी कई सदस्यों ने कहा कि कक्षों के रेट फिक्स हो गये, सब्जेक्टों के रेट फिक्स हो गये, इतनी बुरी सरकार ये नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। माननीय मुलायम सिंह जी ने, हालाकि उस समय मैं एम0एल0ए0 नहीं था, एक हजार स्कूल जो वित्तविहीन थे, उनको मान्यता देने का काम किया और आज भी बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने एक हजार स्कूलों को अनुदान देने की बात कही है, सच्ची बात तो यह है कि हम तो विपक्ष के लोग हैं, बोलना तो हमें इन्हीं के साथ पड़ेगा लेकिन यह सरकार कुछ करना चाहती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता था कि माध्यमिक शिक्षा के जो इंटर कालेज हैं, वह सी0बी0एस0ई बोर्ड के कुछ ही कालेज हैं, पहले हमारे बंसल साहब ने कहा, काफी संभ्रान्त व्यक्ति अच्छे घरों के लोग स्कूल खोला करते थे जब तक मान्यता की बात थी, कोई अनुदान की बात भी नहीं थी और बड़ा अच्छा संचालन होता था, सरकार के इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स हुआ करते थे और ज्यादा सरकार का कोई रोल भी नही था, स्कूल बड़े अच्छे चलते थे । अध्यक्ष जी, आज साज-सज्जा अच्छी है, लेकिन अध्यापक नहीं हैं और मुझे यह कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में कक्षा 6 से 8 तक तो एक आम शिक्षा है लेकिन 9 से 12 तक जैसा बंसल साहब ने कहा कि यहां से चाहे कामर्स की पढ़ाई हो, साइंस की पढ़ाई हो, कृषि की हो, आर्ट की हो, इंटर आर्ट से भी होता है, बायोलोजी, केमेस्ट्री और फिजिक्स की पढ़ाई हो, वह इंग्लिश मीडियम स्कूलों में इतना अच्छा प्रभावशाली नहीं है और वहीं से शुरुआत होती है, डिग्री कालेज में जाने की, एल0एल0बी0, एल0एल0एम0, बी0एड0, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरकार के इंस्पेक्टरों ने इतनी अड़ंगेबाजी कर रखी है मैनेजमेंट के मामलों में, उनका रोल है डी0डी0आर0 इंस्पेक्टर आफ स्कूल का, कि कहीं तो खुद ही मालिक बन बैठे हैं, कहीं अपने लेखाधिकारी को मालिक बना दिया है, कहीं प्रभावशाली लोगों को जो संस्था से वास्ता भी नहीं रखते, उनको प्रबन्धक बना दिया है, सरकार इस पर ध्यान दे और शिक्षा में सुधार आयेगा और पहले आदरणीय अध्यक्ष जी, नियुक्ति चाहे शिक्षक की हो, चाहे चपरासी की हो, बाबू की हो, मैनेजमेंट किया करता था और पारदर्शिता भी थी लेकिन आज इन मैनेजमेंटों के झगड़े में डी0आई0ओ0एस0 और डी0डी0आर0 ने यानि शासन में बैठे उच्चाधिकारियों ने इतना फजीता करा दिया है कि वहां की नियुक्तियों में भी पारदर्शिता नहीं बची, अब चपरासी, बाबू की नियुक्ति भले ही अभी इस सरकार में नहीं हुयी है, पिछले सालों में भी चपरासी, बाबू के अपर कास्ट के 10-10 लाख लिये गये, यह जो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काम हमारे पड़ोसी कर चुके हैं, यह काम इस सरकार में न हो, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये । अध्यक्ष जी, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन नहीं हुआ है जो बहुत महत्वपूर्ण है और यदि हो भी गया हो तो ऐसे लोग न रखे जायें जो पिछली सरकार में आयोग के सदस्यों में कुर्सियां चल रही थीं, ऐसे लोग न रखे जायें और रख लिये हों तो मेरा सरकार से आग्रह है कि उसमें भी पारदर्शिता लायें । अध्यक्ष जी, डा0 साहब ने मुझे मौका दिलाने में मदद की, यह कह रहे हैं कि बैठ जाऊं तो मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद। श्री रंगनाथ जी एक लाख रुपया लेकर एक सब्जेक्ट की मान्यता देते थे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह अभी आपके पास दरख्वास्त लेकर पहुंच जाएंगे।

श्री गुलाम मौहम्मद-

माननीय अध्यक्ष जी आपने माध्यमिक शिक्षा के बजट पर जो माननीय मंत्री जी ने रखा है मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, एक जमाना था जब हमारे राजकीय और मान्यता प्राप्त एडेड स्कूल ही शिक्षा का एक सहारा हुआ करते थे। और इन्हीं कालेजों से पढ़े हुए लोग बड़े से बड़े पदों पर गए बेहतर से बेहतर उनकी तालीम रही काबिलियत रही। आज वह कालेज चाहे माध्यमिक राजकीय कालेज हों या एडेड कालेज हों यह गरीबों के लिए रह गए हैं। सच्चाई यह है कि गरीबों की शिक्षा के यह केन्द्र न हों तो जो लूटखसोट कान्वेन्ट के नाम पर हो रही है हमारे गरीब उसमें काफी पिछड़ गए हैं। मैं मुबारकवाद देता हूं अपने माननीय मुख्य मंत्री जी को अपने शिक्षा मंत्री जी को माध्यमिक शिक्षा के वह मंत्री भी हैं कि उन्होंने हर उस पहलू को छुआ है जो गरीबों के उद्धार के लिए उनके उत्थान के लिए हो। चाहे कन्या विद्याधन का मामला हो, लड़कियों की शिक्षा हमारी बच्चियों की शिक्षा आगे बढ़े उनको प्रोत्साहन मिले चाहे पढ़ो बेटियां बढ़ो बेटियां में उनको 30 हजार रुपए सहायता देने का मामला हो उर्द के लिए कार्य करने का मामला हो और शिक्षा में गुणवत्ता लाने की बात हो जिस तरफ हमारे पहाड़िया जी ने इशारा किया उन कुरीतियों को खत्म करने का मामला हो हमारी सरकार इसमें पहल कर रही है मैं मुबारकवाद दे रहा हूं कुछ सजेसन्स हैं और कुछ मेरे क्षेत्र की बात हैं मैं आपके माध्यम से सरकार तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि एक तो जो हमारा सर्वशिक्षा अभियान माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया गया है इसमें कालेज बनने हैं इसमें दूरी 5 कि0मी0 की है उसको कुछ कम किया जाना चाहिए यह उन इलाकों के लिए तो ठीक है जहां आबादियां दूर-दूर हैं मजरे हैं हमारे पश्चिमी क्षेत्र में गांव बहुत बड़ी आबादी वाले हैं। 20-20, 25-25 हजार आबादी वाले गांव हैं। अगर उनकी दूरी को नापा जाय तो इण्टर कालेज की या बच्चियों के कालेज की हमारे यहां बहुत कमी पड़ेगी। ऐसे कई गांव हैं जो मेरे क्षेत्र में हैं। उन गांवों में बच्चियों की प्राब्लम को देखते हुए क्योंकि उनको 30 कि0मी0 या 40 कि0मी0 की दूरी पर नहीं भेजा जा सकता है इसलिए उनके लिए बड़ी परेशानी है। इसमें पांचली बुजुर्ग गांव है जिसकी 15 हजार की आबादी है धौल्दी 15 हजार की आबादी है, सिवाल खास 25 हजार की आबादी है जानी कला है। मेरठ में तो संसदीय कार्य मंत्री जी की मेहरवानी हो गयी थी वहां बहुत अच्छा काम हो गया है मेरठ महानगर में जहां बहुत खराब स्थिति थी बदबू आती थी वहां के रहने वालों की जिन्दगी दूभर थी मैं अपने संसदीय कार्य मंत्री जी को मुबारकवाद देता हूं कि दूसरे लोगों ने उस पार बैठे हुए लोगों ने इस

पर बहुत दिनों तक राजनीति की लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक ही झटके में उसको ठीक करा दिया और वहां इण्टर कालेज का प्रस्ताव है मैं इसकी डेट लेकर इसका मशविरा करके इंशाअल्लाह आपसे इसका उद्घाटन कराऊंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बात कहूंगा कि हमारे यहां जो इण्टर कालेजेज हैं। पुरानी इमारतें हो गई हैं, पचास या सौ साल के बने हुए कालेजेज हैं, इसको चाहे माइनारिटी सेक्टर से करें या और किसी तरह से करें उन कालेजों के लिए कुछ अलग से ग्रान्ट होनी चाहिए। उनके मरम्मत और विकास के लिए अलग से कुछ सुविधा बढ़ा दी जानी चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष -

सभी दलों से एक-एक सदस्य बोल चुके हैं, बस हो गया।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, एक प्रश्न है संज्ञान में ला दूं तो हो सकता है उसका समाधान हो जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि गोरखपुर के चौरीचौरा में एक बालिका इण्टर कालेज है पतिरागी देवी बालिका इण्टर कालेज। मान्यवर, इस विद्यालय की पांच किलोमीटर की परिधि में तीन और विद्यालय हैं, जिन्हें परीक्षा केन्द्र बनाया गया है लेकिन इस पतिरागी देवी बालिका विद्यालय का परीक्षा केन्द्र इन तीनों विद्यालयों की सीमा छोड़ करके 18 किलोमीटर दूर, बीच में एक नदी है जिसको पार करके इन बालिकाओं को जाना है, 18 किलोमीटर दूर स्वावलम्बी इण्टर कालेज में बना दिया गया है। इस सम्बन्ध में मैंने विभाग से बात किया तो उन्होंने कहा कि 15 तारीख के बाद हम कोई डेट नहीं बदल सकते हैं माननीय कोर्ट का आदेश है। मैंने उनको मना कर दिया कि भाई कोर्ट का आदेश है यह काम नहीं हो सकता है। इसके बाद वह सब कोर्ट में चले गये, तीन-चार दिनों से यह काम चल रहा है। कोर्ट ने एक आदेश दे दिया कि माननीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा इस पर पुनर्विचार कर लें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत छोटी सी गुजारिश ले करके आया हूं 168 बच्चियां हैं, 18 किलोमीटर दूर नदी पार करके जाना है और सम्भव है कि इसे बदला सके, यदि यह व्यावहारिक लगता है तो किसी प्रकार की जिद नहीं रखनी चाहिए क्योंकि नदी पार करके जाने में यदि कोई घटना हो गई तो सारी जिम्मेदारी हम सबकी हो जायेगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसको दिखवा लीजिए, अभी समय है यह चीजें ठीक की जा सकती हैं।

श्री उमाशंकर-

माननीय अध्यक्ष महोदय, तमाम हमारे साथी लोगों के सुझाव आये, निगम साहब, इधर से सन्त प्रसाद जी, बंसल जी, पहाड़िया जी सभी ने इस विषय पर अपने विचार रखे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि आज अध्यापक और प्रधानाचार्यों की कमी है। जैसा मेरे संज्ञान में आया है कि 1996, 1997 और 1999 इस समय के जो लोग लोक सेवा आयोग से चयनित हो करके आये थे, 279 लोग चयनित हो करके आये थे इसमें कुल 10-5 लोग समायोजित हुए हैं बाकी का चयन लोक सेवा आयोग से होने के बाद भी समायोजन नहीं हो पाया है। इसमें से कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय में गये थे जैसे एक मोहम्मद आजम जी हैं इनका माननीय उच्च न्यायालय का

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डबल बेंच का आर्डर है और एक बहुत पहले जब परम सम्मानित माननीय मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री थे, उस समय यह गये हुए थे सुप्रीम कोर्ट का आर्डर यशपाल सिंह यादव जी पास है, यह 1997 बैच के हैं। इस पर पूर्व मुख्य मंत्री जी ने जो आर्डर किया था, तत्कालीन प्रमुख सचिव न्याय, महाधिवक्ता साहब और इन सभी लोगों ने एक आर्डर किया था कि इनकी नियुक्ति पर विचार किया जाए लेकिन अभी भी इनका मामला विचाराधीन है। साथ ही हमारे डाक्टर साहब ने जो बात रखी, आपने केवल एक विद्यालय की चर्चा की, हम लोग चाहते हैं कि डाक्टर साहब सभी की बात रखते क्योंकि केवल 164 लड़कियों की बात नहीं है। जो लड़कियां तीस-चालीस किलोमीटर दूर तमाम जगहों पर जा रही हैं अगर उसमें सुधार सम्भव हो तो सुधार होना चाहिए। एक पेपर हो गया है अभी आगे और भी पेपर्स होने हैं इसलिए यदि हम सुधार सकते हैं तो जहां-जहां लड़कियों के विद्यालय हैं उसमें सुधार कर देना चाहिए। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं और आप भी अवगत हैं, बहुत प्रयास आपका भी रहा और हमारे माननीय मंत्री जी ने बलिया वाली समस्या के लिए बहुत प्रयास किया। मान्यवर, बलिया में सरप्लस के नाम पर जितने भी टीचर हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप सबकी तरफ से बोल रहे हैं या अपनी तरफ से बोल रहे हैं।

श्री उमाशंकर-

मान्यवर, अब समाप्त करना है तो हम चाहते हैं कि कुछ लोगों का कल्याण हो जाए। मैं कहना चाहता हूं कि मान्यवर, लगभग तीन सालों से इन लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है। बलिया जनपद के 91 विद्यालय ऐसे हैं जो असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, तीन साल से इनका वेतन बाधित हो गया है। यही नहीं हुआ है, इस समय किसी रिट पिटीशन पर माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया है कि इसमें से जो लोग ट्रेजरी से भी तनख्वाह पाये हैं, जो लोग रिटायर हो गये हैं उनकी रिकवरी का भी आदेश आ गया है, अब आर0सी0 भी कट रही है। इसमें से एक-दो लोगों का हार्ट-अटैक हो चुका है और यही स्थिति रही तो कितने लोग मरेंगे मान्यवर, आप सोच सकते हैं कि जो 30 साल 35 साल सेवा कर चुका हो रिटायर होकर घर गया हो, अब उसके ऊपर आर0सी0 कट रही है। इसमें मान्यवर, कुछ नहीं है बहुत छोटा मामला है, इसको किया जा सकता है। हम बेसिक शिक्षा मंत्री जी को बधाई देंगें, उन्होंने अपने विभाग में किया है। मान्यवर, चूंकि वित्तीय सर्वेक्षण पूरे प्रदेश में 1986 का लागू है। पूरे प्रदेश में 1986 का वित्तीय सर्वेक्षण मान करके इनका वेतन निर्धारित किया गया है। पूरे प्रदेश में मात्र बलिया ही एक ऐसा जनपद है जिसमें 1971 को मान करके उन लोगों का वेतन निर्धारण किया गया है। इस वजह से वहां पर सरप्लस की स्थिति बनी हुई है। मुझे अभी एक शासनादेश मिला था माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने अपने विभाग में इस तरह से किया है। जो जूनियर हाई स्कूल थे इसी प्रकार की समस्या थी, आपने शायद एक साथ सबका आर्डर कर दिया है आपका आर्डर 31 जनवरी, 2013 का है। आपने यह कर दिया है कि नहीं, हमारे यहां जितने लोग सरप्लस हैं, पहले हम जो लोग रिटायर होंगे उनसे भर लेंगे उसके बाद फिर या तो नियुक्ति जारी करेंगे या फिर विज्ञापन करेंगे। मान्यवर, पूरे प्रदेश से आपको बड़ी बधाई मिली है पूरे प्रदेश से। तो मैं चाहता हूं कि इस तरह का कोई ठोस कदम उठाकर इस तरह की कोई व्यवस्था कर दी जाए हो सकता है कि मैं केवल बलिया की बात सरप्लस की कर रहा हूं लेकिन हो सकता है कि परे प्रदेश की

बात हो। तो मान्यवर, इससे बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल दे रहा हूं।

(श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब समापन हो रहा है। पहले आप खड़े नहीं हुए।

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भैय्या)-

मान्यवर, दो मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

कैसे? किस नियम में। आप इसका जवाब दे दीजिए।

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, बजट के प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए आपने हमें अवसर दिया इसके लिए हम आभारी हैं। पक्ष-विपक्ष के तमाम माननीय सदस्यों के द्वारा सुझाव आये हैं। यह सरकार माननीय मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी की, समाजवादी पार्टी के नेता व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी की सरकार है और नारा है- ''दवा, पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी, कपड़ा सस्ती हो।'' इस नारे के तहत यह सरकार बनी है। मुख्य मंत्री जी इसीलिए फीस माफ करने का काम किये हैं। अभी मा0 सदस्य उमाशंकर जी प्रकाशन और किताब पर चर्चा कर रहे थे, यह हमारे बड़े अच्छे मित्र भी हैं। यह पत्थर, गिट्टी और ट्रक, बोल्डर और ठेकेदारी बहुत अच्छा जानते हैं और इसीलिए सिर्फ ठेके के बारे में ही बताया कि प्रकाशन में किताब यहां चली गयी, वहां चली गयी और टेण्डर के बारे में इनको बड़ी जानकारी है। हमारे मित्र भी हैं। (हूंसी) अभी माननीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के मा0 राजनाथ सिंह की बहुत तारीफ किया, उन्होंने ऐसा काम किया कि जो पूरा प्रदेश कलंकित हो गया। लड़कियों को जेल भेजने का काम नकल रोकने के नाम पर किया। (सत्तापक्ष की तरफ से शेम-शेम की आवाज आयी।) आज शिक्षा में जो आप लोगों ने सुझाव दिया इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यही, पांच साल से आप बैठे थे, सबसे बड़े जिम्मेदार आप हैं। आपके मंत्री के पी0आर0ओ0, चाहे जिस शिक्षा की मान्यता लेनी हो, पैसा जमा कर दीजिए। कहते थे हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट दोनों साथ लीजिए तो साढ़े चार लाख और अलग-अलग लीजिए तो 6 लाख और कहते थे कि मेरी पावर देखना है। सिगरेट की डिब्बी पर हम लिख देंगे, पैसा यहीं जमा करो, मान्यता घर पहुंच जायेगी। यह आपकी सरकार थी। कहीं मानक नहीं था, कहीं अग्नि शमन नहीं, कहीं कक्ष नहीं, विद्यालय की जमीन है या नहीं है इस तरह से मान्यता कौड़ियों के भाव पैसा लेकर देने का काम आपकी सरकार ने किया है। इसी नाते शिक्षा की यह दुर्दशा हुई है। माननीय मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी ने उसको सुधारने का काम कर रहे हैं। गांव के गरीब जो सोच नहीं सकते थे कि हम दुनिया में कभी लैपटाप चलायेंगें और देखेंगें उनको सीधे लैपटाप देने का काम, बड़े बेटियां पढ़ें बेटियां में 30-30 हजार रूपये समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री के नेतृत्व में देने का काम हो रहा है। और जो है, आपके जमाने में एक साइकिल देते थे 15 हजार रूपये देने के लिये। नकल आपने हमसे चुराया, जो हमारा कन्या विद्या धन था उसको आपने चुराने का काम किया। उसके

बाद आधा का आधा पैसा वहीं करके वहीं डी0आई0ओ0एस0 आफिस में आपके यहां लिखा जाता था कि इनको मिले न मिले। इसलिये कहना चाहते हैं कि यह पारदर्शी सरकार है इसलिये इसकी चिन्ता आप लोग न करिये। इस तरह रफ्तार से यह सरकार चलेगी कि आप लोग दिन रात हम लोगों की तारीफ करेंगें यहां आकर चाहे जो बुराई करें। ऐसी सरकार नहीं है यहूं 5 साल जब समाजवादी पार्टी के लोग सरकार में नहीं रहते हैं तो जनता के लिये संघर्ष करते हैं और जब सरकार में आते हैं तो जनता की सेवा करते हैं। आपकी पार्टी नहीं है कि सरकार से हटे तो मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। (हंसी) चली गई।

श्री अध्यक्ष-

बैठो अब हो गया। माननीय पवन जी, यह क्या उनको समझा रहे हो, वह समझदार नहीं हैं क्या ? वह आपसे बहुत सीनियर मिनिस्टर हैं। पहले भी मंत्री रह चुके हैं, ऐसे ही वह बोलते हैं । माननीय मंत्री जी, आपको भी कुछ बोलना है इस पर।

श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, दोनों शिक्षा मंत्री से मैं समझता हूं कि विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सन्तुष्ट होंगे। डा0 साहब ने एक चिन्ता व्यक्त किया है लड़कियों के सेन्टर के लिये, मैं इसको दिखवा लूंगा और मैं माननीय सदस्य श्री उमाशंकर जी, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि शिक्षा जो मौलिक अधिकार है, इसके बजट में जो आपने कटौती का प्रस्ताव रखा है, इसको वापस ले लीजिये और इसको सर्व सम्मति से इसको पास करिये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

आप कटौती वापस नहीं ले रहे हैं इसलिये मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-72 शिक्षा विभाग(माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 90,35,85,07,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[07.31 बजे] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-

अनुदान संख्या-46 प्रशासनिक सुधार विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-46 प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 15,78,76,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 में समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-46 प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 15,78,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[7.32 बजे] अनुदान संख्या-39 भाषा विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च 2014 में समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-39 भाषा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 12,82,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2014 में समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-39 भाषा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 12,82,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 में समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,35,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 में समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,35,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[7.34 बजे] अनुदान संख्या-28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 में समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,48,91,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 में समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,48,91,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[7.35 बजे] अनुदान संख्या-38 नागरिक उड्डयन विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 में समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-38 नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 99,58,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 में समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-38 नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 99,58,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-92 संस्कृति विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 में समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-92 संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 80,53,06,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न है कि 31 मार्च, 2014 में समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-92 संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 80,53,06,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[7.36 बजे] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-8, मद संख्या 9, मद संख्या-10, मद संख्या-11 पहले पारित हो चुका है अब नियम-51 की सूचनायें।

आज दिनांक 11-03-2013 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 29 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें पहली सूचना डॉ0 अरुण कुमार की जनपद गाजियाबाद में मानकों की अनदेखी कर संतोष यूनिवर्सिटी तथा संतोष मेडिकल एवं डेन्टल कालेज को चलाये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

दूसरी सूचना श्री अखिलेश सिंह की जनपद रायबरेली में पत्रकारों के ऊपर पंजीकृत मुकदमें वापस लिये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

तीसरी सूचना श्री बंशी सिंह पहाड़िया की अवैध ड्राइविंग स्कूलों द्वारा परिसंकटमय एवं खतरनाक वाहन चालकों को दिये जा रहे प्रशिक्षण पर अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

चौथी सूचना श्री कुलदीप सिंह सेंगर की जनपद लखनऊ के परगना बिजनौर के ग्राम सेवई में गाटा सं0 786 व 796 को बंजर भूमि घोषित किये जाने की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

पांचवीं सूचना श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर अन्तर्गत दि किसान सहकारी चीनी मिल्स द्वारा कर्मचारियों एवं मजदूरों के बकाये धनराशि को दिलाये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

छठीं सूचना श्रीमती कृष्णा पासवान की प्रदेश में टी0एस0आई0 की यातायात पुलिस में नियुक्ति न हो पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

सातवीं सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में यातायात/परिवहन विभाग के नियमों एवं व्यवस्था का उल्लंघन कर अतिभारित वाहन मार्गों पर पाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

आठवीं सूचना श्री संजय कपूर की जनपद-रामपुर की तहसील-विलासपुर के टाउन एरिया केमरी में चिकित्सालय खोले जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

नवीं सूचना श्री रामवीर उपाध्याय की उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की विभिन्न जनपदों में स्थित कार्यशालाओं द्वारा निगम के वाहनों में डीजल भराने की नीति व सुसंगत नियमों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

दसवीं सूचना श्री काली चरन सुमन की जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पट्टी पचगाई में पेयजल हेतु ट्यूबवेल बोर हेतु विद्युत कनेक्शन कराने के सम्बन्ध में इस पर शासन का ध्यानाकृष्ट किया जाता है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं :-

1-श्री धर्मपाल सिंह,

2-श्री रविन्द्र भड़ाना,

3-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी,

4-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया,

5-श्री अजय मिश्रा 'टेनी',

6-श्री उत्कर्ष वर्मा 'मधुर',

7-श्री सुरेश कुमार खन्ना,

8-डा0 धर्मपाल सिंह,

9-श्री ममतेश शाक्य,

10-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत,

11-श्री राज नारायण बुधौलिया,

12-श्री जगन प्रसाद गर्ग,

13-श्री रामहेत भारती,

14-श्री उमाशंकर सिंह,

15-ठा0 दलवीर सिंह,

16-श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट,

17-श्री राजेश त्रिपाठी,

18-श्री रामचन्द्र यादव तथा

19-श्री सुरेश बंसल।

बस्ती शुगर मिल्स कम्पनी लि0, बस्ती द्वारा श्रमिकों को सम्पूर्ण बोनस न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री संजय प्रताप जायसवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री संजय प्रताप जायसवाल जी हैं ? नहीं हैं।

जनपद बलिया में धान क्रय केन्द्रों पर केन्द्र प्रभारियों द्वारा मनमाने तरीके से धान की खरीद एवं घटतौली करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश अंचल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री जय प्रकाश अंचल जी हैं ? नहीं हैं।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित मधुबन बापू धाम आवासीय योजना के अन्तर्गत विधायकों को आवंटित आवासीय भूमि पर कब्जा न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री सलिल विश्नोई द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री सलिल विश्नोई जी हैं ? नहीं हैं।

जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र कादीपुर में आंधी तूफान से टूटे बिजली के तार और खम्भों को ठीक कराने तथा जले हुए ट्रांसफार्मर के स्थान पर नये ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री राम चन्द्र चौधरी जी हैं ? यह भी नहीं हैं।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के 21 ग्रामों/मजरों तथा 15 ग्रामों एवं मजरों में विद्युतीकरण न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजबली जैसल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना में यह बिन्दु उठाया गया है कि ..

होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्षक दल, व्यावसायिक शिक्षा मंत्री (श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी)-

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[विधान सभा क्षेत्र 265, कोरांव, इलाहाबाद के विद्युतीकरण हेतु प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वाराणसी के पत्र सं0-510 पी0एस0डी0डी0/2011, विस्तारित बिजनेश प्लान द्वारा आदेश हुआ था कि प्राक्कलित धनराशि सूचित करते हुए कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराने का कष्ट करें। उक्त आदेश क्रमशः 26 मई, 2011 तथा 23 जून, 2011 लगभग 21 ग्रामों/मजरों तथा 15 ग्रामों/मजरों जो निम्नवत् ग्राम हैं :-

दसवार, हड़या, गाढ़ा, खूटा, सूजनी, खीरी, तुरुकपुरवा, पिपरहटा, खरिहानी, चन्दापुर, गेदूराही, सिरहिर, गाढ़ा, एकडरिया, ढेरहन, संसारपुर, राजपुर, पथरपुर, शिवपुर, हड़ियामाण्डा, भवानीपुर, रतेवरा, कुरहरा, कोशफराकला, खजुरी, कुकरहटा, वितनीपुर, बड़ाखोरा, झड़ियाही, घूघा, सिरोखेलाड़ीपुरा, चांदी, इसौटा, सिंहपुर, सलैया, मेहराजागिर, बसहरा, कोइलहा, मिश्रपुर, पचेड़ा, ऊचडीह, बसिया का तारा, कुशलपुर हेतु आदेश निर्गत हुए थे उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त ग्रामों/मजरों के विद्युतीकरण हेतु धनराशि लगभग 2 करोड़ सतहत्तर लाख अस्सी हजार स्वीकृत होकर इलाहाबाद विद्युत वितरण में पहुंच गया था और सभी ग्रामों में विद्युतीकरण हेतु कुछ पोल भी गिराये जा चुके थे, परन्तु चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण कार्य रोक दिया गया था जो आज तक उसी तरह रुका पड़ा है।

आख्या :-

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान में विस्तारित बिजनेस प्लान योजना लागू नहीं है। उक्त 21 में से 8 ग्रामों (दसवार, हड़या, गाढ़ा, संजय द्विवेदी सिरहिर, गाढ़ा एकडरिया, ढेरहन, संसारपुर, हड़ियामाण्डा) को विद्युतीकृत करने हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में सम्मिलित कर लिया गया है। योजना स्वीकृत हो चुकी है, धन की प्राप्ति के उपरान्त कार्य को कराया जाना सम्भव हो सकेगा। शेष 13 ग्रामों (खूटा, सुजनी, खीरीतुरुकपुरवा, पिपरहटा, खरिहानी, चन्दापुर, गेदुराही, राजपुर, पथरपुर, शिवपुर, भवानीपुर, रतेवरा, कुरहरा) के विद्युतीकरण को किसी योजना के आच्छादित होने पर अथवा अन्य स्रोतों से धन प्राप्त होने पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उक्त 15 ग्रामों में से 8 ग्रामों (कोशफराकला, बड़ोखरा, सिकरोखेलाड़ीपुरा, चांदी, इसौटा, बसहरा, पचेड़ा, ऊंचाडीह) को विद्युतीकृत करने हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में सम्मिलित कर लिया गया है। योजना स्वीकृत हो चुकी है धन की प्राप्ति के उपरान्त कार्य को कराया जाना सम्भव हो सकेगा। शेष 07 ग्रामों (खुजरीककरहटा, झड़ियाही, घूघा, सिंहपुर, सलैया, नेहा, जागीर, मिश्रपुर, कुशलपुर) के विद्युतीकरण को किसी योजना के आच्छादित होने पर अथवा अन्य स्रोतों से धन प्राप्त होने पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।]

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में वर्ष 2011-12-13 ग्राम खण्डा खस व अण्डखेड़ा में उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 में गेहूं/धान के क्रय केन्द्रों पर किये गये अनियमितताओं की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

इस मद को माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर स्थगित किया जा रहा है।

जनपद आगरा के कैन्ट क्षेत्रान्तर्गत प्राइवेट कम्पनी टोरेन्ट पावर द्वारा उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गुटियारी लाल दुबेश द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जनपद आगरा कैण्ट क्षेत्र आगरा शहर के अन्तर्गत ..

होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्षक दल, व्यवसायिक शिक्षा मंत्री (श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी)-

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आज़म खां-

[प्राईवेट कम्पनी टोरेन्ट पावर द्वारा उपभोक्ताओं का जम कर उत्पीड़न करना तथा निजी प्राईवेट मीटर लगाने एवं प्राईवेट गुण्डों द्वारा महिलाओं के साथ अभद्रता करने एवं बीडियो क्लिप बनाना तथा उपभोक्ताओं को फर्जी मुकदमों में फसाये जाने तथा सड़कों को बिना अनुमति के खोदे जाने का प्रकरण उठाया गया था, जिसके सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :--

विधान सभा कैन्ट एवं आगरा शहर के अन्तर्गत विद्युत वितरण व्यवस्था फ्रेन्चाइजी के रूप में टोरेन्ट पावर को सौंपी गयी है। मा0 विधायक द्वारा दिये गये नियम-51 में किसी व्यक्ति विशेष की शिकायत का उल्लेख नहीं किया गया है। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार जिन उपभोक्ताओं के मीटर पुरानी श्रेणी के थे उन्हें बदलकर इलेक्ट्रानिक मीटर स्थापित किये गये हैं। इन मीटरों की सत्यता की जांच हेतु दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के जांच हेतु समानान्तर स्थापित किये गये हैं। इन मीटरों में कोई अन्तर नहीं पाया गया है। मीटर द्वारा दर्शाये गये उपभोग पर ही बिलिंग की जाती है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मेसर्स टोरेन्ट पावर कम्पनी लि0 के सभी कर्मचारियों के पास आई0डी0 है एवं चेकिंग के समय महिला कर्मचारी साथ में रहती है। विद्युत चोरी और विद्युत भार के वास्तविक रिकार्ड हेतु बिडियोग्राफी भी करायी जाती है। विद्युत चोरी पाये जाने पर नियमानुसार असिस्मेन्ट किया जाता है एवं उपभोगता के प्रत्यावेदन पर सप्लाई कोड 2005 के अनुसार नियमानुसार संशोधन भी किया जाता है। बिजली चोरी के मामलों में नियमानुसार मुकदमा भी दर्ज कराया जाता है।

मेसर्स टोरेन्ट पावर द्वारा विद्युत वितरण व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करने के लिए एवं विद्युत चोरी को रोकने के लिए अधिकतर लाइनों को भूमिगत किया जा रहा है जिससे सड़क की खुदाई करके केबिल डालकर सड़कों को पुनः सही अवस्था में कर दिया जाता है। खुदाई हेतु सम्बन्धित विभागों में नियमानुसार अनुमति भी ली जाती है। ऐसे उपभोक्ता जो विद्युत चोरी में लिप्त होते हैं, उन्ही के विरुद्ध मेसर्स टोरेन्ट पावर के स्तर से नियमानुसार एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जाती है जिसके लिए शासन द्वारा उन्हें अधिकृत किया गया है। समस्त उपभोगताओं की समस्याओं के निस्तारण हेतु दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 स्तर पर एवं प्रशासन स्तर पर सहयोग करने हेतु समितियां एवं अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है जो मेसर्स टोरेन्ट पावर की गतिविधियों पर दृष्टि रखकर नियमों के पालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं।]

चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत से हो रहे पेपर आउट की जांच कराये जाने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जी हैं ? नहीं हैं।

महराजगंज के ग्राम सभा दुर्गापुर में ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बजरंग बहादुर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत की गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-21 भी स्थगित है।

अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 07 बजकर 40 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

लखनऊ :

दिनांक 11 मार्च, 2013

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 60 विधान सभा (124)-1-08-2013-813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।